(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5]] षष्टम् विधान सभा के पंचम सत्र का 27 वां दिवस [संख्या 20

1] [2

शनिवार

दिनांक 24 मार्च, 1979

(विधान सभा की बैठक म.पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री लक्ष्मणसिंह अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर।

श्री माणकलाल ठाकोर।

कम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कार्य

520. **श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवां)** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या काम के बदले अनाज की योजना कम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में भी लागू की जा रही है? यदि हां, तो कितनी जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में यह योजना लागू की जा रही है?

(2) क्या यह सही नहीं है कि 5000 तक के कार्यों के लिए भी सम्बन्धित जिलाधीश अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा स्वीकृति वांछित कर दी गई है और इस सीमा तक के कार्यों पर भी कुछ पाबन्दियां लगाई गई हैं? यदि हां, तो वे कौन सी पाबन्दियां हैं?

कृषि मंत्री (श्रीदिग्विजयसिंह) : (1) जी नहीं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्रियान्वित की जा रही है।

(2) जी नहीं। 5000 रुपये तक की लागत वाले निर्माण कार्यों की स्वीकृति के अधिकार पंचायतों को प्रदान किये जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा पाबंदियां नहीं लगाई गई थीं किन्तु काम को नियन्त्रण में रखने के उद्देश्य से 25-1-79 को निर्देश दिये गये हैं कि तीन से अधिक कार्य नहीं लिये जावें क्योंकि पंचायतों ने बहुत अधिक कार्य प्रारम्भ कर रखे थे जिससे गेहूं की मांग बढ़ गई थी किन्तु भारत सरकार से सीमित मात्रा में ही गेहूं आवंटित किया गया था।

श्री माणकलाल ठाकोर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पूर्व आकाश-

(श्री मानकलाल ठाकोर)

वाणी से और पत्रों द्वारा यह सूचना मिली थी कि छोटी नगरपालिकाओं, 15 हजार तक की जनसंख्या की नगरपालिकाओं के अन्दर काम के बदले अनाज की योजना लागू की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल ने अथवा राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया था? इस सम्बन्ध में क्या सम्बन्धित मंत्री महोदय ने कोई घोषणा की थी, पत्रकारों से इस सम्बन्ध में बात की थी? उत्तर देते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि नगरपालिकाओं की वैसीही आर्थिक स्थितिहैं,जैसी कि ग्राम पंचायतो की। छोटी नगरपालिका वैसी ही है जैसी ग्राम पंचायतें हैं। जो नगरपालिकायें छोटी हैं, उनके क्षेत्र की दस हजार की आबादी है अथवा 15 हजार की आबादी है, तो वह शहरी क्षेत्र नहीं हैं, तो क्या आप उचित नहीं समझते कि उन क्षेत्रों में भी यह योजना लागू हो? आपने मन्त्रिमण्डल में इस सम्बन्ध में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद आकाशवाणी के द्वारा घोषणा प्रसारित करा दी तो क्या आप इस बात को उचित नहीं मानते कि यह योजना लागू की जावे? क्या आप यह आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हैं कि मई, 79 में जब आप इस योजना को पुनः चालू करें उस वक्त इस सम्बन्ध में भी आदेश भारत सरकार से प्राप्त करेंगे और यह योजना लागू कर दी जाएगी?

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर बहुत सारी नगरपालिकाओं का बहुत बड़ा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र जैसा ही है, बहुत सारी नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनमें बीस-बीस उपनगर हैं, जिनको खेड़ा ही कहना चाहिए। ऐसी नगरपालिकाओं के क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना को लागू करने की क्या मन्त्रिमण्डल कृपा करेगा? क्या राज्य सरकार इस पर गहराई से विचार कर ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए इस योजना का उपयोग करेगी?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि अजमेर, किशनगढ़ व अन्य कई शहरों के म्युनिसिपल क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के जिन गांवों को मिलाया गया है, क्या उन गांवों में म्युनिसिपलिटी विकास के कार्य नहीं कर रही है, और न ही काम के बदले अनाज योजना में ग्राम पंचायतों द्वारा विकास का कार्य कराया जा रहा है? क्या सरकार उन गांवों को विकास के कार्यों से वंचित रखना चाहती है या उनके विकास के लिये कुछ किया जायगा? मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, पुष्कर क्षेत्र के तीस गांवों को नगरपालिका में मिलाया गया है लेकिन इन गांवोंमें विकासका कोई काम नहीं होरहाहै। नगरपालिका वहाँ पर कोई काम नहीं करा रही है। हम इस योजना से गांवों में विकास का काम करना चाहते हैं किन्तु वह भी लागू नहीं होने से वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। इस कारण से तीस गांवों की यह दशा हो रही है कि न तो वे पंचायत क्षेत्र में

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

आते हैं और न उनमें नगरपालिका कोई काम कराती है। इसी प्रकार की स्थिति और भी जगहों पर है जहां पर विकास कार्यों की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है। ऐसे गांवों का काम के बदले अनाज योजना के द्वारा या नगरपालिकाओं को विशेष राशि दी जाकर विकास करना चाहिए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न में इतना समय लगेगा तो किस प्रकार से हमारे और प्रश्नों के उत्तर आ पायेंगे।

श्री माणकलाल ठाकौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। कृपया मंत्री महोदय प्रश्नकर्त्ता के सप्लीमेंट्री का उत्तर दें।

श्री दिग्विजयसिंह : प्रश्नकर्त्ता ने कहा कि मन्त्रिमण्डल ने कोई ऐसा निर्णय लिया, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्रिमण्डल ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया कि नगरपालिका क्षेत्रों में भी इस योजना के अन्तर्गत कार्य चालू किये जायें, न इस प्रकार का कोई निर्णय लेकर भारत सरकार को लिखा। बल्कि हमने और मुख्य मंत्रीजी, जब वे दिल्ली गए थे, ने अनौपचारिक तौर पर भारत सरकार से बात की थी कि छोटी नगरपालिकाओं के क्षेत्र में भी कार्य चालू करने की स्वीकृति दी जाय। इस प्रकार का प्रयत्न किया गया था लेकिन यह भारत सरकार की योजना है, उसने इसको अस्वीकार कर दिया। नगरपालिका क्षेत्रों में किसी प्रकार से ये काम चालू नहीं किये जा सकते हैं। इसलिए ये काम चालू नहीं करवाये।

(व्यवधान)

श्री माणकलाल ठाकौर : आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया कि नगरपालिकाओं के क्षेत्र में यह कार्य चालू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ है कि राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है और स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार तक कार्यवाही भेजी गई है। माननीय माणकचन्दजी सुराणा ने संवाददाताओं को यह समाचार दिया था। अगर यह बात गलत है तो बहुत गम्भीर बात है। यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है कि आकाशवाणी से ऐसा गलत प्रसारण क्यों कराया गया और संवाददाताओं को योजना मंत्री ने गलत खबर क्यों दी? यह बहुत गम्भीर बात है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात गलत है? आकाशवाणी से क्या समाचार प्रसारित नहीं किया? मैं आपसे कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आकाशवाणी के बुलेटिन मंगाकर देखा जाय, यह गम्भीर बात है। अगर सरकार ऐसी ही बातें करती रहेगी तो यह टालमटोल की गलत नीति का परिचायक होगा। इससे जनता सरकार की छवि बिगड़ने के अलावा और कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय के पास जो सूचना अभी आई है उसके अनुसार मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण कर दिया।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आकाशवाणी पर गलत समाचार कैसे प्रसारित कर दिया ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया अब, नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं साहब, यह तो गलत है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह बहुत गम्भीर विषय है.......

(व्यवधान)

जो गांव म्युनिसिपल क्षेत्र में मिला दिये गये हैं उनके अन्दर न तो पंचायत समितियों के माध्यम से काम हो रहे हैं और न नगरपालिकायें कोई काम करवा रही हैं। गंभीर परिस्थिति होने के कारण वहाँ के लोग भूखों मरते हैं.......

श्री माणकलाल ठाकौर : संवाददाताओं को आयोजना मंत्री महोदय ने कहा था या नहीं, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री रतनलाल वर्मा : मंत्री महोदय, यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे नेता महोदय भी मौजूद हैं, उनसे उत्तर दिलाया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : आकाशवाणी पर जो समाचार प्रसारित हुआ.......

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय डागाजी, हमारी समस्या का समाधान होने दीजिए, हमको बोलने दीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : हैड लाइन्स में था यह समाचार।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित नहीं हुआ ?

श्री रतनलाल वर्मा : यह तो हुआ था, सही है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : हमारे प्रश्न रह जाते हैं, साहब।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : जहाँ पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छोटे छोटे ऐसे गांव हैं जो नगरपालिकाओं में मिला दिये गये हैं, क्या वहाँ पर काम के बदले योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखते हैं ? उनके लिए कोई योजना बनाने वाले हैं क्या ?

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सी नगरपालिकाएं पहले ग्राम पंचायतें थीं। कई ग्राम पंचायतों को नगरपालिका बना दिया गया है तथा कई नगरपालिकाओं की सीमाएं बढ़ा दी गई हैं।

(श्री काशीनाथ गुप्ता)

वे गांव जो हाल ही में नगरपालिका सीमा में शामिल किए गए हैं, क्या वहां पर काम के बदले अनाज योजना में काम खोले जाएंगे ? आशा है सरकार इस पर विचार करेगी ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह विषय गम्भीर है। गांवों का भाग्य मंद हो गया है। कुछ काम नहीं हो रहा है। हमारे नेता महोदय यहां पर बिराजे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस स्थिति को देखें और कार्य करावें ।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : नगर पालिका क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना में काम न करवाने का कारण क्या था ? अन्त्योदय और काम के बदले अनाज योजना नगरपालिका क्षेत्रों में लागू क्यों नहीं की गई है ? आज कई नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वे दिवालिया होने की स्थिति में हैं। इसलिए वहां के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : केन्द्रीय सरकार आपकी है। आप जाकर काम करो।

एक माननीय सदस्य : वहां पर अन्त्योदय योजना क्यों नहीं लागू की गई है ?

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यह था कि केवल तीन काम ही एक ग्राम पंचायत ले सकती है। कृपया यह बेन उठाएंगे ताकि सरपंच ज्यादा से ज्यादा काम वहां गांव में शुरू कर सकें ? क्या मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे ?

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, हमें सबसे पहले तो सारी नगरपालिकाओं को दो श्रेणी में विभाजित करना होगा। एक तो वे नगरपालिकाएं जो पुरानी हैं और एक वे नगरपालिकाएं जिनमें हाल ही में ग्राम मिलाये गये हैं। ये जो ग्राम हाल ही में मिलाये गये हैं उनकी ओर नगरपालिकाओं का ध्यान बिल्कुल नहीं गया है। इसलिए ऐसे गांव, जो हाल ही में नगरपालिकाओं की सीमाओं में मिलाये गये हैं, का विकास करना है तो सरकार को निश्चित तौर से काम के बदले अनाज योजना को उनमें लागू करना होगा, वरना वे गांव पिछड़े रह जाएंगे और उनका विकास नहीं होगा। इस ओर सरकार अवश्य ध्यान दे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो सी. और डी. श्रेणी की नगरपालिकाएं हैं उनकी हालत बद से बदतर है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूँगा कि इन सी. और डी. श्रेणी की नगरपालिकाओं में भी काम करवाये जाएं।

मेजर श्री फतहसिंह : जो अनाज मिलता है वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए अनाज गांवों के हित में ही खर्च किया जाना चाहिए परन्तु जो गांव हाल ही में नगरपालिका की सीमा में मिलाये गये हैं, उन गांवों में इस योजना को लागू किया जाए। सभी नगरपालिकाओं में यह योजना लागू करना सरकार की वित्तीय सीमा के बाहर है।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत, मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे स्थिति पर स्पष्ट रोशनी डालें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर शहर की सीमा को हाल ही में बढ़ा कर इसमें आसपास के कई गांवों को सम्मिलित किया गया है। नगरपालिका ने वसूली का कार्य तो शुरू कर दिया है परन्तु विकास आदि का कोई काम नहीं किया गया है। सांगानेर और दूसरे गाँवों को अभी हाल ही में जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया गया है। इन गांवों में काम के बदले अनाज योजना में पूर्व नीति के अनुसार काम नहीं हो रहा है और सारा इलाका बिना विकास के पड़ा हुआ है तो क्या मुख्य मन्त्री महोदय इस बात पर रोशनी डालेंगे कि ऐसे गांवों के लिए केन्द्रीय सरकार से, राज्य सरकार ने बातचीत की है और उसमें क्या प्रगति हुई है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजड़ा अरोड़ा।

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार का यही उद्देश्य है कि काम के बदले अनाज योजना का काम गांवों में ही चलाया जाए।

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, जो छोटी नगरपालिकाएं हैं उनके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं........

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष गाँवों में काम हुए हैं। यह स्वाभाविक ही है कि इस योजना को देखकर नगरपालिका क्षेत्र में भी इस योजना के अन्तर्गत काम किए जाएं, इस प्रकार की मांग उठी। राजस्थान में पहली बार गांवों में काम हुआ है.......

(व्यवधान)

यह एक तथ्य है जिससे आपको स्वीकार करना चाहिए.......

श्री मूलचन्द डागा : बहुत से काम पहले भी हुए हैं।

श्री नवरंग सिंह : सही बात को स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि विपक्षी दल के माननीय सदस्यों को कुछ ही दिनों बाद यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो काम हुए हैं उनमें कांग्रेस का भी काम तमाम कर दिया। मैं यह निवेदन कर रहा था कि सभी क्षेत्रों से यह मांग आ रही है कि शहरों में काम के बदले अनाज योजना का पैसा लगाया जाए। परन्तु भारत सरकार इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जिन नगरपालिका क्षेत्रों में हाल ही में गांवों को शामिल किया गया है, उन गांवों में, जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है टैक्स की वसूली तो नगरपालिका कर रही है परन्तु कोई सिविल एम्युनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही है, इस सम्बन्ध में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भारत सरकार से निवेदन किया था कि जिन गांवों का हाल ही में नगरपालिकाओं में शामिल किया गया है, उनका किसी प्रकार से विकास नहीं हो रहा है। ये छोटे-छोटे गांव हैं, वहां पर किसान भी रहते हैं। उन गांवों को फूड़ फार वर्क योजना में शामिल कर लिया जाए। उनकी संख्या ज्यादा भी नहीं है। तैंतीस हजार गांवों के मुकाबले में अन्दाज से कह सकता हूं ऐसे एक हजार के करीब गांव होंगे। एक हजार भी नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में इन गांवों का विकास करने की इजाजत दे दी जाय, भारत सरकार अभी इस मत की नहीं है कि इन गांवों में इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय लेकिन इस प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं कि इन गांवों में भी ऐसी व्यवस्था हो।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इन गांवों को नगरपालिकाओं से निकाल दें ताकि भारत सरकार से पूछना न पड़े।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने फर्माया कि नगरपालिकाओं से निकाल दिए जायं। अभी मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता। हमारे प्रयत्न चल रहे हैं कि इन गांवों को भी फूड फार वर्क योजना में शामिल किया जाय। भारत सरकार से लगातार चर्चा कर रहे हैं लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। ज्यों ही कोई निर्णय होगा सूचना दे दी जायेगी। सुराणाजी ने भी कहा है कि प्रयास कर रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर बालकों के विकास की योजना।

521–श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर बालकों के विकास एवं समृद्धि एवं समुचित उन्नति के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है? ब्ल्यू प्रिन्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार बाल वर्ष हेतु राज्य में बालकों के विकास हेतु हाथ में लिए जाने वाले कार्यों आदि की सलाह देने हेतु समिति का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या राज्य सरकार बाल वर्ष के अवसर पर जयपुर में बालकों के विकास हेतु एक सुविधा सम्पन्न बालघर की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) विश्व बाल वर्ष के सन्दर्भ में राजस्थान के बालकों के विकास एवं उन्नति के लिए एक कार्यकारी योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। इस कार्यकारी योजना पर राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य स्तरीय बाल बोर्ड का गठन किया जा चुका है। अतः पृथक से समिति की आवश्यकता नहीं है। बाल बोर्ड के सदस्यों की सूची सलंग्न है।

(3) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(श्रीमती विद्या पाठक)

(प्रारूप विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरे दो तीन प्रश्नों का उत्तर दिलवावें। पहला, यह जो प्रारूप बनाया गया है इसकी स्वीकृति राज्य सरकार से कब तक मिल जायेगी ? दूसरा, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए जब तक ऐसे अस्पताल नहीं खोले जायेंगे तब तक आप इसको कैसे कम कर पायेंगे ? तीसरा, इस कार्य के लिए जो आपने बोर्ड बनाया है उसमें कितना पैसा आवंटित किया है ? और चौथा, बोर्ड की कितनी बैठकें हो चुकी हैं ? बोर्ड में जन प्रतिनिधियों को क्यों नहीं ले रहे हैं।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या राज्य सरकार जिला मुख्यालयों पर और नगरपालिका क्षेत्रों में एक-एक बाल विशेषज्ञ चिकित्सक रखने का विचार रखती है ?

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तीन महीने समाप्त होने को आ रहे हैं, 3 महीने में प्रारूप तैयार हुआ है....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मेरा एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दिनों में जो बालक होटलों, फैक्ट्रियों और घरों में काम करते हैं और जिनका शोषण होता है, क्या उनके लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको एम्प्लायमेंट नहीं दिया जाय और उनको पढ़ाई में लगाया जाय ?

श्री नूरा (मसूदा) : यही प्रश्न मेरा था। उनका शोषण होता है। उनके विकास के लिए बोर्ड बनाया गया है। होटलों में काम करने वाले बच्चों के विकास की क्या योजना है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती श्यामा कुमारी।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, बाल अधिनियम राजस्थान के चार जिलों में ही क्यों लागू किया है ? अन्य जिलों में भी कब तक लागू करेंगे ?

श्री बहादुरसिंह (नोहर): बाल विकास योजना क्या शहरों में ही लागू की जायेगी या देहातों में भी लागू की जाएगी ?

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फण्ड्स की स्वीकृति का सवाल है, अभी यह वर्ष शुरू हुआ है जिसे बाल वर्ष घोषित किया गया है, इसलिए धन की स्वीकृति इस बजट के साथ ही देनी संभव हो जाएगी। और भी आर्थिक प्रावधान हो यह प्रारूप की क्रियान्विति और फाइनेंशियल सैंक्शन पर ही निर्भर है।

बालकों और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने पूछा, इसको कैसे कम किया जा सकता है बिना अस्पताल खोले। जन स्वास्थ्य सम्बन्धी जितनी योजनायें हैं वे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ही हैं जिनसे मृत्यु दर अपने आप ही कम होती है। जिला मुख्यालयों पर बाल विशेषज्ञ रखे जायेंगे, इस तरह का प्रावधान इस योजना में रखा गया है।

श्री मूलचन्द डागा : हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, बालकों

(श्री मूलचन्द डागा)

का शोषण हो रहा है। फैक्ट्रियों में जितने बच्चों का शोषण होता है उनके लिए क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय बाल वर्ष में बाल अपराधों की सजा में क्या छूट दी जायेगी ?

श्री बहादुरसिंह : क्या बाल विकास योजना गांवों में भी लागू की जायेगी ? कितने गांवों में लागू की जायेगी और किस रूप में की जायेगी ? यह बताने की कृपा करें।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की 85 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। गांवों में क्या बालक नहीं होते या जनमते ही जवान हो जाते हैं ? उनके लिए क्यों नहीं योजना बनाई ? गांवों के बालकों की रक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : ग्रामीण बालकों के बारे में आप कुछ देने की पोजीशन में हैं या नहीं, इस बारे में प्रकाश डालें ?

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : जितने बच्चों को रहन रखा हुआ है उनकी रिहाई के लिए भी बाल विकास योजना में पैरवी करने का प्रावधान है क्या जिससे बन्धुआ बालकों को रिहा करवाया जा सके ?

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं सरकार से निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, बाल विकास योजना के अन्तर्गत जो भी खर्चा सरकार करना चाहती है उसका 82 प्रतिशत खर्चा गांवों में किया जाय।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने यह बताया कि जिला मुख्यालयों पर बाल चिकित्सक लगाने का सरकार का विचार है ? मैं जानना चाहती हूं कि क्या राजस्थान में इतने बाल चिकित्सक उपलब्ध हैं ? अगर नहीं हैं तो क्या आपकी यह योजना केवल कागजों तक ही सीमित नहीं रहेगी ?

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह योजना ग्रामीण योजना है या शहरी योजना, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि बाल वर्ष को मनाने के पीछे भावना यही है कि जो आवश्यकता के अन्तिम बिन्दु पर बैठे हों, अन्त्योदय सिद्धान्त के अनुसार सबसे पहली प्रायोरिटी, उनके डवलपमेंट को दें। मेडिकल सुविधायें आदि जितनी भी सुविधायें हैं। सारी सुविधाएं एक इंटेग्रेटेड योजना के रूप में बाल वर्ष के अन्दर उपलब्ध कराई जायं। बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की सुविधा, कानून की सुविधा देने के लिए नियम बने हुए हैं। इसके लिए योजना बनाई है उससे ग्रामीण क्षेत्रों को भी अछूता नहीं रखा जायेगा बल्कि उनको प्रायोरिटी दी जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है ?

मेजर श्री फतहसिंह : जो बच्चों के डाक्टर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्स पर पोस्टिंग न करें और सबडिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर और तहसील हैडक्वार्टर्स या जहां पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स चल रहे हैं वहां पर वे नियुक्त किये जायं ताकि गांव वालों के बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह : इस योजना में किस तरह से गांवों को लिया जायगा। या यह योजना गांवों में किस रूप में लागू की जायगी, इसकी जानकारी दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैंने माननीय मन्त्री महोदया से एक एक स्पेसिफिक सवाल बाल-अपराधियों के बारे में पूछा था कि बाल वर्ष में क्या बाल-अपराधी कानून में परिवर्तन किया जायगा या उनकी सजा कुछ कम की जायगी ? उसके बारे में उत्तर नहीं दिया। वह उसको टाल गईं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि जनाना हॉस्पिटल, जो जे० के० ने बनवाया था और औरतों के लिए बना था, को बाल वर्ष में जनरल बाल अस्पताल बनाया गया है ? क्या औरतों का भी ट्रीटमेंट होगा ?

श्री किशनसिंह भाटी : डागा जी आपका भी होगा।

मेजर श्री फतहसिंह : हमारी योजना का 80-85 पर्सेन्ट गांवों के लिए खर्च किया जायगा तो माननीय मन्त्री महोदया ने जो इसका उत्तर दिया है वह अस्पष्ट है। इस प्रकार से उसको टालने का केवल यही मतलब है कि वह सारा पैसा शहरों में खर्च होगा। आज तक शहरों के लोग गांवों का शोषण करते आये हैं। गांव वाले अब जागरूक हो गये हैं। इसलिए स्पष्ट उत्तर दिया जाय कि जिस तरह से विकास योजनाओं का 70 प्रतिशत गांवों पर खर्च होता है उसी तरह से इस योजना का भी 70 प्रतिशत पैसा गांवों पर खर्च होगा कि नहीं ? इसका उत्तर दिया जाय। इसके उत्तर को टाला न जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मन्त्री महोदया उत्तर दे नहीं पा रही हैं इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं, वह उत्तर दे दें।

मेजर श्री फतहसिंह : हम माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप गांव के रहने वाले हैं और आपकी शक्ति गांवों में हैं, इसलिए शहरों की उपेक्षा करें, यह हम नहीं चाहते हैं, लेकिन गांवों की ओर, और गरीबों की ओर अधिक ध्यान दें। यह आपसे अपेक्षा करके हम लोग चल रहे हैं।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहती हूं कि बाल वर्ष प्रोग्राम में जो काम चालू किये जा रहे हैं उन कामों के बारे में ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई प्रोग्राम नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदया से यह कहना चाहता हूं कि आपने माना है और आप यह जानते हैं कि योजनाओं का 80 प्रतिशत गांवों में खर्च किया जायगा और 20 पर्सेन्ट शहरों में खर्च किया जाता है, यह बिल्कुल उचित कदम उठाया गया है। मेहरबानी करके इसके बारे में भी स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, जो बच्चे होटलों में काम करते हैं और कारखानों में काम करते हैं वह गांवों से आते हैं। लोग उनका शोषण करते हैं। उन बच्चों को बाल वर्ष में आप क्या सुविधायें देने का विचार रखते हैं? अगर विचार रखते हैं तो क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया, कम से कम 21-22 सप्लीमेंट्री पूछे गये हैं। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद चौथे सदस्य उठ-उठ कर पूछ रहे हैं। कृपया उत्तर दें।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, बाल वर्ष में जो कार्यवाही की जाने वाली है उसका प्रारूप माननीय राज्य मन्त्री महोदया ने सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया है। माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि आवंटित धन-राशि में से अधिक पैसा गांवों में खर्च होगा या शहरों में खर्च होगा? मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि बाल-वर्ष में जिन बच्चों की सहायता करनी है उन बच्चों में गांवों के बच्चे भी शामिल होंगे। इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य यह तो नहीं चाहेगा कि शहरों में कोई बच्चा बीमार पड़े उस बच्चे का उपचार न करें और केवल गांव वालों के बच्चों के लिए ही उपचार सुरक्षित हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी आर्थिक सक्षमता जितनी है उसके आधार पर बच्चों की इस बाल-वर्ष में सेवा करना चाहते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं हम लेकर चल रहे हैं उन योजनाओं के अन्तर्गत जो क्राइटेरिया होगा उसी के अनुसार सभी बच्चों के विकास और उपचार की व्यवस्था की जायगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से, कि बाल वर्ष में और कौन से आइटम्स शामिल किये जायं इसके लिए इस प्रारूप का आप अध्ययन करें और अपने सुझाव भेज दें। जहां तक धन राशि आवंटित करने का प्रश्न है, जो धनराशि आवंटित की गई है यदि उसमें कमी रहेगी तो प्रावधान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : लोगों ने गिरवी रख रखे हैं ऐसे बच्चे सारे राजस्थान में हैं। क्या उनको छुड़ाने का भी कार्य इस वर्ष में होगा? मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा, माननीय मत्री महोदया से, यह हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। छोटे-छोटे बच्चे गिरवी रखे हुए हैं।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि जो कुंआरे एम० एल० ए० हैं उनको अपनी तनख्वाह में से इन गरीब बच्चों के लिए कुछ देना चाहिए।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : राजस्थान सरकार के पास ऐसी सूचना हो तो वह सूचना उपलब्ध कराई जाय कि कहां पर बच्चे गिरवी रखे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। मुझे इजाजत दें।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बाल अपराधियों के बारे में क्या स्थिति है? जो बाल अपराधी हैं उनके बारे में विशेष तौर से कुछ करना चाहिए। समाज में बाल अपराधी क्यों हैं? उनके सुधार बारे में सरकार की क्या योजना है? क्या मन्त्री महोदया मैंने जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था उसके बारे में बतायेंगी?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री है।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, बोन्डेड चिल्ड्रन का जो सवाल है वह बहुत गम्भीर हैं। इसकी जांच करवाई जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने छः बार सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लिया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा तो एक ही सप्लीमेंट्री है कि बाल अपराधियों के सुधार के बारे में क्या योजना है? मैं लगातार राज्य सरकार से यही सवाल पूछ रहा हूं। मन्त्री महोदया उत्तर नहीं दे रही हैं। आप अगला क्वेश्चन बोल देते हैं तो और बाधा पड़ती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सरकार को पूरी सूचना नहीं है तो यह योजना क्या हुई? सरकार ने यह नहीं बताया कि उसकी क्या योजना है। केवल एक प्रारूप भेज दिया है और यह भी अधूरा प्रारूप है। सरकार ने इन तीन महीनों में भी कुछ नहीं किया। प्रारूप अधूरा भेज दिया है। तीन महीने तो निकल गये हैं। और कितने महीने निकलेंगे? मेरा आरोप है, इन तीन महीनों तक योजना चली नहीं तो आगे 9 महीने में क्या होगा। सीधा उत्तर दें।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): केवल बाड़मेर में बालघर है। आपको हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : आखिर यह क्या हो रहा है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह वही हो रहा है जो आपने 30 वर्षों तक नहीं किया है?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बाल अपराधियों के बारे में....

श्री अध्यक्ष : सरकार को उत्तर देना होगा तो देना होगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सरकार को उत्तर देगा।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : विभाग की ओर से प्रयास चल रहा है प्रोबेशन के बारे में अभी कुछ बाल अपराधो सुधार एवं प्रोबिशन गृह खुले हुए हैं। अगर माननीय सदस्य का सुझाव हर जिले में खोलने का है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : तीन महीने से यह विचार दिया हुआ है।

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, विचार शब्द का अर्थ क्या है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : सरकार ऐसे महत्व के विषय पर जल्दी जागरूक हुआ करे। सोती नहीं रहे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ? एक एक माननीय सदस्य चार चार, और छः छः क्वेचश्न पूछें, तो यह सम्भव नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह।

देश व राज्य में प्रति व्यक्ति आय

522. श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू): क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) इस समय भारत वर्ष की प्रति व्यक्ति आय क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के मुकाबले कम है ?

(3) यदि हां, तो फिर राज्य सरकार द्वारा इसे बढ़ाने के लिए क्या कारगर कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्री (श्री दिग्विजयसिंह): (1) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रचलित मूल्यों में भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1977-78 में त्वरित अनुमानों के आधार पर 1163.00 रुपये थी।

(2) जी हां।

(3) राज्य आय बढ़ाने के लिए राज्य की आर्थिक व्यवस्था में अधिक से अधिक विनियोजन किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1978-83 की योजना अवधि के लिए राज्य सरकार ने 2902 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है जो योजना आयोग के विचाराधीन है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मन्त्री महोदय, एक तो कृपया यह बतायें कि 1972 से लेकर 78 तक कितना विनियोजन किया है ? 1978 से 83 के मुकाबले कितना अधिक है ?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : यह प्रश्न अलग से है ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अलग से नहीं है ।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने यह पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा इसे बढ़ाने के लिए क्या कारगर कदम उठाने का प्रस्ताव है । आपने यह पूछा ही नहीं है ।

श्री रतनलाल वर्मा : हम तो आगे का ही बतायेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1977–78 के आधार पर 925 रुपया है ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मन्त्री जी, कृपया इतना बतायें कि पावर्टी लाइन औरतों का औसत 45.5 है जब कि राजस्थान की 43.6 है । आपकी पर कैपिटा इनकम इण्डियन एवरेज से कम होने का क्या कारण है ।

श्री दिग्विजयसिंह : एक तरफ आपने सातवें वित्त कमिशन के सामने इण्डियन एवरेज पावर्टी लाइन से ऊंचा माना है । इण्डियन एवरेज पावर्टी लाइन से नीचे जब कि 45.5 है । राजस्थान में पावर्टी लाइन से नीचे 43.6 व्यक्ति औसत है । इसका मतलब यह है कि इण्डियन एवरेज के मुकाबले पर केपिटा इनकम कम है । यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फाइनेंस कमीशन में राजस्थान को गरीबी के रेखा से नीचे रखा । पहले यह 56% थी । मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एन० डी० सी० में इस बात की चर्चा हुई थी । हम सब ने यह कहा कि गरीबी का जो प्रतिशत बनाया गया है, वह जिस रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है, वह सही नहीं है । आपकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि एन० डी० सी० ने स्वीकार कर लिया है । उसमें कई प्रकार की विसंगतियां हैं । भारत सरकार ने फिर एक समिति नियुक्त की है जो इस बारे में जांच रिपोर्ट देगी ।

श्री मूलचंद डागा : सेवन्थ फाइनेंस कमीशन ने निर्णय किस आधार पर लिया है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह जनता सरकार जब से आई इसने अन्त्योदय योजना के द्वारा लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा लिया है उसके बाद भी 56 प्रतिशत है । फिर अन्त्योदय योजना ने किया क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनका सर्वेक्षण नहीं हुआ है ।

श्री मदनसिंह दांता : What action the Government has taken against

Page No. 15

(15)

(श्री मदनसिंह दांता)

Mr. Dandekar who has given wrong information ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया यह बताने का प्रयत्न करें कि जो 56% है, उसका आज भी सर्वे नहीं हुआ है। आप कहते हैं अन्त्योदय योजना से गरीबी की रेखा से ऊपर आये हैं। यह किस सिद्धान्त पर कहा जा रहा है ? दो साल में कितना ऊपर आ गये हैं ? यह बताने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह बता दिया है। पर केपिटा इनकम का असेसमेंट और पावर्टी का असेसमेन्ट किस प्रकार से किया जाये, इस दिशा में कई प्रकार के मैथड एडाप्ट किये गये हैं। हर मैथड में कोई न कोई खामी रही। दूसरा और पहला सर्वे हुआ तो दाण्डेकर मैथड में मतभेद रहा। जो भी चालू मैथड़ है, उसके अनुसार 56% गरीबी रेखा से नीचे हैं, उसके बाद में यह पर्सेन्टेज घटा है या बढ़ा है। 44% दाण्डेकर वाला है। यह सर्वेक्षण के बाद ही पता चलेगा कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कितने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : सर्वेक्षण कब कराया जाएगा ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी इतना और बताने की कृपा करें कि सेवन्थ फाइनेंस कमीशन ने गरीबी की रेखा से नीचे 41.6% तय किया है। उसके आधार पर सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन के आधार पर भारत सरकार से हमें सहायता मिलती है लेकिन पर केपिटा इनकम इण्डियन एवरेज से कम होने के कारण हमें उतनी ही सहायता मिलेगी या कुछ और ज्यादा मिलेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न माननीय संदस्या ने उठाया है, इस प्रश्न को लेकर मैंने एन० डी० सी० में कहा था कि जिस मैथड से राजस्थान में गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वालों का प्रतिशत 43 बताया गया है वह सही नहीं है, उस पर विवाद हुआ और यह निर्णय हुआ, एन० डी० सी० ने स्वीकार किया कि यह मैथड़ गलत है। माननीय सदस्या का प्रश्न बहुत गम्भीर है. 43 पर्सेन्ट को मान कर फाइनेन्स कमीशन ने हमको एलोकेशन किया, उस सम्बन्ध में एन० डी० सी० या फाइनेन्स कमीशन क्या करने वाले हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि फाइनेन्स कमीशन का अपाइन्टमेन्ट कान्स्टीट्यूशन के मातहत होता है। फाइनेन्स कमीशन ने जो अवार्ड देना था वह दे दिया। अब भारत सरकार ने एक कमेटी अपाइन्ट की है. वह रिपोर्ट देगी उसकी रिपोर्ट आने के बाद यह प्रश्न पैदा होगा कि फाइनेंस कमीशन के बेसिस को बदलने की आवश्यकता है। ज्यादा एड मिले, उस समय यह प्रश्न उठाया जाय, यह मेरे दिमाग में है और भारत सरकार को भी हमने चिट्ठी लिख दी है।

श्री ओंकारलाल चौहान : मुख्य मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि अन्त्योदय परिवारों का सर्वे करने के लिए जो अधिकारियों की एक टीम बनाई गई थी, क्या उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी नहीं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो मशीनरी है वह दो साल से अन्त्योदय परिवारों में लगी हुई है और सरकार को यह मालूम नहीं है कि अन्त्योदय योजना में इतना कुछ करने के बाद असर कितना पड़ा है। बधाइयां और तारीफ तो आपने बहुत करवाली। इसके लिए सरकार के पास क्या एक्सप्लेनेशन है कि वह नहीं जानती कि इसका असर गरिबों पर कितना हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका असर कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, यह मैं कह चुका हूं, जिन गरीबों को फायदा हुआ है, आप प्राइवेट पूछें या आफिशियली।

श्री बजरंगलाल शर्मा : वह खिलाफ जायगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें कोई अन्तर नहीं होगा। आप खिलाफ कहेंगे इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन डेढ़ वर्ष से योजना चालू है उसका सर्वे कराने में समय लगेगा और जो भी परिणाम सामने आयेंगे वे बताये जायेंगे, मैं कोई छिपाना नहीं चाहता हूं अन्त्योदय योजना लागू करने से गरीबों का कितना भला हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुछ लोगों ने गरीबों का नाम आते ही आलोचना करने का धन्धा बना लिया है....

(व्यवधान)

सरकार तो उनके लिए काम करती रहेगी।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या माननीय मुख्य मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे आज गरीबी की रेखा के नीचे उनको माना जाता है जिनकी इनकम 55/- पर मन्थ है। राजस्थान सरकार ने 40 रु० ओल्ड ऐज पेन्शन दे रखी है तो क्या सरकार ऐसे 80 हजार आदमियों को परमानेन्टली गरीबी की रेखा के नीचे नहीं रखना चाहती है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मुख्य मन्त्री जी, 6 अरब रुपयों का कन्टिन्जेंसी फण्ड्स है भारत सरकार के पास। आप इन सब बातों को रख कर संघर्ष करें जिससे उसमें से कुछ मिल सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बता दूं कि 600 करोड़ का जो फण्ड है उसमें से कोशिश करके हमने 24, 25 करोड़ का प्रावधान कराया है। यह आगे चार साल के लिए बेस बनता है, यह तो अलग है और इसके अतिरिक्त भी हम कोशिश कर रहे हैं। प्रधान मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया है कि कलकुले-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शन के कारण अगर कोई गड़बड़ी हुई है और राजस्थान को कोई घाटा हुआ है तो उसकी पूर्ति 600 करोड़ में से की जायगी और बाकी की योजना में भी विशेष ध्यान देकर राजस्थान की सहायता की जायगी।

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : 55 की जगह 40 रुपया ओल्ड ऐज पेन्शन देने का मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : वह तो एडीशनल सुविधा है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने की। देश के प्रसिद्ध व्यक्ति और एक्सपर्ट्स उसके मैम्बर थे और भी लोग उसमें थे। राजस्थान ने भी अपना पक्ष उनके सामने रखा, उसको फाइनेन्स कमीशन द्वारा सुनने के बाद, दाण्डेकर और रथ की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान ने पावर्टी कानून का पर्सेन्ट 43 माना, यह जो निर्णय दिया उसके अगेन्स्ट में मुख्य मन्त्री जी ने क्या आधार और दलीलें दीं एन. डी. सी. में दीं जिनके आधार पर मुख्य मन्त्रीजी हमें कह सकते हैं कि आपकी बात को रिकन्सीडर किया जायेगा? वे उसको रीओपन करेंगे या और अधिक सहायता दी जाएगी? आपने कौन-कौन से फैक्ट्स रखे जो पहले आप फाइनेन्स कमीशन के सामने नहीं रख सके? क्या मुख्य मन्त्री जी यह नहीं मानते हैं कि जब आपने शासन संभाला तब जो यह कहा था कि कांग्रेस तीस साल शासन करने के बाद भी भूखा-नंगा राजस्थान छोड़ कर गई है और नंग-धड़ंग राजस्थान को पावर्टी लाइन के नीचे रखा है, वह बात सही नहीं है? कांग्रेस के राज में एक इन्स्ट्रक्चर कायम हुआ था। कांग्रेस तीस साल शासन करने के बाद पावर्टी लाइन को 43 पर्सेन्ट तक ले आई थी।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार जयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह भाषण है। आप सप्लीमेण्टरी पूछ सकते हैं। इससे तो अध्यक्ष महोदय, हमारे जो इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन हैं वे रह जायेंगे। इन्होंने इतना टाइम ले लिया

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी सदन को भ्रमित कर रहे हैं, राजस्थान के लोगों को भ्रमित कर रहे....

(व्यवधान)

मैं यह कहूंगा सदन को, मान्यवर राजस्थान के लोगों में गलत बात....

(व्यवधान)

रथ और दाण्डेकर ने जिस बात को माना उसके अगेन्स्ट मुख्य मन्त्री जी ने क्या दलील दी।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, स्पीच देने के अलावा इनका और कोई काम नहीं है

श्री रामनारायण चौधरी : फाइनेन्स कमीशन ने माना है। एन. डी. सी. में....

(व्यवधान)

राजस्थान का पक्ष प्रभावशाली तरीके से रखा लेकिन एन. डी. सी. ने मुख्य मन्त्री जी के आर्गूमेंट्स को नहीं माना। सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट को मान्यता देकर मुख्य मन्त्रीजी की बात को नहीं माना। मुख्य मन्त्री जी यह गलत कह रहे हैं कि इसको रिकन्सीडर किया जा रहा है, उन्होंने मुख्य मन्त्रीजी के खिलाफ यह निर्णय लिया और यही कारण था कि राजस्थान को वह नहीं मिल सका....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्रति व्यक्ति आय का प्रश्न है, यह एक हाइली कन्ट्रोवर्शल और बर्निंग टापिक है। ये फिगर्स कहां तक रिलायबल हैं, यह कहना भी मेरे ख्याल से बहुत से फाइनेन्शियल एक्सपर्ट्स के लिए एक बहुत भारी समस्या है। इस पर अगर चर्चा होगी तो पार ही नहीं रहेगा। यह कन्ट्रोवर्शल है। माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया उसका स्पष्टीकरण जो कुछ मुख्य मन्त्री को करना था कर दिया। इस तरह तो इसका पारावार ही नहीं आयेगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है जो हमारी सरकार से रिलेट करता है। ओल्ड एज पेन्शन अंग्रेजों के जमाने में 30 रुपये थी जब पर केपीटा इनकम 30) रु. थी। अब आप 40) रुपये पेन्शन देकर 80 हजार व्यक्तियों को हमेशा के लिए पावर्टी लाइन के बीच नहीं रख रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्लानिंग कमीशन के लिए फुल ड्रेस डिबेट का विषय है, बाकी क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री सवाल से इसका निराकरण नहीं निकलेगा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : इसके लिए कोई दिन मुकर्रर कीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह सरकार की सुविधा का प्रश्न है। पहले इस पर डिबेट हो चुकी है।

श्रीमती मदन कौर।

बालोतरा में गणतन्त्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि

523. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इस वर्ष बालोतरा (जिला बाड़मेर) में गणतन्त्र दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो किस स्थान पर?

(श्रीमती मदन कौर)

(2) उक्त सरकारी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे और सरकारी संदेश किसके द्वारा पढ़ कर सुनाया गया ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या कोई निर्धारित नीति है ?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (1) जी हां। हमेशा की तरह इस वर्ष भी गणतन्त्र दिवस समारोह उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालोतरा के अहाते में मनाया गया।

(2) उक्त समारोह के मुख्य अतिथि श्री मंगलसिंह, परगना अधिकारी थे। सरकारी संदेश पढ़ कर नहीं सुनाया गया क्योंकि राज्यपाल का संदेश जिला मुख्यालयों पर ही पढ़ कर सुनाया जाता है।

श्रीमती मदन कौर : मैंने राज्यपाल के संदेश के बारे में नहीं पूछा है। या तो मंत्री महोदय ने मेरे सवाल को समझने की कोशिश नहीं की। अगर कोशिश की है तो सही जवाब नहीं दिया है। साधारणतः राज्यपाल का संदेश इस अवसर पर बालोतरा में पढ़कर सुनाया जाता था। इस साल गणतन्त्र दिवस समारोह में वह संदेश नहीं पहुंचा, ऐसी हालत में श्री मंगल सिंह, परगना अधिकारी ने झंडारोहण किया लेकिन जो संदेश सुनाया गया वह नगर जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारा सुनाया गया। मैं जानना चाहती हूं कि जिसका सार्वजनिक क्षेत्र में कोई पद न हो, केवल सत्तारूढ़ दल का नगर का अध्यक्ष हो तो क्या वह सरकारी समारोह की अध्यक्षता करके संदेश पढ़ कर सुना सकते हैं ? वह एक पार्टी का अध्यक्ष है। वह नगरपालिका का अध्यक्ष नहीं, केवल जनता पार्टी का अध्यक्ष है।

श्री कैलाश मेघवाल : 15 अगस्त व 26 जनवरी के संदेश राजकीय संदेश हैं। वे केवल राज्यपाल महोदय की ओर से प्रसारित होते हैं। वह संदेश केवल जिला मुख्यालयों पर पढ़ने का प्रावधान नियमों के अन्तर्गत हैं, ऐसी स्थिति में दूसरी जगहों पर जो समारोह होते हैं उनके बारे में कोई निश्चित रूप से नीति निर्धारित नहीं है कि किस तरह से मनाये जायें। सभी स्कूलों में मनाये जाते हैं लेकिन राजकीय स्थिति यह है। जिला मुख्यालयों पर ही सरकारी संदेश सुनाने का प्रावधान है।

श्रीमती मदन कौर : यह एक सरकारी समारोह था। सरकारी समारोह में किसी भी राजनैतिक दल का पदाधिकारी, जिसका सार्वजनिक क्षेत्र में कोई पद न हो, अध्यक्षता कर सकते हैं ? उन्होंने अध्यक्षता की, संदेश सुनाया। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर सरकार का प्रतिनिधि होता है और सब डिवीजन मुख्यालय पर एस. डी. ओ. प्रतिनिधि होता है। तो निश्चित रूप से सब डिवीजन मुख्यालय पर जहां सरकारी समारोह मनाया जाए वहां एस. डी. ओ. सदेश पढ़ कर सुनाये न कि राजनैतिक पदाधिकारी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक तरफ सरकार आयोग बिठाने जा रही है, दूसरी तरफ ऐसी गलत परम्परा डाल रही है····

श्री वृद्धि चन्द जैन : यह आर. एस. एस. का घटक है। आर. एस. एस. को मान्यता देने के लिए ऐसा किया गया है, क्या यह सही है ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह धांधलेबाजी नहीं चलेगी। सरकार को जवाब देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अगर प्रोटोकाल का वायोलेशन हुआ है तो आइन्दा खयाल रखा जाएगा।

कई माननीय सदस्य : सरकार कहे न ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार कहे इस बारे में।

श्री मूलचन्द डागा : यह नियमों के विरुद्ध है, आप उनको ताड़ना दीजिये।

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबडा (सूरतगढ़) : क्या यह सही है कि स्वतन्त्रता दिवस व गणतंत्र दिवस पर मुख्यालयों पर कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण होता है ? इस बार जो सचिवालय में समारोह मनाया गया उसकी अध्यक्षता मुख्य मन्त्री ने की लेकिन ध्वजारोहण मुख्य सचिव ने किया ? क्या यह लोकतांत्रिक भावना के प्रतिकूल नहीं कि ब्यूरोक्रेट्स ध्वजारोहण करें और हमारे निर्वाचित मुख्य मन्त्री बैठे-बैठे अध्यक्षता करें ? क्या भविष्य में सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही ध्वजारोहण के लिए मनोनीत करेगी और इस बात का प्रतिबन्ध लगायेगी कि जिला मुख्यालयों पर व सचिवालय के अन्दर ब्यूरोक्रेट्स ध्वजारोहण नहीं करेंगे।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, आपने महसूस किया कि बालोतरा में इस वर्ष गणतन्त्र दिवस पर प्रोटोकाल का वायोलेशन हुआ है। क्या राज्य सरकार इस बात को स्वीकार करती है ? अगर करती है तो भविष्य में ऐसी गलती न हो इस सम्बन्ध में क्या कोई आदेश जारी करेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस सम्बन्ध में जानकारी कर लूंगा।

श्री बालकृष्ण थानवी : क्या पूर्व सर- के समय कोई ऐसा आदेश निकला है कि जिला मुख्यालय या सब-डिवीजनल स्तर पर 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो सरकारी समारोह मनाये जाते हैं उनमें मन्त्री उपस्थित होंगे तो मन्त्री ध्वजारोहण करेंगे, विधायक उपस्थित होंगे तो वह ध्वजारोहण करेंगे और उनके न होने पर एस. डी. ओ. ध्वजारोहण करेंगे ? मान्यवर, आपकी जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 15 अगस्त को फलौदी में मैं उपस्थित था लेकिन ध्वजारोहण एस. डी. ओ. ने किया था। मैंने कोई आपत्ति नहीं की लेकिन इस साल 26 जनवरी को ध्वजारोहण हेतु मुझे बुलाया गया तो एस. डी. ओ. ने बहिष्कार कर दिया अतः मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में इस बारे में सर-

(श्री बालकृष्ण थानवी)

कारी क्या व्यवस्था है ? यह बताने की कृपा कीजियेगा ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : एक जिले में 500-500 स्कूल होंगे तो 500 पर ही एस. डी. ग्रो. झण्डारोहण करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुग्रा ।

श्रीमती नारंगी देवी : मेरा प्रश्न नं० 524 जरूरी है ।

श्री वृद्धि चंद जैन : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं ग्राया । माननीय ग्रध्यक्ष ने तो माना, लेकिन सरकार ने कहां माना ?

श्री कैलाश मेघवाल : ग्रगर प्रोटोकाल का वायोलेशन हुग्रा है तो जांच करा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नारंगी देवी । यह ग्रन्तिम प्रश्न है ।

राजकीय सेवाओं मे पिछड़ी जातियों का आरक्षण

524. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय सेवाग्रों में विभिन्न श्रेणियों में कितने प्रतिशत पद पिछड़ी जातियों के लिए ग्रारक्षित हैं ?

(2) ग्रभी तक विभिन्न आरक्षित पदों की रिक्तता की पूर्ति हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या सरकार के समक्ष पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सेवा में ग्रारक्षण पदों की वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

सहकारिता मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल):

(1) ग्रारक्षण का प्रावधान नहीं है ।

(2) प्रश्न नहीं पैदा होता है ।

(3) जी नहीं ।

श्रीमती नारंगी देवी : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि जहां अनुसूचित जाति ग्रौर अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी सामान्य जातियों से ग्रधिक है वहां क्या आरक्षण उसी पर्सेंटेज में दिया जाता है ? ग्रगर नहीं, तो क्यों ?

श्री ईश्वर चन्द्र : पिछड़ी जाति में महिलाग्रों को शामिल सरकार मानती है या नहीं ?

श्रीमती नारंगी देवी : क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास इसके लिए ग्रलग से सैल था, ग्रौर वह ग्रारक्षण सम्बन्धी प्रपोजल भेजता था ? क्या वह सैल अभी भी

Page No. 22

(22)

(श्रीमती नारंगी देवी)

कार्य कर रहा है ? अगर नहीं, तो इसका क्या काम है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगी । रोस्टर प्रणाली के अनुसार रिजर्वेशन के पदों को नहीं भरने का क्या कारण है ? और जिन पदाधिकारियों ने पदों को नहीं भरने दिया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? इसका उत्तर दें ।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का रिजर्वेशन है उसी प्रकार से क्या सरकार बैकवर्ड क्लासेज के रिजर्वेशन की भी कोई योजना बना रही है ?

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष, महोदय, यह बहुत इम्पार्टेन्ट सवाल है । मन्त्री महोदय यह भी बता दें कि पिछड़ी जातियों को राज्य सरकार आरक्षण देने का इरादा रखती है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने जो निर्णय किया, क्या हमारी सरकार भी उस निर्णय की ओर बढ़ेगी और इस प्रकार का निर्णय लिया जायेगा कि जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं उनको आरक्षण के आधार पर नौकरियां दी जायेंगी ?

श्री ग्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनकी आमदनी 500 रुपये से कम है और गरीब लोग हैं उनके लिये आरक्षण करने की सरकार के सामने कोई नीति विचाराधीन है ? जातीय आधार पर नहीं बल्कि जिनकी आर्थिक हालत कमजोर है उनके लिए पूछ रहा हूं ।

श्री ओंकारलाल चौहान : बिहार, कर्नाटक, पंजाब में बैकवर्ड जातियों के लिए आरक्षण की नीति निर्धारित की हुई है । क्या राज्य सरकार राजस्थान में भी पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की नीति अपनायेगी ?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के सम्बन्ध में कई बार इस सदन में प्रश्न पूछे जाते हैं । कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि माइनोरिटीज के लिए रिजर्वेशन के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है, कई बार यह प्रश्न आता है कि बैकवर्ड क्लासेज के रिजर्वेशन के लिए सरकार क्या कर रही है, कई बार यह प्रश्न आता है कि राज्य सेवा में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए कितने अनुपात में रिजर्वेशन रखा जाये, कई बार यह प्रश्न आता है जैसा माननीय हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि इकानामिक बेसिस पर जिनकी आमदनी 500, 700 या 600 है और इस आधार पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके आरक्षण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है । इन सब बातों से सदन को यह तो महसूस हुआ होगा कि आरक्षण का प्रश्न सरल नहीं है बल्कि जटिल है । इन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सब तरह के लोगों के लिए आरक्षण रख लिया जावे तो फिर दूसरे आदमी सेवा में आ सकते हों इस प्रकार का प्रश्न ही नही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस जटिल प्रश्न पर जल्दी फैसला करने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक आधार भी बहुत महत्वपूर्ण आधार है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की विषमतायें नहीं रहें और सब लोग शामिल हो जायें, बैकवर्ड क्लासेज का का भी आधार महत्वपूर्ण है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का भी महत्वपूर्ण आधार है। इन सारे प्रश्नों पर राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। हमने अन्य राज्य सरकारों से भी सामग्री एकत्रित की है। भारत सरकार से भी इस सम्बन्ध में लगातार कन्सल्टेशन चल रहा है। बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट का भी अध्ययन करेंगे। भारत सरकार ने भी कमेटी अपाइन्ट की है उसकी रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सब के बाद ही निर्णय लिया जायेगा।

श्री ओंकार लाल चौहान : हिन्दुस्तान में दस प्रोविन्सेस में बैकवर्ड क्लासेज के लिये रिजर्वेशन है। वह इस प्रकार है कर्नाटक में 40 प्रतिशत. केरल में 40 प्रतिशत, तमिलनाडु में 31 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 30 प्रतिशत. बिहार में 26 प्रतिशत, यू० पी० में 15 प्रतिशत, महाराष्ट्र में दस प्रतिशत, हरियाणा में 2 प्रतिशत, पंजाब में 5 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 2 प्रतिशत। बैकवर्ड क्लासेज के आधार पर दस स्टेट्स में आरक्षण दिया हुआ है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार भी इसी प्रकार किसी निश्चित मात्रा में रिजर्वेशन का प्रावधान रखेगी?

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने, बहुत चतुराई से प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आप भी कमेटी बना कर स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आरक्षण का मामला रहेगा। आपने आर्थिक मामले को उठा दिया। यह तो सवर्ण और अनुसूचित जाति के लोगों का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री कालू भाई : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब दिया जाये। मैं तो पहली बार ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके साथ पूरी सहानुभूति है, माननीय सदस्य, लेकिन मैं कतई विवश हूं। आप समय को तो देख लें।

(व्यवधान)

मेरा यह अन्तिम निर्णय है। प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के स्टेट प्लेन की खरीद में घोटाला

603. श्री बजरंगलाल शर्मा (वनी-पार्क, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने स्टेट प्लेन की खरीद के घोटाले की जांच सी. बी. आई. को सौंप दी है ? यदि हां, तो कब सौंपी ?

(2) उक्त जांच किस स्टेज पर है और क्या परिणाम सामने आये हैं ?

उत्तर

(1 जी हां। दिनांक 21-2-78 को जांच सी. बी. आई. को सौंपी गई थी।

(2) सी. बी. आई. नई दिल्ली से दिनांक 18-1-79 को अन्तरिम उत्तर प्राप्त हुआ है कि प्रतिवेदन उपसचिव डी. पी. एण्ड ए. आर. नई दिल्ली को भिजवा दी है। प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

नगरीय भूमि सीमा संकुलन अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन मामले

605. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरीय भूमि सीमा संकुलन अधिनियम, 1976 के अधीन कितने मामले विभाग द्वारा निपटाये जा चुके हैं और कितने मामले अभी तक विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अधिनियम के तहत कुल कितनी जमीन किन किन व्यक्तियों की कितनी कितनी राज्य सरकार द्वारा अभी तक अवाप्त की गई है ? नामावली व जमीन के क्षेत्रफल की सूची मय कीमत के विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार बड़े भूमि-पतियों से जमीन अवाप्त करने में सफल रही है ? यदि हां, तो कितना लक्ष्य था उस लक्ष्य में कितनी सफलता मिली ? यदि सफलता नहीं मिली तो क्या इससे विभाग की अदक्षता प्रकट नहीं होती है ?

उत्तर

(1) नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत नगर संकुलन जयपुर, अजमेर, जोधपुर बीकानेर, कोटा में कुल 9371 विवरण प्राप्त हुए इनमें से नगर संकुलन अजमेर में दो मामलों में धारा 10 (3) के तहत भूमि अवाप्त की गई। 9369 मामले विचाराधीन हैं।

(2) अवाप्त की गई भूमि के स्वामियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(वित्त मन्त्री)

1. अजमेर नगर संकुलन में श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश की 130 वर्ग मीटर।

2. श्री मदन मोहन गोयल पुत्र श्री जादव प्रसाद गोयल की 939.00 वर्ग मीटर।

इस प्रकार कुल भूमि 1069.00 वर्ग मीटर की धारा 10 (3) के तहत अवाप्ति की कार्यवाही की गई है। भूमि की जोनल रेट्स निर्धारित नहीं होने के कारण रकम के आंकड़े देना संभव नहीं होगा।

(3) अजमेर नगर संकुलन के अलावा अन्य नगर संकुलनों में भूमि अवाप्त नहीं की गई है। परन्तु अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्यवाही चालू है। 51,34,568 वर्गमीटर भूमि बड़े भूमिधारियों से अवाप्त किये जाने का लक्ष्य था जिसमें समय लगना स्वाभाविक है क्योंकि धारा(6) में प्राप्त विवरण की, जांच स्थल सर्वेक्षण, दस्तावेज आदि मंगवा कर करना पड़ता है। सर्वेक्षण के पश्चात् विवरणी धारा (8) के तहत जारी की जाकर सुनवाई का मौका दिया जाता है। धारा(9) में अन्तिम विवरणी जारी की जाती है तथा धारा 10 (1) की विज्ञप्ति राजपत्र में प्रकाशित कराई जाकर धारा 10 (3) में भूमि अवाप्त की जाती है।

पंचायत श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बगरूवालान, जयपुर का कर निर्धारण

606 **श्री बजरंगलाल शर्मा**(बनीपार्क, जयपुर)

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बगरूवालान (रजिस्टर्ड ट्रस्ट)स्टेशन रोड, जयपुर नगर परिषद् हाउस नं. 7 एच. बी. 314 हवाली गर्बी शहर, खसरा नम्बर 472 लगायत 494 के भूमि व भवन कर, कर निर्धारण आदेश दिनांक 22-3-75 द्वारा किया जाकर वर्ष 1973-74 से 1968-79 की हजारों रुपये की राशि बकाया पड़ी है परन्तु इसकी अभी तक भी वसूली नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों नहीं?

(2) क्या यह राज्य सरकार (वित्त मन्त्रालय) की जानकारी में है कि इस कर की वसूली के लिए मन्दिर ट्रस्ट के कुछ एक आकूपायर्स को दिनांक 16-8-75 को प्रतिबन्धित कर दिया था और वसूली की कार्यवाही में दिनांक 7-1-1976 को श्री सहायक आयुक्त भूमि व भवन कर वृत्त ने कलेक्टर जयपुर को पी. डी. आर. के तहत वसूली के सर्टिफिकेट्स भेज दिये गये थे व कलेक्टर जयपुर द्वारा वसूली की कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी थी?

(3) क्या यह सही है कि श्री सवाई सिंह सिघवी जो उस समय सहायक निर्देशक भूमि व भवन कर वृत्त (2) ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर मन्दिर ट्रस्ट के इन आकूपायर्स के भारी प्रभाव में आकर इस कर की वसूली की कार्यवाही को अवैधानिक

(श्री श्रवण लाल)

तरीके से स्थगित कर दिया और इस प्रकार राज्य की बकाया वसूली की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा कर दिया ? यदि यह सही है तो क्या राज्य सरकार द्वारा राज्य कोष को व ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाने के कारण इस आफिसर के विरुद्ध कोई कार्यवाही अमल में लाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह बात भी राज्य सरकार की जानकारी में है कि इस मन्दिर ट्रस्ट के आकूपायर्स से सांठ-गांठ बैठा कर इस मन्दिर ट्रस्ट के एक साधारण ट्रस्टी ने हजारों रुपये वसूल कर गबन कर लिये हैं और इस प्रकार राज्य कोष को व ट्रस्ट को भारी नुकसान पहुंचा दिया गया है ? यदि यह बात सही है तो क्या राज्य सरकार इस व्यक्ति से व सम्बन्धित आकूपायर्स से चूकती रकम वसूली करने का इरादा रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) इस मन्दिर का कर निर्धारण 22-2-75 को किया गया। 23-6-76 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। यह आदेश श्री चिरंजीलाल पाटनी के नाम से किया गया था जबकि पूर्व आदेश श्री चिरंजीलाल लुहाड़िया, मन्त्री, दिगम्बर जैन मन्दिर बगरूवालान के नाम से किया गया था।

श्री पाटनी ने उक्त कर निर्धारण आदेश (23-6-76) के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी (जिलाधीश जयपुर) के समक्ष अपील दायर की। इस अपील पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश 23-3-76 को निरस्त कर दिया और श्री लुहाड़िया के पक्ष में निर्णय दिया।

श्री पाटनी ने अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी याचिका 27-3-78 को दायर की तथा वसूली स्थगित रहने के लिए स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जो 23-11-78 तक प्रभावी थे।

(2) आकूपायर्स को वसूली हेतु प्रतिपादित किया गया किन्तु कर दायी द्वारा अपील दायर कर दिये जाने के कारण से वसूली की कार्यवाही अमल में लाया जाना संभव नहीं हो सका है।

(3) वसूली की कार्यवाही में विलम्ब के मुख्य कारण निम्न हैं :—

1. श्री चिरंजी लाल पाटनी के नाम से कर निर्धारण आदेश पारित होना,

2. कर दायी श्री चिरंजीलाल लुहाड़िया द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी दायर करना और वहां से वसूली स्थगन आदेश प्राप्त होना।

(4) जी नहीं। जहां तक कर वसूली का प्रश्न है श्री चिरंजीलाल लुहाड़िया, मन्त्री, कार्यवाहक प्रन्यासी, पंचायत श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बगरूवालान, जयपुर ने 20-12-78 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बकाया

(श्री वित्त मन्त्री)

कर के संबंध में जानकारी चाही थी जो उन्हें विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या 31:9 21-12-78 से दे दी गई। तत्पश्चात् विभागाध्यक्ष के पत्रांक 3461 16-2-79 से मांग पत्र रु. 22,415-50 जारी किये जिसमें कर दायी को उक्त राशि 30-3-79 तक जमा कराने हेतु समय दिया गया है।

राज्य में शराबबन्दी की नीति

607. **श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री मोहम्मद जहूर (कामां)

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राज्य में शराबबन्दी की नीति अपनाई है ?

(2) क्या राज्य में प्रत्येक सब डिवीजनल मुख्यालय पर अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली गई हैं ? क्या इन दुकानों में गंगानगर शूगर मिल्स में उत्पादित शराब ही केवल विक्रय हेतु रखी गई है ?

(3) इससे गंगानगर शूगर मिल्स का उत्पादन गत वर्षों से कहीं अधिक बढ़ गया है ? गत वर्षों से जो उत्पादन बढ़ा है वह कितना बढ़ा है ? इस वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के शराब उत्पादन के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) केवल मद्यनिषेध क्षेत्रों में सब-डिवीजनल मुख्यालयों पर पर्वतसर, सलूम्बर एवं प्रतापगढ़ को छोड़कर मदिरा की दुकानें गंगानगर शूगर मिल्स द्वारा खोली गई हैं। इसके अलावा आबू उपखण्ड में मदिरा की दुकान होटल कार्पोरेशन द्वारा चलाई जा रही है।

(3) जी नहीं।

सूचना निम्न प्रकार है :—

(देशी मदिरा एल. पी. लीटर में)

वर्ष 1975-76	1,06,85,868
" 1976-77	1,11,80,490
" 1977-78	1,20,49,423
" 1978-79	86,03,346

(जनवरी तक)

(भारत निर्मित विदेशी मदिरा)

वर्ष 1975-76	1,03,671
" 1976-77	1,59,533
" 1977-78	1,97,046
" 1978-79	1,24,578

(जनवरी 1979 तक)

मृतक अध्यापक की बीमा राशि का भुगतान

609. श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्री भगवत सिंह आत्मज श्री भवूनीराम मृतक अध्यापक प्राथमिक शाला नं. 1 हिन्डौन जिला सवाई माधोपुर को अभी तक बीमा की डिकलेरेशन नं. 53496.ए की रकम प्राप्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण और है क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा नियमावली 1953 के नियम 16 के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्रथम घोषणा पत्र पूर्ति किया जाना आवश्यक है किन्तु इस मामले में प्रथम घोषणा पत्र प्राप्त नहीं हुआ था इसलिये नियम 26 के अनुसार पॉलिसी जारी नहीं की गई तथा कटौती की प्राप्त राशि को 2-5-60 को ही मृतक के उत्तराधिकारी को लौटा दिया गया था।

पाली जिले के विचाराधीन वाणिज्य कर विभाग के मुकदमें

610. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में तहसीलवार वाणिज्य कर विभाग में कितने मुकदमे वर्ष 76-77, 77-78 में निपटाये गये व कितने पेंडिंग हैं ?

(2) तहसील जैतारण, रायपुर, सोजत, रवारची के व्यापारियों को पाली जाने में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार कर चोरियों पर ज्यादा अंकुश लगाने व प्रशासनिक कंट्रोल के प्रयोजन से क्या राज्य सरकार सोजत में उपरोक्त चार तहसीलों के लिये सहायक वाणिज्य कर अधिकारी का ऑफिस खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में तहसीलवार मामले जो वर्ष 1976-77 एवं 1967-78 में निपटाये गये एवं जो पेंडिग रहे, उनका ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

भूमि एवं भवन कर विभाग के निरीक्षक

611. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूमि एवं भवन कर विभाग में कार्यरत निरीक्षकों को किन-किन शर्तों पर इस विभाग में नियुक्ति दी गई और उनकी

(श्री नवरंग सिंह)

शर्तों में कब-कब और क्यों संशोधन किये गये इनकी नियुक्ति कब से की गई और उनकी संख्या कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या इन संशोधनों से निरीक्षकों की सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) भूमि एवं भवन कर विभाग में निरीक्षकों का प्रथम नियुक्ति आदेश संख्या क्रमश: 3087, 7-8-73, 6063 दिनांक 17-8-73 और 9387 दिनाक 3-9-73 के द्वारा भूमि-भवन कर-निरीक्षक प्रशिक्षार्थी (Inspector trainee) के अस्थाई पदों पर निम्नलिखित शर्तों पर की गई है :—

(1) उपरोक्त वर्णित निरीक्षक प्रशिक्षार्थियों को दिनांक 28-2-74 तक प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षार्थी को केवल 150) रु. मासिक स्टाईफन्ड दिया जावेगा। प्रशिक्षार्थियों की यह अस्थाई नियुक्ति 28-2-74 तक होगी। प्रशिक्षण सफलता पूर्वक सम्पूर्ण कर लेने पर ये प्रशिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी के निरीक्षकों के अस्थाई पदों पर (On Probation) राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतनमान) नियम, 1969 की वेतन श्रृंखला 10 (150-8-190-10-210-15-330) में (अन्य भर्ती इत्यादि के साथ) नियमानुसार नियुक्ति किये जा सकेंगे।

(2) यदि अस्थाई निरीक्षकों के पदों की अवधि दो वर्ष से अधिक के लिये बढ़ाई गई तो इन अस्थाई नियुक्तियों की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) भी दो वर्ष की ही होगी। इसमें उपरोक्त दिनांक 28-2-74 तक का प्रशिक्षण का भी शामिल होगा।

(3) यदि निदेशक, भूमि एवं भवन कर, राजस्थान को उपरोक्त अवधि के भीतर किसी भी समय या परिवीक्षा अवधि (Prccation Period) के अन्त में मालूम हुआ कि किसी भी निरीक्षक ने अपने अवसर का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया है, अथवा अपने कार्य, आचरण, व्यवहार आदि से संतोष प्रदान करने में वह असफल रहा है, यह ऐसा प्रतीत हुआ कि वह निरीक्षक कार्य में दक्षता प्राप्त नहीं कर सका तो सेवा से हटा सकते हैं।

(4) प्रत्येक निरीक्षक प्रशिक्षार्थी को जिसकी नियुक्ति निरीक्षक के पद पर होती है उसे परिवीक्षा अवधि (Probation Poriod) में विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

(5) यदि कोई निरीक्षक या निरीक्षक प्रशिक्षार्थी अपने पद से त्याग पत्र देता है या प्रशिक्षण काल के दो वर्ष के भीतर वह कहीं दूसरे स्थान पर नियुक्ति करा लेता है तो उसे राज्य सरकार की समस्त राशि (Emaluments जो उसने प्रशिक्षण काल में प्राप्त की है तथा जो प्रशिक्षण में सरकार का खर्चा हुआ हो, इन दोनों राशियों की दुगनी

(श्री वित मंत्री)

रकम, राज्य सरकार को अदा करनी होगी। इन राशियों में यात्रा व्यय तथा दैनिक भत्ता शामिल नहीं होगा।

(6) प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थता प्रमाण पत्र (Med. Fitness Certificate) प्रशिक्षण के प्रारम्भ में ही प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका तो उसे प्रशिक्षण में बैठने नहीं दिया जा सकेगा।

(7) उपरोक्त समस्त निरीक्षक प्रशिक्षार्थी हरिशचन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, मालवीय नगर-4, जयपुर में श्री रामसिंह, प्रभारी प्रशिक्षण (वाणिज्य कर) (Course Director) को 17 अगस्त, 1979, 29-8-73 को प्रातः 9 बजे प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करें वरना नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(8) प्रत्येक निरीक्षक प्रशिक्षार्थी को साथ में दिये हुए प्रपत्र के अनुसार प्रशिक्षण में उपस्थित होने से पूर्व बन्ध पत्र (Bond) भी लिखना (Excute) होगा व उसको पूर्ण (Complete) करके श्री रामसिंह, प्रभारी प्रशिक्षण (Course Director) को देना होगा। बाद में प्रशिक्षण सफलता पूर्वक कर लेने पर इनको विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (एच) (30) भूभका संख्या। 74 दिनांक 1-3-74 से द्वितीय श्रेणी के निरीक्षकों के अस्थाई पदों पर 1-3-73 से वेतन शृंखला 10 (रु. 150-8-190-10-210-15-330) में परिवीक्षा पर अन्य भत्तों सहित निम्न शर्तों पर नियुक्त किये गये :—

(1) यदि अस्थाई निरीक्षकों के पदों की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाकर दो या दो वर्ष से अधिक समय के लिये बढ़ाई गई तो अस्थाई नियुक्तियों की परिवीक्षा अवधि (P. Period) भी दो वर्ष की होगी। इसमें 28-2-74 तक का प्रशिक्षण काल भी शामिल होगा।

विभाग के पद अस्थाई होने के कारण इनके उपरोक्त नियुक्ति आदेश में राज्य सरकार के वित्त (ग्रुप-4) विभाग के पत्र एफ 5 (10) वित्त। ग्रुप 4।76 दिनांक 29-3-76 के निर्देशानुसार विभाग के आदेश सं. एफ 1 (एच) (169) एस्टे (भूमका) ।76। 883 दिनांक 4-5-1976 के द्वारा विभाग के आदेश सं. एफ 1 (एच) (30, भूभक संख्या 74 दिनांक 1-3-74 के आंशिक उपान्तरण में उक्त आदेशों में वर्णित व्यक्तियों की नियुक्ति परिवीक्षा पर (On Probation) के स्थान पर द्वितीय श्रेणी के निरीक्षकों के अस्थायी पदों पर 1 मार्च, 1974 से वेतन शृंखला 10 (रु. 150-8-190-10-210-15-300) में अस्थायी रूप से की गई।

उक्त आदेश का पैरा नम्बर 2 लोपित (Delete) किया गया।

ये संशोधन इनकी आर्थिक कठिनाईयों को, जो कि इनका वार्षिक वेतन वृद्धियां न मिलने से हो रही थीं, राज्य सरकार से निर्देश लेने के पश्चात् दूर करने के लिये किये गये थे। क्योंकि "परिवीक्षा अवधि" स्थाई पदों के एवज में होती है।

(वित्त मंत्री)

विभाग में वर्तमान में स्वीकृत निरीक्षकों के पदों की संख्या 61 है। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

राज्य का प्रशासनिक व्यय

613. **श्री बजरंग लाल शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पिछले 2 वर्षों में प्रशासनिक व्यय में राजस्थान में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितनी प्रतिशत?

(2) क्या पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में विकास व्यय में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितनी प्रतिशत?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में प्रशासनिक व्यय के आंकड़े एवं प्रतिशत वृद्धि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यय	प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में
1	2	3
1977-78	218.63 करोड़ रु. (बजट अनुमान)	12.91
1978-79	243.32 करोड़ रु. (बजट अनुमान)	17.29

(2) जी हां।

गत दो वर्षों में विकास व्यय में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	विकास व्यय	प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में
1977-78	462.62 करोड़ रु. (वास्तविक व्यय)	16.10
1978-79	572.14 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान)	23.83

प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति का आधार

615. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति सरकार किन आधारों पर करती है?

(श्री रामकिशोर मीणा)

(2) क्या यह सही है कि अध्यापकों की नियुक्तियों के आधार में एक प्रमुख आधार यह भी है कि 40 छात्रों पर एक अध्यापक की व्यवस्था की जावे ? यदि हां, तो क्या इस नियम व आधार का नियमानुसार पालन किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) सिकराय क्षेत्र में कुल कितनी प्राथमिक शालाएं हैं तथा शालावार व पंचायत समितिवार कुल कितने अध्यापकों की कमी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) क्या यह सही है कि सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में इस वर्ष 7 प्राथमिक शालाएं नई खोली गई ? क्या सभी 7 प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की व्यवस्था बाबत विभाग द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गई ? यदि जारी की गई तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा इसमें किसी अधिकारी द्वारा यदि कोई अनियमितता की गई तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) क्या यह सही है कि छात्र, अध्यापक अनुपात की दृष्टि से वर्ष 1977-88 में छात्र संख्या में वृद्धि के कारण 10 अतिरिक्त अध्यापकों की मांग की गई थी जिसमें से मात्र एक अध्यापक सिकराय पंचायत समिति, सिकराय को दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा भेदभाव किस आधार पर किया गया ?

(6) क्या यह भी सही है कि वर्ष 77-78 में तीन प्राथमिक शालाओं के क्रमोन्नत हो जाने से इनके प्राथमिक सेक्शन पंचायत समिति के अन्तर्गत आ गए और जिसकी वजह से 12 अध्यापकों की आवश्यक व्यवस्था करनी थी ? यदि हां, तो क्यों नहीं की गई ? यदि व्यवस्था करनी है तो कब तक कर दी जावेगी ?

(7) क्या यह भी सही है कि 3 माध्यमिक विद्यालय वर्ष 77-78 में क्रमोन्नत हो जाने से इनकी प्राथमिक शालाएं अक्टूबर 78 से पंचायत समिति के अन्तर्गत आ गई तथा जिनकी छात्र संख्या 550 है तथा अनुपात के हिसाब से 14 अध्यापकों की व्यवस्था की जानी चाहिए थी ? यदि हां, तो क्यों नहीं व्यवस्था की गई ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायत समिति एवं स्वागत शासन अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा जिलेवार अध्यापकों का चयन कर सूची जिला कर्मचारीवर्ग समिति को भेजी जाती है। जिला कर्मचारी वर्ग समिति द्वारा चयनित प्रत्याशियों का आवंटन पंचायत समिति वाईज किया जाता है। इसके उपरान्त पंचायत समितियों द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त पंचायत समितियां चयनित व्यक्तियों के अभाव में जिला नियोजन कार्यालय से नाम मंगाकर 6 माह के लिए अस्थाई नियुक्ति भी दे सकती है।

(पंचायत मन्त्री)

(2) जी हां। अध्यापकों के पद शिक्षा विभाग द्वारा सृजित किये जाते हैं। शिक्षा विभाग से सृजित पदों की स्वीकृति प्राप्त होने पर उन पदों का आवंटन पंचायत समिति वाईज उनकी मांग को देखते हुए किया जाता है।

(3) सिकराय क्षेत्र में 78 पाठशालायें हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) जी हां। पांच अध्यापकों के पदों की स्वीकृति विभाग द्वारा दिनांक 26-6-78 को जारी कर दी गई है एवं दो पदों की स्वीकृति शिक्षा विभाग से पद आवंटन होने पर जारी किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(5) जी हां। पंचायत समितियों से लगभग 4200 अतिरिक्त अध्यापकों की मांग प्राप्त हुई थी जिसके एवज शिक्षा विभाग द्वारा केवल 500 अतिरिक्त अध्यापकों के पद ही स्वीकृत किये गये। स्वीकृत पदों को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत समिति सिकराय को एक पद ही आवंटन किया जा सका है।

(6) प्राथमिक शाला क्रमोन्नत होने के बाद उच्च प्राथमिक शाला पंचायत समिति के अधीन नहीं रहती है। इन क्रमोन्नत पाठशालाओं में अध्यापक लगाये जाने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है।

(7) जी हां। इन पाठशालाओं की छात्र संख्या 550 है। शिक्षा विभाग द्वारा अतिरिक्त अध्यापकों के आवंटन होने पर ही पंचायत समिति सिकराय में अतिरिक्त अध्यापक उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

पंचायत समिति सोजत में विकास अधिकारी का रिक्त पद

616. **श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत पं. स. पाली जिले के प्रमुख पं. स. में मानी जाती रही है? यदि हां, तो वहां किस तारीख से विकास अधिकारी का पद खाली पड़ा है तथा वहां आफिसीयेटिंग एक इन्सपेक्टर ग्रेड का आदमी कब से काम कर रहा है?

(2) क्या इतने लम्बे समय तक ऐसी इम्पार्टेन्ट पोस्ट को खाली रखने से प्रशासन में ढिलाई नहीं आती और अब कब तक नया विकास अधिकारी पोस्ट कर दिया जायेगा?

(3) क्या सोजत पं. स. का स्टाफ ऐसा है, जो सोजत में बहुत लम्बे अर्से रहने के कारण साइड जाब करने लगा है, तथा उनका ध्यान प्रशासन में कम लगता है? तो ऐसे स्टाफ की सूची दी जाये जो 10 वर्ष से ज्यादा समय से यहां है?

(4) क्या बकाया राशि की वसूली में ढील होने में भी इन्हीं लोगों का सहयोग है? तो यह वसूली अभियान कब चालू किया जायेगा।

(5) क्या विकास अधिकारी के न होने से आप सरपंचों को काम के बदले अनाज योजना की क्रियान्विति में कठिनाई नहीं होती तथा उसकी प्रोग्रेस काफी धीमी रही है?

(श्री माधवसिंह दीवान)

(6) क्या पंचायतों द्वारा 5000/– रुपये से कम के प्रस्तावों को भी पं. स. रोके बैठी है तथा सरपंचों को मौखिक यह आदेश दिये गये हैं कि हमारे सैंक्शन के बिना काम शुरू करने को मना किया है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पास सोजत पंचायत समिति को पाली जिले की प्रमुख पंचायत समिति माने जाने का कोई मापदण्ड नहीं है। विकास अधिकारी का पद दिनांक 25-5-78 से रिक्त है। अभी विकास अधिकारी के पद पर सहकारी प्रसार अधिकारी दिनांक 25-1-79 से कार्य कर रहे हैं।

(2) विकास अधिकारी के स्थानान्तरण होने पर उनका चार्ज शिक्षा प्रसार अधिकारी को दिलवाया गया था और उसके उपरान्त दिनांक 25-1-79 से सहकारिता प्रसार अधिकारी, विकास अधिकारी के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्थाई विकास अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र ही किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। किसी भी कर्मचारी द्वारा साइड जाब करना नहीं बताया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) कार्यवाहक विकास अधिकारी द्वारा काम के बदले अनाज योजना की क्रियान्विति समय पर कराई जा रही है और सभी पंचायतों में कार्य यथा समय चालू हो चुके हैं।

(6) 5000) रु० से कम लागत के कार्यों की स्वीकृति पंचायत समिति से लेना आवश्यक नहीं है। अतः प्रस्तावों की स्वीकृति रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

मेंहदीपुर बालाजी के महन्त द्वारा पंचायत की भूमि पर नाजायज कब्जा

617. **श्री आर. डी. यादव (चौमूं)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की पंचायत समिति सिकराय के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उदयपुरा की मेंहदीपुर-बालाजी के महन्त किशोरपुरी द्वारा पंचायत भूमि पर नाजायज कब्जा करने की जांच का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त महन्त द्वारा पंचायत की पड़त आबादी की 3000 वर्ग गज भूमि पर नाजायज कब्जा करने की शिकायतकर्ताओं ने तार व लिखित में शिकायत कर दी थी किन्तु अधिकारियों ने अतिक्रमणकारी के विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही नहीं की ? इसके लिए दोषी अधिकारी कौन हैं ? क्या उनके खिलाफ राज्य सरकार कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त महन्त द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा की गई पंचायत की भूमि की कीमत अनुमानतः एक

(श्री आर. डी. यादव)

लाख रुपये है ? क्या अभियुक्त ने पंचायत भूमि का विक्रय कर दिया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री किशोरपुरी महन्त के विरुद्ध श्री गोपीराम सरपंच ने पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण करने की शिकायत की थी जिसकी जांच जिलाधीश द्वारा करवाई जा रही है।

(2) जी हां। श्री गोपीराम सरपंच से श्री किशोरपुरी महन्त द्वारा 3000 वर्ग गज भूमि पर अतिक्रमण करने व विक्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच जिलाधीश द्वारा करवाई जा रही है। जांच पूर्ण होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, उसके उपरान्त ही दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही कीमत का अनुमान लग सकता है। भूमि विक्रय के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

विकास अधिकारी रैणी (अलवर) के विरुद्ध चल रहे भ्रष्टाचार के मामले

618. श्री समरथलाल (राजगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 25-1-79 को विकास अधिकारी रैणी (अलवर) का राज्य सरकार ने स्थानान्तरण कर दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विकास अधिकारी का स्थानान्तरण रद्द कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त विकास अधिकारी के खिलाफ गबन एवं भ्रष्टाचार के अनेक मामले चल रहे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से मामले उक्त विकास अधिकारी के खिलाफ चल रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के हित में एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण निरस्त किया गया।

(3) विकास अधिकारी के खिलाफ साधू की पिटाई, अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं एल. पी. सी., अध्यापकों के एरियर का भुगतान न करने, काम के बदले अनाज योजना में अनाज वितरण में अनियमितता एवं जीप का दुरुपयोग आदि अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच जिलाधीश से करवाई जा रही है।

जयपुर जिले के सरपंच व उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

619. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामकरणसिंह)

(1) जयपुर जिले में पंचायत चुनाव 1978 में होने के पश्चात् किन-किन पंचायत के सरपंच व उपसरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखे गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अविश्वास प्रस्तावों में महिला पंचों को शामिल नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और कहां-कहां ?

(3) क्या यह सही है कि इस मामले में जिलाधीश जयपुर ने भी कोई आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्राम पंचायत धोबलाई के अतिरिक्त सभी पंचायतों में महिला पंचों को अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करते समय शामिल किया गया है। ग्राम पंचायत धोबलाई में तहसीलदार द्वारा नियमों की अनभिज्ञता के कारण मिटिंग में महिला सहवृत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश समस्त जिलाधीशों को दिये जा चुके हैं, जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) जी नहीं। जिलाधीश ने कोई आदेश नहीं दिये गये।

(सूची व आदेश के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत मंडावर के सचिव का बकाया वेतन

620. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ग्राम पंचायत मंडावर एवं न्याय पंचायत मंडावर के सचिव का वेतन बकाया चला आ रहा है ? यदि हां, तो कितना कितना रुपया बकाया चला आ रहा है ? बकाया राशि के भुगतान की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर भी भुगतान क्यों नहीं किया गया ? अब कब तक भुगतान किये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी ?

उत्तर

ग्राम पंचायत मंडावर के सचिव का वेतन बकाया नहीं है। न्याय पंचायत मण्डावर के भूतपूर्व सचिव श्री मथुरालाल गोयल का 8,880) रु० दिया जाना बकाया है। ग्राम पंचायतों के पास स्वयं की आय की धनराशि एवं न्याय पंचायत कोष में धन राशि उपलब्ध नहीं होने से सचिव के वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है। धनराशि उपलब्ध होते ही भुगतान करवा दिया जावेगा।

पंचायत समिति रैणी (अलवर) को काम के बदले अनाज योजना हेतु मिला गेहूं

621. **श्री समरथलाल** (अलवर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री समरथलाल)

(1) पंचायत समिति रैणी, जिला अलवर में प्रत्येक पंचायत को कितना-कितना गेहूं अनाज के बदले काम योजना के अन्तर्गत दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को मांग एवं प्रस्तावित कार्यों के आधार पर विकास अधिकारी रैणी (अलवर) ने गेहूं का वितरण नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, रैणी जिला अलवर की पंचायतों को दिनांक 23-3-79 तक काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो गेहूं का आवंटन किया गया वह निम्न प्रकार से है :—

क्र.सं.	पंचायत का नाम	क्विन्टल	किलो	ग्राम
1	2	3	4	5
1.	जामडोली	121	25	300
2.	मूलैरी	146	39	800
3.	परवैणी	126	33	400
4.	मजेडा	101	43	100
5.	गढी सवाईराम	172	47	100
6.	कानैटी	114	—	200
7.	राजपुर छोटा	80	69	300
8.	पिनान	51	10	400
9.	ईटौली	255	90	900
10.	वहड़कोकलां	129	91	500
11.	रैणी	89	62	900
12.	कीलपुर खेड़ा	177	73	700
13.	डेरा	75	76	800
14.	रामपुरा	127	1	400
15.	छीलोडी	82	28	700
16.	डोरोली	120	79	700
17.	वोलैटा	90	83	—
18.	पाटन	71	83	—
19.	प्रागपुरा	121	57	200
20.	सालोली	40	56	100
21.	ठहटडा	107	41	400
22.	मावाड़ी	60	49	100
23.	बवेली	60	99	400
24.	बैरर	101	50	600
25.	पाडा	80	67	—
26.	मूडा	41	39	—
	योग	2750		

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत की मांग चालू कार्यों की प्रगति एवं समय-समय पर प्राप्त गेहूं की मात्रा को मध्ये नजर रखते हुए गेहूं का वितरण सही किया गया है ।

काम के बदले अनाज योजना के तहत जिलेवार आवंटित गेहूं

622. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चोमूं) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनाज के बदले काम योजना के अन्तर्गत जिलेवार कितना गेहूं आवंटित

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

किया गया ? उस योजना में कितना कच्चा व पक्का काम हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जयपुर जिले की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ को योजना के तहत गेहूं की कितनी बोरियां दी गई और किस किस पंचायत को गेहूं की कितनी बोरियां दी गई ?

(3) योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति गोविन्दगढ़ की चौंतीस पंचायतों में अब तक कितने कार्य पूरे हो चुके हैं पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–अ)। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में कितने कच्चे व कितने पक्के कार्य कराये गये हैं, की सूचना संकलित नहीं की जा सकी है।

(2) जयपुर जिले की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ की योजना के तहत माह फरवरी, 1979 तक 11,400 क्विन्टल गेहूं का आवंटन किया गया था और पंचायत समिति द्वारा दिनांक 22-3-79 तक पंचायतों को दिये गये गेहूं की पंचायतवार सूची परिशिष्ट–ब–संलग्न है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट–स)।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

ग्राम रुन्दिया तहसील पाली की राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित भूमि

623. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील सोजत जिला पाली के ग्राम रुन्दिया खारीयानींव व अटपड़ा के पहाड़ी क्षेत्र की कुछ भूमि वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा हस्तान्तरित कर दी गई है ? यदि हां, तो कब व यदि नहीं, तो क्यों नहीं जबकि सरकार ने पिछले सत्र में आश्वासन दिया था ?

(2) इस पर विकास कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा, तथा इसको देखते हुए क्या सरकार का रेन्जर का आफिस सोजत में खोलने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भू-हस्तान्तरण का मामला जिलाधीश स्तर पर विचाराधीन है।

(2) राजस्व विभाग से भूमि हस्तान्तरण होने पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कार्यभार को देखकर यदि आवश्यक हुआ तो रेन्जर का कार्यालय सोजत में खोला जायेगा।

पीपल्दा क्षेत्र की भूमि को चम्बल एवं काली सिंध और पार्वती नदियों के कटाव से बचाव

624. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हीरालाल आर्य)

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र सब ओर चम्बल, काली सिंध, पार्वती तथा बाणगंगा आदि नदियों से घिरा हुआ होने की वजह से इसके किनारे हजारों एकड़ भूमि में कटाव की वजह से कन्दराएं बढ़ती जा रही हैं ?

(2) क्या सरकार कृषि भूमि को बचाने के लिए इन कन्दराओं के विकास हेतु प्रयत्नशील है ? सरकार द्वारा पीपल्दा क्षेत्र में इन नदियों से कटाव को रोकने के लिए अब तक क्या प्रयत्न हुए तथा अब सरकार क्या प्रयत्न करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि उपजाऊ भूमि को कटाव से रोकने के लिए नोनेरा खरवन, खेडली, ठीपरी (कालीसिंध) अयाना (गोराजी के पास) फतेहपुर (तालाब) रूपारेल, खाल, गिरधरपुरा में आदि के पास पुराने वक्त की मिट्टी की दीवार थी जो अब स्थान-स्थान पर कट जाने से जमीन खराब हो रही है ।

(4) यदि हां, तो क्या सरकार उपजाऊ भूमि को कटाव से रोकने तथा कन्दरायें बढ़ने से रोकने के लिए इस दीवार को शीघ्र बांधे जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय प्रवर्तक कार्यक्रम पठार काम एवं कन्दरा स्थिरीकरण के अन्तर्गत इस क्षेत्र में भूमि कटाव रोकने के लिए अनुमानतः 3 करोड़ रुपये का एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

(3) जी हां ।

(4) क्रम (2) में वर्णित कार्यक्रम को भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर इस दीवार को बांधने और वन्य भू-संरक्षण कार्य कराये जायेंगे ।

वन विकास निगम

625. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वनों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार निकट भविष्य में वन विकास निगम की स्थापना करने वाली है ?

(2) क्या प्रस्तावित वन विकास निगम का कार्य क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिले होंगे ?

(3) प्रस्तावित निगम के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों को न लिये जाने का कारण क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) निगम की स्थापना के बाद, कार्य क्षेत्र के विस्तार होने पर इन जिलों को भी कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जावेगा ।

महिला सुधार गृह एवं महिला सदन

626. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग द्वारा या इसके अनुदान से चलाये जाने वाले कुल कितने महिला सदन या महिला सुधार गृह चलाये जा रहे हैं? महिला सदनों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पिछले पांच वर्षों का वर्षवार आंकड़े प्रस्तुत करें कि कितनी महिलायें किस-किस आयु की किस कारण से इस सदन में आईं, लाई गईं, अथवा भेजी गईं?

(3) इन महिलाओं में से कितनी भाग गईं कितनों का विवाह कराया गया, कितनी अपने परिवार को लौट गईं, कितनी महिलाओं ने आत्महत्या करली एवं कितनी महिलाओं का कतल हो गया? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इनमें से आत्महत्या एवं कतल किन कारण से हुये?

उत्तर

(1) कुल छः राजकीय संस्थायें चलाई जा रही है। जिनकी सूची संलग्न कर प्रस्तुत है। इस प्रकार की कोई संस्था अनुदानित नहीं है।

(2) वर्षवार सूचना सलग्न है।

(3) सूचना संलग्न है।

(4) महिला सदन जयपुर में सुश्री रामेश्वरी द्वारा आत्महत्या करने सम्बन्धी मामला पुलिस में दिनांक 23 अक्टूबर 1978 को दर्ज कराया गया था। पुलिस जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये अभी तक विभाग को सूचना नहीं मिली हैं। सुश्री रामेश्वरी 28-2-72 से महिला सदन में थी एवं न्यायालय आदेश के अन्तर्गत बालिग हो जाने पर उसको उसके पति को सौंपा जाना था। पति बुढ्ढा था अतः सम्भवतः यही भार सुश्री रामेश्वरी के दिमाग पर था जिसके कारण उसने अपनी आत्महत्या कर ली।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

भिक्षावृत्ति नियन्त्रण

628. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशन गंज) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भिक्षावृत्ति नियन्त्रण हेतु राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? भिक्षुकों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण हेतु कितने सदन खोले गये हैं और इससे अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

भिक्षावृत्ति नियन्त्रण के लिए सरकार ने राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक सदन में पास करने हेतु प्रस्तुत कर दिया है।

वर्तमान में राजस्थान में भिक्षुकों के

(समाज कल्याण मन्त्री)

पुनर्वास एवं प्रशिक्षण हेतु 3 सेवा सदन जयपुर, अजमेर व उदयपुर में चलाये जा रहे हैं जिनकी स्वीकृत संख्या क्रमशः 150, 150,25 है। इन सदनों के माध्यम से वर्ष 1977 के अन्त में 498 व्यक्ति इनसे लाभान्वित हुए हैं।

प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा सेवा सदन, अजमेर में एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र संचालित किया जा रहा है जिसमें भिक्षुकों को बुनाई, काष्ठकला, लोहारी उद्योग में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार जयपुर में साबुन बनाने का कार्य सिखाने की व्यवस्था है तथा उदयपुर सेवा सदन में लकड़ी का कार्य सिखाया जाता है। विस्तृत सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' तथा ब, स में दी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

विभाग द्वारा संचालित बाल गृह

629. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशन गंज) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनाथ व उपेक्षित बालकों के संरक्षण पोषण और विकास हेतु राज्य में कितने बाल गृह हैं ?

(2) बाल गृहों में आवासियों की संख्या कितनी है ?

(3) विभिन्न राजकीय व स्वयं सेवी बालगृहों के संचालन हेतु राज्य सरकार ने अब तक कितनी धनराशि व्यय की है ? वर्ष 1979-80 में कितनी धनराशि व्यय की जावेगी ?

उत्तर

(1) अनाथ व उपेक्षित बालकों के संरक्षण, पोषण और विकास हेतु राज्य में 6 राजकीय बाल गृह एवं 111 अनुदानित निराश्रित बाल गृह है। बाल गृहों मे आवासियों की कुल संख्या 2600 है।

(2) राजकीय बाल गृहों पर गत चार वर्षों में (1975-76 से अब तक 14.84 लाख रुपये व्यय हुए हैं तथा अनुदानित बाल गृहों के लिए इस वर्ष तक 6814561 रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(3) वर्ष 1979-80 के लिए बाल गृहों हेतु 4,11,000 रुपये का प्रावधान है। अनुदानित बाल गृहों के लिए धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होती है जिसके बारे में अभी कोई संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं।

विमुक्त एवं घुमक्कड़ जातियों के कल्याण हेतु योजना

630. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार के समक्ष क्या कार्यक्रम है ?

(2) इन जातियों के कल्याण हेतु केन्द्र से अब तक कितना अनुदान प्राप्त हुआ है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों के कल्याण के लिए छात्रवृत्ति, आवास समस्या हेतु गृह निर्माण की सहायता तथा नि:शुल्क छात्रावास व्यवस्था के कार्यक्रम प्रभाव में है। इसके अतिरिक्त इनके बालकों को कुटीर उद्योग प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्र भी चलाया जा रहा है।

(2) इन जातियों के कल्याण हेतु गत दो योजना काल से केन्द्र सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थान प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

(1) **श्री नूरा,** सदस्य विधान सभा की ओर से न्यूलाइट फैक्ट्री जोधपुर में पिछले 105 दिनों से चल रही श्रमिकों की हड़ताल के विषय में।

(2) **श्री रणमल सिंह,** सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर की ग्राम सेवा सहकारी समिति के अधिकारियों द्वारा गबन और घोटाले किये जाने के विषय में।

(3) **सर्वश्री रामदेव सिंह, जगतार सिंह कंग,** सदस्य विधान सभा की ओर से झुन्झुनू और सीकर जिलों के गांवों में पिछले 7 दिनों से बिजली नहीं आने से काश्तकारों की फसल नष्ट हो जाने के विषय में।

(4) **श्रीमती सुमित्रा सिंह,** सदस्या विधान सभा की ओर से रामगोपाल चपरासी सुलतानपुर जिला कोटा के रामेश्वर नाम का एक बच्चा जो कि अगस्त, 1977 से लापता है, उसके विषय में कोई जानकारी नहीं होने के सम्बन्ध में।

(5) **श्री श्योपतसिंह मकासर,** सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के कर्मचारियों में पदोन्नति व आरक्षण के प्रश्न को लेकर व्याप्त असन्तोष के विषय में।

(6) **सर्वश्री रामनारायण चौधरी व रघुनाथ विश्नोई,** सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में करों के भार से उत्पन्न महंगाई के प्रश्न को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी (आई) की ओर से किये जा रहे प्रदर्शन के विषय में।

मैं इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेज रहा हूं और इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, न्यू लाइट फैक्ट्री में 105 दिन से हड़ताल चल रही है और उसमें सरकार ने समझौता कराने में बड़ी ढिलाई बरती है, इसके बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मेरे बार बार....

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : मेरा स्थगन प्रस्ताव था, उसके बारे में व्यवस्था नहीं दी। मैंने सबसे पहले टाइम पर दिया था ...

श्री अध्यक्ष : डढ्ढा वाला ?

श्री मदनसिंह दांता : जी। बड़ा इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है। इसके बारे में व्यवस्था नहीं दी, यह अन्याय की बात है। 273 के नीचे पूछा गया है, गवर्नमेन्ट का फर्ज हो जाता है कि वह जवाब दे। भ्रष्ट कर्मचारियों के बारे में मैं भाषण देता हूं तो आप मुझे रोक देते हैं।....

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं रोकता। यह विषय सदन में आ चुका है। फिर भी बार-बार आप उठाते हैं। आपका मुझे लिहाज है, लेकिन लिहाज की एक सीमा होती है।

श्री मदनसिंह दांता : यह सदन में नहीं आया, रोका गया है। नियमों के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष : आप मुझे मिलें, मैं बता दूंगा। इस बारे में चर्चा हुई है।

श्री मदनसिंह दांता : भ्रष्ट आदमियों के लिए पूछा गया है। फिर भी मन्त्री जवाब नहीं देते। नियमित रूप से गवर्नमेन्ट से पूछा था। जनता पार्टी की सरकार का दूसरा, तीसरा साल चल रहा है फिर भी उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। एन्टी-करप्शन से केस आ गया। मुख्य मन्त्री जी के आफिस से नहीं निकल रहा है।....

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : आप नियमों को ध्यान में रख कर चर्चा उठाएं। मैंने इस बारे में व्यवस्था नहीं दी है।

श्री मदनसिंह दांता : एक विधायक ठीक ढंग से पूछता है, मन्त्री जी से पूछा, हरिसिंह जी से पूछा, वह जवाब क्यों नहीं देना चाहते ? डढ्ढा के खिलाफ 4 लाख के घोटाले का मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं रही है। यह कहां से आ गई ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) ; यह इनसे पूछ लीजिए, यह हमारे जमाने का नहीं है, आपके जमाने का है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय मुख्य मन्त्री जी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को आप क्यों रोक रहे हैं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : कांग्रेस के भ्रष्टाचार को आप क्यों पनाह दे रहे हैं....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप शीघ्र कदम उठायें। चाहे डढ्ढा हो चाहे चीफ टाउन प्लानर कैम्बो हो, आपके पास रिपोर्ट आई हुई है....

श्री मदनसिंह दांता : डा. हरिसिंह ने कहा है, मुख्य मन्त्री जी के दफ्तर में है। मैं इसका क्या जवाब दूं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप इसको क्यों पनाह दे रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हमें बड़ा विश्वास था कि मुख्य मन्त्री जी....

श्री श्योपतसिंह मकासर : कौन कौन से भ्रष्ट अधिकारी आपके यहां पनाह ले रहे हैं ? लिस्ट निकालो....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट मुख्य मन्त्री ने अपने पास में रखा है, गृह मन्त्री के पास नहीं है। हमें आशा थी कि मुख्य मन्त्री जी एक्शन लेंगे। क्या मजबूरी है, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं ? सारा सदन आपके साथ है, आप भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें। चाहे कैम्बो हो, चाहे डढ्ढा हो, आप भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ एक्शन लें, सारा सदन आपका साथ देगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसी सदन में कहा था कि जिसने पैसा खाया है मैं उसकी नाक से निकलवाऊंगा। आप इतनी जल्दी वे शब्द भूल गये ?

श्री गुल मोहम्मद : नाक से ही निकलवायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्या जानती हैं, किसी भी मामले में जब तक जांच न हो तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता....

श्री सूरजपाल सिंह : आपने चौपड़ पर इतना लम्बा चौड़ा भाषण किया था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है, आप जहां से बोल रहे हैं। मैं इतना ही निवेदन कर दूं....

श्रीमती सुमित्रासिंह : हमें भी बतायें, कहां से बोल रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई शिकायत आये, उस शिकायत की पहले जांच होगी, जांच के पश्चात् अगर कोई दोषी साबित होगा, कोई कागनीजेबल आफेन्स होगा तो ही एक्शन लेने की आवश्यकता है। आप डढ्ढा का जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स मेरे ध्यान में नहीं है। इतना मेरे ध्यान में जरूर है, जब आपने शिकायत दी थी तब जांच करने के लिए एन्टीकरप्शन को लिखा था। अब आप बता रहे हैं तो इसकी जानकारी कर लेता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है, एन्टीकरप्शन किस नतीजे पर पहुंचा है। उसके बाद जो जानकारी आपको देनी होगी, वह आपको दूंगा। अगर दोषी पाया गया तो मेरी तरफ से एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं की जायगी। नियमों के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही करनी होगी....

श्री मदनसिंह दांता : एन्टीकरप्शन में गया था। उन्होंने कार्यवाही करके दे दी है, बहुत दिन हो गये। आपके पास आपके चीफ सेक्रेटरी ने भेज दी। एक महीने से रो रहा हूं। मुझे मालूम है आपके यहां फाइल दब गई है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एन्टीकरप्शन द्वारा जांच करने के बाद....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब नियमों की अवहेलना हो रही है।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव न्यू लाइट फैक्ट्री में 105 दिन से चल रही हड़ताल के बारे में है। 105 दिन से फैक्ट्री में हड़ताल चल रही है फिर भी मजदूरों की समस्याओं को हल नहीं करके उनको कमजोर कर रहे हैं। सरकार के पास बार बार तार भेजे। मेरे पास भी बहुत सारे तार आये हैं। श्रम मन्त्री जी को भी सूचना भेजी है....

श्री हरिसिंह : आपने हड़ताल करवाई क्यों ?

श्री नूरा : उनको खाने को दे देते, हड़ताल नहीं होती। इस मामले में सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। क्या सरकार समझौता कराने में असफल रही है ? क्या सरकार की तरफ से उस फैक्ट्री मालिक को सहयोग दिया जा रहा है या हड़ताल को समाप्त करने में फैक्ट्री मालिक सहयोग नहीं कर रहा है ? ढेर सारे तार आये, श्रम मन्त्री जी के पास आये, 105 दिन से हड़ताल चल रही हो फिर भी सरकार की तरफ से समझौता कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मैं श्रम मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आखिर नतीजा क्या होगा ? यह हड़ताल चल रही है, क्या यह चलती रहेगी ? मैं अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं श्रम मन्त्री जी जल्दी कोई हल निकालेंगे।

श्री केदारनाथ (श्रम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, 20 फरवरी को यह केस रेफरेन्स कर दिया है ट्रिब्यूनल को उसके बाद भी हमने बातचीत शुरू कर दी है, सारी बातचीत हो रही है। हमारे पास एक ही रास्ता है 10 (ए) के तहत, मैं समझता हूं हल निकल जायेगा ...

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 105 दिन से हड़ताल चल रही है और 20 तारीख को आपने ट्रिब्यूनल के सामने रखा है ...

श्री केदारनाथ : गत 20 फरवरी को।

श्री रामनारायण चौधरी : तो भी, अध्यक्ष महोदय, दिन तो ज्यादा ही हो गये।

श्री केदारनाथ : तीन बार प्रोसीक्यूशन हुआ है। हमने काफी कोशिश की कि समझौता हो जाय, लेकिन हो नहीं पाया। वे 9 पर्सेन्ट इन्क्रीमेंट देते हैं और ये 20 पर्सेन्ट मांगते हैं। हमने 13 पर्सेन्ट तक कोशिश की है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या अभी कार्यवाही चालू है। मालिक और मजदूरों को बैठाकर तालमेल करा दें।

श्री केदारनाथ : कल से बातचीत शुरू हो गई है।

(व्यवधान)

श्री राम रघुनाथ चौधरी: इन कर्मचारियों को प्रति वर्ष 10 percent encrement of their

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

सैलेरी देते रहे हैं और 1978 में दिया है। दूसरा यह कि दिसम्बर में जो हड़ताल की है उसका नोटिस इन्होंने पहले नहीं दिया था। अध्यक्ष महोदय, यह लघु उद्योग का मामला है। जब सरकार के सामने यह विचाराधीन था तब कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसे 20 फरवरी को श्रम न्यायालय को दे दिया। इस मामले पर इससे पहले सरकार ने विचार क्यों नहीं किया ?

श्री केदार नाथ : मैं निवेदन करूं (10) (ए) का इस्तेमाल हम बड़े रेयर केसेज में करते हैं और तभी करते हैं जब हजार से ज्यादा मजदूर हों। इसमें केवल 33 आदमी हैं।

श्री नूरा : केवल 23 आदमी हैं और तीन रिजाइन कर चुके हैं।

श्री केदार नाथ : टोटल 33 आदमी हैं इनमें से 23 परमानेन्ट थे, बाकी के टेम्प्रेरी और वर्क चार्ज बेसिस पर थे। हम यह सोचते हैं कि कोई रास्ता निकल आये ? कोई समझौता कर लें, इसलिये देरी हो गई। वे एनुअल इन्क्रीमेंट दे रहे हैं 9 पर्सेन्ट और ये चाहते हैं 20 पर्सेन्ट। आम तौर से हमने इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज में दिलाया है लेकिन ऐसा लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज पर किया है, स्माल स्केल पर नहीं किया है। 20 पर्सेन्ट बोनस की भी मांग है वह 8.33 तो बनता है लेकिन अब 20 पर्सेन्ट की बात हो गई इसलिये हमने 20 फरवरी को रेफरेन्स कर दिया है। हम समझते थे वार्ता में कोई समझौता हो जायगा।

श्री नूरा : हम यही चाहते हैं कि मालिक और मजदूरों में किसी प्रकार ताल-मेल बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसमें सफल हों।

श्री रण मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जयपुर सी. सी. बैंक की ब्रान्च दूदू में बहुत बड़ा गबन हुआ है। उस गबन के साथ में यह भी लोगों को छूट दी है कि वे घोटाले कर लें। दरअसल सहकारिता और ग्राम पंचायतें स्वतन्त्रता के बाद राज्य सरकार की देन हैं, पब्लिक की मांग नहीं थी। पब्लिक सैक्टर आगे नहीं बढ़ पाये इसलिये सहकारिता आन्दोलन जोरों से चलाया ? हम भी इस काम में आगे हुए। भरतपुर की सहकारी समितियों का जिक्र तो आता ही रहता है लेकिन जयपुर में भी पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर की ग्राम सेवा सहकारी समिति के अलग-अलग अधिकारियों द्वारा लगभग 29 हजार 540 रुपये 62 पैसे का गबन हुआ है। उन लोगों ने कच्ची रसीदों के पैसे जमा नहीं कराये और बीच में ही खा गये। पूरणचंद जैन E.O. ने लोन इन्सपेक्टर की 23-11-78 तक जांच की। उसमें यह पाया कि ये दोषी हैं और गबन किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी मूवमेंट को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप एक नौजवान आदमी हैं, आपने इस बात को कहा भी है कि सहकारिता में घोटाले नहीं रहने दूंगा। एकदम सही ढंग से उनको बनाऊंगा और जोरदार शब्दों में आपने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने घोटाले किये हैं, उनको सजा

(श्री रणमल सिंह)

दिलवाऊंगा। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि देहात में रहने वाले जो अंगूठा छाप हैं, गांवों के उन आदमियों की हिम्मत गड़बड़ी करने की नहीं है लेकिन ये पढ़े लिखे लोग, जिनके द्वारा सहकारिता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वे ही गड़बड़ कर रहे हैं। आपने बहुत जोशीले शब्दों में कहा है कि जिन लोगों ने गड़बड़ की है, उनको माकूल सजा दिलवाऊंगा। अब किस जगह कितने-कितने घोटाले हुए हैं, यह मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। आप गड़बड़ घोटालों को दूर करवाने की कोशिश कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो मुद्दे उठाये हैं, एक तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पुर्नगठन का। कल जब मेरी माननीय सदस्य से चर्चा हुई थी तो मैंने स्वीकार किया था कि जनता सरकार के आने के पहले सात हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियां थीं उनका पुर्नगठन राष्ट्रीय कमेटी की सिफारिश के अनुसार सारे राजस्थान में हुआ। जो प्रयोग चालू हो गया पिछली सरकार के समय में उसको अभी चलने दिया जाय। अभी उसमें इतनी जल्दी गड़बड़ करना भी ठीक नहीं होगा। यह मैंने निवेदन किया था।

दूसरा मुद्दा कल आपने इस जांच का और लोन इन्सपेक्टर का बताया नहीं था। मैं यह तथ्य अभी आपसे ले लूंगा। अगर लोन इन्सपेक्टर के खिलाफ कोई पोजिटिव रिपोर्ट है तो तुरन्त उसे निलम्बित कर दिया जायगा। आवश्यक हुआ तो तुरन्त पुलिस को केस भी दे दिया जायगा। राजस्थान में अनेक जगहों पर सहकारी समितियों की जांच हो रही है। जांच होकर जब रिपोर्ट आती है तो मैं निर्णय लेता हूं। उसको भी मैं नोट कर लूंगा। जांच होने के बाद दोषी पाये जाने पर निश्चित रूप से कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री मदन सिंह दांता : यह कब ले लेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : अभी मंगवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री राम देव सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं, सीकर में भूख हड़ताल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपक नाम तो नहीं है।

(व्यवधान)

अब स्थगन प्रस्ताव कैसे मूव कर सकते हैं।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री राम देव सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री जगतार सिंह कंग ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

(व्यवधान)

समय रहा तो आपको समय दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि राजस्थान राज्य में क्या-क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वे····

श्री अध्यक्ष : बहुत पुराना मामला है माननीय सदस्या, दो।तीन मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो क्या हुआ माननीय अध्यक्षजी, अगर पुराना मामला हुआ। फिर भी मैं तीन मिनट में समाप्त करती हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : पुराना होते हुए भी अभी तक बच्चे का पता नहीं है। इसलिए अत्यन्त खेद और क्षोभ का विषय है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती थी कि यह बाल वर्ष है। बाल वर्ष के अन्दर सन् 77 के अगस्त महीने में जो रामगोपाल चपरासी है···

श्री दाऊदयाल जोशी : अगस्त में।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हां। अगस्त; 77 के महीने में। रामगोपाल चपरासी, जो कोटा डिस्ट्रिक्ट के सुलतानपुर का रहने वाला है, का रामेश्वर नाम का बच्चा अगस्त 77 में घर से गायब हुआ। वह बच्चा कैसे गायब हुआ, मार दिया या क्या हुआ, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं है। उसके बाद उस गरीब चपरासी ने पचासों दरख्वास्तें दी, पुलिस थाने में रिपोर्ट दी, लगातार प्रयत्नशील है। वहां के विधायक माननीय दाऊदयाल जी जोशी को भी चिट्ठी लिख चुका है। वे उस इलाके को रिप्रेजेण्ट करते हैं लेकिन माननीय सदस्य को इस बात की कोई चिंता नहीं है। माननीय अध्यक्षजी, मेरे पास में भी इस व्यक्ति की कई चिट्ठयां आई तो मैंने इस बाल वर्ष में अपना यह पुनीत कर्त्तव्य समझा कि मैं आपकी मार्फत सदन के सदस्यों का और गृह मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाऊं। यदि कोई बड़े राजनेता का बच्चा होता, यदि किसी बड़े आदमी का बच्चा होता, यदि वह किसी बड़े अधिकारी का बच्चा होता तो उस बच्चे के लिए क्या नहीं होता। धरती आकाश एक कर दिया जाता, रात दिन कार्यवाही की जाती लेकिन गृह मंत्री जी के कान तक उस गरीब की सुनवाई नहीं है। गरीब को कोई नहीं पूछता है कि उनके साथ क्या नहीं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हो रहा है। आज उसके बच्चे का कोई पता नहीं है कि कहां पर है, कैसे है? अगर उस बच्चे के माता-पिता को पता चल जाय कि बच्चा जिन्दा नहीं है, मर गया है तो रो धो कर आत्मा को तसल्ली तो कर लें, लेकिन जिस बच्चे का पता ही नहीं है, बच्चा जिन्दा है या मर गया है, पुलिस उसके लिए बिल्कुल बेखबर है। कितनी चिट्ठियां डाली उसने और गृह मंत्री जी आपको पता ही नहीं है। गृह मंत्री जी आप ध्यान दीजिए, आपकी भी जिम्मेदारी है, इस राजस्थान की जनता के जान-माल की हिफाजत करने की आपकी भी जिम्मेदारी है। किसी के घर से किसी का बच्चा उड़ाया जाएगा बस वाल वर्ष में। तो इस दौरान इन दो सालों में आपके गृह मंत्री बनने के बाद में राजस्थान में कितने बालकों को उड़ाया गया है, कितनों को वापस बरामद कर सकें और कितनों की हत्या की गई? मैं यह आपसे पूछती हूं कि इतने जिम्मेदारी के पद पर आप बैठे हुए हैं, उस जिम्मेदारी का आपको अहसास करना चाहिए। राजस्थान में साढ़े तीन करोड़ लोगों की जान माल की हिफाजत करने की आपकी जिम्मेदारी है। आज तक उसने कितनी ही चिट्ठियां लिखीं, क्या किया आपने उसका, आपको भी चिट्ठी लिखी। क्या रिपोर्ट दी थानेदार ने आपको?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहते हुए कि कम से कम बालक के प्रति मां का प्यार तो आप में नहीं हो सकता लेकिन पिता का वात्सल्य तो अपने बच्चों के प्रति रहा है। साढ़े तीन करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। कम से कम इस बच्चे के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया तो लेकिन अब जिसकी ओर आपका ध्यान दिलवाया गया तो अब तो आप कुछ करिये। उस गरीब व्यक्ति के लिए, जो चपरासी है आपके राजस्थान सरकार में, उसके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेहरबानी करके कुछ दया का संचार मन में कीजिए और दया का संचार करके कुछ कर्त्तव्य निभाइये? कुछ करिये, इस ओर।

(व्यवधान)

पांच दिन के भीतर-भीतर स्टेटमेंट दीजिये, चार दिन के भीतर-भीतर उसका पता लगाइये कि वह जिन्दा है या मर गया है, कहां गया है, कहां नहीं गया है। कुछ तो बताइये।

श्री दाऊदयाल जोशी : वास्तव में दो साल से यह बच्चा गायब है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य उस इलाके को रिप्रेजेण्ट करते हैं, क्या किया है आपने?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने क्या किया है, वही मैं कह रहा हूं। माननीय सुमित्राजी से मैं निवेदन कर रहा हूं, मैंने भी लगातार एस. पी. से कई बार सम्पर्क किया है।

मेरा आपसे निवेदन है, सुमित्राजी ने जो प्रश्न उठाया है यह बहुत अहम् प्रश्न

(श्री दाऊदयाल जोशी)

उठाया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब के. सी. पंत का बच्चा गायब हो गया तो चार दिन में मिल गया। जब के. सी. पंत का बच्चा चार दिन में मिल सकता है तो....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दूसरे दिन ही मिल गया था।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय गृह मंत्रीजी से, मैं पूरे जोश से ग्रापके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बच्चा जीवित है या उसकी मृत्यु हो गई है, जो भी स्थिति हो, बच्चे का पता लगा कर उसके माता-पिता को संतोष दिलायें।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहुत गंभीर मामला है। इस राज में गरीबों के बच्चों के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय ग्रध्यक्षजी, माननीय विधायक जोशीजी ने एक बात कही है। जिस बच्चे का पता नहीं चला उसके बारे में उन्होंने कई बार एस.पी. को पत्र लिखे, उनसे बात हुई, उन्होंने स्वयं ने जाकर रिक्वेस्ट की। एक माननीय विधायक द्वारा इस प्रकार से एक एस.पी. को स्वयं जानकारी देने के बाद भी वह ग्रधिकारी मंत्रीजी के ध्यान में यह क्यों नहीं लाया? मैं चाहूंगा कि ग्राप इस सारी समस्या की गहराई में जाएं, डीप में जाएं कि एस.पी. महोदय ने ग्रपने फर्ज को निभाया है या नहीं। हम यह मान सकते हैं कि पुलिस सेंट पर्सेन्ट केसेज में ग्रमल दरामद नहीं कर सकती, परन्तु एस. पी. ने क्या किया? बच्चे को ढूंढ़ने के लिए क्या कार्यवाही की।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्या ग्रापने सी. बी. ग्राई. ग्रौर सी. ग्राई. डी. की सहायता ली? ग्रापके ध्यान में यह मामला कब ग्राया? यह बहुत गंभीर विषय है कि एक राजनेता का बच्चा हो, उनका बच्चा तो दो दिन में ढूंढ़ लेंगे ग्रौर गरीब ग्रादमी, जिसके वोट पर ग्राप जीत कर यहां ग्राये हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : बस हो गया, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय दाऊदयालजी जोशी....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : अब बहुत हो गया, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं ग्राधा मिनट में अर्ज कर देता हूं। बहुत जरूरी बात कह रहा हूं। माननीय दाऊदयालजी जोशी जनता पार्टी के होते हुए भी बराबर ग्रन्दर ही अन्दर कार्यवाही करते रहे और इन्होंने सदन को कोई जानकारी नहीं दी। जब माननीय सदस्या ने यह मामला सदन में उठाया तो भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो बड़े शर्म ग्रौर ग्रफसोस की बात है।

श्री रणमलसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है बिजली के बारे में....

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय । माननीय अध्यक्ष जी....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, मैं सुन रहा हूं, आगे बढ़ें ।

श्री सम्पतराम : यह सही है कि इतने दिनों से गायब बच्चे को बरामद करने का हमारा फर्ज है, पुलिस का उत्तरदायित्व है, पुलिस का कर्त्तव्य है । मैंने सारे कागजात मंगा लिये हैं लेकिन अभी तक मैं उन्हें देख नहीं पाया हूं । देखने के लिए ही गया था, लम्बी चौड़ी फाइल थी जिसको देख नहीं सका । लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप तीन चार रोज की बात कह रही हैं, मैं अभी, जब आप सदन के बाहर तशरीफ ले जायेंगी, सारे हालात आपके सामने ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे को बताने की कुछ बात नहीं है, सारे माननीय सदस्यों को बताने की बात है ।

श्री सम्पतराम : सुन तो लीजिए ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हमको फाइल नहीं देखनी है । हमको बच्चा चाहिए । बच्चा फाइल में नहीं है । आप टाल रहे हैं । अगर आपको पुलिस की तहकीकात से संतोष है तो बताइये । क्या बच्चा उस फाइल में है ? माननीय विधायिका क्या देखेंगी । अगर गृह मंत्रीजी को तफतीश से संतोष है तो आप बताइये कि क्या कार्यवाही की गई, क्यों बच्चा नहीं मिला, क्या तथ्य है ? आप बच्चे को ढूंढ़ने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? यह बताइये ।

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान्, गृह मंत्री से मैं भी एक बात कहना चाहूंगा । दिल्ली में चोपड़ा के बच्चों का अपहरण हुआ और चार पांच दिन में उसकी लाश की बरामदगी हो गई तो इस बच्चे के लिए दो साल में आपने क्या किया ? आपकी मशीनरी ने क्या किया ? अधिकारियों ने क्या किया ? पुलिस ने क्या किया ? वह सोती रही । आपका केवल यह कहना काफी नहीं है कि मैं इसकी फाइल को पढ़ रहा हूं, अभी देख नहीं पाया हूं । यह तो हमारे लिए अशोभनीय बात है । आप उत्तर दीजिए कि क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे को सुनने के पहले ही माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है....

(व्यवधान)

सुनिये पहले ।

जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा उसका तो मैं स्वागत करता हूं । यह प्रश्न अभी सदन में आया और आते ही जानकारी प्राप्त की ? इस वक्त में जितना प्रयत्न कर सकता था किया । न तो फाइल में बच्चा है, न माननीय सदस्यों के घर है, न मेरे घर

(श्री सम्पत राम)

पर है। बच्चा कहां है, यह अभी मैं कैसे कह सकता हूं। मैं तो यही अर्ज कर रहा था कि पुलिस ने अभी तक क्या कार्यवाही की है और उसकी क्या-क्या कार्यवाही करनी चाहिए थी, इस सब की जानकारी करने के लिए ही मैंने फाइल मंगायी है ···

मेजर श्री फतहसिंह : एस. पी. वगैरह को यहां बुलाइये। यहां बुलाइये उनको।

श्री सम्पतराम : आपको यह पता है कि यहां सदन में कोई नहीं आ सकता।

मेजर श्री फतह सिंह : यह मैं भी जानता हूं। मैं भी नया आदमी नहीं हूं। आप अपने पास बुला कर जानकारी कीजिए। इस तरह से लीपापोती और टालमटोल करने से काम नहीं चलेगा।

श्री सम्पतराम : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगा? जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। मैंने कागजात मंगाये, फाइल आ गई तो उसको देखने के लिए ही गया था, उसको देखने में कुछ तो समय लगता ही। लेकिन जब मैंने देखा कि माननीय सदस्या बोलने वाली हैं, तो मेरा हाउस में रहना आवश्यक था, यह मेरा कर्त्तव्य था इसीलिए में वापस आ गया। अगर एस. पी. को बुलाने की आवश्यकता हुई तो एस. पी. को बुलाऊंगा, डी. आई. जी. को बुलाना आवश्यक हुआ तो उनको भी बुला लूंगा, आई. जी. को बुला लूंगा। अगर माननीय सदस्या के पास में सूचना होगी तो उनसे भी सम्पर्क स्थापित कर लूंगा। बच्चे की तलाश करने में जो कुछ कर सकता हूं, करने का प्रयत्न करूंगा।

मेजर श्री फतहसिंह : All the machinery should be geared up.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : And the culprits should be punished.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया, जो कुछ उन्होंने कहा है उतने से हमें थोड़ा बहुत मामूली सा तो संतोष है, लेकिन यह सब करके आप हाउस को इन सारे फैक्ट्स से कब तक अवगत करावेंगे? यह बता दें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि वे इन्वेस्टीगेशन की फाइल देख रहे हैं। हम तो यह जानना चाहते हैं कि बच्चे के बारे में आपको क्या कोई क्ल्यू मिला है?

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि मैंने इस मामले को अभी तक पूरा नहीं देखा है····

श्री परसराम मदेरणा : आपने यह कहा है कि फाइल देखी है।

श्री सम्पत राम : मैंने यह कहा है कि जैसे ही यह प्रश्न आया मैंने तुरन्त इस संबंध में सारे कागजात मंगवा लिये हैं। अभी मैंने सारे कागजात नहीं देखे हैं। यह प्रश्न यहां पर

(श्री सम्पत राम)

आ गया इसलिए यहां हाउस में मैं उपस्थित हो गया । मैं इसकी पूरी जानकारी करूंगा ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : बीच में यह बच्चा इन्दौर में होने की बात मालूम हुई थी ।

श्री सम्पत राम : मुझे सूचना नहीं मिली है । मैं निश्चित तौर से कुछ नहीं कह सकता । जो तहकीकात हुई है उससे मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं । मैं इस सारे मामले को देखूंगा ।

श्री रतन लाल वर्मा : यह, दाऊ जी, तुम्हारी लापरवाही है ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़ी जाति के कर्मचारियों के बारे में है, जो 21 मार्च से विधान सभा के सामने अपनी पदोन्नति के बारे में, आरक्षण के बारे में, जो भेदभावपूर्ण, लापरवाही का व्यवहार राज्य सरकार द्वारा उनके साथ किया जा रहा है, उसके विरोध में विधान सभा के सामने बैठे हैं । 21 मार्च से उनकी क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है । अब उनके नेता आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं । अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण सवाल था । यह मसला नीति का मसला है इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है । इस समय हमारे मुख्य मन्त्री को इस सदन में होना चाहिये था । मुझे अफसोस है कि ऐसा महत्वपूर्ण सवाल यहां पर रखा जा रहा है, राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके कर्मचारी ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि ज्यादती हो रही है, ऐसा सवाल इस विधान सभा में आवे तो किसी जरूरी काम से हमारे मुख्य मन्त्री सदन से बाहर रहें, यह बात तो समझ में आती है परन्तु अभी तो उनको यहां पर रहना चाहिये था । मुझे खुशी है मुख्य मन्त्री महोदय आ गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, यह कोई एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, दो व्यक्तियों का सवाल नहीं है । यह सवाल हजारों उन लोगों का है, आबादी के बहुत बड़े प्रतिशत का है जिसके नाम से इससे पहले कांग्रेस ने 30 साल तक अपनी रोटियां सेंकी किन्तु हरिजनों की इस समस्या का हल नहीं किया, इस समस्या को बना कर कांग्रेस रोटियां सेंकती रही, उनके वोट लेती रही और अब यह जनता पार्टी भी वही करना चाहती है । जब भी यहां पर यह सवाल आता है, हम कोई सुझाव देते हैं तो हमारे मुख्य मन्त्री महोदय बहुत ही इस बारे में दिलचस्पी दिखाते हैं और बड़े गर्व के साथ इस सदन में कहते हैं कुछ भी हो जाय हम इन गरीबों की, हरिजनों की इमदाद करेंगे, उनकी हालत को ठीक करेंगे । बाकी सदस्यगण क्या महसूस करते होंगे, यह तो मैं नहीं कह सकता हू परन्तु इससे मुझे तो कम से कम खुशी अनुभव होती है । एक तरफ तो उनका यह ऐलान और दूसरी तरफ लगातार जो हजारों कर्मचारी राज्य सरकार की नौकरी में हैं, उनका एक संगठन है. उस संगठन के लोग यहां पर बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीगण इतना भी नहीं कर सकते इन लोगों के पास जा नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते .

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

इसलिए मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जो लोग यहां पर बैठे हैं विधान सभा के सामने, सैशन के दौरान तो जिस मन्त्री का इससे वास्ता है, उस मन्त्री को तो आप कम से कम आदेश दीजिये कि उनसे जाकर पूछे कि वे यहां क्यों आये हैं। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा ? आज आप मन्त्री हैं परन्तु दो साल पहले आपकी क्या हैसियत थी। जब एम. एल. ए. थे, रोज विधानसभा आते वक्त और जाते वक्त इन लोगों से मिल कर जाते थे। आज आप मन्त्री बन गये इसलिए इन लोगों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं आज आपकी हैसियत ऊंची हो गई है। यह हैसियत कुछ समय के लिए ऊंची हो सकती है। लोग आप पर भरोसा करते थे। लोगों ने भरोसा किया है और आपको विजयी बनाया है इस ख्याल से कि शायद आप उनकी इमदाद करेंगे। विधान सभा के सत्र के दौरान यहां पर कैम्प लगे रहते है और जब तक उनका कन्सर्नड मन्त्री उस कैम्प में नहीं जाए। आप उनकी समस्या हल नहीं कर सकते किन्तु उनके पास जाने में आपके सामने कौन सी बाधायें हैं ? उनसे सम्बद्ध मन्त्री को उनके पास जाना चाहिये। वे कोई महत्वपूर्ण सवाल लेकर यहां आये हैं। लोगों को यहां आने का कोई शौक नहीं है। यह कोई पिकनिक स्थल नहीं है। यह कोई पार्क नहीं है। मैं, मुख्य मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जब कोई विभाग या कोई अधिकारी उनकी बात को नहीं मानता है तब कर्मचारी यहां पर आते हैं क्योंकि आप लोग हमारी तकदीर के विधाता, हमारे देश के भाग्य विधाता यहां पर बैठे हैं। वहां पर जायेंगे तो शायद हमारी बात की सुनवाई होगी। इस ख्याल से ये लोग यहां पर आए हैं। मैं यह कह रहा था कि हमको उनके पास जाना चाहिए, आपके मंत्री को उनके पास आना चाहिए, जिस विभाग का मन्त्री हो, उसको आप आदेश दें वे इन लोगों के बीच में जायें और बैठें और उनके सामने अपनी पोजीशन, सरकार की पोजीशन को साफ, स्पष्ट करें। पिछड़ी जाति, जनजाति के आपके मन्त्री हैं, दो हैं या तीन हैं, मैं पूछता हूं कोई मन्त्री इनके पास गया है ? क्यों नहीं गया ? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उनके पास जाइये। उनकी मांगें माने या न माने परन्तु इससे उनको आत्म सन्तोष होगा कि हमारे प्रतिनिधि हमारे पास आये हैं। इसलिए जा कर के बात करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं उन माननीय सदस्यों को भी कहना चाहूंगा जो जनजाति, अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। आपका भी यह फर्ज है। मैं जो यह सवाल उठा रहा हूं, वह सवाल तो आपको उठाना चाहिये था। मजबूती के साथ उठाना चाहिये और लड़ना चाहिये। आपको इसके लिये अपने दल से लड़ना चाहिए। क्या हो रहा है आपके कर्मचारियों के साथ ?

यह तो आपने कह दिया कि चपरासियों का कोटा पूरा हो गया। जो क्लर्क है, एल. डी. सी, उनके लिए भी आपने कह दिया कि यह कोटा भी आप पूरा करेंगे केन्द्रीय सरकार की नीति के हिसाब से। परन्तु जो उच्च अधिकारियों के पद हैं जहां पर कि अच्छी तनख्वाह मिलती है, वहां पर कितना कोटा आपने पूरा कर दिया है। क्या प्रावधान आपने कर रखा है ? नीचे के पदों के

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

लिए. छोटी छोटी नौकरियों पर तो आप तवज्जोह दे रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कितने पुलिस इन्सपेक्टर हैं. बता सकते हैं ? मुख्य मन्त्री जी शायद ध्यान नहीं है। टीचर्स का सवाल है। छोटे से टीचर्स प्राइमरी स्कूल में लेते हैं। परन्तु जो हैड मास्टर बनाते हैं, सैकन्डरी स्कूल के कितने हैड मास्टर अनुसूचित जाति में से हैं ? यूनिवर्सिटी में कितने टीचर्स हैं ? एक हरिजन जिसके अच्छे मार्क्स थे, जोधपुर विश्वविद्यालय में था उसको नहीं रखा। मेहरबानी कर के बताइये कितने प्रोफेसर, टीचर्स आपकी यूनिवर्सिटी में हैं ? नहीं हैं। एक हरिजन था, उसको भी निकाल दिया। आपने बड़ी हमदर्दी दिखाई। आपके हुक्म की कोई परवाह नहीं की गई। हमारे स्थगन प्रस्ताव यहां पर पेश होते हैं, उनको विधान सभा के बाद कोई नहीं पूछता है। आपके कृषि अधिकारी कितने हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के ? कितने आपके पास लेखाधिकारी हैं ? मेरे सामने एक बीकानेर का प्रश्न आया था। अध्यक्ष महोदय, उस बच्चे ने मेरे से बात की है. सन् 75 में उसका राइट मिल जाना चाहिये था। उस लड़के का नाम फूलचन्द आर्य है। अकाउटेन्ट है, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्टर, बीकानेर में। जब ऐसे लोगों के साथ ज्यादती होती है और दूसरी ओर आरक्षण के नाम पर डींग हांकते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स के लोगों के साथ, पिछड़ी जाति का सवाल तो छोड़िए, परन्तु आपने तो जिन लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए उन्हें ही नहीं दिया जा रहा है। इस गरीब तबके में विश्वास पैदा करने का आधार क्या है आपके पास ? उनको जस्टिस मिलना चाहिये। उन्हें इस बात का अहसास होना चाहिये। आप यहां असेम्बली में भाषण देते हैं. उसको हम तो मान लेंगे, सदन में महसूस कर लेंगे मगर बाहर के लोग तो तभी करेंगे जब उनको फायदा होगा। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ एक ही बात कहूंगा, केन्द्रीय सरकार ने जो आधार कायम किया है वही आप लागू कीजिए। आपके मन्त्री जी को उनके नेता से बात करनी चाहिए। मुख्य मन्त्री महोदय, आप चारों हरिजन मन्त्रियों की ड्यूटी लगाइये और जो उनकी ग्रिवान्सेज हैं उनको मीट आउट करिये।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ से आने वाले विधायक महोदय ने प्रश्न उठाया है उस बारे में मैं आपके द्वारा इत्तला दे दूं, यह जो 21 मांगों का मांग पत्र है यह मांग पत्र इस संघ के पदाधिकारियों ने माननीय मुख्य मन्त्री जी को प्रेषित किया था। मुख्य मन्त्री जी ने निर्देश दिया था कि मैं उनसे इन मुद्दों पर चर्चा करके रिपोर्ट बनाऊं। यह आदेश सुनाने के बाद मैं हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय को सूचित करना चाहता हूं, 4-5 बार इस संघ के पदाधिकारी वृजेश जी ने मेरे से सम्पर्क किया है, सचिवालय में भी और घर पर भी आये। मैंने उनसे कहा प्रतिनिधियों के साथ आइये, चर्चा करेंगे। हो सकता है उनको समय नहीं मिला हो, मगर मुझे समय था। यह आप वृजेश जी से पूछ लें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप उनके तम्बू में क्यों नहीं गये ? ऐसी कितनी हैसियत हो गई आपकी ? क्यों नहीं गये तम्बू में ?

श्री रतन लाल वर्मा : जब आपकी बात सुनी है तो आप पूरी बात सुन लें ।

श्री कैलाश मेघवाल : जनता सरकार बनने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति को ऊपर उठाने के लिए जो प्रयत्न हुए हैं, मैं अलग-अलग आंकड़े दे सकता हूं, जो पदोन्नति में, जो आरक्षण....

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं आंकड़े नहीं सुनना चाहता । मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं । आप चारों मन्त्री जी उनके तम्बू में जाइये । जब बृजेश जी आये, उनको आप कहते हैं टाइम नहीं मिला । वह सड़क पर बैठे हैं । आप कब बैठे सैक्रेटरियट में । मैं तो यह सवाल पूछता हूं कि आपको जाना चाहिये, आप क्यों नहीं गये ?

(व्यवधान)

मेरी इस प्रश्न में दिलचस्पी नहीं है । एक ख्वाहिश है मेरी, उनके कैम्प में क्यों नहीं गये ?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय विधायक को मांग पत्र आज मिला है, मेरे पास विधान सभा चलने के पहले यह मांग पत्र माननीय मुख्य मन्त्री जी के द्वारा आ चुका है । सचिवालय में मेरे कक्ष में बृजेश जी आये, घर पर भी आये हैं । मेरा निरन्तर सम्पर्क है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन इन समस्याओं के अलावा भी ज्योलोजिकल सर्वे की समस्या का नोट भारत सरकार के लिए हमने बनाया है । यह ठीक है कि अपने अपने काम करने के तौर-तरीके अलग-अलग होते हैं । उनके कैम्प पर जाकर नहीं मिला । इसको मैं गलती नहीं कहना चाहता । लेकिन मैं माननीय विधायक से निवेदन करना चाहता हूं यदि वे चाहते हैं तो मैं उनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं । मैं उनके साथ कैम्प में जाकर बात कर लूंगा । हर मुद्दे पर राज्य सरकार विस्तृत रूप से चर्चा कर लेगी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये राज्य सरकार जो भी कुछ कानून दे सकता है उसको देने के लिये पूर्ण रूप से तत्पर है और उसी दिशा में चल रही है ।

श्री मदन सिंह दांता : या तो यह कहें कि उनकी कोई मांग नहीं है, झूठे बैठे हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह उनसे पूछिये । मैंने तो अपनी बात कह दी ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब तक मंत्री रहते हैं तब तक यह अकड़ रहती है । बाद में निकल जाती है ।

(व्यवधान)

श्री रावत राम (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव....

श्री श्योपतसिंह मकासर : He knows better than me.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : श्योपतसिंह जी के भाषण से इनके भी आदमी जलते हैं ।

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सीकर और झुन्झुनूं जिले में आज बड़ी भयंकर स्थिति है बिजली के अभाव में····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा तो दूसरे में था। मैं आपका ध्यान····

(व्यवधान)

मैं, मेरे दूसरे प्रस्ताव पर आ रहा हूं। सत्ता पक्ष के लोगों का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। खास तौर से नवलगढ़, झुन्झुनूं और सीकर में सत्याग्रह चल रहा है लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, विषम स्थिति चल रही है, फसल खतम हो गई, खेत खतम हो गये, बिजली नहीं आने की वजह से मोटरें जल गईं। यह स्थिति नवलगढ़ झुन्झुनूं, सीकर में है। मन्त्री महोदय, इस मामले में वक्तव्य दें और आज ही व्यवस्था करवायें कि पूरे वोल्टेज काश्तकारों को बिजली के मिलें ताकि काश्तकार अपनी 20-25 प्रतिशत फसल को तो बचा सकें और अपने मवेशी पाल सकें वरना स्थिति यह होगी कि काश्तकार नष्ट हो जायेंगे। मैं आपसे चाहूंगा कि विद्युत मन्त्री जी को कहें और व्यवस्था करावें।

श्री रणमल सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिजली मिनिस्टर लम्बी छलांग लगाते हैं। कोटा से जयपुर आ गये। जयपुर से सीकर तक भी एक छलांग लगा दें। सीकर में काश्तकारों की 2-2 हजार रुपये की मोटरें जल गईं, फसल की भराई का टाइम है। मैंने पहले भी निवेदन किया था मुख्य मन्त्री जी से। आज फसल की भराई का टाइम है किन्तु विद्युत नहीं आ रही है इसका यह परिणाम होगा कि काश्तकारों का इतना नुकसान होगा कि न तो सरकार पूरा कर सकेगी और न एक वर्ष के पहले दुबारा फसल आयेगी। मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि बिजली रतनगढ़ से जयपुर आ रही है। सीकर, झुन्झुनूं, रतनगढ़, चौमूं और रींगस में बिजली पर बड़ा भारी बोझ पड़ता है····

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मुझे दांता रामगढ़ से सूचना मिली है कि आज तीन रोज से काश्तकारों को बिजली बिल्कुल नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि····

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री मदनसिंह दांता : वहां पर काश्तकार जेल में पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या हो गया, कहां पर ?

श्री मदनसिंह दांता : दांता रामगढ़, सीकर जिले में।

श्री अध्यक्ष : बिजली बन्द हो गई। हो गया ध्यानाकर्षण।

श्री मदनसिंह दांता : वहां पर बिजली बन्द हो गई और मशीनें खतम हो गईं तो

(श्री मदनसिंह दांता)

काश्तकारों में झगड़ा हुआ और मारपीट हुई है। पुलिस ने केसेज बनाये हैं। थानेदार उनको गिरफ्तार कर रहा है। वृद्धिचन्द जी ने कहा कि बिजली वाले सारे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर बैठेंगे तो बैठ सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि सीरियसली सारे मामले पर सोचना चाहिये। जिसकी गलती है इसकी इन्क्वायरी होना चाहिये।

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष, कुछ टाइम के लिए मुझे भी कहने दिया जाय। बिजली पर मेरा भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। झुन्झुनूं में भूख हड़ताल....

श्री अध्यक्ष : आधा घन्टे की चर्चा पर बन्शीलाल जी बोलेंगे फिर आपको समय मिल जायेगा।

श्री नवरंगसिंह : मेरा बिजली के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : बिजली पर कहना चाहते हैं क्या? फसलें सूख रही हैं और इसका उत्पादन से सम्बन्ध है इसलिए महत्वपूर्ण है।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विद्युत मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सीकर और झुन्झुनूं के लोगों का बिजली के अभाव में सब काम ठप्प हो गया है। उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दस दिन से सीकर और झुन्झुनूं के किसानों को कतई बिजली नहीं मिली है। जिसके कारण से किसानों की खड़ी फसलें जल रही हैं। बार-बार अधिकारियों को कहने के बावजूद कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, नवलगढ़ में किसानों ने 21 तारीख से भूख हड़ताल और धरना दे रखा है। रोजाना रैलियां और प्रदर्शन होते हैं। किसानों की फसलें सूख रही हैं। इस कारण 26 तारीख को नवलगढ़ में उन्होंने एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने इन्डस्ट्री में 100 पर्सेन्ट कटौती की हो लेकिन किसान इस बात को नहीं मानने वाला है। वह यह भी नहीं जानता है कि बदरपुर स्टेशन खराब हो गया है। मैं निवेदन करूंगा कि झुन्झुनूं और सीकर जिलों, जहां पिछले वर्ष भी अकाल था, इस वर्ष भी अकाल है। सरकार ने वहां पर अकाल घोषित नहीं किया है। वहां फसल जल रही है, यह इस बात का ताजा उदाहरण है कि वह अकाल को और बढ़ा देगी। इसलिये मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां के लोगों में असन्तोष है, इस असन्तोष को प्रकट करने के लिए लोग नवलगढ़ में भूख-हड़ताल पर हैं। उस स्थिति को देखते हुए अपने अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश दें कि इन्डस्ट्री की बिजली कट करके वहां के किसानों को तत्काल बिजली दें। पिछले एक महीने से बिजली नहीं मिल रही है इस कारण सारा काम ठप्प हो गया है।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों के एरियर्स के नाम पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यदि उनसे वसूली ही करनी थी तो दो महीने पहले काटते या 31 मार्च के बाद काटते, जब किसान अपनी

(श्री नवरंग सिंह)

फसल काट लेता उस वक्त उससे वसूली की जाती। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपकी मार्फत कि मन्त्री महोदय अपने अधिकारियों को आदेश दें और सदन को आश्वस्त करें कि झुन्झुनूं जिले में तत्काल बिजली मिले इस बात का प्रयास करेंगे।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : अध्यक्ष जी, यह वास्तविकता है कि 10-12 दिन से हमारे यहां बिजली बिल्कुल बन्द है और किसानों की फसले जल रही हैं। बिजली की इस समय अति आवश्यकता है। फसल पक रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में इसका इन्तजाम तुरन्त नहीं किया गया तो भयंकर अकाल की स्थिति वहां पर पैदा हो जायेगी और काश्तकारों की आर्थिक स्थिति विषम हो जाएगी, किसान फसल जलती नहीं देख सकता। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह चाहेकुछ भी करें सही बिजली का प्रबन्ध तुरन्त करें। किसान यह नहीं जानता कि कौन सा स्टेशन बन्द हो गया है और कब चालू होगा। कम से कम 10-15 दिन तक के लिये कटौती नहीं करें। इस समय 7-8 घन्टे दिन में और 7-8 घन्टे रात में बिजली दें वरना यह मामला गम्भीर रूप लेगा। नवलगढ़ में इसके बारे में आन्दोलन हो रहा है। इसी तरह से सीकर के गांवों में भी आंदोलन फैलेगा। जिस पर काबू पाना मुश्किल होगा। मरता क्या नहीं करता वाली कहावत किसान को करने के लिए बाध्य करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं, जो कृषि का धन्धा करते हैं उनको और आपको भी अनुभव है इस बात का कि किसान की फसल जब पकने वाली होती है उस समय आखिरी स्टेज पर बिजली गुल हो जाय तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है। इस सरकार की तो बिजली ही गुल नहीं हुई है, मगर हम बराबर देख रहे हैं कि इसकी अकर्मण्यता की वजह से और सरकार में दूरन्देशी नहीं होने के कारण सीकर और झुन्झुनूं डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर यह स्थिति आ गई है। अगर वहां बिजली की व्यवस्था नहीं की गई, बिजली चालू नहीं की गई तो किसानों की देखते ही देखते साल भर की मेहनत पर पानी फिर जायेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों ने जो मेहनत की है 16-16, 17-17 घन्टे सर्दी में पानी देते रहे हैं उनके लिए मेहरबानी करके बिजली की व्यवस्था तुरन्त करें। किसानों के हितों का यह सरकार दावा करती है कि 70 पर्सेन्ट इस बजट का हम गांवों को दे रहे हैं, पर वास्तविकता तो यह है कि बिजली के उत्पादन की कैपेसिटी का 30 प्रतिशत गांवों को नहीं दिया जा रहा है न उन गांवों के नाम बताये जा रहे हैं जहां अधिक बिजली मिलती है। आज जो स्थिति जोधपुर, झुन्झुनूं और सीकर की है यही स्थिति जोधपुर डिवीजन की तरफ है। वहां भी किसान रोते रहते हैं। यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। इसके बारे में अविलम्ब कदम उठाने चाहिये नहीं तो सदन के अन्दर गांवों से आने वाले माननीय सदस्यों को एक जुट होकर कहना चाहिये कि उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं उनको बचाया जाये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ कहना चाहूंगा । इन्डस्ट्री में 50 प्रतिशत कटौती की गई, परन्तु मुझे बीकानेर से सूचना मिली है कि बीकानेर में पानी की सप्लाई बहुत कम कर दी है, क्योंकि वहां पर 400 फीट गहरे कुओं से बिजली की कमी की वजह से····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रस्ताव नहीं है । आपने दो चार बार कहा है । एक मिनट में वह पूरा नहीं हो सकता है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं केवल 5 सैकिण्ड में ही समाप्त कर देता हूं । बिजली मन्त्री जी, बीकानेर, जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान के हिस्से बिजली की लाइन के टेल एण्ड पर होने के कारण इन इलाकों की बिजली में पहले कटौती की जाती है और बड़े शहरों को बिजली अब भी पूरी दी जाती है । शहरी उद्योगों के लिये बिजली दी जाती है । टेल एण्ड पर जो हैं बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर इनकी ज्यादा मांग बिजली की है ।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, इस पर बड़ी चर्चा हुई है । यह बहुत काम्प्लीकेटेड प्राब्लम बनती जा रही है । फसलों का यह पीक सीजन है । खास तौर से सीकर व झुन्झुनूं जिलों में फसलें पकने वाली हैं । चाहे वहां कोई नया साधन खड़ा करें या जो उपलब्ध साधन हैं उनके अन्दर कहीं पर कटौती करके उनको आश्वस्त करने की कोशिश करें । अगर आर. एस. ई. बी. के जरिये यह सम्भव नहीं हो तो इन्डस्ट्रीज पर प्रतिबन्ध लगा करके सारे राजस्थान में बिजली दें ताकि यह जो भयानक स्थिति होने वाली है सीकर और झुन्झुनूं जिले में उससे बचा जा सके । मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री बहादुर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कुओं की खेती काश्तकार को बहुत महंगी पड़ती है । उसे बहुत खर्च करना पड़ता है । महकमे की गलती की वजह से काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ता है । अगर इस प्रकार से काश्तकारों का नुकसान होता है तो मुआवजा देने की सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये । या तो बिजली की सप्लाई रेगुलर रखें, अगर रेगुलर नहीं रखते हैं तो काश्तकार को होने वाले नुकसान की पूर्ति करनी चाहिये । अगर बिजली की कमी के कारण काश्तकारों को नुकसान होता है तो सरकार को चाहिये कि वह काश्तकारों को मुआवजा दे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आधा मिनट ही लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप तो न सीकर के हैं न झुन्झुनूं के हैं ।

श्री रतनलाल वर्मा : आधा मिनट ।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता ने भी बता दिया है। आप तो, मन्त्री महोदय गम्भीरता से जो उत्तर दें, वह सुन लें।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिजली की कट तो इण्डस्ट्री पर करनी चाहिये। नहीं तो आधा उत्पादन होगा।

श्री अध्यक्ष : नुकसान होगा, यह मैं भी जानता हूं और समझता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चिन्ता प्रकट की गई है, सीकर और झुन्झुनूं जिले के बारे में, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले पांच छह दिनों से लगातार ऐसी स्थिति आर. एस. ई. बी. के कारण, थर्मल पावर स्टेशन के कारण पैदा हुई। इसका कारण यह हुआ है कि 18 मार्च, 1979 से वह बन्द हो गया। फलस्वरूप 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन समाप्त हो गया। अन्य राज्यों से इस बारे में बात की थी। राज्य सरकार ने 60% कटौती इण्डस्ट्री को दी जाने वाली बिजली में की है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें अगर और भी कटौती करने की जरूरत होगी तो वह की जायेगी। मैं मानता हूं कि आज तक चौथी पिलाई है, जो हो रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : फूट गये करम। चौथी पिलाई नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं मानता हूं।

18 मार्च को जो थर्मल स्टेशन बन्द हो गया था, वह 23 मार्च को कल पुनः शुरू हो गया है। सीकर और झुन्झुनूं जिले के बारे में कहा गया है, वह मैं देखूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो सारी स्थिति है, निवेदन की है। किसानों को पूरी बिजली दी जाये इसका ध्यान मैं भी रखता हूं। पीने के पानी और कुओं को बिजली देने की प्राथमिकता मैं रखूंगा। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा। जहां-जहां कमी करनी होगी, वह देखूंगा। कुछ सूचनायें जो हमारे पास आई थीं, दूसरे अधिकारी और एक्स. ई.एन. वहां गये थे, जाने के बाद ऐसा लगा कि जो स्थिति बताई गई वह स्थिति कल नहीं रहेगी। जो आज है, वह कल नहीं रहेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के जरिये से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर जिला कांग्रेस की ओर से हजारों किसानों का एक जुलूस विधान सभा पर प्रदर्शन करने आया है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वहां कोई भी नहीं है। कुल मिला कर 30-35 आदमी होंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप लोगों का यह बहुत गलत सोचना है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह बिल्कुल गलत है। वहां बहुत थोड़े आदमी खड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कोटा से भी आये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कितने समय तक शिकायत करते रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, कुल 50 आदमी हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बात कहना शुरू करो तो यह लोग हाय-हाय करने लगते हैं। खुद का मामला होता है तो बोलते चले जाते हैं। अध्यक्ष के आर्डर को भी नहीं मानते हैं।

आपको मालूम होना चाहिये कि जो सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने अरबों रुपये के और राजस्थान सरकार ने 20 करोड़ के टैक्स लगाये हैं, उससे बाजारों के अन्दर जबर्दस्त महंगाई हो गई है। सब्जी से लेकर कोई भी ऐसी चीज नहीं रही है, जो महंगी नहीं हुई हो। अध्यक्ष जी, आपके भी आदमी सब्जी लेने गये होंगे। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको कितनी परेशानी हो गई है। लेकिन अभी श्योपत सिंह जी उनका मजाक उड़ा रहे थे। दूसरे माननीय सदस्य भी मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी बारी आयेगी तो कोई और हंसी उड़ायेगा। जन महत्व के विषय पर हंसना गलत बात है। इस प्रकार से मजाक नहीं उड़ाना चाहिये। हर आदमी आज इस महंगाई से दुखी है। गरीब जनता दुख से ग्रसित है। जितने राजस्थान सरकार के इन्सपेक्टर और सप्लाई इन्सपेक्टर हैं वे सो रहे हैं एवं व्यापारी गरीब जनता को लूट रहे हैं।

श्री गुल मोहम्मद : यह मामला कितनी बार आपने उठाया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो गरीब हरिजन हैं, गरीब राज्य कर्मचारी हैं वह सभी महंगाई से परेशानी में हैं। आप बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए नहीं गये हैं वरना आपको भी पता लगता।

श्री गुल मोहम्मद : मैं जानता हूं, बाजार में क्या भाव हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप कुछ भी नहीं जानते, अगर जानते तो इस प्रकार नहीं बोलते। जनता के सामने तो सफाई पेश करते हैं और यहां ओपन में बोलते हैं।

श्री गुल मोहम्मद : मैं तो ओपन में ही बोलता हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आज आप मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं बाजार से सब्जी लेकर आता हूं।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : आपका मजाक तो किसी ने नहीं उड़ाया है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने इस हाउस में धांधली मचा रखी है।

श्री गुल मोहम्मद : इनका मजाक, अध्यक्ष महोदय, कितना उड़ाया गया ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ··

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुझे पता है, माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां बैठ कर क्या करते थे पहले। वह कहते थे कि आपका विभाग कहां गया इतनी महंगाई हो गई है। और अब उनके दूसरा चश्मा चढ़ गया है।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री रतन लाल वर्मा : यहीं आस-पास के इकट्ठे करके ले आये हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के वरिष्ठ माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि हजारों कांग्रेसी विधान सभा के सामने आये हैं। अन्य साथियों ने प्रतिरोध किया है। मैं समझता हूं कि हजारों आदमी आये हैं, या नहीं आये हैं, इस बात की जानकारी करने के लिए इस सदन से पांच माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या सरकार का यही रवैया है ?

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्य, कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। हजारों आये हैं, सैंकड़ों आये हैं, या बीसियों आये हैं यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। पाइन्ट आफ डिसआर्डर है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : 10. आदमी हैं।

(व्यवधान)

उसमें आधे शहर के लोग हैं। यह मालूम नहीं पड़ता कि कोई प्रतिनिधि मण्डल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय रघुनाथजी विश्नोई ने जो कुछ कहा है वह सत्य है, आप पांच मेम्बरों की एक कमेटी अविलम्ब ·· ····

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके जरिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता····

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके जरिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो भी प्रदर्शनकारी आए हैं, एक नारा लेकर आए हैं—कमर तोड़ मंहगाई कम करो किसानों को चीजों के भाव ठीक रखो आदि-आदि।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : ये भी कच्ची बस्तियों का लेकर आते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरी सहानुभूति है विरोधियों के साथ मैं, जो लोग विधान सभा के सामने आए हैं वह इस माँग को लेकर आए हैं कि मंहगाई बढ़ गई है। जिन लोगों ने इसको चैलेन्ज किया है उनको मेरा निवेदन है कि यह एक गलत परम्परा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय आप खुद इसकी जांच करवा लें बाजार में कितनी लूट है, आप इसके लिए एक जाँच कमेटी बिठा दीजिए। आपको मालूम हो जायगा कि जनता की समस्या है या नहीं। हर चीज मंहगी हो गई है। आप खुद भी इस बात को महसूस करते होंगे। केन्द्रीय सरकार का बजट आने के बाद व्यापारियों ने लूट मचा रखी है। आपका सप्लाई विभाग क्या कर रहा है? व्यापारी जनता को लूट रहे हैं और सरकार के कानों तक जूं भी नहीं रेंगती।

(व्यवधान)

व्यापारी लोग अन्धाधुन्ध पैसे क्यों वसूल कर रहे हैं? यह कैसे आपने छूट दे रखी है? आप व्यापारियों से मिले हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जनता की समस्याओं का कोई ध्यान नहीं रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब, माननीय सदस्य, हो गई चर्चा। स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाजार के अन्दर भाव बढ़ाकर व्यापारी लोग अन्धाधुन्ध पैसा वसूल करते हैं, जनता की पाकिट लूट रहे हैं, उसको रोकने का आप शीघ्र इन्तजाम कीजिये। इसकी जाँच होनी चाहिए, और व्यापारियों को जेल भेजा जाना चाहिये। इतनी बात कहकर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में दिया है कि घाटे के बजट और टैक्सेशन के कारण गरीबों के ऊपर सबसे ज्यादा भार पड़ा है। मुद्रा स्फीति और मंहगाई बढ़ जाने के कारण गरीबों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मान्यवर, आज यह स्थिति है कि बाजार के अन्दर प्रत्येक चीज के भाव बढ़ गए हैं। जनता पार्टी का शासन इस बात का दावा करता है और केन्द्रीय मन्त्री महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने कहा 1 पर्सेन्ट से ज्यादा मुद्रा स्फीति और 1 पर्सेन्ट से अधिक मंहगाई नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

बढ़ेगी । किन्तु तमाम अर्थशास्त्रियों ने इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की है कि मंहगाई 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ेगी। इस बात को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के मन्त्री, श्री मोहनधारिया ने भी माना है कि मंहगाई 15 प्रतिशत तक जा सकती है । मान्यवर, मंहगाई अभी से ही 15 प्रतिशत बढ़ गई है । आने वाला पूरा साल अभी बाकी है, 1 अप्रेल से अभी साल प्रारम्भ भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही जयपुर के अन्दर हर चीज के भाव बढ़ गये हैं । मान्यवर, आपको तो कभी बाजार में जाने का मौका नहीं मिला । भगवान आपको भेजे भी नहीं । मान्यवर, गरीबों को ऊपर सबसे ज्यादा भार मंहगाई का पड़ा है । केरोसिन जो सबसे ज्यादा काम आता है, 85 प्रतिशत लोगों के काम में खाना पकाने और रोशनी के काम में आता है, जो एक प्राइमरी चीज है गरीब के जीवन में उसके ऊपर टैक्स लगा कर गरीब की कमर ही तोड़ दी है । मान्यवर, बीड़ी जो गरीब की चिन्तामुक्ति का एक साधन है, वह सिनेमा नहीं जा सकता, गरीब आदमी अपना दूसरा कोई और मनोरंजन नहीं कर सकता, अपनी व्यवस्था को मिटाने के लिए, अपनी चिन्ताओं से मुक्ति पाने के लिए माचिस से बीड़ी सुलगाकर पीता है । माचिस और बीड़ी की कीमत बढ़ा दी । मान्यवर, इस प्रकार का हेवी-टैक्सेशन पहली बार देश में हुआ है इसके कारण जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है । जयपुर के अन्दर और पूरे राजस्थान में इसका असर हो रहा है । राजस्थान सरकार ने इस वर्ष जो बजट प्रपोजल्स टैक्सेशन के दिये हैं उससे भी बहुत कीमतें बढ़ गई हैं और गरीबों पर इसका असर पड़ा है । मान्यवर, आज जयपुर के अन्दर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जो विशाल प्रदर्शन विधान सभा भवन के सामने हो रहा है, वह मंहगाई से जो गरीबों पर असर पड़ा है उसका प्रतिबिम्ब है । 25 हजार लोग हाथ से काम करने वाले हैं और छपाई और चूंदड़ी का काम करते हैं, रंगाई और छपाई का.....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उनके ऊपर दस पर्सेन्ट भार बढ़ गया है । कुल मिला कर 25 हजार लोगों पर इसका सीधा असर पड़ा है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी बिराजे हुए हैं, सन् 1970 में बजट के जनरल डिस्कशन में उन्होंने जयपुर की कच्ची बस्तियों के बारे में कहा था । मैं इस बजट के टैक्सेशन को देख कर स्तम्भित रह गया लेकिन जयपुर की जिन कच्ची बस्तियों के बारे में कहा था कि बीस साल से देख रहा हूं उनके लिये सरकार के बजट प्रस्तावों में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है । मान्यवर, इस साल का बजट माननीय वित्त मन्त्रीजी ने प्रस्तावित किया है इस बजट में जिन कच्ची बस्तियों के बारे में मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था उनके सम्बन्ध में, मैं देखता हूं, कोई व्यवस्था उनके सुधार के लिए या उनको राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में नहीं की गई है । आज गरीबों को वहां से उजाड़ा जा रहा है, बरकत बस्ती को उजाड़ दिया गया, और दूसरी बस्तियों को उजाड़ दिया, जगह-जगह डिमोलिशन हो रहा है । ऐसी स्थिति में जन-असन्तोष फैला है, बेकारी और मंहगाई के कारण और आगे बढ़ने वाले टैक्सेशन

(श्री रामनारायण चौधरी)

के कारण जयपुर में जनता के अन्दर एक आक्रोश पैदा हुआ है, इसकी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज विधान सभा के सामने प्रदर्शन किया है। जो अतिरिक्त टैक्स लगाये हैं उनको वापिस लिया जाय और टैक्सेशन का नियोजन इस प्रकार से किया जाय कि गरीब और मजदूर तथा कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सके। जो लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हैं, मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वे जाकर उनसे मिलें। वे लोग जो मेमोरण्डम देना चाहते हैं उसको लें और उनका आश्वासन दें कि उनके शासन काल में गरीबों पर जो ज्यादतियां प्रारम्भ हो गई हैं उनको रोकेंगे, और जिन कर प्रस्तावों से जो गरीबों की कमर टूट गई है उनको वापस लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, फरवरी के प्रथम सप्ताह में राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में बढ़ोतरी नोटीफिकेशन के जरिये की गई, उसके बाद में बिक्री कर में बढ़ोतरी अध्यादेश के जरिये, की गई उसके बाद में रेलवे बजट में माल भाड़े की दर में वृद्धि की गई, उसके बाद 28 फरवरी को भारत सरकार का बजट आया और उस बजट द्वारा 650 करोड़ के भारी कर लगाये गये, उसके बाद राजस्थान के वित्त मन्त्री का बजट आया और उन्होंने 31 करोड़ के कर एक साल में ही जनता पर लगाए। इससे कुल मिलाकर जो स्पायरल है वह भारी पड़ा है, आम उपभोक्ताओं की चीजों के भावों में वृद्धि हुई है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। 28 तारीख को राज्य सरकार का बजट आया था और एक मार्च को जब मैं विधान सभा में आ रहा था तो विधान सभा के पास बड़ी चौपड़ के पास में पुलिस का एक बहुत बड़ा गिरोह एक-एक दूकान से 5-5 रुपये की रिश्वत ले रहा था। उस जगह पर जहाँ मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार को खतम कर दूंगा। मैंने खुद स्वयं देखा था कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि जैसी-जैसी हैसियत दुकानदारों की थी किसी से दो रुपये, किसी से तीन रुपये, किसी से 5 रुपए लिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज प्रदर्शन बाहर हो रहा है जिला कांग्रेस (आई) के तत्वावधान में, वह सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। एक ओर राज्य सरकार व भारत सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि जो कर उन्होंने जनता पर लगाए हैं उनसे मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी, उसका बोझ गरीब व मध्यम वर्ग पर नहीं होगा। लेकिन आज चाहे माचिस लें, केरोसिन लें, शक्कर, तेल, डालडा, साबुन लें सब मंहगे हो गए। अब एक अप्रेल से चीजें और मंहगी होंगी, रेलवे के माल भाड़े की दर में वृद्धि होगी। इतना यात्री कर बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर इसका मध्यम वर्ग व गरीब वर्ग पर असर पड़ेगा। उनकी क्रय शक्ति पहले से ही कमजोर है, उन पर और यह आघात होगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए प्रदर्शन के जरिए हम राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि आप एक साल के अन्दर इतने कर बढ़ा रहे हैं। जब कि पिछले 5 साल में तत्कालीन सरकार ने केवल 28 करोड़ के कर लगाए थे। राजस्थान में जनता सरकार ने एक साल में 31 करोड़ के कर लगाकर गरीबों की कमर तोड़ी है। व्यापारी करों का भार उपभोक्ता पर शिफ्ट करते हैं। शहरों पर तो करों का बोझ बढ़ा ही है लेकिन ग्रामीण जनता भी इससे बची हुई नहीं रह सकेगी। इसलिए बहुत बड़ा प्रदर्शन बाहर हो रहा है। जो ज्ञापन आपको देना चाहते हैं, आप उस ज्ञापन को स्वीकार करें। राजस्थान की जनता पर एक वर्ष में ही लंबी छलांग लगाकर जो टैक्स लगाये हैं उन करों को विथड्रा करें और जनता को राहत दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं सबसे पहले तो कांग्रेस दल के नेताओं के प्रति आभार प्रकट करूंगा कि वे महंगाई के प्रश्न को लेकर ही सही इस विधान सभा के सामने पहली बार प्रदर्शन करने के लिए आए हैं........

(व्यवधान)

पहले चुप करके सुनिए तो सही, उतावले क्यों हो रहे हैं ?

श्री सूरजपाल सिंह : आप उत्तेजित करते हैं, बात ही ऐसे करते हैं। आप पहले वाली आदत छोड़ दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही जयपुर की जनता के प्रति अपना आभार प्रकट किए बिना नहीं रह सकता कि आपके प्रयत्न के बावजूद भी हजारों की संख्या में ही नहीं 500 आदमी भी एकत्रित नहीं कर पाए। रामनारायणजी चौधरी इस तरह से बोल रहे थे कि कच्ची बस्तियों वाले लाखों आदमी परेशान हैं, बीड़ी पीने वाले लाखों आदमी परेशान हैं, बंधेज की साड़ियां पहनने वाली 25 हजार महिलायें परेशान हो गई........

श्री रामनारायण चौधरी : तबाह हो गईं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तबाह हो गई। मैं समझता हूं कि इन सारे कष्टों के बावजूद भी वे लोग आपके साथ नहीं आए....

श्री रामनारायण चौधरी: मैं मुख्य मंत्री को आमंत्रित करता हूं कि आप चलिए, गिनती कर लीजिए, हजारों की संख्या में आए हैं, नहीं तो वापस आकर सदन में बता दें।

श्री गुल मोहम्मद : 50 आदमी भी नहीं हैं। मैं बाहर होकर आया हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि ज्यादा संख्या में लोग नहीं आए हालांकि आपने अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयत्न किया है। आपकी गलती नहीं है। खैर, मैं संख्या के प्रश्न को ज्यादा महत्व नहीं देता। महत्व इस बात को देता हूं कि विरोधी दल के माननीय नेता ने सारे

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

करों की एक कड़ी बताते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि बजट में जो कर लगे हैं उनसे मंहगाई बढ़ी है। राम नारायणजी कहने लगे कि घारियाजो ने 15 पर्सेन्ट मंहगाई बढ़ने की ग्राशंका व्यक्त की है। राज्य सरकार ने 31 करोड़.........

श्री रामनारायण चौधरी : 42 करोड़।

श्री भैरोंसिह शेखावत : विरोधी दल के नेता ने 31 करोड़ कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : कुल मिलाकर इसका ग्रसर 42 करोड़ का होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या ग्रापको बोलने का मौका नहीं मिला? ग्राप खूब बोले। 10 दिन के बाद ग्राप 53 करोड़ कहोगे, एक महीने के बाद 67 करोड़, उसका तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। ग्रापको टैक्सेशन का ढांचा जिस तरह से बता देते हैं, आप बढ़ा देते हैं।

विरोधी दल के नेता ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने पहले कर लगाए, रेलवे बजट में लगाए, राज्य सरकार ने 31 करोड़ के लगाए जब कि भूतपूर्व सरकार ने पिछले 5-6 वर्ष में केवल 28 करोड़ के कर लगाए। राज्य सरकार ने जो कर लगाए उनसे भाव बढ़े। अगर वे थोड़ा संकेत करते कि इन करों के कारण ग्रमुक वस्तु के भाव बढ़ गए तो विचार करने का प्रश्न उपस्थित होता.........

श्री रघुनाथ विश्नोई : गिना दूं?

श्री भैरोंसिह शेखावत : बाद में।

हमने कर लगाया, जमीन पर लगान बढ़ाया। लगान बढ़ाने से कौन सी चीजों के भाव बढ़ गए, सिंचाई की दर बढ़ाने के कारण किस चीज के भाव बढ़ गए, समझ में नहीं ग्राता। ग्राज समस्या यह है कि किसानों की इस साल की जो, गेहूं की पैदावार है, उस गेहूं की पैदावार के भाव किसी प्रकार से गिरे नहीं। सवाल भाव बढ़ाने का नहीं है, भाव गिरे नहीं। सरकार ने सिंचाई शुल्क बढ़ाया तो चीजों के भाव बढ़ गए, यह समझ में नहीं ग्राता। मैं इतना ग्रर्थशास्त्री नहीं हूं जितने परसरामजी हैं, मुझे जो थोड़ा ज्ञान है उसके आधार पर कह सकता हूं कि सिंचाई शुल्क बढ़ने से बीड़ी के भाव या भू-राजस्व बढ़ने के कारण बाकी चीजों के भाव बढ़ गए, या राक फासफेट की कीमत बढ़ा दी तो बाजार में सारी चीजों के भाव बढ़ गए यह समझ में नहीं ग्राता। ग्रब केन्द्रीय सरकार ने बजट में जो कर लगाए उसके कारण से भाव बढ़ा रहे हैं, यह माननीय सदस्यों का कहना है। यह तो हमने भी माना है कि उससे एक प्रतिशत की मंहगाई बढ़ गई है।

खास तौर से, विरोधी दल के नेता से कहना चाहता हूं उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया कि लोगों की क्रय शक्ति कमजोर हो रही है। मैं समझता हूं पिछले $1\frac{1}{2}$ साल में लोगों की क्रय शक्ति कमजोर नहीं हुई। मैं ग्रांकड़ों के आधार पर नहीं कह सकता लेकिन जिस प्रकार एम्प्लायमेंट हमने दिया है, एम्प्लायमेंट क्रिएट किया है गांवों में जो काम के बदले ग्रनाज योजना के काम हुए, उनसे लोगों की क्रय शक्ति निश्चित

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रूप से बढ़ी है। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं, आप चाहे विरोध करें लेकिन सही बात यह है कि क्रय शक्ति घटी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय बजट में जो टैक्स लगे उसके कारण 1 पर्सेन्ट भाव बढ़े हैं। मैं यह नहीं कहता कि 1 पर्सेन्ट ही बढ़े हैं, थोड़े और भी बढ़ सकते हैं लेकिन जो कामन कन्जम्पशन और गरीबों के कन्जम्पशन की चीजें हैं उनके ऊपर कुछ टैक्स केन्द्रीय सरकार ने वापस लिए हैं। इस समय किन किन टैक्स को लागू रखेंगे और किन किन टैक्स को लागू नहीं रखेंगे, इस प्रश्न पर भी लोक सभा, जहां आपके भी सदस्य हैं और हमारे भी सदस्य हैं, में विचार कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जो भी आपने भावनायें व्यक्त की हैं उनके आधार पर जो हमारे करने की बात होगी वह करने का निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा यह करेंगे कि कोई ब्लैक मार्केटियर्स या अन स्पेशल एलीमेन्ट इसका लाभ नहीं उठायें। जनता के सामने परेशानी के रूप में न रखें, इसकी रोकथाम करेंगे।

रामनारायणजी ने कहा कि कांग्रेस के डेलीगेशन से मैं मिलूं। मैं उसका स्वागत करूंगा, वह आ जाये तो मैं बातचीत करूंगा। मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री सूरजपालसिंह : एक पर्सेन्ट तो बजट से पहले ही बढ़ा दिया। भाव तो बढ़ ही बढ़ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मन्त्री जी, सेल्स टैक्स की जो जनरल रेट 7 पर्सेन्ट थी उसको आपने 8 पर्सेन्ट किया। उसके भाव क्या दिल्ली के टैक्स से बढ़ेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप 8 से 7 पर्सेन्ट पर ले गए उसमें तो आपत्ति नहीं है और हमने 7 से 8 पर्सेन्ट कर दिया तो उस पर आपत्ति है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने 7 से 8 किया है। आप तो 12 कर दीजिए। एक पर्सेन्ट का जो बोझ पड़ता है वह नीचे वाले 4 पर्सेंट का नहीं होता। वह टर्नओवर पर टैक्स लाता है। वह जाकर नीचे 5 पर्सेन्ट के बराबर होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपको गिनाता हूं कि किन चीजों पर भाव कितने बढ़े हैं। डालडा पर प्रति किलो 1 रुपया, माचिस के प्रति पैकट पर 20 पैसा, नहाने के साबुन पर 10 पैसा प्रति बट्टी, कपड़े धोने के साबुन पर 50 पैसा प्रति किलो और विभिन्न प्रकार की दालों पर 50 पैसा प्रति किलो, चावल के भाव बढ़ गए, पैट्रोल प्रति लीटर पर 60 पैसा, केरोसिन में 10 पैसा प्रति लीटर और गैस सिलेन्डर पर 2 रुपया 55 पैसा बढ़ गए।

श्री गुलमोहम्मद : यह तो केन्द्रीय सरकार के बजट से बढ़े हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपने चुनरी पर 5 पर्सेन्ट टैक्स लगाया और जयपुर में करीब 50 हजार लोग अपने हाथ

(श्री रामनारायण चौधरी)

से इसका काम करते हैं। इसका उनके ऊपर असर पड़ा है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, चौकड़ी तोपखाना हजूरी जयपुर के अन्दर 5 दिन से पानी बिल्कुल बन्द है। वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस चौकड़ी में पिछले तीन दिन से एक बूंद भी पानी की नहीं पहुंची है। वहां ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। उस चौकड़ी के अन्दर ही नहीं बल्कि चौकड़ी घाटगेट के अन्दर भी इसी प्रकार की अव्यवस्था होती रहती है...

श्री वृद्धिचन्द जैन : कौन सा स्थगन प्रस्ताव है ?

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर इन चौकड़ियों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह क्या है ? पाइन्ट आफ आर्डर है या क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को दो मिनट के लिए बोल लेने दीजिए। इनका इस विषय में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन हरिजन गटर में मर गए उस पर बोलने के लिए मुझे दो मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्ष : पहले तो स्थगन प्रस्ताव लेने दीजिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : 23 फरवरी को रतनलाल नाम का हरिजन गटर में मर गया....

श्री अध्यक्ष : कहां ?

श्री ईश्वरचन्द्र : जयपुर के अन्दर सीकर हाउस के पास। मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव 8 दिन से दे रखा है।

श्री किशनसिंह भाटी : इस पर तो गोपाल पचेरवाल को बोलने दीजिए।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने आपके विभाग को कई बार इस बारे में पत्र लिखे हैं...

श्री अध्यक्ष : केवल दो मिनट माननीय सदस्य।

श्री गुल मोहम्मद : जी हां। दो मिनट ही बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन चौकड़ियों की ऐसी अव्यवस्था है कि कई बार तो दस दस और पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक जयपुर जैसे सिटी के अन्दर पानी की सप्लाई बन्द हो जाती है। यह बहुत ही अचम्भे की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन चौकड़ियों में जो पानी की लाइनें डाली गयी हैं वह बीस पच्चीस साल पुरानी हैं। इसके कारण लाइनें जंग खा गयी हैं और जंग खा जाने की वजह से कमजोर हो गयी हैं। पहले जयपुर शहर की जनसंख्या कम थी उसके

(श्री गुल मोहम्मद)

हिसाब से जो पानी का प्रेशर पहले देते थे वह कम देते थे लेकिन आजकल जनसंख्या ज्यादा हो गयी है और पानी की डिमाण्ड ज्यादा हो गयी है उसकी वजह से विभाग ने उन लाइनों में प्रेशर बढ़ा गया है। जैसे ही लाइन में प्रेशर बढ़ाते हैं तो लाइनें बर्स्ट हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि यह लाइन आज बर्स्ट हुई और फिर दो तीन दिन बाद ठीक होती है और एक दिन के बाद ही फिर बर्स्ट हो जाती है। जयपुर सिटी की यह हालत है, यहां निरन्तर लाइनें बर्स्ट होती जा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैंने कई बार निवेदन किया, कई बार पत्र लिखे राज्य सरकार को कि जयपुर सिटी के अन्दर जो पानी की लाइनें कमजोर हो गयी हैं वह बदली जायें लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज चौकड़ी तोपखाना हजूरी में 5 दिन से पानी की एक बूंद नहीं पहुंची है। यही हालत चौकड़ी घाटगेट की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप इस पर गौर करें, यह गम्भीर मसला है। पिंकसिटी जयपुर, जो कि राज्य की राजधानी है और जहां हम मौजूद हैं, उसकी वह हालत है तो गांवों की क्या हालत होगी? वहां तो महीने-महीने पानी नहीं पहुंचता होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकाले। साथ ही चौकड़ी तोपखाना में पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय. 25 तारीख के दिन मुख्य मन्त्री महोदय और हमारे उद्योग मन्त्री. श्री सूर्यनारायण जी चौधरी ...

श्री गुलमोहम्मद : मन्त्री महोदय जवाब देना चाहते हैं। उन्हें जवाब देने दीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : This is not pointed issue. He wants reply only.

श्री गुल मोहम्मद : आप चाहते हैं जयपुर के लोगों को पानी नहीं मिले? कह दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंहगाई की वकालत करते हैं। पीने के लिए पानी नहीं है लोगों को।

श्री हरिसिंह (जन-स्वास्थ्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री गुल मोहम्मद जी ने जो बात कही है कि तोपखाना हजूरी में पानी दस पन्द्रह दिनों से नहीं दिया और एक बूंद पानी भी नहीं आई है. यह तो बात सही नहीं है। पानी की किल्लत जरूर वहां थी। अभी हाल ही में कुछ नयी लाइनें डाली हैं और जो कमी है उसको दूर करेंगे। माननीय सदस्य मुझसे मिलें और बतायें कि कहां कहां समस्या है हम उसको हल कर देंगे।

श्री गुल मोहम्मद : पांच दिन से प्रेशर बहुत कम है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय से मिल लीजिए। अब सदन का समय नष्ट मत कीजिए। अभी आधे घटे की चर्चा बाकी है और फिर बजट की बहुत महत्वपूर्ण मांग है।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीयअ ध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कि दिनांक 8–2–79 को सीकर हाउस में गटर के टैंक में चिरंजीलाल, और भंवरलाल हरिजन की मृत्यु हो गयी। 23 फरवरी को रतनलाल हरिजन बनीपार्क में प्लाट नम्बर 49 में गैस चढ़ने से मर गया। इस मामले में न तो, नगरपालिका मन्त्री जी ने न हमारे गृह मन्त्री जी ने ध्यान दिया है। उनकी जो सेवा है....

श्री अध्यक्ष : सरकार को भेजा है। कार्बन-डाइ-आक्साइड होने से दम घुट गया, मर गये।

श्री ईश्वरचन्द्र : जी हां। गटर में।

श्री रामनारायण चौधरी : तीन आदमी मर गये। मामला बड़ा महत्वपूर्ण हैं, क्वेश्चन इम्पार्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : इम्पार्टेन्ट है।

श्री ईश्वर चन्द्र : आप हरिजनों के साथ लापरवाही नहीं कर सकते....

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपका समर्थन कर रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : जिन लोगों के बंगले थे जिन लोगों ने उनको गटर में उतारा, उन लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज होने चाहिये। चाहे सरकार दे, चाहे बंगले वाले दें, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिये। श्री गोपाल पचेरवाल जी ने भी सूचना दी है। इस बारे में वक्तव्य दिलायें।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैला सिर पर ढोने की सदियों से परम्परा चली आ रही है। कांग्रेस सरकार और वर्तमान सरकार के टाइम में भी मैला सिर पर ढोने की प्रथा चल रही है। उस प्रथा के अन्तर्गत यह कार्य चल रहे हैं। नगरपालिका के पास गटर साफ करने वाली मशीन होती है, गटर उससे साफ करवाये जाने चाहिए। जो बड़े बड़े मकान बना कर रहते हैं, वे म्यूनिसिपैलिटी से सफाई कराने के बजाय जो बेरोजगार हैं, लोगों को बुला कर, कुछ पैसा देकर सफाई करवाते हैं। जो बेरोजगार थे उनको बुला कर गटर में उतार दिया। उनकी मृत्यु हो गई। क्या कार्यवाही की गई है, कोई जानकारी नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, गृह मन्त्री जी या स्वायत्त शासन मन्त्री वक्तव्य दें, मरने वालों को मुआवजा दिया जाये ताकि उनकी बीबी बच्चों का जीवन निर्वाह हो सके।

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा।

(व्यवधान)

आधे घंटे की चर्चा में आपका नाम नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : दो मिनट बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 तारीख के रोज हमारे मुख्य मन्त्री जी और उद्योग मन्त्री सूर्यनारायण चौधरी बम्बई जा रहे हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन को एड्रेस करेंगे। मैं समझता हूं कि जो मारवाड़ी के अर्थ ऐड किये हैं उसमें बेईमान, गुण्डा, बदमाश, लुच्चा ये शब्द लिखें हैं। ये शब्द उन्होंने जोड़े हैं। वे इसके लिए आन्दोलन कर रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी को उन्होंने लैटर लिखा है। महाराष्ट्र के अन्दर हम लोग, जो राजस्थानी हैं, जो लाखों की तादाद में हर प्रांत में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, शब्द कोष के अन्दर चीट, श्वेत रोग, धोखेबाज, बेईमान सब कहा है। राजस्थानियों के लिये यह शर्म की बात है। उनको जलील करने की बात है। मेरे ख्याल में आप अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन में जा रहे हैं या ठगों के सम्मेलन में जा रहे हैं या बदमाशों के सम्मेलन में जा रहे हैं....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उन्होंने पत्र लिखा है कि इसका निराकरण किया जाय। गुजरात के मन्त्री पोपट लाल शाह ने कहा, आश्वासन दिया है, ऐसे शब्द हटाये जायेंगे। मध्य प्रदेश के लोगों ने मुख्य मन्त्री सकलेचा साहब को पत्र लिखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे मुख्य मन्त्री जी, उद्योग मंत्री जी वहां पर जा रहे हैं, राजस्थानी जो वहां रहते हैं, उन मारवाड़ियों के लिये जो शब्द प्रयोग किये हैं, महाराष्ट्र गवनमेंट पर अपने तरीके से राज्य स्तर पर अपना प्रभाव डालें कि इस प्रकार के शब्द एड नहीं करें। रोग और चीट .

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बात समझ में आ गई, जवाब सुन लीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मारवाड़ी पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। चुनाव में उनसे पैसा आप लेते हैं, आप कुछ नहीं करेंगे, यह हमें मालूम है।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह केवल सेठों के लिए है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, चाहे वे सीकर डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे गंगानगर जिले से हों, चाहे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हों, भारत के अन्य प्रान्तों में वे मारवाड़ी सम्बोधित किये जाते हैं। लेकिन ज्योग्राफी और भूगोल की दृष्टि से मारवाड़ पुरानी जोधपुर रियासत को समझा जाता था जहां का मैं भी निवासी हूं और मेरी दाहिनी तरफ बैठे कांग्रेस (ओ) के नेता भी वहां से आ रहे हैं। मारवाड़ पुराना मरुभूमि प्रान्त है। मरुभूमि के निवासी मारवाड़ी हैं। मारवाड़ी क्या हैं? इतिहास में पढ़ा होगा, दुर्गादास का इतिहास है, वह भी मारवाड़ी हैं। जयनाराय व्यास का इतिहास है। कील्ड ने साफ लिखा था कि जोधपुर के सी० एम० के बारे में कि

(श्री परसराम मदेरणा)

मैंने नाना प्रकार से कोशिश की थी उस आदमी को रिश्वत देने की। वह बड़ा ईमानदार है। फटे हुए कपड़े पहने बम्बई के मैरिन ड्राईव पर घूम रहा है। इतने ऊंचे दर्जे का है। जैसलमेर के पूर्णसिंह की छतरी हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बोर्डर पर बनी हुई है। जिस वक्त भी देश पर आपत्ति आई है मारवाड़ी लोगों ने देश की रक्षा के लिए काम किया है। मारवाड़ियों के लिये इस प्रकार के शब्द प्रयोग करना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। राज्य सरकार के उद्योग मन्त्री, जो विराजमान हैं, उस मारवाड़ी सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता उनका वहां जाने का क्या उद्देश्य है। कुछ मारवाड़ी ऐसे हैं जो व्यापारी हैं। व्यापारियों और मरु प्रदेश के मारवाड़ियों से संबंध मत जोड़िये। मारवाड़ के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले लोगों को मारवाड़ी कहते हैं। हमारे मारवाड़ के लोगों की संख्या 45 लाख है। शब्द कोष के अन्दर मारवाड़ी के लिये जो शब्द दिये गये हैं बदमाश, गुण्डा इस तरह के यह उन लोगों के ऊपर लागू होते हैं। आज राजस्थान के मारवाड़ी नाना प्रकार के अत्याचार सह रहे हैं जिसका उल्लेख जस्टिस मुल्ला ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले में किया है। मन्त्री जी, इसलिये मैं यह ...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपके शासन काल में तो और ज्यादा हालत ख़राब हो गई थी।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय को इस तरह इसे नहीं लेना चाहिए। असेम्बली युनानिमस रिजोल्यूशन पास करा कर ये शब्द निकलवाने चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, इस गम्भीर मामले से मारवाड़ के निवासियों को ठेस लगी है। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य सच्ची बात कह रहे थे। सरकार ईमानदारी से अपने गुड आफिस को यूज करें। इसको उल्टी तरह से मत लीजिये। इसको पूरी गम्भीरता से लीजिए। गम्भीरता से लेकर वहां की सरकार से बात कीजिए और वहां के मुख्य मन्त्री जी को कहिए कि वे अपने कोष में से ऐसे शब्दों को निकलवाये।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे भी निवेदन करना है और इसलिए निवेदन करना है कि मैं भी मारवाड़ी हूं, विरोधी दल के नेता ने मेरी तरफ इशारा करके कहा है। हम तो जोधपुर में मरु प्रदेश के रहने वाले हैं। वहां सब मारवाड़ी कहलाते हैं। लेकिन मुझे दुःख है राजस्थान के अन्दर और बाहर जो राजस्थानी और मारवाड़ी बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको मारवाड़ी कहते है। मगर गुजरात की डिक्शनरी के अन्दर क्रोनोलोजिकल आटो नोमटिकल डिक्सनरी के पृष्ठ संख्या 920 पर मारवाड़ी का अर्थ धोखेबाज, नीच और बदमाश दिया है....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एडिशन कब का है।

श्री मथुरा दास माथुर : एडिशन एक ही है।

श्री रघुनन्दन व्यास : वास्तव में अपमानजनक है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता यहां मौजूद हैं। जैसा बताया गया है, वे बम्बई में मारवाड़ समाज का उद्घाटन करने जा रहे हैं और साथ में उद्योग मन्त्री जो भी जा रहे हैं, यह अखबारों में छपा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सवाल हमारी प्रेस्टिज का है, इज्जत का सवाल है। गुजरात की डिक्शनरी में मारवाड़ी का अर्थ लफंगा और धूर्त बताया गया है। मेरे दो-तीन सुझाव है। आप वहां जाने के पहले गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्रियों से बात करें। उस डिक्शनरी में मारवाड़ी की जो परिभाषा बताई गई है उनसे उसे पहले ठीक कराने का आश्वासन ले और ठीक कराये। इस प्रश्न को पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है। इस ओर, और उस ओर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी इसके सम्बन्ध में कहा है। मैं चाहूंगा आपकी बम्बई की यात्रा सफल हो। क्या सफलता मिले यह आपके देखने की बात है। मगर मारवाड़ी शब्द की परिभाषा गुजरात और महाराष्ट्र की डिक्शनरी में जो बताई गई हैं उनको ठीक कराने का आश्वासन लें। साथ ही इस सदन की मंशा भी लेकर जाय, सभी माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं तो आप उससे सशक्त होंगे। जैसा जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस सम्बन्ध में सदन में प्रस्ताव रखना चाहिए और उसको पारित किया जाना चाहिए। यह मारवाड़ में रहने वाले लोगों का नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में रहने वाले तीन करोड़ लोगों की इज्जत का सवाल है। मेरे पास कई पत्र राजस्थानियों के और प्रवासी राजस्थानियों के आये हैं। उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। मुख्य मन्त्री जी मारवाड़ी सम्मेलन में एड्रेस करने जा रहे हैं तो यह जिस स्टेट के मुख्य मन्त्री से सम्बन्धित है उनसे बात करके इस प्रश्न को निपटाने का प्रयास करें।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐतिहासिक फैक्ट रखना चाहता हूं जिसे अभी तक कोई जानता ही नहीं होगा। चाइना और इण्डिया जब की लड़ाई हो रही थी तब किसी कर्नल ने कह दिया था ब्लड़ी मारवाड़ी हार्सेज तो वहां सबसे बड़े जनरल ने आकर उसको निकाल दिया था। जो दूसरे घोड़े होते थे वे एडी की टक्कर से जाकर अटेक करते थे और जब कि मारवाड़ी हार्सेज अटेक केवल चिटकारी के इशारे ही करते थे और फतह दिला दिया करते थे। तो ब्लडी शब्द वे किसी मारवाड़ी घोड़े के लिए भी सुनना पसन्द नहीं करते थे। आज उनकी डिक्शनरी में उन्होंने इन्सान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। मेरा निवेदन है वहां जाकर दोनों मन्त्री ऐसा आन्दोलन उठाये कि उन्हें माफी मांगनी पड़े। यदि जरूरत पड़े तो दोनों जने सत्याग्रह पर बैठ जायं।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ी का महाराष्ट्र की और गुजरात की डिक्शनरी में लफंगा, दरिद्र, लुच्चा, धूर्त, पापी, हरामखोर आदि-आदि हैं। ये सभी शब्द अपमानजक हैं। ये शब्द हमारे मारवाड़ी समाज के 40 लाख लोगों के लिए अपमानजनक है। इन शब्दों को

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

कोई भी पसन्द नहीं कर सकता है। सीकर, झुंझुनूं के भी रहने वाले कलकत्ता में मारवाड़ी ही कहलाते हैं। इसलिए जब आप वहां पधार ही रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मन्त्री जी मारवाड़ी हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : तो मुख्य मंत्री जी, आप महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी से मिलकर इन शब्दों को डिक्शनरी से निकलवाने की भरसक कोशिश कीजिए। गुजरात के मुख्य मंत्री जी से भी इस विषय में बात कर लें। इस तरह यदि हम संकीर्ण भावना से चले तो देश के अन्दर बहुत ही गलत संघर्ष के बीज बोयेंगे। इसलिए इस चीज के बारे में विशाल दृष्टिकोण अपना कर उन्हें निवेदन करें कि वे भी विशाल दृष्टिकोण अपना कर मारवाड़ी शब्द का सही अर्थ डिक्शनरी में रखने की कोशिश करें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, गुजरात विद्यापीठ द्वारा जो गुजरात शब्द कोष निकला था उसमें ये शब्द नहीं हैं। उन्होंने ये शब्द एड किया है। The words were added later on.

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब मैं चुनाव के सिलसिले में मिला था तब अनुरोध किया था कि मारवाड़ी शब्द का अर्थ राजस्थान के सन्दर्भ में राजस्थानी से है। अकेले, मान्यवर, गुजरात और महाराष्ट्र का ही प्रश्न नहीं है। अभी जब हम चिकमगलूर गये थे। तो वहां भी मारवाड़ी शब्द से सम्बोधित कर रहे थे मैं कर्नाटक में ठहरा था तो खेतड़ी का लड़का था वह भी मारवाड़ी शब्द से ही सम्बन्धित कर रहा था। इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, मद्रास का मामला है। वहां भी मारवाड़ी शब्द से ही सम्बोधन करते हैं। बंगलोर में भी यही स्थिति है। मान्यवर, सारे राजस्थान के किसी भी हिस्से का रहने वाला व्यक्ति हो, उसको, मारवाड़ी शब्द से ही सम्बोधित किया जाता है। अकेले सीकर झुंझुनूं का ही सवाल नहीं है, राजस्थान के सभी लोग बाहर मारवाड़ी कहलाते हैं। राजस्थान से बाहर जो भी राजस्थानी हैं उनको मारवाड़ी के नाम से ही सम्बोधित करते हैं।

आज गुजरात और महाराष्ट्र की डिक्शनरी में ये शब्द हैं, कल बंगाल की डिक्शनरी में आयेंगे, फिर कर्नाटक की डिक्शनरी में आयेंगे और सारे साउथ इण्डिया की डिक्शनरीज में आयेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, मुख्य मन्त्री जी आप वहां जा रहे हैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी, आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप स्वयं सीकर के रहने वाले हैं। आप भी मारवाड़ी हैं। आपका ससुराल पीपाड़ में है। वह भी मारवाड़ में है। इसलिए शायद यह शब्द मुझे इतना नहीं चुभा होगा जितना मुख्य मन्त्री जी को चुभा होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय किशनसिंह जी ने जो कहा है कि इस तरह का प्रस्ताव सदन द्वारा पारित हो, मैं भी उसका समर्थन करता हूं क्योंकि यह छोटा मामला नहीं है। प्रस्ताव पारित होने पर राजस्थान सरकार उनसे बात करेगी तो

(श्री रामनारायण चौधरी)

उसमें वजन भी होगा। आशा है, आप इस तरफ ध्यान देकर कार्यवाही करेंगे।

मुझे बम्बई से भी मेरे मित्र ने एक पत्र लिखा है। उन्होंने भी इसका जिक्र किया है. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी को कि वे, इसके ऊपर पूरी ताकत लगायें, महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री और मुख्य मन्त्री से बात करें और बात करके मारवाड़ियों को जो अपमानजनक शब्द से सम्बोधित किया गया है उसको डिक्शनरी से निकलवाये।

श्री माणकलाल ठाकोर : हमारी ओर से मानहानि का केष चलाया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ी शब्द पर जो सदन में चर्चा हुई है, उस चर्चा में मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। इस शब्द कोष, जिसका पहला संस्करण 1929 में प्रकाशित हुआ और दूसरा संस्करण 67 में प्रकाशित हुआ, के दोनों संस्करणों में मारवाड़ी शब्द का अर्थ जो दिया गया था उसको किसी प्रकार से संशोधित करना उचित नहीं मानता हूं। मारवाड़ी समाज ने देश के औद्योगिकरण में जो सेवा की है और जिस तरह का कार्य किया है उसको हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता। इस आधार पर माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उसके आधार पर मैं गुजरात के मुख्य मन्त्री और महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री, इन दोनों से बातचित करूंगा। अखबारें के जरिये से ऐसा मालूम होता है कि गांधीजी के द्वारा प्रेरित शब्दकोष में मारवाड़ी शब्द का अर्थ बदलने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। लेकिन समाचार पत्र में जिस तरह का समाचार प्रकाशित हुआ है, उसकें सम्बन्ध में अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनके द्वारा मारवाड़ी शब्द के अर्थ में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, उसके सम्बन्ध में सदन की भावनाओं के आधार पर दोनों मुख्य मन्त्रियों से बात करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो प्रधान मन्त्री जी से भी बात करूंगा ताकि वे इस शब्द का अर्थ सही प्रसंग में, सही रूप में इस शब्दकोष में शामिल करायें। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : अगर नहीं माने तो अपने यहां के शब्दकोप में, राजस्थानी का जो शब्दकोष है उसमें गुजराती और महाराष्ट्रियन्स को भी इसी प्रकार से शामिल कर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब के क्रोध को मैं समझता हूं। राजस्थान में सभी को मारवाड़ी नहीं कहते हैं। यह दूसरी बात है लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हम सभी मारवाड़ी हो जाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : शेखावाटी वालों ने बदनाम कराया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाहर जाकर सभी मारवाड़ी कहलाते हैं। राजस्थान में जब यह मारवाड़ी शब्द सामने आता है तो मेरे सामने माथुर साहब आ जाते हैं। मैं कोई बुराई की बात नहीं कह रहा हूं....

Page No. 78

(78)

श्री मथुरादास माथुर : सही बात भी सामने आती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो किसी भी आधार पर हो, मैं समझता हूं कि मैं भी जब बाहर जाता हूं तो मुझे भी मारवाड़ी कहते हैं। यह अगर बुराई है आलोचना है तो सब की है, पूरे राजस्थान की है। आज तो राजस्थान के लोगों का ही नहीं बल्कि हरियाणा के लोगों को भी मारवाड़ी कहते हैं, बंगाल में भी मारवाड़ी कहते हैं, यू० पी० के लोगों को भी मारवाड़ी कहते हैं। दिल्ली के लोगों को भी मारवाड़ी कहते हैं, मारवाड़ी शब्द का जिस प्रकार से व्यापक प्रसार हुआ है उसके साथ ही साथ जो बुराई आ गई है उसके सम्बन्ध में सभी को चिन्ता है। इस सम्बन्ध में जो भी आपत्ति की है उसको मैं मानता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आधा घण्टे की चर्चा श्री वंशीलाल सारस्वत।

व्यवस्था का प्रश्न

आधे घण्टे की चर्चा की सूचना

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, हाफ एन आवर डिस्कशन के बारे में। आधा घण्टे की चर्चा होने के लिए नोटिस होना जरूरी है। उस नोटिस को कम से कम एक दिन पहले....

कई माननीय सदस्य : नोटिस आ गया है।

श्री मूलचन्द डागा : अभी आया है। आप माने या न मानें लेकिन आपका नोटिस अभी आया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय डागा जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका नियमों का जो ज्ञान है, हम सारे उससे प्रभावित हैं और ...

श्री मूलचन्द डागा : मेरा ज्ञान कुछ भी हो लेकिन नोटिस जरूरी है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सुनिए मेरी बात।

मैं इनके ज्ञान से प्रभावित हूं। हम आपके बहुत अहसानमन्द हैं कि नये होने के बावजूद भी आपके ज्ञान से काफी लाभ मिलता है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आधा मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्रीमान्, सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति नोटिस दे सकता है। I can participate in the discussion.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप बोल लेना बाद में। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा....

श्री मूलचन्द डागा : मुझे नोटिस नहीं मिला है।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह बात तो सही है कि नोटिस मिलना जरूरी था।

श्री मथुरादास माथुर : ये तो बिना नोटिस ही बोल सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे यह सुनकर कि ये नियमों के ज्ञान का प्रभाव आपके ऊपर कम से कम डाल चुके हैं, प्रसन्नता हुई।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बिल्कुल प्रभाव है। मैं यह कह रहा हूं डागा साहब से कि जितनी मेहनत वे यहां पर करते हैं, अगर इतनी मेहनत हाई कोर्ट में करते तो काफी फायदा होता।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : ये डागा जी और सूर्यनारायण जी सिद्ध-साधक तो नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य डागा जी ने जो आपत्ति की है टेक्निकली तो करेक्ट है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। किन्तु मैंने इनको सूचित भी कर दिया था और इनको बोलने की भी इजाजत दे दी थी। अगर सदन की इच्छा हो तो यह आधा घण्टे की चर्चा चलाई जाय।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं साहब....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह आपका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : अगर आसन कोई नियमों के खिलाफ एक्सेस करता है तो वह अशोभनीय है।

श्री रामनारायण चौधरी : No, Sir. This is not.

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से ही माननीय सदस्य को इजाजत दे सकता हूं....

श्री वृद्धिचन्द जैन : अनुमति है साहब।

श्री रतनलाल वर्मा : डागा जी बिल्कुल करेक्ट हैं, साहब।

आधे घण्टे की चर्चा

राज्य में पृथक खनिज निगम की स्थापना

(तारांकित प्रश्न सं० 149)

श्री बंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, आपने सदन की अनुमति से मुझे मौजूदा स्थिति में इजाजत दे दी है। मानवीय रूप से कृषि और पशुपालन राजस्थान के लोगों के जीविकोपार्जन तथा रोजगार का एक मात्र साधन नहीं रह सकता। राजस्थान में जो खनिज सम्पदा का विपुल भण्डार है।

श्री मूलचन्द डागा : ये ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। पहले मन्त्री महोदय वक्तव्य दे दें उसके बाद जो कुछ कहना हो कहें।

श्री किशनसिंह भाटी : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं, ग्राधा घण्टे की चर्चा है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : डागा साहब, अपने दिमाग को यहां रखा कीजिए।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह सर्टिफिकेट तो गया कि इनको नियमों का ज्ञान है ग्रौर ये पढ़ते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राधा घण्टे की चर्चा नियम 131 के ग्रन्तर्गत है। ग्राप इण्ट्रोडक्ट्री रेफरेंस इसी पर दें।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : राजस्थान के ग्रन्दर....

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : संक्षेप में ही कह रहा हूं।

राजस्थान में चाहे संगमरमर हो, चाहे राक फास्फेट हो, चाहे ताम्बा जिंक हो ग्रौर चाहे चूने का पत्थर हो, इनके विपुल भण्डार हैं। उस विपुल भण्डार का यदि उपयोग किया जाय, उस विपुल भण्डार के उपयोग का यदि प्रबन्ध किया जाय, साथ ही खनिज पर ग्राधारित यदि शीघ्रातिशीघ्र जितने ग्रधिक से ग्रधिक हो सके सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रौर प्राइवेट क्षेत्र में उद्यम लगाये जावें तो राजस्थान के बजट को मैं यह समझता हूं कि जो घाटे की स्थिति है जिसके लिए बहुत चिन्ता व्यक्त की जाती है, उस चिन्ता को बहुत काफी दूर किया जा सकता है। तत्काल तो मैं यही निवेदन करता हूं कि यदि स्वतंत्र रूप से इसी वर्ष यदि खनिज निगम स्थापित कर दें, खनिज निगम की स्थापना कर दी जावे तो यह घाटे की जो स्थिति है उसकी निगम से पूर्ति की जा सकती है ग्रौर पांच वर्षों में 32 करोड़ की राजस्थान की ग्रामदनी हो सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राज की मौजूदा स्थिति में राजस्थान में राजस्थान ग्रौद्योगिक तथा खनिज निगम में उद्योग एवं खनिज दोनों शामिल हैं। दोनों में निगम काम रहा है। यह कहा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति में निगम है इसलिए स्वतन्त्र रूप से खनिज निगम कायम करने की क्या ग्रावश्यकता है। मैं यह समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने जो उत्तर दिया है, ग्रौर जो स्थिति है, उसमें स्वीकार किया है कि स्वतन्त्र रूप से खनिज निगम की ग्रावश्यकता है। मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल खनिज निगम स्थापित किया जावे। इसी वर्ष से खनिज निगम स्थापित करने की ग्रावश्यकता है। वह इसी वर्ष स्थापित किया जाना चाहिए। राजस्थान के ग्रन्दर जो खनिज भण्डार है उसमें जहां तक ताम्बे का प्रश्न है, जहां तक जिंक का प्रश्न है, जहां तक खड्डी–जिप्सम का प्रश्न है, यद्यपि सरकार ने उस पर ग्राधारित उद्योग स्थापित किया है इसलिए मौजूदा स्थिति में यह निवेदन है कि जो विपुल भण्डार है, जो विपुल खनिज भण्डार है, राजस्थान में जो विपुल भण्डार मिल रहा है ग्रौर जो राक फास्फेट है उसके लिए एक निगम ग्रार. एस. एम. एम. बना हुआ है मगर बाकी जो बचा हुग्रा खनिज है, उसका सही रूप से सदुपयोग किया जाये ग्रौर इनके लिए एक खनिज निगम की स्थापना की जये

(श्री वन्शीलाल सारस्वत)

तो राजस्थान की जो मौजूदा वित्तीय स्थिति है उसके स्वरूप में सुधार होगा। आदर्श रूप में निगम स्थापित कर राजस्थान के स्वरूप को सुधारा जा सकता है, निखारा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज की मौजूदा स्थिति में औद्योगिक निगम है। मैं आपके माध्यम से उद्योग मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि मौजूदा स्थिति में जो चार घोड़े हैं, उनमें से दो घोड़े तो अधिक चुस्त हैं और दो घोड़े सुस्त हैं। वे तेज तर्रार नहीं है। इनमें दो बीमार हैं, रोग ग्रस्त हैं। इन दो घोड़ों को खींचना इस निगम के लिए मुश्किल हो गया है। चाहे अरावली की योजना हो, चाहे हवामहल की टी. वी. की योजना हो और चाहे प्रोजैक्ट औद्योगिक निगम ने हाथ में लिए हैं, उनकी भ्रूण हत्या हो गई है, कुछ उद्योग, प्रोजैक्ट की शैशव काल में मृत्यु हो गई है। कई शिशु अवस्था में दफना दिये गये हैं। जो कुछ प्रोजेक्ट बचे हुए हैं, उनके लिए राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है,–यौवन अवस्था में मरना अच्छा है, ताकि उनको याद किया जाता रहे। औद्योगिक निगम का भी यही ख्याल है, यह भी युवावस्था में समाप्त हो जायेगा तो अच्छा रहेगा। यह स्थिति हो रही है। मौजूदा स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंकड़ा पेश किया गया है, उसके अनुसार इस निगम को 80–85 लाख का घाटा था। जो खनिजों से अलग से आया है, जो खनिजों से लाभ है, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। सन् 1970-71 से लेकर 1975-76 तक के आंकड़े पेश किये गये हैं। इसमें कुल 81 लाख का लाभ हुआ है। मगर जहां तक उद्योगों की हालत है, उद्योगों के अन्दर तो निरन्तर घाटा ही घाटा हुआ है। इसमें मेनोपुलेट करके, बेलेन्स शीट को चतुराई से बना कर यह लाभ दिखाया गया है। सही स्थिति की जांच की जाए तो स्थिति यह है कि उद्योग के क्षेत्र में घाटा है। इस वक्त जो उद्योग कायम है, उनकी दयनीय स्थिति है और राजस्थान औद्योगिक निगम की बड़ी दर्दनाक स्थिति है। इसके साथ खनिज निगम को रखना हितकर नहीं होगा।

(2.35 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रीयकरण के प्रति जो भावना है, हमारे जो सार्वजनिक संस्थान हैं, सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स है, उनके कार्य कलाप को देखते हुए लोगों की आस्था उनके प्रति उठ जायेगी। लोग अब यह सोचने लगे कि ये ऐसे अड्डे हैं जिनमें कोई लाभ नहीं होता है, निरन्तर उनमें घाटे की स्थिति है। इसलिए इनको तत्काल अलग कर दिया जाए, यह राज्य के लिए हितकर होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के आधार पर भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल खनिज निगम को अलग से कायम कर दिया जाय। चाहे वह नागौर का जिप्सम का प्रोजेक्ट हो, सोजत और गोटन में चूने का उद्योग हो, अन्य क्षेत्रों में लाइम का सवाल हो चाहे मकराना का संगमरमर हो, ग्रेनाइट हो, कई प्रोजेक्ट हाथ में लिए जा सकते हैं। खेतड़ी के पास जो क्षेत्र हैं, वहां पर ताम्बा है। यहां पर भी प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। खनिज निगम यदि स्थापित किया जाए और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट यदि राजस्थान

(श्री बन्शीलाल सारस्वत)

को दिये जाये तो मौजूदा स्थिति में इनमें साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी प्रति वर्ष हो सकती है, लाभ हो सकता है। इसके लिए अलग से जो धन लगाना पड़ेगा, वह मौजूदा स्थिति में केवल साढ़े तीन करोड़ रुपये का होगा। याने साढ़े तीन करोड़ रुपया आपको लगाना पड़ेगा, उसमें कुछ शेयर केपिटल के रूप में मिलेगा, कुछ सेन्ट्रल से सब्सिडी मिलेगी और उसके बाद कुछ राज्य सरकार को लगाना पड़ेगा। यह आंकड़े हमारे सामने हैं। इस प्रकार मौजूदा स्थिति में साढ़े ग्यारह करोड़ का सालाना लाभ हो सकता है। सात करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी रायल्टी के रूप में होगी। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार को तत्काल ही खनिज निगम अलग बना देना चाहिए।

इसके पूर्व कि यह खनिज निगम बनाया जाए, मैं दो निवेदन और करना चाहता हूं। आज की स्थिति में जो निगम हैं, उनमें ब्यूरोक्रेटस् का अम्बार लगा हुआ है, अफसरों का अम्बार लगा हुआ है। इसी तरह का अम्बा यदि खनिज निगम में लगा दिया गया तो यह खनिज निगम भी सक्सेजफुल नहीं होगा। यह भी इस रोग से पीड़ित होगा। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, लकड़वाला ने राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए हैं आज से एक, दो महीने पूर्व :

"The Planning Commission has asked the State Governments to consider the establishment of expert to management selection boards to induct professional management in the State public sector corporations.

"According to the Commission, induction of generalists at the chief executive level in State public sector corporations not only deprive the corporations of the experienced industrial management skills which are needed at the top, but also acts as a disincentive to non-service officers in the Corporations who see no chance for themselves to become the chief executives."

इस निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टेक्नोक्रेटस् को इसके मेनेजमेंट में रखा जाए और जो निगम सेन्ट्रल में स्थापित है, वहां ब्यूरोक्रेटस् लिए जाएं। साथ ही प्रतिवर्ष और तीन महीने के बाद क्या प्रगति हुई है, कितना पैसा लगा है, इन तमाम के आंकड़े इकट्ठे किये गये, सही मूल्यांकन किया गया तो यह सक्सेजफुल हो सकता है और हमारे राजस्थान के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इस प्रकार यहां की भू सम्पदा को दोहन किया जा सकता है।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। निगम के काम में आने वाला जो खनिज है, वह राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में है। इसके अलावा राजस्थान के उदयपुर डिवीजन, सिरोही के इस भाग, उस क्षेत्र, जो अरावली के पास है, में भंडार है। किन्तु अधिकतर निगम जयपुर में स्थित है। जयपुर में निगम

(श्री वन्शीलाल सारस्वत)

रहने के कारण आफिसरों को सुविधा उपलब्ध होने के अलावा और कोई आकर्षण नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि यह निगम राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित किए जाए। संगमरमर, टंगस्टन आदि के विपुल भंडार नागौर में हैं। इसलिए यह निगम नागौर में स्थापित किया जाए। तो नागौर सर्वोपरि उपयुक्त स्थान होगा इसलिए इसका मुख्यालय नागौर में रखा जाए। यदि वहां न रखा जा सके तो जोधपुर, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में है, में विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुए रखा जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक निवेदन और करना चाहता हूं। शायद 22 तारीख को सार्वजनिक क्षेत्र के संचालकों की जो मीटिंग हुई उसको सम्बोधित करते हुए माननीय प्रधानमन्त्री श्री देसाई, गृहमन्त्री श्री चरणसिंह ने इनको लताड़ा, जो स्थित बताई है, वह ध्यान में रखने की है। जो अपार, विपुल भू सम्पदा है, उसका सार्वजनिक रूप से राजस्थान जैसे क्षेत्र में उपयोग पूरा नहीं किया जाय, यह असह्य है। जिस प्रकार व्यापारी देखता है कि एक रुपये की लागत से पांच रुपये की उत्पत्ति कैसे की जाय वैसे ही मन्त्री महोदय यह ध्यान रखें कि जो लेखा जोखा रखने वाले हैं, जो वास्तविक रूप से काम करने वाले संचालक हैं वे ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। मेरा निवेदन है कि इस तरह एक आदर्श रूप से आज जो राजस्थान का वित्तीय संकट है और वित्तीय स्थिति है, उसका मुकाबला किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आध घण्टे की जो चर्चा नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई और जो उन्होंने बहुत अमूल्य सुझाव दिये उसकी इकानोमी वर्क करने का काम सरकार का है। केन्द्रीय खनिज मन्त्री इस बात का जवाब दे सकते हैं। वे भी टेक्नोक्रेट नहीं लेकिन उन्होने पूरी स्कीम को राजस्थान के लिए वरदान बताया, इकानोमी को उन्होने वर्क आउट किया, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चैयरमैन की राय से तथ्यों की पुष्टि करते हुए, प्रधान मंत्री जी ने जनरल मैनेजर को जो घुड़की पिलाई है, उसको ध्यान में रखते हुए यह माननीय मन्त्री महोदय के सोचने का मामला है। उन्होंने कहा है कि इससे 22, साढ़े 22 करोड़ की आमदनी होगी। इससे 17 करोड़ का घाटा आपका पूरा हो जायेगा। 5 करोड़ का बजट सरप्लस बन जायेगा। ऐसे अमूल्य सुझाव को वित्त मन्त्री जी को एग्जामिन करना चाहिये। सरकार को जल्दी निर्णय लेना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है वित्त मन्त्री जी से।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इस आधे घण्टे की चर्चा में खनिज निगम की बात कही है। आज राजस्थान इंडस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन में घाटा ही घाटा है। सिरोही जिले की बात कह दूं। 200 वर्ष तक चले इतना खनिज आप निकाल सकते हैं। उससे राजस्थान को निश्चित रूप से 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ का वार्षिक मुनाफा हो सकता है। प्रश्न यह उठता है कि राज्य सरकार बैठ कर एक कमेटी बनाये। उसके बारे में अपने दिमाग

(श्री रघुनन्दन व्यास)

को साफ करके बिना इधर-उधर समय लगाये तुरन्त कमेटी बनाने की कोशिश करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर ऐसा हो तो राजस्थान में खनिज विकास के जो लाभ हैं वे हमें मिला करेंगे।

श्री नवलराय बच्चाणी : मैं बोलना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये। आपका नाम नहीं है। माननीय डागाजी, मैं आपको भी अवसर दे दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : अगर आप नियमों की पालना करना चाहें, उपाध्यक्ष महोदय, तो रूल 48 देख लीजिये। उसमें प्रोविजन यह है कि मन्त्री महोदय छोटा सा स्टेटमेंट दे दें, जवाब दे दें। जवाब देने के बाद जिन्होंने नोटिस दिया है वे क्वेश्चन कर लें। इस प्रकार हर एक बोलने लग जायेंगे। Any body can speak.

श्री नवलराय बच्चाणी : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग और खनिज दोनों के विकास के लिए निगम बना हुआ है। उसमें दो तरह के विभाग जिनका आपस में तालमेल नहीं बैठता है और आपस में खींचातानी के कारण विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है इसलिए खनिज निगम अलग से बनाना चाहिए। तभी पूरा विकास हो सकता है। जितना पृथ्वी पर पदार्थ देखने में आते हैं उनसे भी ज्यादा पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से बेरोजगार युवा इंजीनियर, मजदूर सभी को काम मिल सकता है, जिसके कारण बेरोजगारी दूर हो सकती है और औद्योगिक सम्पदा मिलने के कारण राजस्थान बड़ा धनी बन सकता है इसलिए अलग से निगम बनाकर स्वतन्त्र रूप से काम दीजिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में स्वतन्त्र खनिज निगम के बारे में यह चर्चा है। गत वर्ष राज्य सरकार ने राजस्थान में एक स्वतन्त्र खनिज विकास निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में दो संस्थान हैं जो कि राजस्थान के खनिज क्षेत्र में कार्यरत हैं एक है राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लि० और दूसरा है राजस्थान मिनरल एण्ड इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन। आर. एस. एम. एम. का जहां तक प्रश्न है वह वर्तमान में दो खनिजों के आधार पर अपना कार्य कर रही है—एक रॉक फास्फेट और दूसरा जिप्सम लेकिन इसमें भी मुख्यतः इसका कार्य क्षेत्र रॉक फास्फेट का है। जिप्सम का कार्य क्षेत्र तो एक ऐतिहासिक आवश्यकता के कारण है, क्योंकि आर. एस. एम. एम. बीकानेर जिप्सम की श्रृंखला में आगे बढ़ा है इसलिए जिप्सम इसके साथ है। फास्फेट का उदयपुर में पता लगा तो यह काम इतना बढ़ा कि आर. एस. एम. एम. को इतना आगे बढ़ने में जितना समय लगा, वह इसी में समाता रहा। दूसरा संस्थान आर. एम. आई. डी. सी. है। नागौर से आने वाले माननीय विधायक ने, सिरोही से आने वाले माननीय विधायक ने, और विरोधी दल के नेता ने अपने जैसे विचार व्यक्त किये उनसे स्पष्टतः यह बात सामने

(श्री कैलाश मेघवाल)

आती है कि राजस्थान में आर. आई. एम. डी सी. खनिज विकास में पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है यह हमारा भी विचार है। इसी को आधार बनाकर गत वर्ष इस बात का निर्णय लिया गया था। आर. आई. एम. डी. सी. और वर्तमान आर. एस. एम. एम. कुल मिलाकर जो 12 खनिजों के बारे में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में दो खनिजों के विपुल भण्डार हैं। अब यह सत्य है कि इन खनिजों के भण्डार को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, लेकिन इसका दोहन वैज्ञानिक आधार पर हो, इसका विकास सही ढंग से हो, इसका अधिक से अधिक लाभ समाज को, राज्य को मिले यह मुद्दे हैं जिनके आधार पर हमें आगे बढ़ना है। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी निवेदन कर चुका हूं और फिर निवेदन करना चाहता हूं जनता सरकार बनने के बाद सारे राजस्थान का वैज्ञानिक आधार पर खनिजों में रिकनैसंस सर्वे, जो 1978 से चालू हो चुका है अगले 10 वर्षों में 1983 तक पूरा हो जायेगा। यह कम से कम समय है पर जो फुट वर्क की प्रक्रिया है वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर वैज्ञानिक को पैदल चलना होगा। हम इस क्षेत्र में सारे राजस्थान को आधार बना कर चल रहे हैं। इसमें जो उपलब्धियां होंगी उनके आधार पर वहां मिली जानकारी को वैज्ञानिक आधार पर दिशा दी जाकर दोहन हो, यह पूंजी पैदा करने और विकास की दृष्टि से आवश्यक है। इस कार्य को पूरा करने के लिए राजस्थान में स्वतन्त्र खनिज विकास निगम की स्थापना की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं, हमने इसके लिए एक पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करके एक करोड़ की योजना बनाई थी लेकिन वह योजना वर्तमान में केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार नहीं की है। 30 लाख इस बार योजना आयोग से स्वीकृत हुए हैं उसके आधार पर खनिज निगम को मूर्त रूप देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं सूचित करना चाहता हूं आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन का प्रारूप बनाया जा रहा है। जैसी कि चिन्ता व्यक्त की गई है आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन का प्रारूप तैयार होकर राजस्थान के खनिज विकास निगम में राजस्थान के खनिज का सर्वे करने में आगे बढ़ें।

विरोधी दल के नेता और नागौर से आने वाले माननीय विधायक ने जो नान टैक्स रेवेन्यू इससे बढ़ने का एक संकेत किया है तो यह सूचना मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत देना चाहता हूं कि अगर राजस्थान के खनिज भण्डारों का ठीक ढंग से, हमारी क्षमता जितनी है उसके आधार पर विकास करेंगे तो राजस्थान की नान-टैक्स रेवेन्यू निश्चित रूप से बढ़ने की उम्मीद है और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी।

इसलिए जो मुद्दे इस आधा घण्टे की चर्चा में उठाये गये हैं निगम में नियुक्ति किस की होगी, किस की नहीं होगी, कैसा ढांचा होगा, अधिकारी कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, जो आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन बन रहा है उसमें जो चर्चा हुई है उससे हम लाभान्वित होकर इस दिशा में निश्चित रूप से सतर्क रह कर आगे बढ़ेंगे, यह मैं विश्वास,

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय उपाध्यक्ष, सदन को दिला सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्दजी डागा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन करने का अधिकार है तो मैं क्वेश्चन ही आपके सामने पेश कर रहा हूं।

पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो सरकार है वह सरकार आज निगम बनाने में विश्वास करने लग गई है। अच्छी बात है, खुशी की बात है। पर्यटन निगम में श्रीमती गायत्री देवी को बैठाया है। अच्छा किया है। जो जो बड़े-बड़े आपकी पार्टी के लोग हैं उनको लगाने के लिए आप और निगम बना दें। मैं इस बात को चैलेन्ज करता हूं। मुझे आप यह बतायेंगे कृपा करके कि आपका जो आर. आई. एम. डी. सी. का निगम कार्य कर रहा है उसमें क्या क्या कमियां थीं ? एक बात। उन कमियों का निराकरण करने के लिए क्या आप यह उचित समझते हैं कि राजस्थान खनिज विकास निगम बनाना पड़ेगा ? आर. एस. एम. एम. जो आपके उदयपुर में चल रहा है....

श्री कैलाश मेघवाल : वह आपने देखा है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने सब देखा है।

उसमें आपने क्या-क्या कमियां पाईं ? उसमें आप क्या चाहते हैं, क्या संशोधन करना चाहते हैं ? यह दूसरा प्रश्न है।

तीसरा मैं आपके सामने यह निवेदन कर रहा हूं कि आपके पास जो सरकारी विभाग है, उद्योग विभाग का एक बड़ा अमला है। आपके राजस्थान फाइनेन्स कार्पोरेशन का बड़ा अमला है। एक वित्त निगम कायम कर रहे हैं वह अलग कर रहे हैं। बड़ा महकमा खोल रहे हैं। आर. आई. एम. डी. सी. का इतना बड़ा आफिस नया बन गया है। जितने भी उसमें सरकारी कर्मचारी हैं इन सरकारी कर्मचारियों का क्या स्थान रहेगा उसमें ? आपका निगम बनने के बाद वह क्या आपके डाइरेक्शन को मानेगा ? या आगे जो कार्पोरेशन बनेगा उसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा ? मैं आप से पूछना चाहता हूं। आप जो बात कर रहे हैं वह मेरे दिमाग में है। हमारा उद्योग विभाग एक निगम दाब कर बैठा है, आर. आई. एम. डी सी.। वह इनके हाथ में नहीं है। खनिज मन्त्री जी, वह निगम आपके नीचे नहीं है। मुझे सही तो मालूम नहीं है लेकिन क्या जो आधा घन्टे की माननीय सदस्य ने चर्चा उठाई है वह आपकी और उनकी मिली भगत तो नहीं है ? उद्योग विभाग जो चल रहा है वह सूर्य नारायण जी चौधरी के पास है और उनके पास ही आर० आई० एम० डी० सी० है। वह और खनिजों को ले रहा है। उसको देखकर आप यह सोचते होंगे कि मेरे पास निगम नहीं है। मैं किस के जरिये शिकार खेल सकता हूं। जितने भी निगम हैं उनसे मन्त्री लोग डाइरेक्शन देकर पाप करवाते हैं। मोरार जी भाई और वित्त मन्त्री जी ने भाषण यही दिया है कि जितने भी स्टेट अन्डरटेकिंग्स हैं उनमें जो पाप किये जाते हैं वह ऊपर बैठे हुए लोग करा रहे हैं। इसलिए आपका यह इरादा क्यों हुआ और

(श्री मूलचन्द डागा)

किन आधारों पर हुआ है? यह मेरा प्रश्न है। इसका उत्तर दीजिए। इसमें कितनी पूंजी लगेगी और कहां से वह पूंजी आयेगी?

(व्यवधान)

आप नहीं बोल सकते हैं। You have no right to speak.

श्री रघुनन्दन व्यास : He has every right because he has sponsored the debate.

श्री रतनलाल वर्मा : यह आधे घण्टे की चर्चा है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष, पाली से आने वाले माननीय विधायक ने कुछ मुद्दे उठाये हैं। पहला मुद्दा उनका यह है कि कल या परसों ही एक प्रश्न के जवाब में निगमों में कौन-कौन, प्रमुख किस-किस तरह के हैं यह बताया गया था। आपकी शिकायत यह है कि अपनी पार्टी के लोगों को एडजस्ट करने के लिए यह कर रहे हैं और इस पक्ष के लोगों की शिकायत यह है कि राजकीय अधिकारी ज्यादा बैठे हुए हैं। मैं माननीय डागा साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह का मापदण्ड और जो चीज दिमाग में इन निगमों पर प्रमुख व्यक्ति बैठाने का रहता है वह आपसे भी छिपा नहीं रहा है। शासन दल में आप 30 साल तक रहे हैं। कुछ कुछ उसी दिशा में एक अच्छे सक्षम कार्य का जानने वाला, उस कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति जो है उसको ही ऐसे निगम के अध्यक्ष पद पे बैठाया जाय यह भावना रही है। थोड़ा बहुत 19-20 विवेक का अन्तर आ सकता है। कोई टिपिकल बैलेन्स उसका नहीं रहता है, चिन्तन का कोई मुद्दा नहीं रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, खनिज विकास निगम की स्थापना करने का निर्णय लेने में मूल मुद्दा यह है कि राजस्थान के खनिजों का दोहन सही ढंग से हो। माननीय उपाध्यक्ष, क्षमा चाहते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं उस पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों को कि राजस्थान के खनिज विभाग का राजस्थान को एक इकाई मानकर सर्वे कराने का कोई चिन्तन नहीं हुआ है। उन्होंने अलग-अलग क्षेत्र का अलग-अलग सर्वे कराया है। राजस्थान को एक इकाई मानकर सारे राजस्थान का सर्वेक्षण कराया जाय, यह विचार नहीं हुआ है। यह विचार करके पहली बार उस दिशा की ओर चलने का विचार किया गया है। आर. आई. एम. डी. सी. की कार्य प्रणाली के बारे में, उसकी कमियों के बारे में ज्यादातर माननीय उद्योग मन्त्रीजी बता सकेंगे....

श्री मूलचन्द डागा : आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन बना हुआ है उसका, उसकी सारी चीजें बनी हुई हैं। वह आर. आई. एम. डी. सी. किस पर्पज के लिए बना हुआ है? वह खनिजों का पूरा विकास करने के लिए बना हुआ है और आप कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है तो क्या उत्तर दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष, यह कहना चाहते हैं मन्त्रालय की

(श्री कैलाश मेघवाल)

दृष्टि से तो माननीय उद्योग मन्त्रीजी आर. आई. एम. डी. सी. को देख रहे हैं। मैंने भी यह महसूस किया है और माननीय उद्योग मन्त्री जी ने भी यह महसूस किया है कि यह जो निगम है उसके द्वारा खनिज के विकास, खनिज के दोहन और खनिज के क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है इसलिए खनिज विकास निगम की स्वतन्त्र स्थापना करना चाहते हैं। मैं पाली से आने वाले माननीय विधायक को यह सूचित कर दूं कि यह निर्णय गत वर्ष ही किया जा चुका है।

श्री मूलचंद डागा : आर० आई० एम० डी० सी० से फिर यह काम हटा देंगे ?

श्री रघुनन्दन व्यास : मिनरल एण्ड इन्डस्ट्रीज का काम आर०आई०एम०डी०सी० से हटा देंगे ?

श्री मूलचंद डागा : आर. आई. एम. डी. सी. के नीचे आज कई खानों का काम होता है। और खनिज विकास निगम बनाते हैं तो उसके कारण से आर. आई. एम. डी. सी. से यह एक्टीविटीज हटा देंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष, पाली से आने वाले माननीय विधायक ने जिस बिन्दु की ओर संकेत किया है तो आर. आई. एम. डी. सी. आज दो दृष्टियों से कार्य कर रहा है। कुछ खानों का खनन कार्य कर रहा है और जो मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज हैं उनकी माइन्स उसको दी गई हैं। यह दोनों तरह की खानें हैं वह आर. आई. एम. डी. सी. के पास हैं। आपके द्वारा मैं माननीय विधायक से निवेदन करना चाहता हूं कि खनिज का विकास और खनिज के दोहन का कार्य करने का विशाल क्षेत्र पड़ा हुआ है। वह सारा कार्य आर. आई. एम. डी. सी. के पास रहते हुए यह खनिज विकास निगम राजस्थान में कार्य करने में सक्षम होगा।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और वह उसको टाल गये।

श्री कैलाश मेघवाल : जिसकी चिन्तन करने की आदत है वही समझता है।

श्री मूलचंद डागा : श्रीमन्, आर०आई० एम०डी०सी०....

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी, मन्त्री महोदय, यह कहना चाहते हैं कि खनिज विकास निगम अगर कस्टीट्यूट कर देंगे तो आर० आई० एम० डी० सी० की क्या एक्टीविटीज रहेगी, और उसकी क्या स्थिति होगी ?

श्री मूलचन्द डागा : यह तो आपने कह दिया।

श्री कैलाश मेघवाल : दूसरा प्रश्न पूछा है आर०एस०एम०एम० के बारे में।

मैं माननीय विधायक महोदय से पूछना चाहता हूं कि आर. एस. एम. एम. के कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उनकी हर बात को समझने की क्षमता है, यह मेरे पर स्पष्ट छाप है। मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप किस तरह के सुझाव देना चाहते हैं ? राजस्थान के एक नागरिक होने

(श्री कैलाश मेघवाल)

के नाते और विधायक होने के नाते वह क्या सुझाव देते हैं, आज भी आप क्या सुझाव देते हैं। आप सुझाव दें। जो सुझाव आप देंगे कि आर. एस. एम. एम. का कैसे विकास किया जा सके, उन पर विचार करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, आप विराजें। उन्होंने आपकी तारीफ भी की है।

श्री मूलचन्द डागा : तारीफ से क्या होता है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। अनुदान की मांगें।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 37-कृषि व मांग संख्या 39-पशु पालन एवं चिकित्सा

माननीय कृषि मन्त्री जी।

श्री कल्याणसिंह कालवी (कृषि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,76,36,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39-पशु पालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदम को 7,37,69,000 रु०, तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 37-पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए,

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

श्री माधोसिंह कच्छवाह (सरदारपुरा)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)

1. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) राजस्थान के किसानों को कृषि सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

2. राजस्थान के कृषकों को विद्युत उपकरणों खाद आदि में दी जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन पोल बाजार, जयपुर)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कशासन)

3. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) विभाग द्वारा कृषकों को समय पर कृषि सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिए।

4. श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं) विभाग द्वारा उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन के प्रति उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिए।

5. कृषि पर खर्च होने वाले धन के दुरुपयोग को रोकने पर चर्चा के लिए।

6. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) जालौर जिले के कृषि क्षेत्र में की जाने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिए।

7. भीनमाल में रसायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु पूल गोदाम स्थापित करने बाबत चर्चा के लिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

8. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) डेगाना में कृषि मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)

श्री नूरा (मसूदा)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं)

9. श्री रामदेवसिंह चौधरी (मूण्डवा) सफेद लट एवं कातरा को जड़ मूल से समाप्त करने के अभियान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

10. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में जिला कृषि कार्यालय न खोले जाने के कारण ग्रामीण जनता में तीव्र असंतोष पर चर्चा के लिए।

11. श्री शिवनारायण (थानागाजी) कीट नाशक दवाइयों के वितरण की अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिए।

12. श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) कृषि के सम्बन्ध में सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये बाबत चर्चा के लिए।

श्री राम करणसिंह (कोटपूतली)

13. श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) कृषि के काम आने वाले कुए, ऐनिकट, गोदाम आदि के लिए सीमेंट व कोटे से चद्दर-एंगल सरिये आदि सस्ते दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

(श्री रामकरणसिंह)

14. कृषि प्रसार योजना को सफल बनाने हेतु केवल देहाती क्षेत्र के व्यक्तियों को इस कार्य के लिए लगाये जाने की चर्चा के लिए।

15. किसानों को किसी भी प्रकार की दवा व उसके छिड़कने के साधन जुटाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

16. श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : विभाग द्वारा समय पर खाद तथा बीज उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिए।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली)

17. श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा कृषि योजना में रुचि से काम नहीं करने पर चर्चा के लिए।

18. श्री अजीतसिंह (टोंक) : टोंक जिले के कृषि उत्पादन को टोंक कृषि मण्डी में लाने के लिए विभाग द्वारा विकासकारी योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

19. ऊसर जमीन (खारी) को सुधार कर कृषि योग्य बनाने की विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री हरचंदसिंह (पीलीबंगा)

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी)

20. श्री आलम अली खां (फतहपुर) फसलों पर बीमा योजना लागू कराने हेतु चर्चा के लिए।

21. श्री गुरूशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) खाद की वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में तथा गंगानगर जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलने पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

22. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) फसल बीमा योजना की क्रियान्विति में ढील एवं कीट नाशक दवाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक)

23. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) कलस्टर योजना पर चर्चा के लिए।

24. कृषि विभाग के कृषि फार्म की अनुपयोगिता पर चर्चा के लिए।

25. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) कृषि उपज मण्डी समितियों के पुनर्गठन (सीमा सम्बन्धी) की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. राज्य के किसानों को उनकी कृषि उपज की समता मूल्य न मिल सकने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

27. बीज उत्पादन कार्यक्रम (उन्नत किस्म) के अन्तर्गत किस्म नियन्त्रण न रखने के फलस्वरूप राज्य के किसानों को प्रतिवर्ष होने वाले आर्थिक नुकसान एवं असन्तोष पर चर्चा के लिए।

(श्री अजीतसिंह)

28. सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रो सर्विस सेन्टर खोलने बाबत चर्चा के लिए।

29. वर्तमान अजमेर जिले में नवीन कृषि विस्तार पद्धति के अन्तर्गत किशनगढ़ में उपखण्ड मुख्यालय एवं विषय विशेषज्ञ का कार्यालय न होने से किशनगढ़ क्षेत्र के किसानों को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिए।

30. वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पौध संरक्षण यूनिटों के बन्द कर देने के फलस्वरूप राज्य के किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

31. राज्य सरकार द्वारा सुदूर ग्रामीण अंचलों के किसानों को उन्नत बीज रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक औषधियों के समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था न करने से किसान जगत में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

32 लघु एवं सीमान्त कृषकों के हितार्थ अजमेर जिले में भूमिहीन किसान विकास अभिकरण को अगले तीन वर्षों तक पुनः कार्यरत रहने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री वा॰ चन्द आर्य (डग)

33. रेगिस्तानी क्षेत्रों में सूखी खेती फसल बीमा व उद्योगों से अधिक ऋण देने तथा जैसलमेर में जिला कृषि कार्यालय स्थापना हेतु चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

34. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) खाद, बीज व कृषि सम्बन्धी सामान्य जानकारी देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

35. श्री रामकृष्ण दास गुप्ता, (कोलायत) विभाग द्वारा समय पर कृषि रोगों जैसे कातरा रोकने का उपाय न करने पर चर्चा के लिए।

36. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) कृषि विभाग द्वारा दिये जाने वाले ऋण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु चर्चा के लिए।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

37. कृषि विभाग के अफसरों की अफसरशाही व जमीन से अलगाव की प्रवृति पर चर्चा के लिए।

38. श्री रणजीतसिंह राठौर (ओसियां) कृषकों को समय पर खाद, बीज व अन्य उर्वरकों के प्रबन्ध न करने पर चर्चा के लिए।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल)

39. सिरोही में एस. एम. डी. लागू है परन्तु कृषि कार्यालय के अभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

40. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) प्रदेश में रेगिस्तानी क्षेत्रों में कम पानी की फसल पैदा करने के लिए समुचित रिसर्च का अभाव पर चर्चा के लिए।

41. श्री शिवचरण सिंह (बयाना) कृषि विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर)

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू)

42. विभाग में केवल आंकड़ों का जाल है एवं कृषकों को तकनीकी राय देने के अभाव पर चर्चा के लिए।

43. विभाग में मितव्ययता का प्राथमिकताओं के स्वरूप के परिवर्तन हेतु चर्चा के लिए।

44. श्री शंकरलाल (जैतारण) कृषि विपणन बोर्ड व कृषि उपज मण्डियों में फैली दुर्व्यवस्था व किसानों को पीड़ित करने पर चर्चा के लिए।

45. श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) किसानों को केमिकल खाद की कमी तथा कृषि में विस्तार सेवाओं की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

46. आर. ई. सी. क्षेत्र में सहकारी के अलावा व्यवसायिक बैंकों पर कृषि विभाग द्वारा प्रतिबन्ध कर देने से किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

47. श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) कृषि, गऊ पालन तथा ग्रामोद्योग तीनों का समन्वय कर कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

48. कृषि की तरक्की के लिये कर्म के साथ ज्ञान तथा देशी खाद के प्रयोग के सम्बन्ध में अनुसन्धान के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू)।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना)

श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा)

49. कृषकों की कठिनाई के निराकरण हेतु विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)।

श्रीमती श्यामाकुमारी संगर (कपासन)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

श्रीमती गुणवन्त कुमारी (वैराठ)

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर)

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा)

50. खाद, बीज व कृषि सम्बन्धी अन्य सामान्य जानकारी देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

51. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) फसलों की बीमा योजना एवं किसानों को उत्पादन की चीजों पर अनुदान दिलाने के बारे में चर्चा के लिये।

52. तहसील सांचौर में ए. आर. सी. योजना के लागू करने में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये।

53. उन्नत बीजों की खेती एवं उनमें लगने वाली बीमारियों के ईलाज के बारे में विभाग की असफलताओं की चर्चा के लिये।

54. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) पम्पसेट की खरीद के लिए अनुदान की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

55. कृषि उपज मन्डी समिति द्वारा अप्रोच रोड के मास्टर प्लान से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

56. कृषि उपज मन्डी समितियों द्वारा अप्रोच सड़कों की योजनाओं के बनाने के समय जन प्रतिनिधियों को विश्वास में न लेने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

57. कृषि उपज मन्डी समिति के चुनाव न कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

58. श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) कल्याणपुरा कृषि फार्म के अव्यवस्थित ढंग से कार्य करने के कारण होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

59. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) इटावा में कृषि फार्म खोले जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

60. श्री बहादुर सिंह (नोहर) कृषि को मौसमी जुवा से बचाने हेतु फसल बीमा योजना लागू करने पर चर्चा के लिये।

61. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों का वितरण पंचायत मुख्यालय पर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

Page No. 95

(95)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

62. राजस्थान में कृषि ऋण जो खाद, बीज क्रय हेतु काश्तकारों को पुराने समय पर दिये हुये हैं, उन्हें कृषि विभाग द्वारा माफ कराये जाने पर चर्चा के लिये।

63. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) कृषि उपज मण्डियों द्वारा वसूल किये जाने वाले करों के निर्धारण के औचित्य पर चर्चा के लिये।

64. कृषि उपज मण्डी द्वारा आसन, कावरा (जवाजा पंचायत समिति) ग्रामों की अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने के बारे में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये।

65. ब्यावर कृषि उपज मण्डी यार्ड द्वारा निर्मित दुकानों के किराए के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) झुन्झुनू–सीकर सघन कृषि उत्पादन की योजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

67. कृषि उपज मण्डी के चुनाव कराने हेतु चर्चा के लिये।

68. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) काश्तकारों को उन्नत किस्म के बीज समय पर उपलब्ध कराने तथा बीजों की कीमत उचित कायम रखने तथा नये बीज गोदामों की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

69. कृषि विभाग को आवन्टित धन राशि के दुरुपयोग को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

70. श्री माधोसिंह (रेवदर) उर्वरक व कीटनाशक दवाइयों की कीमतें घटाकर कृषि उत्पादन के व्यय को घटाने बाबत चर्चा के लिये।

71. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) किसानों को समय पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

72. सरकारी कृषि फार्मों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

73. श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) कृषि विकास योजनाओं के अभाव तथा किसानों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

74. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) बून्दी जिले में कृषकों की जमीन को ठीक करने के नाम पर विभाग द्वारा की जा रही अनियमिततायें, रिश्वतखोरी से सभी काश्तकारों की परेशानी पर चर्चा के लिये।

75. वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर) कृषि विभाग द्वारा समय पर गंगापुर सिटी केन्द्र पर खाद की समुचित व्यवस्था न कराने पर चर्चा के लिये।

76. कृषि विभाग की असावधानी से गंगापुर सिटी में मूंगफली में प्रतिवर्ष कीड़ा लगता है तथा कीड़े से फसल को बचाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन)

श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा)

Page No. 96

(96)

(श्री श्रवण लाल)

77. कृषि उपज मण्डी हिण्डौन द्वारा लिंक रोड मंडावरा से हिण्डौन मंडी में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

78. कृषि उपज मण्डी महुआ रोड मंडावर की अधूरी सड़क के कार्य पूर्ण न कराये जाने पर चर्चा के लिये।

79. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) कृषि को वढ़ावा देने में सरकार की ढीलाई पर चर्चा के लिये।

80. श्री नाथूराम (बागीडोरा) बांसवाड़ा जिले में कृषि विभाग द्वारा कृषकों को परेशान करने एवं उनके साथ असहयोग करने पर चर्चा के लिये।

81. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) पंचायत समिति बालेसर तथा शेरगढ़ में कृषि प्रसार अधिकारी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. श्री समरथलाल (राजगढ़) उ.भा. वि. रैणी (अलवर) को कृषि कालेज नहीं बनाने पर विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा हेतु दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

83. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) राज्य में प्रतिवर्ष किसानों को प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानि से बचने हेतु फसल बीमा योजना लागू करने बाबत चर्चा के लिये।

84. श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) कृषि कार्यों में लगे कृषकों को विभाग द्वारा राहत पहुंचाने की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

श्री लालशंकर डोगर (सागवाड़ा)

श्री विजयसिंह नवेरा (बांदीकुई)

85. विभाग द्वारा राजस्थान के कृषकों को समय पर खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध न कराने के बारे में चर्चा के लिये।

86. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) सिकराय क्षेत्र में अलग से कृषि उपज मण्डी समिति बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री कुंजीलाल (बामनवास)

87. सिकराय क्षेत्र में कृषि विकास के कार्यों में तेजी लाने पर चर्चा के लिये।

88. कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुर द्वारा खेडली से बरमाला तक अधूरा सड़क निर्माण कार्य अविलम्ब पूर्ण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

89. श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) राजस्थान में किसानों की पैदावार को उचित भाव से खरीदने के लिए स्टेट कारपोरेशन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) साधारणतः पूरे रेगिस्तान में व मुख्यतः

(श्री किशनसिंह भाटी)

जैसलमेर जिले में सूखी खेती कृषि बीमा योजना लागू करने तथा जिला कृषि कार्यालय स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

91. श्री अवतार सिंह कंग (करणपुर) कृषि उत्पादक को उत्पादन मूल्य नहीं देने पर चर्चा के लिये।

92. श्री निर्मल कुमार सकलेचर (झालरापाटन) झालावाड़ जिले में भूमि की वैज्ञानिक जांच की व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

93. श्री हरिकृष्ण (नदबई) किसानों को समय पर बीज व खाद नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

94. अन्त्योदय एवं पिछड़े लोगों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने में विभाग की निष्क्रियता के संबंध में चर्चा के लिये।

95. श्री गणेश लाल बैरागी (हिण्डौली) बूंदी जिले में कृषि उपज मंडियों की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

96. श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) कृषि मंडियों में ग्रामीण लोगों को दुकानें दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

97. श्री रावतराम (सुजानगढ़) रेगिस्तानी क्षेत्रों में ड्राई फार्मिंग को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. कुओं से सिंचाई हेतु कृषि विभाग से किसानों को ऋण दिया गया था, जिन कुओं का पानी खारा निकल आया, उन काश्तकारों को कर्जा माफ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विभाग द्वारा किसानों को खेती के लिए उन्नत बीज एवं कृषि उपकरण दिय जाने के बाबत चर्चा के लिये।

100. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) उन्नत बीजों की फसलों में लगी बीमारियों के इलाज हेतु कृषि विशेषज्ञों द्वारा अन्वेषण करने में असफल रहने पर चर्चा के लिये।

101. श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर) कृषि विभाग की अनियमितताओं व कृषकों को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

102. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) ग्रामीण काश्तकारों को कृषि उत्पादन हेतु विभाग से अधिक सुविधायें नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103 श्री नूरा (मसूदा) कृषि फसलों में लगने वाले कीड़े व अन्य रोग छोटे काश्तकारों को मुफ्त दवाइयां देने पर चर्चा के लिये।

104. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) कृषि क्षेत्र में कोटा डिवीजन में विशेष कर रामगंज मण्डी क्षेत्र की अवहेलना पर चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर)

105. कृषि को उद्योग मानकर कृषि विकास को उचित अवसर दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

106. श्री नाथूराम (बागीदोरा) कृषि विभाग बांसवाड़ा की निष्क्रियता से बीज, खाद, वितरण में होने वाली अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

107. श्री जयकृष्ण शर्मा (राजगढ़) विभाग की बढ़ती हुई अक्षमता एवं अव्यवस्था के कारण किसानों के प्रति घोर उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिये।

108. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) राजस्थान में कृषकों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. श्री चुन्नीलाल जैलिया (खण्डार) बहरावण्डा खुर्द (तहसील खण्डार) तथा ग्राम मलारना डूंगर तहसील बौंली के कृषि फार्म की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

110. खण्डार तहसील में खाद एवं डीजल के अभाव में किसानो को फसल में हानि पहुंचने के क्रम में चर्चा के लिये।

111. कृषि उपज मण्डी खण्डार, चौथ का बरवाड़ा व शिवाड़ का विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) अच्छा खाद बनाने की चर्चा के लिये।

113. श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़) फसल बीमा योजना लागू कराने हेतु चर्चा के लिये।

114. वैज्ञानिक दवाओं के अभाव में फसल नष्ट होने से किसानों को भारी नुकसान के क्रम में चर्चा के लिये।

115. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) कातरा एवं सफेद लट का कोई स्थाई इलाज नहीं होने पर सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

116. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) राजस्थान में बीज निगम अविलम्ब स्थापित करने बाबत चर्चा के लिये।

117 पौध संरक्षण व औषधियों के गहन विकास हेतु चर्चा के लिये।

118. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) कृषकों को खाद व बीज समय पर उपलब्ध कराने एवं काला बाजारी की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये।

119. राजस्थान में कृषि बीमा योजना लागू करने हेतु चर्चा के लिये।

120 जयपुर जिले में उन्नत बीज उत्पादन योजना लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

121. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) कृषि के क्षेत्र में परिकल्पना का अभाव व कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व धांधली पर चर्चा के लिये।

122. श्री शीशराम ओला (पिलानी) उन्नत बीजों की खेती एवं उनमें लगने वाली बीमारियों के इलाज करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

123 कृषि फसलों के बीमे की योजना लागू करने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये।

124. श्री गुल मोहमम्द (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजकीय कृषि फार्मों में हो रही अनियमितताओं व हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) : फर्टीलाइजर्स की बढ़ती हुई कालाबाजारी से कृषक की परेशानी व उत्पादन खर्च में बढ़ोतरी की चर्चा के लिये।

126. कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये बीज निगम के विस्तार की चर्चा के लिये।

127. कृषि उपज मण्डियों को सशक्त व वैज्ञानिक आधार देने की चर्चा के लिये।

128. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा) : खेरवाड़ा तहसील में कृषि उत्पादनों के गिरते हुए भावों के संबंध में चर्चा के लिये

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर)

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)

130. फसलों की बीमा व्यवस्था लागू करने बाबत।

131. प्राकृतिक विपदाओं से खेती में होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

132. कृषि उत्पादनों के गिरते हुए भावों के संबंध में चर्चा के लिये।

133. श्री वृद्धि चन्द जैन (बड़ी-सादड़ी) : मंगलवाड़ा (चित्तौड़गढ़) चौराहे पर डूंगला तहसील क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी अलग से बनाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

134. बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) मुख्यालय पर बड़ी सादड़ी तहसील क्षेत्र के लिए कृषि उपज मण्डी कायम करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

135. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) फसलों में तरह तरह की बिमारियां होने पर उनका सही व सस्ता इलाज अर्थात् दवाइयां उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

136. कृषकों को सही व सस्ता उन्नत बीज नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. रसायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयां महंगी होने से किसान प्रयोग नहीं कर सकता जिससे उत्पादन में गिरावट आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

138. श्री माधोपुर क्षेत्र में गत वर्षों में सफेद जमीन लट (उगेला) से बाजरे व गुवार की फसल बर्बाद होने पर भी विभाग द्वारा इसको नष्ट करने के कारगर उपाय नहीं करने पर चर्चा के लिये।

139. कृषि उपज मण्डी कमेटी श्री माधोपुर जिला सीकर को प्रथम श्रेणी में नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. सीकर जिले में एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा कृषकों को लोन पर विद्युत पम्पिंग सैट का सामान, मोटर, स्टार्टर आदि बाजार की रेट से भारी अधिक रेट पर सामान देने से कृषकों में रोष पर चर्चा के लिये।

141. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) अन्य पड़ौसी प्रान्तों के मुकाबले राजस्थान में रसायनिक खाद की अधिक कीमत होने के बारे में चर्चा के लिये।

142. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) फसल बीमा योजना लागू नहीं करने पर चर्चा के लिये।

143. कृषि व्यवसाय को वैज्ञानिक आधार नहीं देने सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिये।

144. कृषि उपज की घटती हुई कीमतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. श्री हनवंत सिंह राणावत (बाली) पाली जिले को बीज उत्पादन क्षेत्र में जोड़ने हेतु व बीज उत्पादकों को भुगतान करवाने की व्यवस्था की चर्चा के लिये।

146. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) कृषि के लिये सस्ते मूल्यों की कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराई जांय, इस पर चर्चा के लिये।

147. फसलों का बीमा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. राजस्थान में सूखी खेती पर विशेष जोर दिया जाने पर चर्चा के लिये।

149. विभाग द्वारा समय पर उचित बीज, खाद की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. कृषि को अधिक उन्नत करने के लिये विशेष प्रचार प्रसार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. खेती में सब्जी पर विशेष जोर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. खाद की कीमतें और कम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. काश्तकार को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की चर्चा के लिये।

154. श्री अयूब खां (तिजारा) कृषि विभाग में सुधार तथा अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक पशु-पालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर)

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

1. राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले में किये जाने वाले पशु धन विकास की कमी पर चर्चा के लिये।

2. राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले में किये जाने वाले डेरी विकास कार्यक्रम की शिथिलता पर चर्चा के लिए।

3. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) कंटालिया में पशु औषधालय खोलने की चर्चा के लिये।

4. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं): पशु चिकित्सालय खोलने में बरती गई मनमानी पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (नोहर)

श्री शिवकरण बुहाड़िया (फागी)

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना)

श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा)

श्री डूंगर राम पंवार (टीबी)

5. सूखा सम्भावित क्षेत्रों में डेयरी विकास अनिवार्य रूप से लागू कराने हेतु चर्चा के लिये।

6. घघर फलड् तथा राजस्थान कैनाल के डिप्रेशन में मत्स्य उद्योग स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (नोहर)

श्री शिवकरण बुहाड़िया (फागी)

श्री राम प्रसाद लड्ढा (मांडल)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना)

श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा)

7. पशु चिकित्सा की समस्या के समाधान पर चर्चा के लिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

8. भेड़ पालकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा हेतु आस्ट्रेलिया भेजने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री नूरा (मसूदा)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)

श्री रामदेव चौधरी (मूंडवा)

9. विभाग द्वारा आमन्त्रित मेलों में अच्छी प्रदर्शनियां लगा कर किसानों को उसको देखने के लिए आकर्षित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

10. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र में थारपार कर ब्रीड (सांडों) की फार्म स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

11. श्री हनवंत सिंहराणावत (बाली) : फालना डेयरी को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने में असफलता के कारण डेयरी निगम को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

श्री राम सिंह विश्नोई (लूणी)

12. राजस्थान से पशुओं की नस्ल सुधारने में बरती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिए।

13. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) रतनगढ़ तहसील के ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिए।

14. श्री हजारी मल सारण (सरदार शहर) अधिक पशु चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की व्यवस्था कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़)

15. कोटपूतली तहसील में पशु चिकित्सालय खोलने बावत चर्चा के लिये।

16. श्री राम करण सिंह (कोटपूतली) कोटपूतली में पशुधन के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. श्री अजीत सिंह (टौंक) : भेड़ फार्म बनाने की योजना टौंक में स्थापित कर नस्ल सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा)

श्री बाल चन्द आर्य (डग)

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा (मांडल)

श्री आलम अली खां (फतेहपुर)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)

(श्री हरचन्द सिंह)

18. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की नस्ल सुधारने एवं उनको हृष्ट पुष्ट रखने हेतु पशु चिकित्सालय ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोले जावें, इस पर चर्चा के लिए।

19. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) पशुपालन के क्षेत्र में जालौर जिले की अवहेलना पर चर्चा के लिए।

20. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) डेयरी विकास निगम को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

21. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) सूरतगढ़ व अनूपगढ़ क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

22. जोधपुर व पाली में दुग्ध अवशीतन केन्द्र हेतु राशि अवाण्टित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टौंक)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

23. पशुपालन विभाग द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम में उदासीनता बरतने की चर्चा के लिये।

24. पशु पालन विभाग द्वारा पशुओं की बीमारियों को समय पर नहीं रोक पाने पर चर्चा के लिए।

25. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तिलोनिया में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

26. मेवाड़ में पशु चिकित्सालयों का पूर्णतः अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर)

27. पंचायत समितियों द्वारा अनुदान से चलाई जाने वाली डिस्पेन्सरियों को पशुपालन विभाग द्वारा संचालित करने हेतु व रेगिस्तानी क्षेत्रों में व्यापक कार्यक्रम हाथ में लेने सुधार हेतु चिकित्सा व्यय बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

28. श्री जीतमल जैन (अलवर) अलवर डेयरी विकास हेतु प्रावधान नहीं रखे जाने पर चर्चा के लिए।

29. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) जालौर जिले में रानीवाड़ा की डेयरी विकास हेतु चर्चा के लिए।

30. श्री राम कृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): रेगिस्तानी इलाकों में पशु चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये।

31. श्री अब्दुल अजीज (मकराना): मकराना में डेयरी विकास करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

32. सुनेल रायपुर में पशु चिकित्सालय न होने व इस संबंध में उपेक्षा की नीति पर चर्चा के लिये ।

33. श्री रणजीत सिंह राठौड़ (ग्रोसियां) : जोधपुर जिले में पशुचिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)

श्री राम प्रसाद लड्ढ़ा (मण्डल)

34. सिरोही में डेयरी विकास पर चर्चा के लिये ।

35. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) प्रदेश में तथा मंडावा निर्वाचन क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के खोलने में मनमानी तथा प्रदेश में पशु मेलों के आयोजन हेतु कोई समग्र कार्यक्रम नहीं होने पर चर्चा के लिए ।

36. श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : पशुपालन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, पशुपालकों को दी जाने वाली ग्रपर्याप्त सहायता तथा पशुओं के बीमा योजना लागू करने पर चर्चा के लिये ।

37. श्री शंकर लाल (जैतारण) बजट में प्रावधान नहीं होने से पाली जिले में डेयरी विकास कार्यक्रम में शिथिलता एवं ग्रामीण क्षेत्रों की ग्रवहेलना पर चर्चा के लिए ।

38 पशु के लिए चराई की व्यवस्था व चिकित्सा की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये ।

39 श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) सीकर जिले के ग्राम कोटड़ी (धामलान) तपीपल्या, दःदिया, ग्रामावास तथा खाटू गांवों में डेयरी विकास के ग्रन्तर्गत विभाग द्वारा सड़क बनाने की ग्रावश्यकता पर तथा ग्राम जाजोद (त. श्रीमाधोपुर) में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये ।

40. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) जगह-जगह जानवरों के ग्रस्पताल खोलने व उनमें सांड भी रखने पर चर्चा के लिए ।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद)

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर)

श्री राम प्रसाद लडढा (मांडल)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय)

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा)

श्री औंकार लाल चौहान (अटरू)

श्री बाल कृष्ण थानवी (फलौदी)

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी (मावली)

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा)

41. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में नवीन पशु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

42. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : जिला जालौर में पशुपालन योजनाओं की क्रियान्वित के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये।

43. जिला जालौर में एवं विशेषतया तहसील सांचौर में पशु चिकित्सा प्रसार में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये।

44. जिला जालौर में डेयरी विकास योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये।

45. श्री टीकम चन्द कान्त (जालौर): जालौर क्षेत्र के ग्राम सांथू में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

46. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) भीलवाड़ा जिले में पशु चिकित्सकों का अभाव पर चर्चा के लिये।

47. पुर. मांगरोप, दान्थल, कोइकोटा जिला भीलवाड़ा में पशु चिकित्सालय न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

48. श्री शिवनारायण (थानागाजी) टहला खण्ड में डेयरी विकास करने के बारे में चर्चा के लिए।

49. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) बिगोद में पशु चिकित्सालय में डाक्टर तथा श्यामपुरा, सींगोली, महुआ, जन्झोला आदि में कम्पाउन्डर नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

50. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : इटावा, मांगरोल तथा इन्द्रगढ़ में डेयरी खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

51. पीपल्दा क्षेत्र में पशु पालकों को ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. इटावा में पशु डाक्टर तथा पीपल्दा कलां, गैंता, अयाना, बिनायका, निमोला में पशु चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. श्री राम सिंह विश्नोई (लूणी) : राजस्थान में पशुओं की नस्ल सुधारने व बीमारी से बचाने हेतु हर पंचायत मुख्यालय पर चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. लूणी विधानसभा क्षेत्र के गांव बिसलापुर, बालाधवा, भंवर, लूणी गुड़ा-विश्नोइया, भटीण्डा जहां पशु बहुतायत से हैं, में पशु चिकित्सालय होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

Page No. 106

(श्री रामसिंह विश्नोई)

55. राजस्थान में दुग्ध की कीमत पशु पालकों को बहुत कम मिलती है जिससे पशुपालकों में भारी रोष व्याप्त है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के मुकाबले प्रति 40 रु. किलो फैट कीमत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. जोधपुर में कृषि विभाग द्वारा पशु आहार प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. श्री बहादुर सिंह (नोहर) गांवों के समूह बना कर डेयरी विकास किये जाने पर चर्चा के लिये।

58. श्री लालूदास (फलासिया) फलासिया क्षेत्र में डेयरी विकास की योजना शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. क्षेत्र फलासिया में पशु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

60. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) ब्यावर निर्वाचन क्षेत्र के जवाजा में पशु-चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

61. सीकर व झुन्झुनूं जिले में डेयरी विकास के प्रसार पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)

श्री करतार सिंह (किशनगढ़)

62. पशुओं के जो बड़े अस्पताल शह[रों] में स्थापित हैं, उनको गांवों में स्थानान्त[रि]त किये जाने की चर्चा के लिये।

63. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) झुन्झुनूं जिले में भेड़, बकरी व पशुओं [का] समय पर इलाज न होने पर चर्चा के लिये।

64. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं): ग्रा[म] रावतभाटा में कार्यरत पशु औषधालय [इ]काई को पूर्ण चिकित्सालय में क्रमो[न्नत] करने की चर्चा के लिये।

65. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधि[क] पशु चिकित्सालय खोलने की चर्चा के लि[ये]।

66. श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) पीसांगन पंचायत समिति के ग्राम राज[गढ़] तथा श्री नगर के ग्राम रामनेर ढाणी में प[शु] चिकित्सालय खोलने तथा पशु चिकित्साल[य] में जो पशुओं की चिकित्सा कर सके [उ]न्हीं ही रखे जाने पर चर्चा के लिये।

67. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) उदयपुर व राज्य में मत्स्य ठेके देने में हु[ई] अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

68. सरकार पशुओं की नस्ल सुधार में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

69. निवाई में डेयरी विकास की च[र्चा] के लिये।

70. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) बून्दी जिले में पशु चिकित्सालय खोलने [के] बारे में चर्चा के लिये।

71. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) कुम्हेर क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

72. वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर) विभाग द्वारा गांवों में पशु चिकित्सालय न खोलने पर चर्चा के लिये।

73. गंगापुर सिटी में डेयरी विकास में शिथिलता पर चर्चा के लिये।

74. श्री माधोसिंह (रेवदर) पशुओं की नस्ल के संरक्षण के लिये समुचित इन्तजाम न होने की बाबत चर्चा के लिये।

श्री मंडलाल बैरवा (शाहपुरा)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

75. शाहपुरा (भीलवाड़ा) तहसील में 200 गांव होते हुये भी केवल एक ही पशु चिकित्सालय से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

76. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) पशु चिकित्सकों की पशु संख्या के आधार पर नियुक्ति कराने हेतु चर्चा के लिये।

77. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) पशुओं की संख्या को देखते हुये खारची में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. श्री नाथूराम (बागीदोरा) बांसवाड़ा जिला के ग्रामीणों को पशुपालन के लिये ऋण एवं अनुदान दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

79. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) नए पशु चिकित्सालय तहसील शेरगढ़ में खोलने बाबत चर्चा के लिये।

80. डेयरी विकास योजना हेतु तहसील शेरगढ़ के और ग्रामों को सम्मिलित करने हेतु पर चर्चा के लिये।

81. श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा) पंचायत समिति महुआ तथा टोडा भीम में पशु चिकित्सालय नहीं होने पर चर्चा के लिये।

82. पंचायत समिति टोडाभीम के मुख्य कस्बा बालधार में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

83. श्री गंगाराम चौधरी (रानीवाड़ा) पशु पालन विभाग में नियुक्त डिप्लोमा होल्डर इमर्जेन्सी कोर्स उत्तीर्ण डाक्टरों की पदोन्नति के समस्त मार्ग बन्द होने के विषय पर चर्चा के लिये।

84. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) दौसा तहसील में ग्राम सेन्थल व अन्य स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

5. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) निवाई निर्वाचन क्षेत्र के गांव दतवास में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

Page No. 108

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री कुंजीलाल (बामनवास)

८6. सिकराय क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोले जाने बाबत चर्चा के लिये ।

87. श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) फलौदी तहसील क्षेत्र में पशु चिकित्सालय के अभाव पर चर्चा के लिये ।

88. फलौदी तहसील क्षेत्र में डेरी विकास संबंधी चर्चा के लिये ।

89. श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) दूध बेचने वाले किसानों को 'मांकूल' कीमत दी जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

90. राज्य में बांधों तथा तालाबों में मत्स्य पालन के कार्य को तीव्र गति प्रदान किये जाने पर चर्चा के लिये ।

91. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) ग्राम मौदू क्षेत्र एवं मंगरोप में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

92. श्री नाथूलाल (घाटोल) : घाटोल तहसील (बांसवाड़ा) घन्टाली खेरवा, बाउगुन, भूगड़ा में स्टोर मेन ट्रेनिंग सेन्टर व नरवाली, चन्दूजी का गड़ा में पशु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

93. श्री जगतार सिंह कंग (करणपुर) गंगानगर में डेयरी विकास के लिये सरकार द्वारा प्रयास न करने पर चर्चा के लिये ।

94. गंगानगर जिले में पशु चिकित्सालय न होने से सही इलाज से ग्रामीण क्षेत्रों को वंचित रखने पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल बैरवा (शाहपुरा)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)

95. कोटड़ी पंचायत समिति जिला भीलवाड़ा में एक भी पशु चिकित्सालय के न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

96. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) रामगंज मण्डी और लाडपुरा तहसील में पशु धन की बहुतायत होते हुए भी रानपुर, बोरावास, मोड़क जुल्मी, खेड़ारूद्धा, सुकेत में अभी तक भी कोई पशु चिकित्सालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये ।

97. श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) (1) उन्नत किस्म के पशुओं को बढ़ावा देने की योजना के अभाव पर

(2) झालावाड़ जिले में जर्सी नस्ल के सांड़ नहीं देने पर चर्चा के लिये ।

98. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) जैसलमेर जिले के जैसलमेल ग्राम विकास हेतु पशु पालकों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

99. रेगिस्तानी क्षेत्रों में पशु पेय जल व्यवस्था, नस्ल सुधार केन्द्रों में वृद्धि, पशु बीमा योजना प्रारम्भ करने एवं चिकित्सा व्यवस्था में अधिक व्यय एवं सुधार करने हेतु चर्चा के लिये ।

100. श्री हरिकृष्ण (नदबई) पशुओं के नस्ल सुधार की व पशुओं की चिकित्सा के लिए ग्राम कारोड़ा में चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

101. सुअर पालन हेतु हरिजनों को प्रोत्साहित कर आर्थिक स्थिति सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. जिला पशु पालन कार्यालय बूंदी में स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

103. सिंचित क्षेत्र में अधिक पशु होने से पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

104. श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर) राज्य में बड़े पैमाने पर लगे निजी क्षेत्र में डेयरी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की नीति अपनायें जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

105. पशुओं की दवाइयों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा दवाईयों की कालाबाजारी को सख्ती से रोकने हेतु चर्चा के लिये।

106. श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डौली): डिन्डौली विधान सभा में पशुपालन एवं चिकित्सा सुविधा दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

107. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) बाड़मेर जिले में विभाग की ओर से पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त करने में असफलता पर चर्चा के लिये।

108. बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा पशु मेले में विभाग की ओर से स्वच्छ पानी, विद्युत और ठहरने आदि की सुविधायें अपर्याप्त होने पर चर्चा के लिये।

109. श्री रावत राम (सुजानगढ़) चुरू जिले के उन गांवों में जहां पशुधन ज्यादा है ? बड़े गांव हैं वहां पर पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. चूरू जिले में गाय एवं भैंस के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ में पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पशु चिकित्सालय खोलने बाबत चर्चा के लिये।

113. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालन एवं उनसे संबंधी चिकित्सा में कमी के कारण चर्चा के लिये।

114. श्री नूरा (मसूदा) किराय ग्राम पंचायत, खीमपुरा, ग्राम पंचायत आऽरेपरी,

(श्री नूरा)

ग्राम पंचायत लूल्वा नया जांव व मसूदा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

115. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) विभाग द्वारा पशु पालन एवं इसकी चिकित्सा के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर)

116. किसानों में मुतवागोर होते हुए घाटे की पूर्ति के लिये पशुपालन पर विशेष ध्यान देने के संबंध में चर्चा के लिये।

117. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) हरजी, मणादार व कालन्द्री में पशुपालन चिकित्सालय खोलने की चर्चा के लिए।

118. श्री नाथूराम (बागीडोरा) बांसवाड़ा जिले में डेयरी विकास योजना चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

119. कामां क्षेत्र में डेयरी विकास करने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. दो पशु चिकित्सालय कामां क्षेत्र में और खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

121. श्री बत्ती लाल (टोडाभीम) तहसील टोडाभीम एवं नादौती में पशु चिकित्सालयों के खोलने की चर्चा के लिए।

122. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) बाड़मेर जिले में राजकीय थरपारकार ब्रीड का फार्म की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार): ग्राम ईसरदा, रेलवे स्टेशन पर पशु चिकित्सालय खोलने तथा पशु चिकित्सालय के अभाव में पशुओं की मृत्यु की रोकथाम की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

124. श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) हर पंचायत हैड क्वार्टर पर ऐसी नस्ल के सांड रखने जो दूध तथा खेती दोनों के लिये उपयोगी हों रखने तथा आर्थिक अनुदान देने हेतु चर्चा के लिये।

125. श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़) पशुओं की चिकित्सा के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

126. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं): डेयरी विकास तथा पशुपालन विभाग में समुचित तालमेल न होने से पशुपालकों को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

127. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) पंचायत समिति में पदस्थापित पशु प्रसार अधिकारियों को औषधियां न मिलने एवं अन्य सुविधाओं के अभाव जिनके कारण एक्सटेंशन वर्क नहीं हो पाने बावत चर्चा के लिये।

(श्री सूरजमल सिंह)

128. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) चौमूं क्षेत्र में पशु चिकित्सालय (खेजड़ोली व किशनमानपुरा) खोलने की चर्चा के लिये।

129. पशु चिकित्सालय खोलने में मनमानी व पक्षपात पूर्ण रवैये से व्याप्त असंतोष की चर्चा के लिये।

130. ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालयों की कमी से कृषकों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में चर्चा के लिये।

131. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) ग्राम हरदास का वास (सीकर) में व भाड़ली में पशु चिकित्सालय नहीं खोलने से कृषकों एवं पशु पालकों में भारी रोष व्याप्त होने पर चर्चा के लिये।

132. निर्वाचन क्षेत्र श्री माधोपुर (सीकर) में पर्याप्त पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

133. ग्राम दिवराला (सीकर) में डाक्टर व कम्पाउन्डर चिकित्सालय में नहीं होने से हो रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

श्री गोविन्द सिंह (कुम्भलगढ़)

134. पशु पालन एवं चिकित्सा के क्षेत्र में परिकल्पना का अभाव एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

135. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) पशु चिकित्सालय खोलने में की गई मनमानी पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (नौहर)

श्री शिवकरण बुहाड़िया (लसाड़िया)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना)

श्री डूंगरराम पंवार (चूरू)

श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा)

136. पशुपालन को लाभदायक बनाने पर चर्चा के लिये।

137. श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर, पूर्व) आयुर्वेद प्रणाली से पशु चिकित्सालय खोले जाने तथा इसी पद्धति से पढ़ाई की व्यवस्था करने की चर्चा के लिये।

138. श्री रावतराम (सुजानगढ़) तहसील सुजानगढ़ (जिला चुरू) के गांव सांडवा या छापर में चीलिंग प्लान्ट लगाने बाबत चर्चा के लिये।

139. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) आसीन्द तहसील में शम्भूगढ़ गांव में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. श्री शीशराम ओला (पिलानी) जिला झुन्झुनूं में पशुपालन योजनाओं की

Page No. 112

(श्री शीशराम ओला)

क्रियान्विती में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये।

141. जिला झुन्झुनूं में पशु चिकित्सालय सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की असफलता की चर्चा के लिये।

142. श्री मेघराज पंवार (चूरू) चूरू जिले में पशु संख्या के अनुपात से पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

143. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) बाड़मेर जिले में राजकीय कांकरेज ब्रीड (सांड) फार्म की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) परबतसर पशुमेला के विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. परबतसर तहसील में ग्राम गच्छीपुरा एवं ग्राम भकरी में पशु चिकित्सालय खोलने की चर्चा के लिये।

146. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) भेड़ पालकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा हेतु आस्ट्रेलिया भेजने के संबंध में चर्चा के लिये।

147. पशुओं की दवाइयों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये।

श्री हजारी मल सारण (सरदार शहर)

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)

148. पश्चिमी राजस्थान को पशुपालन क्षेत्र घोषित कर सभी सुविधायें उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

149. डेयरी में आने वाले दूध की कीमत बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये।

150. श्री हजारी मल सारण (सरदार शहर) गांवों में अधिक पशु चिकित्सालय खोलने बाबत चर्चा के लिये।

151. पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम का विस्तार करने बाबत चर्चा के लिये।

152. चुरू में पशु प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने बाबत चर्चा के लिये।

153. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़) विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं तथा क्षेत्र जमवारामगढ़ के प्रति सरकार की उदासीनता बरतने के संबंध में चर्चा के लिये।

154 श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) भीनमाल क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने में सरकार द्वारा उदासीनता बरतने के संबंध में चर्चा के लिये।

155. पशु चिकित्सालयों में पूर्ण औषधियां उपलब्ध न होने बाबत चर्चा के लिये।

156. श्री गोपाल सिंह (आहोर) जांच सज्जित योजना कुम्हेर को यथावत चालू रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री गोपाल सिंह)

157. पशु प्रजनन केन्द्रों को बन्द न करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. सर्रा कन्ट्रोल यूनिट जालौर, पाली में खोले जाने के लिये इस वर्ष बजट में राशि रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159 श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) उन्नत नस्ल के पशुपालकों को विदेशों में अध्ययन हेतु भेजने के बारे में चर्चा के लिये।

160. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) पशुपालकों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

161. पशुपालन व्यवसाय को विकसित करने की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

162. श्री हनवन्त सिंह राणावत (बाली) पालना में नवनिर्मित डेयरी की हालत ठीक करने की चर्चा के लिए।

163. श्री मालाराम (खेतड़ी) पशु-संवर्धन और चिकित्सा सुधार की आवश्यकता नस्ल सुधार पशु मेलों में सुधार व पुरस्कार में वृद्धि योजना मे परिवर्तन पर चर्चा के लिए।

164. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) करेड़ा में चल रहे पशु चिकित्सालय के अवरुद्ध हो जाने पर चर्चा के लिए।

165. बागोर (माण्डल) में पशु चिकित्सालय खोले जाने पर चर्चा के लिए।

166. भीलवाड़ा डेयरी की शाखा मांडल, रायसिंहपुरा, शिवपुरा, थाणा, सानगढ़, चिताम्बा, उमरी, चिलेश्वर तक खोले जाने की चर्चा के लिए।

167. डेरियों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. पशु के बीमे की व्यवस्था सुदूर गांवों तक होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विभाग द्वारा कृषकों को उन्नत नस्ल के पशु सप्लाई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. राजस्थान में पशुपालन को प्रोत्साहित कर जनकल्याण का साधन बनाने की चर्चा के लिये।

171 श्री अयूब खां (तिजारा) पशु चिकित्सालय ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की संख्या के आधार पर खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 37-कृषि एवं मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंह।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या व्यवस्था का प्रश्न वही है जो पहले उठाया था ?

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, बात होठों से निकल नहीं पाई कि आपने पकड़ ली। मुझे कहने तो दीजिये। मैं यह जानना चाहता हूं, मेरा इसमें चौथा नम्बर है। अब तक किसी में भी मेरे नाम को नहीं पुकारा गया है जब कि हर मांग पर बोलने वालों में मेरा नाम रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुल मोहम्मद जी, आपको समय मिलेगा।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो धन राशि की मांग की है। मुझे उस विषय के बारे में कोई एतराज नहीं है। एतराज होगा तो वह भी निवेदन करूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि काश्तकार अपना सारा जीवन कष्ट में बिताता है। सर्दी, गर्मी, तूफान, कुछ भी आये वह सारे राष्ट्र के लिए नीले आसमान के नीचे अपना खून पसीना एक करके अन्न पैदा करता है। लेकिन उस काश्तकार को राज्य सरकार की ओर से जैसा सौतेला व्यवहार मिल रहा है, उससे वास्तव में मेरे मन को ठेस पहुंची है। एक होटल वाला जब कि चीनी 6 रु. किलो थी, चाय 22 रु. किलो थी, 25 पैसे में एक प्याला चाय दिया करता था। आज चीनी की कीमत कम हो गई है लेकिन चाय के प्याले की कीमत 50 पैसे कर दी गई है। काश्तकार सारे देश के लिए अन्न उत्पादन करता है। दुनिया से कुछ छुपा कर नहीं रखता है। उसकी उपज में कोई मिलावट नहीं हो सकती है। उसकी उपज को नीलाम तीसरा आदमी करता है। उस पर उसका अधिकार नहीं है। वह अपनी उपज के लिये यह कभी नहीं कहता है कि अपनी मिल्कियत मैं नहीं बेचूंगा। आज भी यह व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है कि उसको अपनी उपज का पूरा मूल्य मिले।

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो प्रगति पत्र, विवरण हम को दिया है उसमें बताया है कि सरकार ने इतने तक की कीमत का बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां दी हैं और इन-इन बीमारियों से बचाने का प्रयत्न किया है।

एक माननीय सदस्य : बाजरा उगा ही नहीं।

श्री हरचन्द सिंह : मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का ढंग हम कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे कृषि मन्त्री जी जो हैं, जाने माने काश्तकार हैं। हम उनके सामने अपना रोना रो रहे हैं। मैं कृषि मन्त्री जी को निवेदन करूंगा कि इस विभाग में आपने जो सेक्रेटरीज की कतार बिठा रखी है, उनके खर्च को कम करें। कोई एक्सपर्ट बैठायें। कालरे के लिए कहते हैं कि हमने दवाई दी है। कातरा मरता ही नहीं है। इनइफेक्टिव है आपकी दवाई। कुदरत ने इसका इलाज निकाल रखा है। महीने की एक खास तिथि आती हैं, उस तिथि पर जब चांदनी छिटकेगी तो कातरा अपने आप मर जाएगा। लेकिन तब तक वह कातरा किसान को मार जायेगा। राजस्थान की एक मुख्य फसल बाजरा है लेकिन

(श्री हरचन्द सिंह)

आज यह फसल गायब होती जा रही है। मान्यवर, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे काश्तकार को कोई सरोकार नहीं है। काश्तकार यह चाहता है कि जो कुछ वह फसल बो रहा हैं, उस फसल का लाभ उसे मिले। किन्तु काश्तकार सक्षम नहीं है कि वह अपनी फसल बचा सके। उत्तम किस्म का बीज वह डालता है। जो कुछ भी वह खर्च करता है और जो कुछ पैदा करता है, उन दोनों को मिला कर देखें तो अगर यह धन्धा कोई बनिया करता होता तो छोड़ कर चला जाता। आज तो उसको फिजिकल लेबर का रिटर्न भी नहीं मिलता है। 300 रुपये कपास की कीमत है। आप कहते हैं कि समाजवाद लाकर छोड़ेंगे। मैं चैलेंज देकर कहता हूं, अगर सही मायने में समाजवाद होता तो कच्चे माल की कीमत में और तैयार माल की कीमत में जमीन आसमान का फर्क नहीं होता। उनके अन्दर कोई न कोई सामन्जस्य बैठाया जाता। कपड़ा जो कपास से तैयार होता है वह 6 हजार से ज्यादा का बैठता है और कच्चे माल की कीमत 300 रु. है। बीच में तीन एजेन्सी हैं उनमें 5700 रु. का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो भी 1900 रुपये प्रत्येक को मिलते हैं। आज सिंचाई दर 50% बढ़ाने जा रहे हैं। कीट नाशक दवाइयों की कीमत बढ़ा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : बिजली ?

श्री हरचन्द सिंह : बिजली। उसकी दर भी आप बढ़ा रहे हैं। मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक इण्डस्ट्री जो एक करोड़पति लगाता है उसको तो पांच पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है और एक काश्तकार, जो देश के लिए अन्न उत्पादन करता है जो राष्ट्र के लिए अर्पित कर देता है को 32 पैसे मिनिमम के हिसाब से बिजली दी जाती है, उसमें आप और बढ़ोतरी करते हैं, यह बड़े अफसोस की बात है। मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, मान्यवर, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो काश्तकार को लाभ देने के लिए तो यह चीज आप कर दें कि कृषि को आप इन्डस्ट्री घोषित करवा दें जिससे काश्तकार लोग ऋण भी ले सकेंगे अपनी फसल को गिरवी रख कर।

मान्यवर, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आज व्यापारी अपने घर पर बैठे बड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी से व्यापार करते हैं और एक पैसे का भी जोखम उठाना नहीं चाहते जब कि काश्तकार का सारा जीवन ही जोखम भरा रहता है। वह हर बात के लिए बीमा करवाता है। जो पेशे से काश्तकार है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके लिए फसल बीमा योजना को आप सरकारी तौर पर लागू करवायें, यह मेरा कृषि मन्त्री जी को, मान्यवर, आपकी ओर से पुरजोर शब्दों में निवेदन है।

श्री रतनलाल वर्मा : वह कम्पनी ही नहीं करेगी।

श्री हरचन्द सिंह : मान्यवर, जहां काश्तकार कपास पैदा करता है, किसी तरीके से काश्तकार कपास पैदा करता है वह अपने खेत से किसी तरह कपास को मण्डी तक ले जाता है। मैंने इस साल गंगानगर जिले में मण्डियों की हालत देखी, जो काश्तकार कपास

(श्री हरचन्द सिंह)

लेकर मण्डी में आये, तीन-तीन महीने तक उनके कपास की बोली नहीं लगी और नतीजा यह हुआ कि कई जगह आग जैसी घटनायें हो गईं और काश्तकार बरबाद हो गये। उनके खून-पसीने से तैयार की हुई फसल एक मिनट में खाक हो गई। आप कृषि उपज मण्डी अधिनियम में यह प्रावधान करवायें कि जो काश्तकार जहां कपास पैदा करता है उन एरियाज में मण्डी समिति खुद उसका बीमा करवाये ताकि अगर ऐसी घटना हो जाय और अगर काश्तकार की फसल बर्बाद हो जाये तो उसको कुछ न कुछ मिल सके। इस तरीके की घटना से काश्तकार लोग बरबाद हो गये वे ऋण लेने के काबिल नहीं रहे, उनके पास कुछ नहीं रहा। इसलिये मेरी आपसे पुरजोर अपील है, कृषि मन्त्री जी, काश्तकार की मुसीबतों को आप समझते हैं, आप इस प्रकार की सारी की सारी हालतों में से होकर गुजरे हैं। आप इस पर विचार करें।

मान्यवर, मेरा एक और निवेदन है कि काश्तकार को उन्नत किस्म के बीज मुहैया कराते हैं। जब बीज की किस्म का लिट्रेचर और एडवरटाइजमेंट आता है तो ऐसा मालूम पड़ता है, किसान समझता है कि इस बीज का प्रयोग करने से उसकी फसल कई गुना बढ़ जाएगी। मान्यवर, जिस क्षेत्र में बीज का उपयोग किया उस क्षेत्र में जितना प्रति एकड़ पैदा हुआ और जो लिट्रेचर में दिया गया कि उपज इतनी प्रति एकड़ बढ़ जायगी, यदि उन दोनों को मिलान करें तो जो पैदा हुआ और जो लिट्रेचर में है तो मालूम पड़ेगा कि काश्तकारों के साथ एक बहुत बड़ा फ्राड किया जाता है, यह घोटाले की चीज है। मान्यवर, गेहूं का उत्पादन जो होता है उसके लिये नेशनल सीड कार्पोरेशन का बीज दिया जाता है। गंगानगर का आम काश्तकार गेहूं पैदा करता है। एक इन्स्पेक्टर आता है और उस बीज को जो फसल पैदा होती है उसको छान कर हमारे सामने ही पैकेट्स में बन्द कर देता है और उसकी फसल 150 रु. क्विण्टल के हिसाब से ले लेता है। जब हम उनसे लेते हैं तो हमसे 300 और 350 रु. प्रति क्विण्टल के हिसाब से कीमत चार्ज की जाती है। इस तरीके से अगर सरकार किसानों के साथ धोखा और फरेब करेगी और किसानों के साथ व्यवहार करेगी तो यह काश्तकारों की हमदर्द सरकार नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और इससे बढ़ कर कोई मौका नहीं है अभी तो कृषि पर बोला हूं, पशु पालन पर"

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृषि पर और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आप दस मिनट ले चुके हैं। दो मिनट ले लें।

श्री जगतारसिंह कंग : हमारा टाईम इनको दे दें। माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री हरचन्द सिंह : ऐसी किस्म के बीज उनको दिये जाते हैं। सही मायने में जो सैम्पल्स हैं उनके लिए सरकार गारण्टी दे।

(श्री हरचन्द सिंह)

जो फ्राड किया जाता है उसको रोकने के लिए सरकार एक टीम बना कर भेजे। बजट का सारा भार काश्तकार के कन्धों पर पड़ जाता है। मैं इसका सख्ती से विरोध करता हूं।

मान्यवर, जहां तक पशुधन का सवाल है, इस देश की आधार शिला और इस देश की अर्थ व्यवस्था काश्तकार पर निर्भर है और काश्तकार का मजबूत जो बाहुबल है वह उसका पशुधन है। यह बड़ा सौभाग्य है, मान्यवर, राजस्थान के अन्दर कुछ पशुओं की ऐसी अच्छी नस्लें हैं जो विश्व भर में मशहूर हैं। गायों में राठी किस्म की गाय, गनगौरी किस्म के बैल और परवतसर की भेड़ और बकरी मशहूर हैं लेकिन बजट का 80 प्रतिशत खर्चा भूतपूर्व बीकानेर राज्य में तीन क्षेत्रों में किया जाता है। बहुत बड़ा एक अस्पताल, एक कालेज, वेटरनरी कालेज बीकानेर में खोला गया है। मान्यवर, उसके लिये बेस्ट जगह छतरगढ़ है जहां काश्तकार रहते हैं, उनका पशुधन है, लेकिन बड़े-बड़े अधिकारी काश्तकारों और उसके पशुधन के बारे में नहीं सोचते। उनका आइडिया तो यह रहता है कि हमारे बच्चों की शिक्षा-दीक्षा कैसी होगी, मान्यवर, इनको बच्चों का तो खयाल है लेकिन काश्तकारों का कोई खयाल नहीं है, पशुधन का कोई खयाल नहीं है। काश्तकार अपने पशुधन का इलाज कराना चाहता है, सरकार पैसा लगाती है। आज उसकी डिमाण्ड आई है, हमको एतराज नहीं है और आप ज्यादा पैसा मांगो लेकिन इस पैसे से हमारे पशुधन की नस्ले को सुधारने के लिये ब्रीडिंग फार्म खोले जायें, उनको हृष्ट पुष्ट रखने के लिए पशु चिकित्सालय खोले जायं। पशु चिकित्सालय खोले जायं इन्टीरियर गांवों में न कि आफिसरों के बच्चों को पालने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए शहरों में। शहरों में अब पैसा नहीं लगाना चाहिये, वहां पर पशु नहीं हैं। मान्यवर, पशु चिकित्सालय वहां खोले जायें जहां पशु हैं, जहां जंगल हैं, जहां खेत हैं, वहां पशुधन होगा।

मैं कृषि मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसी नीति बनाई जाये कि जो बड़े-बड़े पशु चिकित्सालय आपने बनाये हैं, जो पहले गलती की उसको दुरुस्त करें, किसी न किसी तरह पशु चिकित्सालयों बाइफरकेट करके जहां अच्छी नसलों की बहुतायत है देहाती क्षेत्रों में वहां पशु चिकित्सालय स्थापित करें। बाकी आपने जो मांग रखी है, अगर इस मामले में आप अग्रसर होते हैं और ज्यादा पैसा मांगेंगे तो मैं दिल खोल कर समर्थन करूंगा। मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर खुले दिलोदिमाग से विचार करें। जो भी सहयोग होगा हम मन्त्री जी को देने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करतार सिंह।

श्री गुल मोहम्मद : व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय सदन में इतनी ठंडक है कि बैठना मुश्किल हो रहा है। एयरकन्डीशन बन्द करायें तो अच्छा है।

(व्यवधान)

(श्री गुल मोहम्मद)

माननीय सदस्या को शायद ज्यादा गर्मी लग रही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमारे पास इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। कम्बल ओढ़ कर आओ।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था की जा रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप क्या व्यवस्था करेंगे ? जिसको गर्मी लग रही है····

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा सा धैर्य रखें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सर्दी वालों के लिए तो व्यवस्था हो जायेगी, मगर जिनको गर्मी लग रही है····

श्री गुल मोहम्मद : मेरा नम्बर कब आएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी आयेगा। कृपया समय की बचत करें।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में कृषि व पशुपालन की मांगें पारित करने के लिए कृषि मन्त्री ने प्रस्ताव रखा है। मैं सत्ता पक्ष का सदस्य होने के नाते इन मांगों का समर्थन तो अवश्य करता हूं बाकी जो मेरे दिल में ठेस है, वह मैं मन्त्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, आप स्वयं जानते हैं कि इस राज्य के किसानों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। जैसा कि माननीय हरचन्द सिंह जी ने विरोध प्रकट किया, मैं भी उन्हीं के शब्दों में अपने शब्द जोड़ते हुए मांग करूंगा कि चूंकि मन्त्री जी किसान परिवार से सम्बन्धित हैं, निश्चित रूप से उनको प्राचीन या पिछले 30 साल से चली आ रही परिपाटी में आमूलचूल परिवर्तन करके क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए ताकि किसान को फायदा हो सके।

सर्वप्रथम तो कृषि विस्तार योजना के बारे मे निवेदन करूंगा, विश्व बैंक आर्थिक सहायता का लालच देकर किसानों को हर गाव में बताते हैं कि फसल को यह बीमारी है, यह है, वह है। इससे राज्य की जो सम्पत्ति है, जो पैसा है जनता का, उसका दुरुपयोग होता है। इस योजना के तहत जब किसानों को समय पर खाद, बीज व दवाइयां उपलब्ध नहीं कराते तब तक किसान कैसे उन्नति कर सकता है ? आज जो अधिकारी बैठे हुए है, मान कर चल रहे हैं कि राजस्थान का किसान अमरीका व इंगलैंड के किसान की तरह इतना पढ़ा लिखा और शिक्षित है कि जरा सा गाइडेंस देने पर वह दवाई खरीदेगा और फसल तैयार करेगा। ऐसा राजस्थान में नहीं है।

आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को घर बैठे जो उन्नत किस्म का बीज देना है या विधियां बतानी हैं, फर्टीलाइजर्स हैं, पेस्टीसाइड्स हैं, वह आप उसी जगह सप्लाई करेंगे तो वे उसका फायदा उठा सकेंगे, अन्यथा असम्भव है। मुझे जानकारी है कि किसानों को जब खाद की आवश्यकता होती है तो वह उसको उपलब्ध नहीं होती। मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि

(श्री करतार सिह)

किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता। केवल किसानों की झूठी वाहवाही लेते हैं। जब तक किसानों को ये सुविधायें नहीं उपलब्ध कराते तब तक डेयरी विकास नहीं हो सकेगा। इसलिये आप चाहें तो नई कृषि विस्तार योजना चलायें लेकिन इसके साथ एग्रो सर्विस सेंटर्स जरूर खोलें ताकि खाद व बीज उन्हें समय पर मिल सके और योजना का फायदा उठा सकें।

आप नवीन विस्तार पद्धति किसान को बताने जा रहे हैं परन्तु आज राजस्थान में आपने केवल 4·5 सोइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज खोली हैं उसके अलावा और कोई साधन नहीं है। बेसिक चीज सांइल टेस्टिंग लैबोरेटरी की है। कम से कम आप जिला स्तर पर टेस्टिंग के लिए आप मोबाइल यूनिट लगायें ताकि किसानों को फायदा हो।

इसके अलावा पी० पी० यूनिट्स जो पहले से चले आ रहे थे पिछले दो साल से सरकार ने बन्द कर दिये हैं। इससे किसानों को नुकसान हुआ है। सहकारी समितियों से बड़ी मुश्किल से उनको फायदा मिलता है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। अगर किसानों का सही मायने में फायदा करना हैं तो जो जमीन थी उसको बरकरार रखा जाए, उनको इक्विपमेंट दिलाये जायें और साथ ही किसानों को गाइडेंस दें।

हाई ईल्डिंग सीड वैराइटीज के बारे में निवेदन है कि बड़ी संख्या में गेहूं और बाजरा का बीज बिक रहा है, लेकिन बीज की क्वालिटी को आज तक कन्ट्रोल नहीं कर पाये। हालांकि सरकार ने घोषणा की है कि हम बीज निगम बना रहे हैं लेकिन केवल निगम बनाने से किसानों को लाभ नहीं मिलने वाला है। परसों प्रश्नोत्तर काल में मुझे निगमों और इकाइयों की सूची देखकर आश्चर्य हुआ। राजस्थान बीज निगम का अध्यक्ष कृषि सचिव श्री आर. एस. कुम्मट को बनाया गया है। बड़ी खुशी की बात है लेकिन आवश्यकता नहीं कि जो सचिव है वही बीज निगम का अध्यक्ष बने। किसी किसान को बनायें जो बी. एस. सी. हो या एम. एस. सी. हो जो इसमें जानकारी रखता हो, तब जाकर क्वालिटी कण्ट्रोल हो सकता है। सीड्स प्रोटेक्शन प्रोग्राम में जब तक किसान रिश्वत नहीं देते हैं संबंधित अधिकारियों को तब तक बीज पास नहीं होता है। जो रिश्वत देता है उसके हल्की क्वालिटी के बीज को भी शामिल करके पास करते हैं। किसानों के साथ यह खिलवाड़ है। मन्त्री जी स्वयं किसान हैं, आप जानते हैं कि यदि किसान को सही मौके पर बुवाई के समय बीज न मिला या गलत बीज मिला तो किसान के भविष्य का क्या होगा?

मुझे सबसे बड़ा दुःख तो इस चीज का है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमेटी बना रखी है उसमें किसानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। इसमें जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये ताकि किसानों को जानकारी हो सके कि अमुक एरिया के लिए कौनसा बीज खरीदना है, कहां से खरीदना है।

मार्केटिंग सेक्शन के बारे में कृषि उपज मण्डी समितियां आपने बनाई हैं। मैं दावे

(श्री करतारसिंह)

के साथ कह सकता हूं कि इन समितियों में क्या कार्य हो रहा है ? किसी भी मंडी को देखें, जिस मण्डी में नियमित रूप से ग्रावशन होता है। इसका उद्देश्य था कि किसान को फायदा पहुंचाया जाये और बिचौलिये को खतम किया जाये। केवल मण्डी टैक्स लेने के बाद वह समझते हैं कि राज्य सरकार या मण्डी समितियों का इतना ही दायित्व है। जब तक ग्रेडिंग की व्यवस्था न हो, किसी तरह की मिलावट पर कण्ट्रोल नहीं हो तब तक मण्डी समितियों का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रेडिंग की व्यवस्था की जाये। साथ ही विभाग द्वारा एक अलग सैल कायम किया जाये जो कि कन्ट्रोल करे कि ग्रेडिंग सही हो रहा है या नहीं।

अगर मण्डी समितियों की सड़कें बनाने का काम सिर्फ सौंप दिया तो निश्चित रूप से गड़बड़ी होगी। जो मण्डियों में किसान से उसकी उपज का एक पर्सेन्ट टैक्स लेते हैं उससे आम किसान को फायदा है ? राज्य सरकार तो पहले भी सड़कें बनाती थी और आज इस मण्डी समितियों के टैक्स के पैसे से सड़कें राज्य सरकार बनाना चाहती है, मैं समझता हूं कि यह किसान के साथ अन्याय है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है कि हर गांव में सड़कें बनाये, वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए, पानी की व्यवस्था करे और दूसरे काम करे। ऐसा नहीं हो कि आप किसान की उपज का एक पर्सेन्ट लें और फिर उससे सड़कें बनायें। मेरा तात्पर्य यह है कि उस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं तो इसको टैक्स नहीं कहूंगा बल्कि फीस कहूं। किसान की उपज का अधिक से अधिक लाभ मिले इस उद्देश्य से उसको खर्च करना चाहिए।

जो सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड बना दिया है वह बोर्ड सिर्फ इसी उद्देश्य में लगा रहता है कि कहां सड़कें बनानी हैं। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। उसमें जो अधिकारी हैं उनको फुरसत नहीं है कि वह यह देखें कि किसी मण्डी के नियमन का काम हो रहा है या नहीं ? मैं यह कहना चाहूंगा कि जितना भी टैक्स लिया जाये वह किसान को बेनीफिट देने के लिए खर्च किया जाये और कन्सट्रक्शन के काम पर बिलकुल खर्च नहीं किया जाये। और कन्सट्रक्शन के काम करने ही हैं तो वह राज्य सरकार कराये और उसके लिए किसी भी संस्था से लोन ले ले।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा पशुपालन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां अजमेर जिले में रामसर के अन्दर एक नसल सुधार फार्म था। उस फार्म को बरबाद कर दिया। यह हमारे अधिकारियों की अदूरदर्शिता है।

इसी तरह से हमारे यहां तबीजी में एक सीड प्राडक्शन फार्म था उसके ऊपर जो हमारे एग्रीकल्चर प्राडक्शन सेक्रेटरी थे

(श्री करतारसिंह)

उन्होंने बिल्डिंग बना दी। जो काबिल काश्त जमीन थी और बिल्डिंग के लिए जो जमीन नहीं दी जा सकती थी उस पर फार्म को तबाह करके बिल्डिंग बना दी गयी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारी लोग अपना विवेक काम में लें और जो व्यवस्थित फार्म हैं उनको नहीं बिगाड़ें।

जिस एरिया की नस्ल है उसी एरिया में उसको एस्टेब्लिश करें। साथ ही यह भी रखें कि जो किसान अपने पैसे सांड खरीदना चाहते हैं नसल सुधार के लिए तो उनको भी उपलब्ध कराये जायें।

इसके बाद मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपके यहां एग्रीकल्चर स्पेशल स्कीम नाम का अलग सैल बना हुआ है। ग्राउन्ड वाटर बोर्ड भी बना हुआ है। मेरे क्षेत्र तिलोनिया में 1 लाख 30 हजार रुपया दिया गया। उसकी जांच रिपोर्ट आ गयी। इसके बाद भी जो डवलपमेन्ट कमिश्नर थे उन्होंने लिखा है ऐसे ही काम चलते हैं। यह अधिकारियों की मिली भगत है। इसलिए मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें और जो भ्रष्टाचार करते हैं उनकी तरफ से सतर्क रहें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले पशुपालन की मांग पर मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। कृषि और पशुपालन भारत का मुख्य धन्धा है। देश के 80 प्रतिशत किसान जो गांवों में रहते हैं वे खेती पर या पशुपालन पर निर्भर करते हैं। कृषि या पशुपालन दोनों का चोली दामन का साथ है। बिना एक दूसरे के सहयोग के यह घाटे का धन्धा है। किसान गांवों में रहते हैं, अनपढ़ हैं और उनके पास कोई दूसरा धन्धा करने का नहीं है इसलिए वह कृषि और पशुपालन का धन्धा करते हैं। मान्यवर, हिन्दुस्तान के जिस किसान समाज में संगठन नहीं हो और जिसकी पैदा की हुई चीज बाजार के अन्दर खर्च के मुकाबले कम कीमत पर बिके उस किसान की हालत का वर्णन कई बार कई बड़े-बड़े पंडितों ने, विशेषज्ञों ने किया है कि हिन्दुस्तान का किसान गरीबी में पैदा होता है, गरीबी में पलता है और गरीबी में कर्ज का भार लिये मर जाता है। जिस किसान की हालत हिन्दुस्तान के अन्दर और विशेष कर राजस्थान में यह हो उसकी और उसके पशु की हालत क्या हो सकती है, मान्यवर, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। हिन्दुस्तान में पूर्व में यह कहावत थी कि हिन्दुस्तान सोने की चिड़िया है। हिन्दुस्तान में घी और दूध की नदियां बहती थीं। उस देश का किसान आज दुनियां का, अधिकारियों का मुंह ताकता है। उसकी चीज या तो कम पैसों में बिकती है या फिर उसको कोई लेने वाला नहीं है। मान्यवर, जब किसी भी चीज पर टैक्स लगता है तो 5 मिनट के अन्दर कीमत बढ़ जाती है लेकिन किसान को मालूम होते हुए भी कि मेरी चीज 2 रुपये किलो में बेचने पर भी मेरा पड़ता नहीं खायेगा लेकिन उसको बाध्य होकर एक

(106)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

रुपये में देनी पड़ती है। यह स्थिति पैदा की हमारे समाज के कुछ वर्ग ने, हमारी नौकरशाही ने और बड़े-बड़े आफिसरों ने जो एयर-कूलर के अन्दर सचिवालय में करोड़ों रुपयों का बजट बनाते हैं और पशुपालकों का ध्यान नहीं रखते हैं। वह यह ध्यान रखते हैं कि अच्छी कार वह रख सकते हैं, टी० ए०, डी० ए० ज्यादा से ज्यादा कैसे बना सकते हैं और अपने बीवी बच्चों को किस प्रकार से अच्छी से अच्छी तरह रख सकते हैं या अपना ज्ञान अधिक करने के लिए आस्ट्रेलिया के अन्दर भेड़ों को देखने के लिए कैसे जा सकते हैं। यह उद्देश्य उनका रहता है। उन्हें किसानों की हालत की कोई फिक्र नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर और विशेषकर राजस्थान के अन्दर पशुपालन मुख्य धन्धा है। जब आदमी खेती करता है और साथ ही पशुपालन का धन्धा नहीं करता तो खेती और पशुपालन दोनों घाटे के धन्धे होने के कारण किसान को बिल्कुल पड़ता नहीं खाता और वह नुकसान में जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, बाहर की गायों के बारे में बात की जाती है कि वह बीस-बीस और चालीस चालीस, किलो दूध देती हैं। मैं आपको बता दूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छी से अच्छी नसल को जो गाय आज वहां मौजूद है आप उसका आयात करते हैं वह हिन्दुस्तान को ही देन है और यहां से गयी हुई हैं। जब किसान गरीब होगा और उसके पास साल भर का भी अनाज नहीं उपजेगा तो वह अपने पशुओं को कैसे अच्छी तरह से रख सकता है। आज दूध की कीमत जबकि 2 रुपये और 2॥ रुपया लीटर है तब उसको अपना दूध 80 पैसे, 1 रुपया या 1.50 प्रति लीटर में बेचना पड़ता है। पहले 80 पैसा किलो में बिनोला मिलता था और आज भाव 1.40 हो गया है फिर भी उसका दूध 80 पैसे या 1 रुपया लिटर में लिया जाता है। बांटे का भाव कितना ही बढ़े किसान को और पशुपालन को अपनी कीमत बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में डेयरी का विकास हुआ और निर्माण हुआ। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी शुरुआत थी लेकिन इन पांच छह सालों के दौरान में एक लीटर दूध के ऊपर एक भी पैसा अधिकारियों ने और राज्य सरकार ने नहीं बढ़ने दिया। हम यह अन्दाजा लगाते हैं और आज किसान यह सोचता है कि जो डेयरी बड़े-बड़े शहरों में हैं वह गरीब किसानों के लाभ के लिए नहीं है बल्कि बड़े-बड़े आफिसर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए और नौकरशाही के लिए है जो शहरों में अपनी बीवी-बच्चों के साथ रहते हैं उनके लालन-पालन के लिए है उनको घर बैठे घी, दूध उपलब्ध कराया जाता है। यह एक बिल्कुल परेशान और शोषण करने का तरीका बना रखा है। मैंने यह बात पहले भी कही थी और आज भी कहता हूं किसान बड़ी मुश्किल से एक गाय रखता है। एक गाय करीब करीब 20 साल जीती है। 5 साल पहले और पांच साल बाद में बिना दूध के उसको रखनी पड़ती है और 10 साल वह दूध देती हैं। 10 साल में भी 5 साल दूध देती हैं, 5 साल दूध नहीं देती है। 20 साल में 5 साल दूध देती है उससे किसान मनमानी कीमत प्राप्त नहीं कर

(श्री रामसिंह विश्नोई)

सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए कृषि मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो पशुपालक गांव में रहते हैं वे केवल इस रेट के अन्दर अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

डेयरी के अन्दर किसान को 21 पैसे देते हैं, जब तब 40 पैसे नहीं देंगे तब तक पशुपालक की हालत सुधर नहीं सकती। अगर पशुपालक की हालत सुधारनी है तो एक ही तरीका है किसान को उसके दूध की कीमत, उसके घी की कीमत, बाजार के अन्दर जो कीमत है उससे 5 पैसे ज्यादा दी जाये।

मान्यवर, मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि डेयरी की मार्फत गांवों से दूध और घी इन शहरी लोगों के लिये खरीद करने की व्यवस्था की है। कभी भी हम इस दूध और घी को बन्द कर सकते हैं। इस बात की खुशी है। जब भी चाहेंगे दूध और घी, जिससे इन शहर वालों के मुंह लाल हो रहे हैं, बन्द कर सकते हैं। यह कौनसा तरीका है, किसान को कुछ नहीं मिलता....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। हमारी गाय और भैंस दुनियां के मुकाबले खडी नहीं हो सकती।

आज जोधपुर, बीकानेर, अलवर में डेयरी के अन्दर अनाप शनाप सोसाइटियां बना रखी हैं। एक गांव के अन्दर एक ही सोसायटी होनी चाहिए।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : अब चर्चा समाप्त करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : दो मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था सोसाइटी के अन्दर जो आदमी रखे हुए हैं वे 10 ड्रम दूध होता है। उसमें कितना कम है, यह सारा लिखा कर भेजते हैं। वहां दूध बढ़ना चाहिए लेकिन वहां दूध कम हो जाता है। यह अधिकारियों की लापरवाही है। इस तरह सोसाइटी फेल हो जायेगी। इसको बचाने का यही तरीका है कि बराबर चैकिंग होना चाहिए। जो भी फंड बढ़े सोसाइटी को निश्चित रूप से उसकी कीमत मिलनी चाहिये। जितना दूध बढ़ना चाहिए, वह नहीं बढ़ता है तो सोसाइटी को डुबो देंगे। किसानों को पेमेंट समय पर उपलब्ध होना चाहिए। वह समय पर नहीं मिलता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : बड़े बड़े टिन हैं उनमें दूध इकट्ठा करते हैं। यह उद्योग धन्धा हो सकता है। लोगों को फायदा होगा। काफी लोगों को रोजगार मिलेगा....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये । श्री गुल मोहम्मद ।

(व्यवधान)

आपने 15 मिनट से ज्यादा समय ले लिया है।

श्री रामसिह विश्नोई : दो मिनट में ही बात खतम करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आपने दो मिनट का अवसर लिया था। आप 5 मिनट में चर्चा समाप्त नहीं कर सके। 15 मिनट से ज्यादा समय ले चुके हैं। अगर इस तरह से 15–15 मिनट समय लेंगे तो बहुत कम सदस्य बोल सकेंगे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो मिनट में यह अपनी बात समाप्त कर देते हैं।

श्री रामसिह विश्नोई : मान्यवर, गांव के अन्दर जो सोसाइटी है उनको कन्ट्रोल करने के लिए संघ के अन्दर एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्त होनी चाहिए। संघ के अन्दर उनको कन्ट्रोल करने का काम करना शुरू करना चाहिए। मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय से, आप अपने लेवल पर इस पर विचार कीजिए ताकि उसका कन्ट्रोल हो। जब तक कन्ट्रोल नहीं होगा, गांव के लोगों का काफी नुकसान होगा....

एक एक गांव में 3–3 सोसाइटियां खोलते रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां संघ है वहां एक ए आर. होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, फैडरेशन बना रखा है, मैं इसका कोई विरोध तो नहीं करता लेकिन जहां संघ है वहां केवल मार्ग-दर्शन का काम होना चाहिए, प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यहां के अधिकारियों ने फैडरेशन की स्थापना सबों में खराबी पैदा करने के लिए की है। फैडरेशन का काम संघों पर कन्ट्रोल के लिए नहीं होना चाहिए। एक निवेदन और है कि ये फैडरेशन अलग अलग होने चाहिये ताकि संघों के काम में किसी तरह की बाधा न हो।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्व-प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि क्रम के अनुसार चौथे नम्बर पर आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सूरजगढ़ गृह निर्माण सहकारी समिति में जो अनियमितताएं हो रही हैं और राज्य सरकार को हानि हो रही है वह बड़ी शोचनीय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के जितने भी कृषि फार्म हैं सभी नुकसान में चल रहे हैं इसके बजाय तो किसी प्राइवेट संस्था के पास यह फार्म्स होते तो लाखों रुपयोंकी पैदावार होती लेकिन आज वहां लाखों का नुकसान हो रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा जो वहां गड़बड़ियां हैं, उनको निकालने की कृपा करें।

दूसरे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पूर्व जब यह भूतपूर्व सरकार थी उस समय जयपुर में....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष जी, ये किस मसले पर बोल रहे हैं....

श्री गुल मोहम्मद : आप, माननीय सदस्य सुनिये तो सही।

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मन्त्री) : कृषि उपज मण्डी के लिए कह रहे हैं।

श्री गुलमोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, आज से चार वर्ष पूर्व भूतपूर्व सरकार ने राष्ट्रपति महोदय द्वारा उक्त गृह निर्माण समिति के पट्टे दिलवाये गये थे लेकिन उनको सिर्फ पट्टे ही दिलवाये हैं लेकिन आज तक भूमि का आवंटन नहीं किया है ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिस विभाग की चर्चा होनी चाहिये वही करें।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं 15 साल, जब तक कृषि उपज मण्डी के द्वारा यू. आई. टी.....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष जी, जिस तरह अन-कन्ट्रोल चल रहा है उससे तो दिक्कत आ जायगी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब मैं किसी माननीय सदस्य से कहता हूं चर्चा समाप्त करें तो माननीय सदस्य ही कहते हैं और बोलने दिया जाय।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15–7–75 को यू. आई. टी. से कृषि मण्डी ने एग्रीमेंट किया था कि हमको कृषि उपज मण्डी के लिए जगह दे दी जाय और हम इसमें आने वाली इन कच्ची बस्तियों को यहां बसा देंगे। ऐसा एग्रीमेंट यू. आई.टी. से कृषि उपज मण्डी जयपुर ने किया था। कृषि उपज मण्डी को यह एग्रीमेंट किये चार साल हो गये और इन कच्ची बस्तियों को बसाने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। हम माननीय मन्त्री महोदय से भी मिले और अधिकारियों से भी मिले लेकिन आज तक इस बस्ती का कुछ नहीं किया गया बल्कि ज्यों की त्यों बसी हुई है। जब इस सम्बन्ध में प्रश्न किया तो कहा गया कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जायगी तब बसाया जायगा। एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है, कृषि उपज मण्डी उक्त बस्ती को एग्रीमेंट के तहत तुरन्त बसायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के द्वारा पट्टे दिये गये हैं सन् 75 में। एक तरफ सरकार राष्ट्रपति से झूठे पट्टे दिलवा देती है और उधर वह भी नहीं बसाती है तो बड़े दुख की बात है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने इस वर्ष मत्स्य के ठेकों में सहकारी समितियों के साथ जो रुख अपनाया है वह खेदजनक है। सहकारी समितियों के साथ जो रवैया अपनाया है वह एक ऐसा....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपनी चर्चा को सीमित ही रखें।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : माननीय सदस्य, आप समझने की कोशिश करें। समझते क्यों नहीं हैं ? आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं....

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना इसलिये था कि इस समय मत्स्य विभाग ने सहकारी समितियों के साथ जो रवैया अपनाया है वह बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण है। इस बारे में मैंने कई बार चर्चा की है कि सोसाइटियों के साथ जो अनियमितता बरती गई हैं जैसे रामजसमन्द का मामला है, मावसी का मामला है, हितौली का मामला है, खारवाड़ा आर. डी. 507 (डि. बीकानेर) का मामला है और इस प्रकार के कई केसेज हैं जिनमें सोसाइटियों के हकों पर कुठाराघात किया गया है और एक तरफ मत्स्य विभाग ने कहा है कि हम सोसाइटियों को प्रोत्साहन देंगे व राज्य सरकार की भी यही नीति है लेकिन वास्तव में मत्स्य विभाग सोसाइटियों को प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि सोसाइटियां रहें लेकिन जो वहां मछुए हैं और जो उनका परिवार है, मच्छी का बिजनेस नहीं चले तो उनके लिए आप क्या चाहते हैं ? खारबारा का मामला सामने आया जिसके अन्दर माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं. उसके अन्दर विभाग की ओर से घोर अनियमितताएं हुई हैं और ऐसी अनियमितताएं हुई हैं जो शायद आज तक विभाग की लाइफ में नहीं हुई होंगी और जिसकी कोई मिसाल नहीं है। जिसमें मिस्टर राधेश्याम भारद्वाज डिप्टी डाइरेक्टर फिशरीज ने 50 हजार का गबन किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं 9 सितम्बर, 78 को विभाग के द्वारा टण्डर निकाले गये और आइटम नं. दो पर जो जलाशय दिये हैं— घग्घर डिप्रेसन 1-18 कैनोर चैनल 0·10 आर. डी बढ़ोल ढाब राजस्थान केनाल मय शाखायें, नदी घग्घर साईफन हैड मय खड्डे तलवाड़ा झील टी. बी. स्कम्म मय बाऊन्ड्री, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़ डाइवर्सन केनाल 158 आर. डी. तथा हनुमानगढ़, ढाब, गंग केनाल माकड़ा नहर अमर सिंह शाखा व बारो पिट्स....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस लिस्ट को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप चर्चा करना चाहें तो कर लें।

श्री गुल मोहम्मद : अगर यह नहीं पढ़ूंगा तो सही बात सामने नहीं आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका रेफरेन्स दे दें।

श्री गुल मोहम्मद : तो जो जलाशय खारवारा आर. डी.–507 स्केप जलाशय इसमें शामिल नहीं है। फिर भी पैसा खाकर लाइसेन्स दिया गया है। निविदा खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया था जिसमें चार सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। डिप्टी सैक्रेटरी फाइनेन्स, एक लेखाधिकारी, पशुपालन निदेशक, पशु पालन विभाग और एक डिप्टी सैक्रेट्री, डेयरी थे उन्होंने 26-9-78 को इसको फाइनल कर दिया और 12 लाख 31 हजार के टेण्डर की ऊंची बोली पर दिये

111

(श्री गुल मोहम्मद)

गये और टेण्डर देने के बाद 6–10–78 को अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया गया। उसमें आर. डी. 507 खाराबाड़ा का नाम नहीं था। इसके बाद निदेशक महोदय, पशुपालन को सूरतगढ़ जनता मत्स्य उद्योग सहकारी समिति लि, सूरतगढ़ ने एप्लीकेशन दी उसमें यह कहा गया कि खाराबाड़ा का जलाशय है वह भी मत्स्य सोसायटी को देने की कृपा करें। क्योंकि यह जलाशय रिक्त पड़ा है और इसमें नाजायज मछलियां मारी जा रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा इस सोसायटी ने एक रिप्रेजेनटेंशन तेजकुमार जी, आयुक्त सिंचित क्षेत्रीय विकास, बीकानेर को दिया और उसके अन्दर उन्होंने कहा यह जलाशय सहकारी समिति को दिलाया जाय इसकी मांग की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुक्त महोदय ने वहां के असिस्टेन्ट निदेशक को इसकी जानकारी के लिये भेजा कि वाकई खाराबाडा रिक्त पड़ा है या दिया गया है या नहीं दिया गया है। जिस पर सहायक निदेशक, श्री के. पी. शर्मा ने लिखा था कि आर. डी 507 खाराबाड़ा खाली पड़ा है और किसी को नहीं दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जब वह लेटर आ गया तब श्री तेजकुमार ने एक डो. ओ. लेटर श्री हरगोविन्द वर्मा, निदेशक, पशु पालन विभाग को लिखा कि आर. डी. 507 खाराबाड़ा रिक्त है और अनुज्ञा पत्र में नहीं है इसलिए इसको सोसायटी के घाटे को देखते हुए यह जलाशय सोसायटी को दे दिया जाय। सोसायटी पैसा देने को तैयार है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि सोसायटीज को जलाशय नहीं दिया गया है बल्कि यह अधिकारी सोसायटियों को क्रश करने की कार्यवाही करते हैं। इस सोसायटी के अलावा जो मैंने सभी जलाशयों के नाम लिए, उसी ठेकेदार को, जिसका आफर 12 लाख 31 हजार रुपय का ठेका दिया था, यह जलाशय बिना पैसा लिए, बिना टेंडर लिए, बिना आक्शन कराये फ्री में डिप्टी-डाइरेक्टर, भारद्वाज ने 50 हजार रुपये खाकर ठेकेदार को 16–11–78 को पत्र लिखकर शामिल कर दिया। मुझे ताज्जुब होता है कि ये अधिकारी लोग क्या करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। जिस जलाशय का नाम टेंडर में नहीं है, लाइसेंस में नहीं है, उसके बावजूद जलाशय बिना पैसा लिए हुए उसको दे दिया गया है जिससे राज्य सरकार को दो-तीन लाख की हानि हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। यह सारी गड़बड़ी ऐसे अधिकारी द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, की गई है जिसके पहले भी 5 इन्क्रीमेंट रोके गये हैं। ऐसे भ्रष्ट, उसी अधिकारी को जनता सरकार ने प्रमोशन दिया है, मुझे ताज्जुब है कि ऐसे अधिकारी को जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आज तक जिसके खिलाफ ए. सी. डी. में भ्रष्टाचार की फाइलें चल रही है व इनक्वायरी चल रही हैं उसको प्रमोशन दिया है और इस तरह का काण्ड किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करा कर तुरन्त कार्यवाही करेंगे और जांच कराने के बाद दोषी अधिकारी को उसकी सजा देंगे व बर्खास्त करेंगे उसको पनिशमेंट देंगे।

(श्री गुल मोहम्मद)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कई मामले हैं। मैं माननीय मत्स्य पालन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वैसे तो उन्होंने इस वर्ष के अन्दर काफी इनकम की है। मैं बहुत खुश हूं कि काफी इनकम हुई है और होनी भी चाहिए, आज तक का इन्होंने रिकार्ड बीट किया है, आज तक कभी भी मत्स्य पालन से इतनी इनकम राज्य को नहीं हुई है, आसपास के पड़ौसी राज्यों में भी नहीं हुई है, इसकी तो मुझे खुशी है लेकिन मेरा एक ही सुझाव है और जो सुझाव मैंने आपको अपने जलाशयों के बारे में दिया है, कि चाहे ठेकेदार हो, कोई सोशायटी को ठेका दिया हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप ऐसी नीति निर्धारित करें कि इन जलाशयों को पांच या दस साल के लिए उनको ही दिया जाय और हर साल 15 पर्सेन्ट पिछली रेट में बढ़ा कर उनको दे दिया जाय। इससे एक फायदा होगा कि जो ठेकेदार या जो सोसायटी, या और भी कोई लेगा वह उस जलाशय को खुद ही डवलप करेगा और खुद ही पैसा खर्च करेगा। इसमें विभाग का पैसा नहीं लगेगा। विभाग का पैसा बच जायगा, विभाग के पास जो पैसा बच जाएगा इसको बाकी के जो खड्डे अभी तक विभाग ने नहीं लिये हैं, उन पर डवलपमेंट का खर्चा करें ताकि उनकी भी नीलामी की जा सके व राज्य सरकार की आय बढ़ सके। ऐसे जलाशयों को विभाग अपने हाथ में लेकर उनमें मत्स्य पालन का काम करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसकी ओर ध्यान दें और जो सुझाव मैंने दिये हैं उनके बारे में आप अपने जवाब में स्पष्टीकरण करें और मुझे उम्मीद है कि शायद वे कुछ जवाब देंगे।

इसी तरह से मैं माननीय कृषि मन्त्री महोदय से भी निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सूरजगढ़ गृह निर्माण सहकारी समिति के सम्बन्ध में जवाब देवें कि उसको आवंटन कर देंगे भू-खण्ड का, वह जल्दी ही करें। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशोर।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत, माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान सिकराय उप कृषि उपज मण्डी के विकास की ओर दिलाना चाहता हूं। सिकराय में अभी तक कोई भी न तो कृषि उपज मण्डी में यार्ड लगा है और न कोई सब यार्ड वहां पर बनाया गया है। मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि सिकराय कृषि उपज मण्डी बांदीकुई है और वहां पर ही अभी तक जितनी भी इनकम हुई है उसका एक प्रतिशत भी सिकराय के विकास पर आज तक खर्च नहीं किया गया है। यह बहुत शोचनीय स्थिति है, इस कारण से सिकराय के नागरिकों में भयंकर रोष है। जो पैसा बांदीकुई कृषि उपज मण्डी को मिलता है उसका हमको एक पर्सेन्ट हिस्सा भी हमारे विकास कार्यों पर अभी तक खर्च नहीं किया जाता है। मैंने पहले भी माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और वहां की आवश्यकता को देखते हुए आपने आदेश भी दे दिया था,

(श्री रामकिशोर मीणा)

आपने स्वीकृति दे दी थी कि सिकराय में कृषि उपज मण्डी का यार्ड बनाया जाय। सिकराय से बांदीकुई क्षेत्र को जो इनकम होती है उसकी कुल आमद का 60–65 प्रतिशत तक सिकराय का हिस्सा होता है और अभी तक उसको बिल्कुल इग्नोर किया गया है। मैं बहुत ही अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि अलग से यदि वहां सिकराय में कृषि उपज मन्डी स्थापित कर दें तो जो क्षेत्र पिछले तीस वर्षों से अभी तक पिछड़ा हुआ रहा है, अभी तक विकास का कोई काम नहीं हुआ है, वह क्षेत्र भी आगे बढ़ सकेगा और उससे वहां की ग्रामीण जनता को बड़ी सहूलियत मिलेगी।

इसी के साथ ही सिकराय क्षेत्र में एक साई नदी पड़ती है। वह वहां पर हर साल करीब चार साल से बहुत ही भयंकर विनाश करती है। जमीन की उर्वरक शक्ति को बिल्कुल नष्ट कर रही है। मैंने इस बाबत में सरकार का पहले भी ध्यान आकर्षित किया था। मैंने यह निवेदन किया था कि वहां भू-संरक्षण का कार्य हाथ मे लिया जाय। वहां पर उस पानी के स्थायी निकास की कोई व्यवस्था कर दी जाय, कोई योजना बता दें तो वहां पर जो पिछले तीन चार साल से विनाश होता है, इसके अन्दर तीन क्षेत्र आते हैं। सिकराय, महुआ और टोडा-भीम में भयंकर नुकसान होता है, उस नुकसान से इन क्षेत्रों को बचाया जा सकता है। जमीन की उर्वरक शक्ति को बचाया जा सकता है। यह क्षेत्र जयपुर जिले का गंगानगर कहा जा सकता है जहां पर इतनी अच्छी पैदावार होती है। इसमें पानी की भयंकरता के कारण और साई नदी के बहुत अधिक बहाव के कारण सारी फसल नष्ट हो जाती है और बरसात के दिनों में बराबर चार साल से फसल नहीं हो पा रही है। मैं पुनः इस बाबत निवेदन करना चाहता हूं कि भू-संरक्षण कार्यक्रम सिकराय में साई नदी के लिए लेकर यदि इसके स्थायी निकास की व्यवस्था करा दें तो वह जनहित में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और सिकराय की जनता इसके लिए आपकी आभारी रहेगी।

सिकराय क्षेत्र में पशु धन की आवश्यकता को देखते हुए भी अभी तक एक पशु चिकित्सालय है। एक पशु चिकित्सालय पशुओं की संख्या के हिसाब से बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि एक पशु चिकित्सालय और स्थापित किया जावे ताकि जो जरूरत है उसके मुताबिक जरूरत को पूरा किया जा सके।

कृषि विस्तार का जो कार्यक्रम है उसका प्रदर्शन किया जावे ताकि किसानों को अधिक से अधिक उसके बारे में जानकारी मिल सके। आज किसान अपने पुराने ढर्रे से खेती कर रहा है जबकि आज के वैज्ञानिक युग में जहां पर तीन-तीन फसलें ली जा सकती हैं, अभी तक कृषि विभाग का ज्ञान गांव तक नहीं पहुंच सका है और इसके कार्यकलाप क्या होते हैं इसके बारे में लोग बागों को जानकारी नहीं मिल पाती है। आज कुछ एक दो सालों से जिसके बारे में लोगबागों को जानकारी मिलने लगी है, मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम का विस्तार किया जावे तथा इसके तहत कृषकों को जो उत्पादकता के लिए आवश्यक चीजें हैं, जैसे यूरिया खाद वगैरह है वह उपलब्ध

(श्री रामकिशोर मीणा)

हों। सीमेंट समय पर उपलब्ध नहीं होती है इसके बारे में पूरी सतर्कता के साथ कार्य किया जावे। सीमेंट की, खाद की काला बाजारी के बाबत भी सरकार को एक केस पकड़वाया था। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस योजना को सख्ती से लागू किया जावे ताकि कालाबाजारी में जो सीमेंट जाता है वह भी रोका जा सके।

कृषि उपज मूल्यों के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि आज 66–67 के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब विश्वविद्यालय में जो कि कृषि का विश्वविद्यालय है उसमें एक सर्वेक्षण किया गया था, जो वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया था उसके मुताबिक कृषक को एक क्विन्टल अनाज का सिर्फ 66 रुपया उसकी पैदावार पर खर्च पड़ता है जबकि उस वक्त सारे देश में उर्वरक का भाव 50) रु० क्विन्टल था। यह बात सन् 66 की है और आज 78–79 के अन्तर्गत भी भावों के अन्दर थोड़ा बहुत एक दो पर्सेन्ट से अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। जहां पर कि कृषि के उपकरण मंहगे हो गए हैं, उसके हिसाब से कृषकों को कृषि मूल्य भी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से आपके द्वारा निवेदन करता हूं,

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

और मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पहली बार मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत सीमित है और सुझाव मेरे पास अपरिमित हैं, इसलिए संक्षेप में और बहुत सूक्ष्म में मैं अपने सुझावों को यहां निवेदन करना चाहूंगी। वैसे तो हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है, उसमें भी राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश, परन्तु यह सब होते हुए भी कृषि एवं पशुपालन में इतने कम लोगों की दिलचस्पी है यह तो सदन की क्षीण उपस्थिति से ही आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

तो मैं निवेदन कर रही थी, यद्यपि कृषि मन्त्री जी केवल 18 करोड़ रुपये की मांग लेकर, पशु पालन और कृषि दोनों विभागों की, आज सदन में आये हैं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है और इसके ऊपर राजस्थान का भविष्य, राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आय, राजस्थान की हरित क्रान्ति और राजस्थान की श्वेत क्रान्ति, यह सब इन दोनों विभागों पर निर्भर करते हैं। इसलिए यह मद, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि इस बात को बराबर उठाया जाता रहा है लेकिन या तो महत्व नहीं समझते या कहीं न कहीं खामी है। यह बात समझ में नहीं आती है। कृषि का जहां तक सवाल है, कृषि विभाग के पास न तो बढ़िया बीज है, न पूरा उचित और पर्याप्त मात्रा में खाद है और न उसका किसानों के प्रति किसी प्रकार का सद्भाव एवं सहयोग है। इस बात को यद्यपि यहां और बाहर भी बार बार दोहराया जाता रहा है, इसके बाद भी विभाग में कोई सुधार नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक श्वेत क्रान्ति की बात है, उसमें केवल चिलिंग

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

प्लांट लगा देने से ही श्वेत क्रान्ति नहीं होगी। श्वेत क्रान्ति की बात आप करते हैं। महाभारत के जमाने जैसी दूध, दही की नदियां आप बहाना चाहते हैं, बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस सम्बन्ध में कहा है, तो माननीय कृषि और पशु पालन मंत्री जी इस पर आपको मूलभूत तरीके से सोचना होगा। श्वेत क्रान्ति की बात आप जब कहते हैं तो सारी चीजों का जो इन्डेक्स प्राइस 1960 में था, उससे आज भी आप देखें तो आपको विदित होगा कि उपभोक्ता कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं लेकिन इसके बावजूद दूध की कीमत आज भी स्लाइटली राइज हुई है और करीब करीब वही कीमत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब जयपुर आई थी 1955 में तब जयपुर में दूध का भाव, गाय का डेढ़ रुपया और भैंस का दो रुपया किलो था। आज दूध का भाव है, भैंस का 3 रुपया और गाय का ढ़ाई रुपया। फर्क कितना कम हुआ है लेकिन बाकी और जो चीजें हैं, कपड़े की कीमत को लीजिए, साबुन की कीमत को लीजिए, कोयले, दवाइयां, चाय, मसाले, तेल इनकी कीमत कहां से कहां पहुंच गई है, सब्जी की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है लेकिन दूध की प्राइस में रिलेटिवली बढोतरी बहुत कम हुई है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि आज फोडर की कीमत बढ़ गई है, छाने की कीमत बढ़ गई उसके रिलेटिवली, आप दूध उत्पादकों को दूध की कीमत नहीं देंगे तब तक चाहे आप हजार साइन्टिफिक तरीके से चिलिंग प्लान्ट, साफिस्टिकेटेड चिलिंग प्लांट लगा दें लेकिन उससे श्वेत क्रान्ति नहीं होगी। जब तक आप साइन्टिफिक तरीके से दूध के लेने का जो तरीका है, उसको आप नहीं बदलेंगे और जब तक उन्नत पशु नस्ल जिसे कहना चाहिए क्रास ब्रीड एनीमल है, उनके दूध का चुकारा जब तक आप एस. एन. एफ. सोलिड्स नोट फेट के आधार पर नहीं करने का तय करेंगे, उसको नहीं बदलेंगे, जो फेट को दूध की कीमत का आधार आपने बना रखा है, तब तक श्वेत क्रान्ति नहीं होगी। जो आपने फेट का आधार तय कर रखा है, उसमें भैंस के दूध की कीमत तो मिलेगी लेकिन गाय के दूध की कीमत नहीं मिलेगी। जैसा बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, भैंस के दूध में फेट होता है और आपको तीन रुपये एक किलो का मिल जाएगा। 28% फेट का आपका स्टेन्डर्ड है। उस दूध में इतना फेट है तो You will get more and more. उपाध्यक्ष जी, एक बात जो मैं खास तौर से यह निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान में ऐसी भी गायें हैं जो आज भी तीस, बीस, पच्चीस और चालीस किलो तक दूध देती हैं। इन गायों के दूध की जब तक आप फेट के आधार पर कीमत देते रहेंगे तब तक दूध उत्पादकों की माली हालत नहीं सुधरेगी। इनमें फेट, भैंस के दूध के मुकाबले कम होता है। भैंस के दूध के फेट का स्टेन्डर्ड आपने 28% माना है....

(व्यवधान)

पानी मिला देने से भी काम नहीं चलेगा। मेरा कहना यह है कि जो क्रास ब्रीड के एनीमल हैं, उनके दूध का चुकारा जब तक आप एस. एन. एफ. के आधार पर करेंगे,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उनको फायदा नहीं होगा। श्वेत क्रान्ति नहीं होगी। इसलिए पहले आप इस एस. एन. एफ. के आधार को बदलिए। इस बात को मैं बराबर उठाती रही हूं और इसलिए उठाती आई हूं कि श्वेत क्रान्ति के लिए मेरे जिले झुंझुनूं में भी चिलिंग प्लान्ट लगाया गया। लोगों को रुचि भी है। प्लान्ट शुरू हो गया लेकिन लोगों को यदि उनके दूध का पैसा नहीं मिलेगा तो कोई गाय नहीं रखेगा। आपकी मैंस कभी भी श्वेत क्रान्ति नहीं ला सकती है। इसको आप भली प्रकार समझ लें। यह श्वेत क्रान्ति आपकी गाय ही कर सकती है जो कृषि व्यवस्था में अपना एक निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान रखती है और दूध के हिसाब से आप इससे चीज, पनीर, बटर, दुग्ध चूर्ण, पाउडर आदि भी बना सकते हैं। इसलिए आप आज इस सदन में घोषणा करें, यदि आप वास्तव में श्वेत क्रान्ति लाना चाहते हैं और दुग्ध उत्पादकों के प्रति आपकी सच्ची हमदर्दी है, उनकी माली हालत को आप सुधारना चाहते हैं, असली मायने में यदि आप अपने को एक काश्तकार कृषि मंत्री साबित करना चाहते हैं तो आज ही आपको फैसला करना पड़ेगा, यह नहीं चल सकता कि आप पशुपालकों को, गाय पालने वालों को, गाय का दूध देने वालों को एक रुपया कीमत दें। यह अन्याय है। यह नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ यह निवेदन और करना चाहूंगी कि आज एक जबर्दस्त मुहिम चल रही है और हर कहीं पर भूमिहीनों को भूमि अलाट कर देने की बात की जाती है। इस प्रकार आज अपने आपको प्रोग्रेसिव कहलाने के लिए कम्पीटिशन हो रहा है। यदि वास्तव में राजस्थान के अन्दर पशु पालन को बढ़ावा देना है तो आपको ऐसी जमीनों को छोड़ना होगा जहाँ पर कि लोगों के पशु चर सकें। इस तरह की एक नीति आपको बनानी पड़ेगी कि जो भूमि गोचर की भूमि है, औरण की जमीन है, माफी की जमीन चाहे वह मन्दिर आदि की हो, या सिवाय चक की जमीन है, लाटे की नदी के रास्ते की जमीन है, पुराने जमाने में जागीरदारों की लाटे की जमीन हुआ करती थी, ये जमीनें किसी को भी अलाट नहीं की जानी चाहिए। इन जमीनों के ऊपर पशु चरा करते थे और यदि गरीब आदमी के पास जमीन नहीं है तो वह कहां पर अपने पशुओं को चराएगा। पहले गरीब आदमी और दूसरे भी इन जमीनों पर अपने पशुओं को चराया करते थे परन्तु आज इन जमीनों का अलाटमेन्ट करते जा रहे हैं। राजस्थान के अन्दर पशुओं की संख्या को देखते हुए जो इन्सानों की संख्या से अधिक हैं, हम इन निरीह और मूक पशुओं के साथ न्याय नहीं करेंगे। एक तरफ हमें पशुओं के साथ न्याय करना है जो हमारी इनकम के साधन हैं, जो हमारी अर्थ व्यवस्था को बल देते हैं, उसमें इजाफा करते हैं, यह प्रश्न है और दूसरी तरफ कुछ लोगों को राजी करने का प्रश्न है। इसलिए इस सम्बन्ध में आपको पालिसी बना लेनी चाहिए और इन जमीनों को किसी को भी अलाट नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आज डेयरी डवलपमेंट और एनीमल हस्वन्डरी ये दोनों डिपार्टमेन्ट्स हैं। इन दोनों विभागों में जैसा समन्वय होना

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

चाहिये, वैसा समन्वय, तालमेल नहीं है। इस वजह से पशु पालकों को दिक्कत होती है। शहर में रहने वाले को तो होती ही है। शहर में रहकर जो गाय, भैंस रखते हैं, जो सोसायटी के मैम्बर नहीं हैं, उनको दिक्कत आती है, इसलिए आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन को आप वापिस डिपार्टमेन्ट को दे दें। डेयरी डवलपमेन्ट अपना आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन प्रोग्राम अलग से रखे और डिपार्टमेन्ट भी रखे। लोगों को आप्शन हो और जहां पर सुविधा हो, वहां पर लोग यह करवावें। होड़ का सवाल इसमें नहीं है। एनीमल रखने वाले, पशुपालकों को सुविधा देनी होगी। इसके साथ-साथ यह निवेदन करना चाहूंगी कि एक तरफ तो आप भेड़ पालकों को बड़ा प्रोत्साहन देना चाहते हैं, क्रास ब्रीड के एनीमल को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के उन्नत पशुपालकों को चाहे वह भेड़ रखें, चाहे वह गाय रखें, उनको प्रशिक्षण आपकी ओर से न तो यहां पर दिया जाता है और मैं सोचती हूं यदि आपके प्रान्त के अन्दर पांच जो अच्छे पशु पालक हैं, या भेड़ पालक हैं उनको आस्ट्रेलिया या अन्य दूसरी जगह तकनीकी या नया प्रशिक्षण देने के लिए उनको वहां पर भेजे जाने की व्यवस्था करनी चाहिए, करोड़ों रुपये की मांग का सवाल है। बार बार तकनीकी प्रशिक्षण के नाम पर आफिसर्स विदेशों में जाते हैं। ये जो पशुपालक प्रैक्टिकल एक्सपीरियेंस रखते हैं ऐसे लोगों को भी नई तकनीकी जानकारी के लिए विदेशों में जाने के अवसर दिए जाने चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं। वैसे तो पहले भी कह चुकी हूं लेकिन हो सकता है माननीय कृषि मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया हो। इसलिए मैं रिमाइण्डर कर देना अपना कर्त्तव्य समझती हूं कि राजस्थान में रसायनिक खाद पड़ोसी प्रान्तों के मुकाबले काफी महंगा है क्योंकि रसायनिक खाद पर राज० की सारी नगर पालिकाओं में ऑक्ट्राय ली जाती है, और कई बार ली जाती है, जैसे ही जयपुर में आई तो वहां चुंगी कर लिया जाता है, फिर उसे चौमू लाये तो वहां की नगरपालिका लेती है और फिर सीकर गये तो तिबारा ली जाती है और फिर झुन्झुनूं गये तो चौथी बार ऑक्ट्राय ली जाती है, तो इससे उसकी दर काफी बढ़ जाती है और नतीजा क्या निकलता है कि लोगों को, वहां के किसानों को, हरियाणा, पंजाब के मुकाबले 6-7 रुपये अधिक देने पड़ते हैं और इसीलिए अन्य प्रान्तों के सीमावर्ती काश्तकार हरियाणा, पंजाब; आदि बॉर्डर एरिया से रसायनिक खाद खरीदकर ले आते हैं, इससे राजस्थान को यह भी नुकसान होता है। यह चुंगी कर न यू. पी. में लगता है, न पंजाब में लगता है, न ही नार्थ इण्डिया के किसी अन्य प्रान्त में, सिर्फ दिल्ली प्रशासन में चुंगी कर लगता है। दिल्ली के अलावा उत्तरी भारत के अन्य प्रान्तों में कहीं भी फर्टिलाइजर पर आक्ट्राय टैक्स नहीं लिया जाता है। इस विसंगति को तो आप दूर कर ही दीजिए।

इसके साथ-साथ केमिकल्स फर्टिलाइजर पर सैल्स टैक्स भी अन्य प्रान्तों के मुकाबले में और जगहों से ज्यादा है और सरकार को इस मामले में भी सोचना चाहिए। सैल्स टैक्स की दरें भी पंजाब तथा हरियाणा के बराबर करनी चाहिए और केमिकल्स फर्टि-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लाइजर पर तो आपको इसे अबालिश कर देना चाहिए।

इसके साथ-साथ एक निवेदन और करना चाहती हूं आज काश्तकार को उसके खेत की मिट्टी और पानी का परीक्षण कराने की सुविधा नहीं है। अगर कहीं सुविधा है तो सिर्फ जयपुर में तथा एक दो जगह और जहां पर किसान अपनी मिट्टी और पानी का परीक्षण करवा सकते हैं, तो किसी भी फसल की उपज में बढ़ोतरी के लिए यह मिट्टी का परीक्षण आवश्यक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की खेत की जमीन में कितनी कमी है, कितनी अधिकता है, किस मात्रा में क्या देनी चाहिए यह साइंटिफिक खेती के लिए बहुत आवश्यक है। जो कि सिर्फ जयपुर अथवा एक दो और जगह में ही उपलब्ध है। इसके लिए आपको 7-8 मोबाइल यूनिट बनाकर, जो यूनिट काश्तकार के खेत पर चलकर जावे और मिट्टी, पानी का परीक्षण करें। और वहीं पर अपनी रिपोर्ट दे दें, रिकमण्डेशन्स दे दें कि किस मात्रा में किस खाद की कमी है, कौन सी खाद बिल्कुल नहीं चाहिए। इसकी अगर आप सुविधा उपलब्ध करा दें, न सिर्फ जयपुर बल्कि राजस्थान के दूर दराज इलाकों में। ताकि राजस्थान के सभी काश्तकार इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, 1-2 मिनट और दीजिए।

मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं। आपने घण्टी बजा दी, मैं लास्ट बात कहूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय किसान जो बीज सीड प्रोग्राम में लेते हैं वह बीज 160-170 रुपये किसानों को ग्रेडेशन कराके सरकार खरीदती है राजस्थान में। और राज्य सरकार उसको वापस 250 में बेचती है। इसमें पूरे 90 रुपये रख-रखाव के सरकार लेती है। यह काश्तकार के साथ जबर्दस्त अन्याय है, धोखा है। इसलिए रख-रखाव पर खर्च इतना ज्यादा नहीं हो सकता और किसी देश में ऐसा नहीं होता जहां काश्तकार से लेने की कीमत यह और देने की कीमत इतनी ज्यादा। तो एक तरफ तो सरकार सहकारिता को प्रोत्साहन देने की योजना बनाती है ताकि उत्पादक और कंज़्यूमर के बीच बिचौलिये व्यापारी शोषण नहीं कर सके इसके लिए ही हम देश में सहकारिता की जड़ें जमाने की मुहिम, आन्दोलन चला रहे हैं और सहकारिता की मंशा यह है कि बिचौलिए (व्यापारी) द्वारा शोषण न हो, दूसरी ओर सरकार स्वयं यह काम करे तो क्या आर्ग्यूमेन्ट्स सहकारिता को पनपाने के होंगे? किसानों को कम से कम कीमत पर कम से कम मुनाफे पर, और मुनाफे का तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिये, केवल रख-रखाव का खर्चा करके किसानों को बीज दे सकें, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

पंजाब यूनिवर्सिटी, उपाध्यक्ष महोदय, साल दर साल एक से एक बढ़िया पानी की क्वालिटी, क्लाईमेट, सब चीजों को मद्दे नजर रखते हुए, लुधियाना यूनिवर्सिटी हर साल परीक्षण करती है। लेकिन यहां हमारे राजस्थान में, 2 साल से दुर्गापुरा में जो रिसर्च का काम हो रहा था, जनता सरकार के आने के बाद वह भी ठप्प हो गया। मैं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यह दावे के साथ कहती हूं। इसलिए कि मैं लगातार कांटेक्ट करती हूं। लेकिन इन दो सालों में कुछ नहीं किया। जो राज 821 गेहूं के बीज का प्रोडक्शन कल्याण सोना के मुकाबले में कहा गया था कि 20 प्रतिशत ज्यादा प्रोड्यूस देगा—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

20 प्रतिशत अवोव। इसलिये निवेदन करती हूं इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। बाजरा तो खतम हो गया राजस्थान में। राजस्थान का 2/3 हिस्सा रेगिस्तानी है जिसकी मुख्य फसल बाजरा है और उसको भी अरघट, सफेद लट और कातरा खा गया। आज यदि कोई बाजरा खाने का शौकीन हो तो बाजरा खाने की हिम्मत नहीं है। अरघट ने किसी भी बाजरे को नहीं छोड़ा, जिससे वह जहर हो जाता है, जिससे हैजा हो सकता है, उलटी हो सकती है, आदमी खतम हो सकता है, जिस कोप को अरघट लग गया उस बाजरे की कड़बी खाने से यहां तक कि पशु भी रोगी हो जाते हैं। इसलिए राजस्थान के 2/3 हिस्से की मैन क्राप बाजरा थी आज सफेद लट, अरघट और कातरे का इलाज नहीं है, आपके पास और जैसे-जैसे रबी एरिया बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे बाजरा समाप्त प्रायः हो गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जैसे-जैसे रबी एरिया बढ़ रहा है सफेद लट भी बढ़ रही है। इसलिए मैं तो आपका काम हल्का कर रही हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी बाजरे को सफेद लट और अरघट ने खा लिया अब हमारे पास गेहूं बचा है जिसकी खरीद और बेचान में राजस्थान के किसान का जो शोषण हो रहा है इसको अविलम्ब बन्द करना चाहिये और 20 रुपये से ज्यादा रख रखाव पर खर्चा नहीं होना चाहिये।

और भी कृषि और पशु पालन के बारे में कृषि मन्त्री जी आप वैज्ञानिक तरीके से चिन्तन और मनन कीजिए और श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की जो भ्रान्तियां हैं उन्हें दूर करिये तथा इन सुझावों की क्रियान्विति करिये, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री किशनसिंह भाटी।

(अनुपस्थित)

श्री हजारी मल सारण।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीलाल सारस्वत।

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल सिंह।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों की उपस्थिति देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण विषय जो

(श्री गोपालसिंह)

चल रहा है उस पर बोलने का मन तो कम होता जा रहा है. लेकिन विषय अहम् है इसलिए इस पर बोले बिना रहा भी नहीं जाता। इसलिए मैं मेरे विचार रखना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्षजी, कृषि और पशुपालन की मांगों पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। हमें जो प्रगति विवरण 1978-79 कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इस प्रगति विवरण के पृष्ठ संख्या 3 की ओर माननीय उपाध्यक्ष, आपकी मार्फत माननीय सदस्यों का और मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस प्रगति विवरण के पृष्ठ संख्या 3 पर राज्य में भूमि उपयोगिता के विवरण की एक तालिका दी गई है जिसके आइटम नं० 6, 7 और 8 में कहा गया है. वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल आइटम नं० 6, समस्त बोया हुआ क्षेत्रफल आइटम नं० 7 और दुपज क्षेत्रफल आइटम नं० 8 पर दिया हुआ है। इन तीनों ही आइटमों को जब हम ध्यान से देखते है तो वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल 1973-74 मे 159-67 लाख हैक्टेयर था, तो 1976-77 में वह 150-61 लाख हैक्टेयर पर आ गया। समस्त बोया हुआ क्षेत्रफल 1973-74 में 178-86लाख हैक्टेयर था वह घटकर 1976-77 में 168-69 लाख हैक्टेयर हो गया। इसी प्रकार से यह दुपज क्षेत्रफल, माननीय उपाध्यक्ष, 1973-74 में 19-19 लाख हैक्टेयर था, तो 1976-77 में 18-38 लाख हैक्टेयर हो गया, करीब करीब एक लाख हैक्टेयर कम हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तालिका के द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि चाहे कृषि अयोग्य भूमि का अलाटमेन्ट करने से, जोत रहित भूमि का अलाटमेन्ट करने से या पड़त भूमि का अलाटमेन्ट करने से खेतिहर क्षेत्र में बढोतरी हुई है. फीगर्स जो आ रहे हैं उनके अनुसार लेकिन वास्तविक जो खेती का क्षेत्र है उसके फीगर्स तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जैसा कि निवेदन किया 1973-74 के मुकाबले में 1976-77 में लगातार गिरे हैं। यह ट्रेन्ड पिछले दो वर्षो मे और भी बढ़ा है। यह एक चिन्ता का विषय है। लगातार टोटल बोये हुए क्षेत्र में कटौती, और टोटल कल्टीवेटेड क्षेत्र में घटौती के जो फीगर्स हमें दिये हुए हैं यह चिन्ता का विषय है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपकी मार्फत माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि मुतिवातिर वास्तविक बोये हुए क्षेत्रफल और टोटल कल्टीवेशन के क्षेत्र में कमी के कारण किसानों की पैदावार लगातार नीचे गिर रही है। चाहे हमारे प्रान्त का टोटल प्रोडक्शन बढ रहा हो, चाहे देश का टोटल प्रोडक्शन बढ रहा हो, लेकिन एक किसान के घर में जो खेती से आमद होती है उसमें लगातार कमी होती जा रही है। यही कारण है कि खेती के टोटल कल्टीवेटेड एरिया में लगातार कटौती हुई है। पिछले दो सालों में एक लाख हैक्टेयर की कमी आई है। इसलिए एक कल्पना करनी पड़ेगी राज्य सरकार को, मैं कृषि मंत्रीजी को विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष, आपकी मार्फत कि यह विषय जितना गम्भीर होता जा रहा है उसको उसी गम्भीरता से लेना चाहिए। कृषि की पैदावार की कीमत घटती जा रही है। उसमें जब तक कोई रोक-

(श्री गोपालसिंह)

थाम नहीं होगी तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि या तो किसानों की पैदावार की कीमत उसे अच्छी मिले, ठीक ठीक मिले या उनको सब्सिडाइज किया जाय। यदि यह दोनों स्थितियाँ नहीं होती हैं तो यह किसान खेती का धन्धा कब तक करेगा ? और इसकी कल्पना करें कि जब घाटा होता जायगा तो कुछ प्रोडक्शन बढ़ाना हमारे प्रान्त और देश के लिए विषम स्थिति की बात होगी। इसलिए मैं कृषि मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कृषि उपज के भावों को देने की इस तरह की व्यवस्था करें कि जब किसान की फसल खेत में आती है और जब बाजार में उसको लेकर जाता है तब, और जब बाजार में खाने के लिए वापस अनाज लेने जाता है उसके भावों मे गहरा अन्तर रहता है, उसके बारे में आपको कुछ चिन्तन करना पड़ेगा।

मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि पिछले 3–4 सालों में जो कुछ व्यवस्था इस सम्बन्ध में थी वह समाप्त होती जा रही है। सारे राजस्थान में कृषि उपज मंडी समितियां थीं, मार्केटिंग सोसायटीज थीं। मार्केटिंग सोसायटीज किसानों का अनाज फसल के टाइम पर रहन करती थी और उसका कुछ प्रतिशत किसानों को देकर जब भाव अच्छे आ जाते, तो किसान आकर उसको बेच जाता था और इससे उसको अपनी उपज का उचित मूल्य मिलता था। माननीय उपाध्यक्ष, आज यह स्थिति नहीं है। आज किसान करीब करीब वहीं है, मार्केटिंग सोसायटी सब कुछ है और किसानों की उनकी रोजी जाती रही है, और आज स्थिति यह है कि किसान जो अपना माल प्लेज करता था, मार्केटिंग सोसायटी में, वह व्यवस्था नहीं है। वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन भी समय-समय पर खरीद करता है, वह मैं मानता हूं। आज सरकार की तरफ से जो कीमतें घोषित की जाती हैं और जिस वक्त खरीदने की बात करते हैं और यथार्थ खरीददारी इसलिए कमजोर रहती है कि उनके पर्चेजिंग सेन्टर्स बराबर नहीं होते हैं, और फसलें जब बाजार में आती है तो देखने में यही मिलता है कि किसान की जो फसल है वह बिल्कुल रूलती रहती है, न कोई धनी है न कोई धोरी। उसकी खुले आम नीलामी होती है।

माननीय उपाध्यक्ष, आपकी मार्फत मैं कृषि मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि इस स्थिति को मीट करना है तो हमारे लागत के खर्चे को कम करना पड़ेगा या उनको सब्सिडाइज्ड करना पड़ेगा। सब्सिडी के बारे में सम्भव हो कि माननीय कृषि मन्त्री जी इस बात को न मानें, लेकिन मेरा अनुरोध है कि राजस्थान के किसानों को सब्सिडाइज करने का आश्वासन दें। मैं चाहता हूं कि वह आश्वासन दें। यह बड़ा अहम् सवाल है, देश के उत्पादन से इसका सम्बन्ध है। किसानों की हालत सुधारने के लिए, उसको मेन्टेन करने के लिए दूसरे धन्धे हैं, उनके विकास के लिए यदि तेजी से काम शुरू नहीं किया गया तो धीरे-धीरे खेती का धन्धा खतरे में आ जायेगा और किसान उससे हटेगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां हम किसानों की वस्तुओं के भावों के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं, वहां उसका जो

(श्री गोपालसिंह)

दूसरा धन्धा है, पशु पालन, उसके बारे में ध्यान देना चाहिये। राजस्थान में इसकी बहुत गुंजाइश है। लेकिन आज से दो तीन साल पहले जो स्थिति थी, आज भी वही है। इस बारे में राजस्थान सरकार की ओर से कोई विशेष कदम नहीं उठाये गये हैं। पशुओं की बीमारी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसानों की जो स्थिति है, वह मेन्टेन हो जाये। अधिक से अधिक पशु चिकित्सालय खोले जायें। मौजूदा जो पशु चिकित्सालय हैं, उनसे लाभ नहीं हो सकता है। इसके लिए जो क्रास ब्रीड पशु हैं, उनका विकास करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं।

मैं, माननीय कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको गम्भीरता से लें। एक-एक पंचायत समिति में तीन-तीन, चार-चार पशु चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था करें। किसानों को सब्सिडाइज करते हैं तो उनके लिए डेयरी का काम है। मेरा निवेदन है कि बड़े बड़े आफिसर वहां पर आपने भेजे हैं। लेकिन सारी योजना जमीन पर नहीं आ रही है। खर्च अनाप-शनाप हो रहा है। एक एक को जीप अलाट हो रही है। किसानों से उनका कोई सम्पर्क नहीं है। मैं कृषि मन्त्री जी को कहना चाहूंगा कि उसमें किसानों का इन्वाल्वमेण्ट करें। उसमें जन प्रतिनिधियों का इन्वाल्वमेण्ट करें। जिनको आपने पशु दिए हैं, उनका कितना उपयोग हो रहा है। मैं मानता हूं कि माननीय कृषि मन्त्री जी भूलेंगे नहीं। जो धन दिया जा रहा है, उसका उपयोग हो। इसके साथ साथ अब मैं आपका मेरे क्षेत्र के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। श्री माधोपुर तहसील में, श्री माधोपुर, रोठड़ी, धामावास, तपीपल्या, आमावास तथा खाटू गांव हैं। इसके अलावा सीकर में डेयरी योजना को सफल करने के लिए जालड़ी, कोटड़ी गांव हैं। उनमें दूध कलेक्ट किया जा सके उसकी व्यवस्था करें। इसके लिए सड़क बनाना आवश्यक है। जो गांव हैं, उनसे दूध कलेक्ट करने की कोशिश करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर री-फाइनेन्स कार्पोरेशन से, जहां से पैसा मिलता है, उन पर यह पाबन्दी है कि एक कुएं से दूसरे कुए तक 200 मीटर से कम है तो लोन नहीं देंगे। वहां भूमि विकास बैंक के अलावा और कोई इन्स्टीट्यूशन नहीं है। इस तरह से दो रास्ते थे। भूमि विकास बैंक से भी लोन नहीं मिलेगा। मेरे क्षेत्र में, सीकर, झुन्झुनूं में सारे क्षेत्रों में ऐसा है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां वर्षा बहुत ज्यादा है, यह जो प्रतिबन्ध लगा रखे हैं, इससे सारे किसानों को लोन मिलने में बडी कठिनाई होती है। फाइल लिये लोग फिरते रहते हैं। लोन नहीं मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके लिए जो फाइनेन्स कार्पोरेशन है, वहां जाकर बात करें। इन कण्डीशन्स को समाप्त करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लालचन्द।

श्री लालचन्द (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि डिपार्टमेण्ट पर, किसानों के

(1223)

(श्री लालचन्द)

प्रति जो कुछ कहा जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे थे, जी तो नहीं करता था कि कुछ कहूं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट के बारे में कोई बात करूं, क्योंकि सैक्रिटरियेट में देखते हैं, सैक्रेटरीज की फौज है। ब्यूरोक्रेसी की फौज है। उधर मन्त्रियों की ओर देखते हैं तो वह ब्यूरेक्रेटिक फौज में मन्त्री बेचारा क्या कर सकेगा।

(व्यवधान)

क्योंकि जिस तरह से स्कीम बनी, जिस प्रकार से बातें आयीं, उससे यह लगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट इस देश का विकास, राजस्थान के किसानों का विकास करने में कोई रुचि नहीं रखता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट के अन्दर जो आफिसर नियुक्त हैं, उनको ज्यादा मुनाफा देने के लिए है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना खर्च करने के बाद सीकर और झुन्झुनूं के अन्दर मूंगफली का बीज बोया गया। उसका एक चौथाई भी नहीं हुआ। कम जमने से किसानों का नुकसान हुआ। नेशनल इनकम में कितना नुकसान हुआ उसकी तरफ ध्यान दें। 72 में कोई आदमी फसल बोने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस फसल में जो कीड़ा लगा था, उसका शायद इलाज नहीं होगा। इसको खतम करने के लिए दवाई चली हुई है। उनसे कीड़े को खतम किया जा सकता था। अगर इन दवाओं का इस्तेमाल कर दिया होता तो यह नुकसान नहीं होता। 31 करोड़ जो एक्सटेन्शन पर खर्च होता है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो कह रहे थे, सारे राजस्थान की जो एक मैन फसल बाजरा, उसको खतम कर दिया। उसके लिये बीज इम्पोर्ट किया। उस बीज को सप्लाई किया। यह लोग जानते थे कि इस बीज से बाजरा पैदा नहीं होगा, तब तो उस बीज को सप्लाई नहीं करना चाहिए था। अगर उनको मालूम था कि कैसा बीज है, उसमें कोई दोष है तो दवाई के छिड़काव से वह खतम हो सकता था। वह रुक सकता था। और बाजरे की फसल उतनी की उतनी रह सकती थी। उस दवाई का इस्तेमाल उसके छिड़काव में है। फिर क्यों फालतू का पैसा खराब किया जा रहा है। अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट में किसी तरह का सुधार लाना है तो यह जो आई. ए. एस. की फौज है, इसको हटा दीजिये। एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट के लोगों को अलग-अलग काम करने दीजिये जिससे वे अपने काम का सही अन्जाम दे सकें। उनकी वजह से आई. ए. एस. आफिसरों का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल हुआ है? पूसा इन्स्टीट्यूट के महान इन्जीनियर, यह उस साल की बात है कि, उनकी इच्छा के खिलाफ काम करते थे....

श्री श्योपतसिंह मकासर : पूसा इन्सटीट्यूट में कृषि वैज्ञानिक हैं, इन्जीनियर नहीं।

श्री लालचन्द : कृषि वैज्ञानिक। इसलिए इस किसान पर दया कीजिये, क्योंकि यह भी सारी बातें देख रहा है। आजादी के बाद महात्मा गांधी को लोगों ने कहा था कि इनको हटा दो, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको हटाओ नहीं इनका मन बदल दो। लेकिन इनका कोई मन बदला नहीं। और जिनका मन बदला उनकी चलती नहीं। आज हालत यह है कि इनके कहने से चलना पड़ेगा, यह बात मन्त्री के मुंह से निकलती

(श्री लालचन्द)

है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने दूं—

श्री रतनलाल वर्मा: मन्त्री के मन बदल गए।

श्री लालचन्द: कृषि उपज मण्डी समिति निर्माण कार्य करवाती थी, उस एरिया के चन्द लोग डाइरेक्टर थे, ब्यूरोक्रेट्स ने यह पावर भी उनसे छीन ली। अब कृषि उपज मण्डी समिति काम नहीं करायेगी, पी. डब्ल्यू. डी. करायेगी। इसके अलावा पांच पर्सेन्ट उनको और दिया जायगा। उन पर बहुत ज्यादा विश्वास किया गया और उस आदमी पर जो उस एरिया का जानकार है, जिसको उस एरिया की चिन्ता है उस पर विश्वास नहीं किया गया क्योंकि वे चोरी करते हैं इसलिए हम करेंगे। जिस प्रकार कृषि उपज मण्डी का काम इनको सौंप दिया गया और सारा का सारा पैसा जमा होकर स्टेट एक्सचेकर में चला गया, यह बात भी नहीं हुई। डवलपमेन्ट का बहाना करके सब कुछ करते हैं लेकिन काम नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा षड़यन्त्र है। देश की तीन बड़ी संस्थाएं— को-आपरेटिव, पचायत, खादी ग्रामोद्योग और एग्रीकल्चर, अगर तीन संस्थाएं ठीक तरह से काम करतीं, ये प्रोटेस्ट करतीं तो देश के किसान का शोषण रुक जाता। उसको बिचौलिया नहीं खाता। कोआपरेटिव्ज कामयाब हो जातीं, पंचायतें कामयाब हो जातीं तो वकील और अफसर नहीं खाते, खादी और ग्रामोद्योग अगर कामयाब हो जातीं तो बड़े-बड़े उद्योगपति काबू में आ जाते। और एग्रीकल्चर कामयाब हो जाती तो मान्यवर, किसान की हालत ठीक हो जाती।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (यातायात मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की हाउस की कार्यवाही 8 बजे तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय 8 बजे तक या मांगें पारित हो जाती हैं तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगे पारित होने अथवा 8 बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 37 कृषि एवं मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर विचार

श्री लालचन्द: व्यावहारिक लोग जो खेती करते हैं उन पर यह काम सौंपना चाहिए। उन पर एक जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए कि इतना प्रोडक्शन बढ़ाना है, इतने एरिया को अण्डर कल्टीवेशन में लाना है, फिर इनसे काम लिया जाय वरना...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज हालत यह है कि इम्प्लीमेन्टेशन होने से पहले ही स्कीम फेल हो जाती है, यह स्थिति है।

जहां तक वेयर हाउसिंग का सवाल है, किसानों का अनाज चूहों और कीड़ों की

(श्री लालचन्द)

वजह से खतम होता जा रहा है। वेयर हाउसिंग की फेसिलिटीज गांवों के अन्दर पंचायतों के हैडक्वार्टर पर होनी चाहिए, यह उनके लिए निहायत जरूरी है। मैं माननीय कृषि मन्त्री महोदय का ध्यान इसकी तरफ विशेष रूप से आकर्षित करूंगा कि जो अनाज पैदा हो गया है वह खराब क्यों हो, उसको खराबे या कीड़े-मकोड़ों से बचाने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

पशुपालन, एग्रीकल्चर-पशुपालन के बिना अधूरा है। किसानों के पास अकेले का सोर्स आफ इनकम एग्रीकल्चर रह जाता है, इसके साथ उपाध्यक्षमहोदय, पशुपालन का धन्धा रहता है तो उसकी इनकम भी बढ़ सकती है और ओलावृष्टि और बाढ़ की वजह से जो नुकसान होता है उस वक्त इससे इनको बड़ी सहायता मिलती है। और टाइम भी पास हो जाता है।

डेयरी की बात चल रही है, मैं यह कहना चहूंगा कि जिन एरियाज के अन्दर अभी डेयरी का धन्धा शुरू नहीं किया गया है, जैसे नोहर, भादरा, गंगानगर के कुछ एरियाज हैं उन एरियाज में भी तुरन्त इस डेयरी की स्कीम लागू की जाय जिससे वहां के किसानों को भी इसका फायदा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जो किसान को सामने दीखता है, फसल पर जो दवाइयां छिड़की जाती हैं, उसके फलस्वरूप उनको कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। एक ही बीमारी के लिए बीस-बीस तरह की दवाइयां जो दुकानदार दिखाता है उसको देखकर किसान कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। पर्टीकूलर डिजीज के लिए पर्टीकूलर दवा होनी चाहिए। किसी पर्टीकूलर एरिया के लिए कोई पर्टीकूलर दवा प्रेस्काइब कर देनी चाहिए जो उसके लिए उपयोगी हो। और दवा वहां पर काम में आने वाली नहीं हो उन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाना चाहिये। क्योंकि कई जगह इस तरह की दवाइयां डाल दी जाती हैं जिनका कोई असर नहीं होता उसके बावजूद भी किसानों को दिला दी जाती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इससे उनका पैसा भी व्यर्थ जाता है है और दवा भी व्यर्थ जाती है। दवाइयां भी इतनी मंहगी कि खाद, बीज और दूसरी चीजों के ऊपर इतना खर्च हो जाता है कि उसको घटाने के बाद आमदनी को केलकूलेट करता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता। ऐसी हालत में वह सोचता है कि आयन्दा ऐसा धन्धा नहीं करूंगा। और कुछ दूसरा काम करूंगा। इसी कारण से अण्डर-कल्टीवेशन का एरिया कम होता जा रहा है, वे यह फैसला करते हैं कि घाटे का धन्धा नहीं करना चाहते। इसलिए मुनाफे का धन्धा करने के लिए जैसा कि अभी माननीय गोपालसिंह जी ने सुझाव दिया था, यह सब्सिडी की बात है, कुछ औजारों को सस्ता और प्रोड्यूस को ठीक भावों पर दिलवाने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। वरना खेती घाटे का धन्धा होता जा रहा है, लोग इससे हट जायेंगे और देश में अनाज की समस्या भयंकर हो जायगी।

(26)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नूरा ।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश का मौसम तीन भागों में बंटा हुआ है, 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरसात । ऐसे बहुत कम देश होंगे जहां मौसम इस तरह बंटा हुआ होगा । इस मौसम के बंटवारे के हिसाब से किसान अपनी फसल बोता है । उस फसल में जितना खाद, बीज व दवाइयां हैं वह बड़े काश्तकार के हाथ में जाती हैं? छोटा काश्तकार जो भी उसके पास में साधन होते हैं, ज्यादा मेहनत करके अपनी खेती से ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश करता है । मेरा कहना है कि खेती के बड़े भूमिपतियों के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं लेकिन उस किसान की खेतो के छोटे-छोटे टुकड़े इस तरह बिखरे पड़े हैं, एक यहां है, दूसरा वहां है । उन टुकड़ों को एक जगह किया जाना चाहिए ताकि सारी खेती की देखरेख की व्यवस्था कर सके ताकि उस खेती से, पानी से, दवाइयों से सारी व्यवस्था करके जुटा सके । खेती इस रूप में होनी चाहिए कि अगर दवाइयां, खाद व बीज व पानी की व्यवस्था सरकार किसान के लिए कर दे तो किसान ज्यादा मेहनत करके ज्यादा अनाज पैदा कर सकता है । लेकिन बड़े काश्तकारों के पास तो उनके गोदाम हैं, वे दवाइयां व दूसरे साधनों की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन छोटे काश्तकार दवाइयों के अभाव में उसकी फसल में हर तरह के अभाव में ऐसा देखते हैं जैसे कोई अपना मरता हुआ बच्चा देखता हो । छोटे काश्तकार को खाद, बीज व दवाइयां फ्री दी जानी चाहिए । उसे ऐसी हालत में लाना चाहिए कि ज्यादा पैदावार दे सके । इसलिए उस छोटी खेती पर जितना बल लगा सकें, लगाना चाहिए, सरकार उसकी फसल को ले ले । उसका पैसा उसको दे दे ।

यह चरागाह की भूमि का राजस्थान में झगड़ा है । जो चरागाह की जमीन पड़ी रहती है, बारिश आती है तो घास होती है । 8 महीने जानवर चरते हैं । चरागाह के नाम थी वह जमीन काश्तयोग्य हो, किसानों को काश्त के लिए देना चाहिए । वह पानी की व्यवस्था करेगा, खेती को हालत में लाएगा ताकि उसका पशुधन 12 महीने ही घास चरता रहे ताकि वे अच्छे बछड़े पैदा कर सके । अच्छा दूध दे सके । कहीं चरागाह के नाम से, कहीं जंगल के नाम से छोड़ते हैं । किसान को बरसात के भरोसे छोड़ते हैं, 8 महीने तक जमीन सूखी रहती है, किसान के पास हो तो पानी देकर वह उसको हरा-भरा करे, ज्यादा अनाज पैदा कर सकता है । ज्यादा घास पैदा कर सकता है । अपने पशुओं को चरा सकता है ।

गांवों में पशु बीमार होते हैं, दवाइयां नहीं पहुंचतीं, अस्पताल नहीं है, बीमार पशु जो दूध देते हैं चाहे घर में भी पिलाया जाए तो पीने वाला बीमार होगा । शहर में बीमारी का असर बढ़ेगा । मेरी मान्यता है, मैंने अपने इलाके के लिए नाम गिनाए हैं कि अस्पताल की व्यवस्था करें । जानवर जो बीमारी में तड़पते हैं, उस जानवर को बचाने के लिए सारे राजस्थान में दवाइयों की व्यवस्था करें, पशु चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि बिना दवाइयों के जो खराब दूध मिलता है या

(श्री नूरा)

पशु मर जाते हैं, उससे उनको बचाया जा सके। इसके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

जहां पर किसान कपास, सब्जी व अनाज पैदा करता है। अनाज शहर में बेचने के लिए आता है, खरीदने वाला जैसी उसकी इच्छा होती है, दाम देता है, पूरा दाम उसको नहीं मिल पाता। सब्जियां जो किसान पैदा करता है उसकी लागत उसको मिल सके, सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था हो। आज गंगानगर के किसानों ने कपास का ढ़ेर पैदा किया हुआ है। आज उस कपास को खरीदने वाला नहीं है। पड़े-पड़े उसकी ताकत भी खतम होती है, कीमत भी खतम होती है। किसान समय पर बेच-कर जरूरतों की पूर्ति करता, वह नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कृषि उपज मंडी में कोई नीति तय नहीं है। मेरी मान्यता है कि उनकी पूरी उपज खरीदने के लिए सरकार को अपनी तरफ से व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसान बिचौलियों की लूट से बच सके।

बड़े किसान तो अनाज को रोक लेते हैं लेकिन छोटे किसान ऐसा नहीं कर सकते। अगर वे घर में रोकें तो दूसरी जरूरतों की पूर्ति नहीं कर सकते। उस अनाज को सरकार को खरीदकर, गोदाम में भरकर उस इलाके के लिए जमा करना चाहिए। रख रखाव में जितना खर्चा हो वह जोड़कर जब किसान को जरूरत पड़े वापस देना चाहिए। जब किसान अपना अनाज बेचने जाता है तो बिचौलिए उसको लूटते हैं। लेकिन जो पशु नहीं पालता, खेती नहीं करता, वह महल खड़े कर लेता है, करोड़ों का मलिक हो जाता है। जो अन्न पैदा करता है वह भूखा रहता है। इसलिए उस किसान की हालत सुधारने के लिए सरकार को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार इसे गंभीरता से ले, सामूहिक खेती की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। जो भी व्यवस्था सरकार को करनी पड़े, खर्चा सरकार को वहन करना चाहिए। छोटे किसान को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी मदद करें। बिचौलियों के झगड़े को खतम करना चाहिए। इस तरह जो वह खेती करे आप लोगों तक पहुंच सके, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। सरकार गंभीरता से विचार करें, इन समस्याओं में गहराई से जाए न कि किताबों में जैसे पढ़ा है उस आधार पर टिके रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन।

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल सिंह (आहोर)।

(अनुपस्थित)

श्री टीकमचन्द कान्त : गोपाल सिंहजी जालौर में पशु चिकित्सालय खुलवाने के लिए कह रहे थे।

श्री नवरंग सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हनुवन्त सिंह।

श्री हनवन्तसिंह राणावत (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में जिस द्रुत गति से आजादी के बाद देश में विकास हुआ है इसी के कारण खाद्यान्न की दृष्टि से देश आत्म निर्भर हो पाया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि जिस किसान ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर किया है उस किसान को अपने उत्पादन का सही और उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि किसान के उत्पादन का जो लागत मूल्य है उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है या उत्पादन का मूल्य बैठने की कीमत से कम आता है तो उसको दुख होता है। उसके घर में कुछ नहीं बच पाता है। मैं चाहूंगा कि जो निर्धारित मूल्य है फसलों के वह राज्य सरकार अपने देश की सरकार को कहकर और आग्रह करके ज्यादा करवाये जिससे किसान को अधिक लाभ मिल सके। उसको अपनी मेहनत की ऊंची सफलता मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जो 'ए' क्लास मण्डियां हैं उसमें मैं चाहूंगा कि सरकार अपने एजेन्टों के द्वारा किसान की उस उपज को खरीदवाये जिसके कारण जो बिचौलिये और बनिये मिलकर अधिक लाभ कमाते हैं उनका यह बिचौलियापन खतम हो। उस किसान को कुछ राहत मिल सके जो कि रात दिन मेहनत करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने बाली क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कई सालों से बीज उत्पादन का कार्यक्रम चलता था। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पाली जिले में जितना सफल बीज उत्पादन का कार्यक्रम चला है दूसरे जिले में नहीं चल सकता। कोई कारण नजर नहीं आता जिसमें इस जिले को बीज उत्पादन क्षेत्र में घोषित नहीं करके कोटा और गंगानगर को किया है। इससे पाली जिले के किसानों को राहत मिलने जा रही थी, उस राहत से हमारे किसान वंचित रह गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कोटा और गंगानगर जिलों को बीज उत्पादन के लिए चुना है उसी तरह से पाली जिले को भी चुनकर जो कि सारी शर्तें पूरी करता है, उन उन्नत किसानों को राहत पहुंचाई जाये जो कि सब तरह की जानकारी रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और समस्या की ओर आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि जिन काश्तकारों ने सरकार की संविदा की शर्तों पर बीज तुलवा दिया था आज से दो साल पहले उन सभी संविदा की शर्तों को काश्तकारों ने पूरा किया। सारी फार्मेलिटीज जो सरकार ने चाही थी। एग्रीमेंट में थी वह पूरी की, उसके बावजूद भी आज दो साल के बाद में भी उनको बीज का मूल्य नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे गरीब किसानों को इस तरह से नये-नये कार्यक्रम सरकार हाथ में लेने जा रही है, प्रोत्साहन देने जा रही है, तुरन्त भुगतान हो जाना चाहिए था जिस दिन उन्होंने बीज तुलवाया लेकिन आज दिन तक भुगतान नहीं हुआ। यह चाहे किसी की गलती रही हो लेकिन किसानों का कोई कसूर नहीं है जिन्होंने अपना बीज सही संविदा की शर्तों

(श्री हनवन्तसिंह राणावत)

पर तुलवा दिया है । इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि किसानों ने जो एग्रीमेन्ट के अनुसार बीज तुलवा दिया है उनको जल्दी से जल्दी उनके बीज के मूल्य का भुगतान हो । उनको इस परेशानी से बचाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बात डेयरी विकास के बारे में कहना चाहता हूं । डेयरी विकास के क्षेत्र में जो केवल एक मात्र साधन है जिसके कारण काश्तकार, गरीब उत्पादक और अन्त्योदयी परिवार जिनको गाय और भैंस दिलाई है उनका आर्थिक विकास किया जा सकता है । केवल यही सरकार के पास में उनको राहत पहुंचाने का जरिया है जिसके जरिये हम यह चाहते हैं कि जो सरकार ने फालना में नयी डेयरी स्थापित की है, उसके लिए तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं ही लेकिन उसकी व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा सुधारा जाये तथा उस सुधरी हुई व्यवस्था में तीन चार मार्ग जो कि आवश्यक हैं उनको अविलम्ब ले लेना चाहिए। यह मार्ग हैं (1) फालना से सादड़ी, देसूरी, नाडोल, राणी, खीमेल फालना गांव से फालना, (2) फालना, खीदारा गांव, कालीवाड़ा, सिलपुर, पेरवा से फालना (3) फालना से बाली, बोया, सेवाड़ी, बीजापुर, नाणा, भीमाणा, गोरिया से फालना । इन तीनों मार्गों को इस डेयरी विकास के कार्यक्रम से जोड़ दिया जाये तो आर्थिक विकास का मेरूदण्ड कहा जा सकता है । डेयरी से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सकेगा यदि यह मार्ग बना दिये जाते हैं तो उत्तम कार्य होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है । कृषि उपज मण्डी के क्षेत्र को घोषित करते समय उस बीमारी से हम भी अछूते नहीं रहे । उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी जो सुमेरपुर में है वह 'ए' क्लास मण्डी है । पंचायत समिति बाली का सारा उत्पादन इस सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी में आता है । इसके बावजूद कि जो कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थीं, सुमेरपुर पंचायत समिति से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हुए भी, क्योंकि पंचायत समिति सुमेरपुर को ही उन्होंने विकास के कार्यक्रम के तहत लिया था, तो मैं चाहता हूं कि हमें उन महत्वपूर्ण सड़कों को कृषि उपज मण्डी से जोड़ देना चाहिए जो आज वास्तव में अधिक उपयोगी हैं । जिससे कृषक अपना उत्पादन कृषि उपज मंडी तक ले जा सके । बरसात तथा कई दूसरी प्राकृतिक विपदाओं में मार्ग अवरुद्ध न हो । तो मैं चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों की उपेक्षा की गयी है उन मार्गों को कृषि उपज मण्डी से जोड़ने को स्वीकृति प्रदान की जाये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना है कि जो उत्पादन कृषक बेचता है उसका रुपये का आठ आना मूल्य आता है । जब वापिस खरीदने जाता है तो रुपये का 1॥ रुपया उनको देना पड़ता है तो इस तरह से कोई न कोई एक निश्चित कार्यक्रम या पालिसी बनाकर भावों में इतना अधिक अन्तर नहीं हो इस तरह की व्यवस्था करें तो उचित होगा । उन भोले-भाले किसानों को राहत पहुंचाई जा सकेगी ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री खंगार सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह नदेरा ।

(व्यवधान)

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के कटमोशन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा। कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी ने जब अपनी कृषि की पालिसी डिक्लेयर की तो उसमें बताया The price to be paid to farmer for their prodice should be fixed according to the principle of parity. समता मूल्य के आधार पर कृषि से जो पैदा होता है उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए। इन दो वर्षों के शासन में हमारी राज्य सरकार ने इस समता मूल्य के आधार पर किसानों को पैसा दिलाने के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये ? हम देखते हैं इस तरह का कोई वक्तव्य, इस तरह का कोई प्रचार या कोई भी तथ्य हमारे सामने नहीं आया, न सदन के सामने आया है जिससे हम यह सोच सकें और यह विश्वास कर सकें कि कृषि जिन्सों का मूल्य समता के आधार पर कायम करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री, मुख्य मंत्री जब दिल्ली में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की मीटिंग में जाते हैं, कृषि मूल्यों को तय करने की बात होती है तो हम उनका नाम नहीं लेते। हम इसका मतलब यह समझते हैं कि हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार इस समता मूल्य के आधार पर किसानों को पैसा दिलवाने की कोशिश करती है लेकिन राजस्थान सरकार अपने तथ्य, अपना पक्ष प्रस्तुत करने में हमेशा असमर्थ रही है। यही कारण है आज किसानों को समता के मूल्य के आधार पर पैसा नहीं मिलता है। मैं बताना चाहता हूं सन् 70 में गेहूं का भाव 75 रुपये तय किया गया था आज वह 115 रुपये है। अगर हम 70 में 100 रुपया इन्डेक्स प्राइस मानते हैं तो आज प्राइस 186 से ऊपर चली गई है। हमारा खर्चा बढ़ा है। जो चीजें खरीदते हैं उन पर खर्चा बढ़ा है, इन्डेक्स 186 पर चला गया है। लेकिन जो पैसा मिलने वाला है 75 के मुकाबले में केवल 114 है। इसलिये किसानों को काफी पीसा जा रहा है। चाहे आप किसी तरह से मदद करें यह गैप पैदा हुआ है, कितना फायदा देने वाले हैं यह पूरा नहीं हो सकता। इसलिये लोग देख रहे हैं यह खेती घाटे का धन्धा है। इससे खर्चा नहीं चल सकता। शहरों के लोग जो खेती के लिये भागते थे आज दूर होते जा रहे हैं क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है, यह घाटे का सौदा है। 75 में जो चीजें मिलती थीं उनके भाव चार गुणा बढ़ गये हैं। उस गैप को कैसे पूरा करेंगे ? जयपुर में सेठ साहूकारों ने जो बड़े-बड़े फार्म खरीदे थे, वह बिक गये हैं इस घाटे के कारण। आपके फार्म्स घाटे में जा रहे हैं। आपकी कृषि यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से सर्वेक्षण तक नहीं कराया कि खेती की जो पैदावार है उसका लागत मूल्य क्या पड़ता है। राजस्थान विशाल है जहां कुओं से, नहरों से सिंचाई होती है, कई जगह तालाबों से सिंचाई होती है। कुएं बहुत गहरे हैं। अलग अलग डिवीजन में अलग-अलग काश्त-

(श्री विजयसिंह नदेरा)

कार की पैदावार का लागत मूल्य वेरी करता है, इतना बड़ा फर्क है। इन सब चीजों को देख कर समता मूल्य के आधार पर तय करें जिससे हमारे काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। कृषि मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने पक्ष को एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, के सामने पेश करते वक्त सही तरीके से रखें।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं, आप चाहे कितना बड़ा विभाग बना लें, आपके बस की बात नहीं है। जब तक मूल चिन्तन नहीं बदलेगा, किसानों तक आपकी जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, आपके जो शोध हैं, जब तक नहीं पहुंचायेंगे तब तक खेती की तरक्की नहीं हो सकती। आपके बीज निगम की स्थिति यह है, वर्ल्ड बैंक के इन्सट्रक्शन्स साथ में आ हैं। आप केवल कुछ सीमित क्षेत्र में बीज उत्पादन कर सकते हैं। बड़ी विडम्बना है। अपने एक तरह से राजस्थान को वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रख रखा है। सीमित क्षेत्र में बीज पैदा करेंगे। वर्ल्ड बैंक के जो इन्सट्रक्शन्स होते हैं उनके आधार पर बीज पैदा किया जाता है। मैं कहूंगा आप बीज निगम का विस्तार कीजिये। छोटे-छोटे काश्तकार जो कुओं से खेती करते हैं, जिनको सारी वैज्ञानिक पद्धति का पता है उनको बीज निगम का मैम्बर बनाइये। अगर किसानों को आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो आपका बीज निगम घाटे में जाने वाला नहीं है। अच्छे तरीके से, किसान को लाभ देने की दृष्टि से अगर कार्य करेंगे तो इनको फायदा हो सकता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं अगर उसी प्रकार से कार्य होता रहा तो बीज निगम को लाभ होने वाला नहीं है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को कहना चाहता हूं छोटे छोटे किसानों को, जो लघु कृषक हैं, सीमान्त कृषक हैं उनको मैम्बर बनाइये। उनको अच्छा बीज दीजिये। फर्टीलाइजर दीजिये। निगम के माध्यम से बीज को बंटवाने व बिक्री कराने का प्रयत्न कीजिये तो काश्तकार अपनी जय बोलेगा। किसान को लाभ उससे होगा जो आपके कार्यक्रम है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उत्पादन बढ़ेगा, आपकी जय बोलेगा। उत्पादन बढ़ाकर बीज निगम के माध्यम से ज्यादा पैसा देंगे तो अवश्य ही इस सरकार की जय बोलेगा।

मैं आपको डेयरी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। बीकानेर डेयरी में हमने देखा है, वहां गो सेवा संघ बना हुआ है। गो सेवा संघ काश्तकारों में दूध इकट्ठा करता है। गो सेवा संघ द्वारा काश्तकार से इकट्ठा किया हुआ दूध है उसमें कभी फैट में कमी नहीं आई और काश्तकार से जो दूध इकट्ठा होता है उसमें हमेशा फैट की कमी आती है। ऐसी स्थिति है। काश्तकार से गो सेवा संघ वाले दूध इकट्ठा करते हैं, काश्तकार ये डेयरी से लोग दूध लेते हैं, दोनों में इतना फर्क है। जहां तक जांच का सवाल है, उसके नोटिस में भी यह बात आई है। हो सकता है आपको कोई राजनैतिक दबाव हो और कई चीजें आपके

(श्री विजय सिंह नदेरा)

सामने कही गई हैं लेकिन जो चीज नोटिस में आती है और किसानों के भले की है तो फिर आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं और जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक डेयरी उत्पादकों के शोषण को खतम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो आपके नोटिस में है कि शोषण हो रहा है तो उसको खतम कीजिए।

जयपुर डेयरी में 4 पर्सेन्ट फैट से 1.20 पैसे में दूध इकट्ठा होता है लेकिन जो व्यवस्था है उसमें वे 2.10 प्रति लीटर दूध देते हैं। इतना बड़ा गैप है, यह कैसे होता है। तो इस 90 पैसे के गैप को कम कीजिए। किसान को यदि 1-20 पैसा मिले, यह कितनी बुरी बात है। इसके अलावा जयपुर जिले में कई डेयरी कोआपरेटिव सोसायटियां हैं लेकिन इस जयपुर की डेयरी ने केवल 10-12 को ही बोनस वितरित किया है। लाखों रुपया आपके यहां जमा है, किस तरह वह पैसा काम में आ रहा है, कौन काम में लेता है। इस सारी स्थिति की अच्छे लोगों से, निष्पक्ष लोगों से जांच करायें व सोसाइटीज को उनका हक का रुपया दिलावें। इसके अलावा जयपुर दुग्ध उत्पादक संघ है, समितियां पहले दूध दिया करती थीं। पहले कितना कलेक्शन हुआ करता था और अब कितना कम हो गया है, इस ओर भी कभी आपने ध्यान दिया है? तो डेयरी जिस उत्साह से सरकार ने चालू की वह सरकार की तरफ से अब नहीं है। काश्तकार भी पीछे हटता जा रहा है क्योंकि उसका दूध कम भावों में बिकता है। इस सारी स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए आप जांच करायें। मैं उम्मीद करूंगा कि आज ही आप डिक्लेयर करें डेयरी में दूध का पैसा बढ़ाने के लिये और कुछ ऐसी घोषणायें करें जिससे काश्तकार लाभान्वित हो सके।

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय। बहुत से लोग चले गये, मुझे ही तो बोलना है। मैं तो सदन में पहली बार बोल रहा हूं। अभी तो आपने 8-00 बजे तक का समय बढ़ाया है....

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिये ही समय नहीं बढ़ाया है। और माननीय सदस्यों के लिये भी बढ़ाया है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह नदेरा : अब मैं फर्टीलाइजर के वितरण की ओर भी आपका ध्यान दिलाऊंगा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : आप मन्त्री महोदय को घर पर सुना देना।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : खुद किसान हैं और सब बातें जानते हैं इसलिए इनको बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी ही चर्चा समाप्त करें।

श्री रतन लाल वर्मा : गुप्ता जी का समय इनको दे दें।

श्री विजय सिंह नदेरा : उपाध्यक्ष जी, मैं फर्टीलाइजर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिये निवेदन करना चाहता हूं। इस फर्टीलाइजर में स्थिति यहां तक पैदा हो जाती है कि जो 80 रुपये का थैला आता है वह ब्लैक में 100 रुपये का मिलता है और खूब काला बाजारी होती है। उस काला बाजारी के लिए आपने क्या किया है? इस साल धड़ल्ले से काला बाजारी हुई है और किसान को एक थैले पर 20-20, 30-30 रुपया ज्यादा देना पड़ा है। आप क्यों नहीं करना चाहते हैं इस काला बाजारी को बन्द? यह तो आप कर ही सकते हैं। मैं तो कह सकता हूं जो दुकानें जमा रखी हैं, उन दुकानों के माध्यम से अधिकारी कमीशन लेते हैं। उनको ब्लैक में बेचने की छूट दे रखी है, काला बाजारी करें, जिसको चाहें उसको बेचें, जिसको चाहे उसको दें। किसी की हिम्मत नहीं है उनको रोकने की।

दूसरी जो व्यवस्था कर रखी है वह कोआपरेटिव सोसायटी के माध्यम से कर रखी है और जो डिपो बना रखे हैं, उनमें कभी खाद जाता है, कभी नहीं जाता है। कोई व्यवस्था नहीं है। कभी तो कहते हैं समितियों के माध्यम से बिकेगा और कभी कहते हैं किसानों को हम नहीं देंगे। तो इसका मतलब है किसानों को ठीक ढंग से और ठीक समय में खाद नहीं मिलता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको कोई चिन्तन करना चाहिये। अन्त में मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे समय दिया। मेरा आपको कोटि कोटि धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह।

श्री डूंगर राम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्योपत सिंहजी तो बहुत बोलते हैं। मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : वे भी शायद 5 मिनट ही बोलना चाहेंगे। उसके बाद आप बोल सकते हैं।

श्री डूंगर राम : बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप बाद में भूल जायेंगे क्या?

श्री डूंगर राम : भूल सकता हूं। मुझे बोल लेने दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि जैसे महत्व-पूर्ण सवाल पर, जो विकास का आधार है, देश का विकास है और प्रदेश का विकास है उसके ऊपर हम कुछ देर बैठ कर विचार करें तो इससे कोई समाधान होने वाला नहीं है। दूसरी बात, आखिरकार कृषि पर हिन्दुस्तान के अन्दर 70 फीसदी, 75 फीसदी लोग अपना गुजारा करते हैं। 75 फीसदी लोगों की हालत खराब हो जाय, उनकी पर्चेजिंग केपेसिटी नहीं रहे तो आपका यह सारा विकास रुक जायगा, अवरुद्ध हो जाएगा। यदि उनकी खुशहाली नहीं होगी तो देश का विकास कभी नहीं होगा। अगर किसी देश का किसान खुशहाल है तो देश

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

खुशहाल है। अगर किसान गरीब होगा तो आपके कारखाने नहीं चल सकेंगे और शहर का विकास नहीं हो सकेगा है। इसलिए मैं कहता हूं, कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के विकास के लिए, देश के विकास की एक रीढ़ की हड्डी है। इसका बजट सबसे कम है। इसके पास अधिकारियों की बहुत बड़ी फौज है। किसानों पर बहुत कम खर्चा, किसानों की तरफ बहुत कम ध्यान हो तो फिर विकास कैसे करेंगे राजस्थान का, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

राजस्थान के किसानों की क्या हालत है? राजस्थान के गांवों मे 25 फीसदी भूमिहीन मजदूर हैं जिनको केवल साल भर में दो-चार महीने मजदूरी मिलती है, उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं। राजस्थान में 50 फीसदी किसानों के पास अनार्थिक जोत है, आर्थिक लाभ वाली जोत नहीं है और केवल उसके पास 10-12 बीघा जमीन है। राजस्थान के बहुत बड़े भू-भाग पर 5 फीसदी लोगों का कब्जा है, चाहे सीलिंग की बात करें या और कोई बात करें। अब जिनके पास प्रदेश की 50 फीसदी जमीन है उनका धन्धा खेती नहीं है, उनका कोई रिश्ता खेती की जमीन से नहीं है, उनकी तरफ राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं, उनके पास जमीन नहीं। राजस्थान के किसान की फसल बाढ़ में तबाह हो जाय, ओलावृष्टि से तबाह हो जाय, खलिहान में आग लग जाय तो क्या किया है आपने? कुछ नहीं। अभी भावों के मामले में किस तरह से लूट हुई है, पता है आपको? मैं बताता हूं आपको, गंगानगर जिले के अन्दर जिस तरह से कपास के मामले में लूट हुई. सी.सी.आई. ने कपास खरीदा भी। सी. सी. आई. ने 4 महीने तक खरीद की। इतना जलील किया गया उस नरम और कपास बेचने वाले किसान को कि जिसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। सी. सी. आई ने ढाई सौ, पौने तीन सौ के भाव से खरीदा, और अब क्या भाव है? किसान के हाथ से आज जब कपास निकल गयी तो भाव पौने चार सौ और चार सौ का भाव है और एक महीने बाद यही भाव साढ़े चार सौ, पांच सौ और छः सौ रुपये तक जाएगा। जब तक किसान के पास कपास था तो कोई खरीददार नहीं था और अब जब कि कपास किसान के पास से बिक चुकी तो उसके भाव बढ़ गये। अगर हमारा स्टेट कार्पोरेशन होता तो मुकाबले में जाता। व्यापारी के मुकाबले में जाता, सी. सी. आई. के मुकाबले में जाता। हमारा कार्पोरेशन होता तो किसानों को भाव निश्चित रूप से ठीक मिलते। अगर किसानों को भाव ठीक मिलते को उसका पैसा बाजार में आता। लेकिन आपकी और केन्द्र की जनता पार्टी की सरकार की नीतियों में कोई फर्क नहीं है। अभी चने की फसल आ रही है। इस दफा राजस्थान में बहुत ही बम्पर क्रोप चने की है। क्या आपका कार्पोरेशन खरीदेगा? क्या व्यवस्था की है आपने? बनिया खरीदता है बाजार में डेढ़ सौ रुपये के भाव मे और जब हम बिजाई के लिए खरीदने जायेंगे तो चना मिलेगा ढाई सौ रुपये के भाव में। सौ रुपये का फर्क? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस लूट से किसान को बचाया जाय? लेकिन आपको फिक्र नहीं है। आपको चिन्ता ही नहीं है। दो चार घण्टे बहस करके मांग पास करा लो, बाद में छुट्टी। आपको पैसा मिल गया,

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

पैसा हजम मामला खतम। कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहता हूं कि राजस्थान सरकार को अपना स्टेट कार्पोरेशन बनाना चाहिए।

गेंहूं के भाव को लें। गेंहूं का भाव क्या था पिछले साल? हमारे एफ.सी.आई. ने खरीदा किस अजीब वातावरण में। पिछले साल जब एफ. सी. आई. ने हमारे किसान का गेहूं खरीदने के लिए, किसान को लूट से बचाने के लिए, सूदखोरों और मुनाफाखोरों से बचाने के लिए अपनी अलग खरीदने की व्यवस्था की, यह बात ठीक है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन जब किसान से माल खरीदते हैं तो जगह, रोशनी, पानी छाया की माकूल व्यवस्था होनी चाहिये। मैंने राजस्थान सरकार के मन्त्रियों को लिखा और केन्द्र के कृषि मन्त्री को लैटर लिखा। पिछले साल लैटर लिखा था उसका आज 8-3-79 को बरनाला साहब का जवाब आया। मेरी शिकायत थी, मैंने गंगानगर जिले की खाद्य निगम की भारी अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायत की। मैंने जिन मुद्दों की जांच करने की बात लिखी, उन्होंने कहा कि शिकायत झूठी है। एक साल के बाद सब झूठी पाई है। माननीय उपाध्यक्ष जी, ऐसी सरकार और ऐसे मन्त्रियों से हम क्या अपेक्षा करके चलें? जांच करने वालों ने शिकायत करने वालों से पूछा तक नहीं। बिना शिकायतकर्ता के ही जांच हो गई और कह दिया कि सारी बातें झूठी हैं। यह क्या व्यवस्था है? देश का भाग्य इन लोगों के हाथ में छोड़ दिया गया है। हमारे ये भाग्य विधाता हैं। यह देश निश्चित रूप से डूबेगा। जरूर डूबेगा। इसको बचाने की कोई व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है। कोई योजना नहीं है आपके पास।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : बंगाल में क्या हो रहा है?

श्री श्योपत सिंह मकसार : बंगाल भी हिन्दुस्तान में है और हिन्दुस्तान में जनता पार्टी का राज है। आप सुन लीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी साढ़े चार सौ किसानों की कपास गंगानगर जिले में मण्डी में पड़ी जल गई। हमारे मुख्य मन्त्री जी के पास इमदाद का फण्ड है। हमारे कालवी साहब वहां गये। किसानों की कपास जल गई, लोग आपको वहां पर ले गये, आपसे कहा कि आप कुछ इमदाद कीजिये, कुछ घोषणा कीजिये, चार सौ, साढ़े चार सौ, पौने पांच सौ के भाव की किसानों की कपास जल गई, किसान तबाह हो गया लेकिन एक पैसा इमदाद के रूप में नहीं दिया गया। एक पैसा नहीं दिया, जैसे उनके साथ दुश्मनी हो। बाकी सब जगह देते हैं, सब जगह वितरण होता है मगर किसान की फसल जल जाये तो उसको कुछ नहीं देता। ओला वृष्टि से किसान की फसल बर्बाद हो जाय तो कुछ नहीं। पंजाब और हमारे पड़ोसी प्रदेश हरियाणा में हानि हुई। उन्होंने करोड़ों रुपया मुआवजे के रूप में दे दिया। हम ज्यादा नहीं दे सकते तो कम ही दें। वहां पंजाब और हरियाणा में कर दिया कि किसान का इतना इतना नुकसान तो इतना-इतना परसेन्ट मुआवजा। अभी मुख्य मन्त्री ने कहा कि हमारी हालत ठीक नहीं है। अगर आपकी हालत ठीक नहीं है तो कम दे दो। वह तीन सौ देते हैं, आप डेढ़ सौ दे दो। कोई आधार तो बनाओ। किस के पास जाएगा, वह जिसकी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

भरी फसल खड़ी थी और दस पन्द्रह दिन बाद में उसके घर में आने वाली थी और इस तरह से फसल बर्वाद हो जाय तो उस पर कहर नहीं ढह जायेगा। जब यह हालत हो जाय तो किसान क्या करेगा? हमारे किसानों के महरबान, किसानों के भाग्य विधाता, इधर उधर की आज बहस कर रहे हैं, लम्बी चौड़ी बातें कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं कि हम यह करेंगे वह करेंगे। आप क्या करेंगे। आपने किसान को तबाह करने का ठेका लिया है और आपने किसान को उजाड़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो किसानों को चीजें बाजार से खरीदनी पड़ती हैं उनकी क्या हालत है। आप खाद नहीं दे सकते हैं ठीक समय पर, ठीक कीमत पर। आप दवाइयां नहीं दे सकते। गंगानगर जिले में मैं देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है। हमारे गंगानगर जिले में जहर की दुकानें सबसे ज्यादा हैं। फसल के कीड़ों को खतम करने की दवाइयां सबसे ज्यादा मिलेंगी। उनमें मिलावट मीलेगी हरियाणा, यू० पी० और पंजाब के अन्दर सब्सडाइज्ड रेट के ऊपर दवाइयां मिलती हैं। उनको लोग चोर बाजारी में लाकर यहां किसानों को बेचते हैं। आपके अधिकारियों को पता है? गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा जहर की दुकानें हैं। क्यों नहीं आपका डिपार्टमेंट सप्लाई करता। इस तरह की दवाइयां मनमाने भावों पर बाजार में नहीं बिकनी चाहिये वल्कि आपके अधिकारियों के द्वारा बेची जानी चाहिये। आप काहे के लिए ये फौज लिए बैठे हैं अधिकारियों की? इनके पास कोई काम नहीं है। इनके पास कोई बात नहीं है। दवाइयां नहीं हैं। डी. ओ., आपका यह डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर और आपके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर क्या काम करते हैं। इनके पास खाद नहीं है, किसानों को खाद सप्लाई करने की इनकी जिम्मेदारी नहीं। उसको खाद नहीं मिलेगी, दवाई नहीं मिलेगी, उसको कोई और चीज नहीं मिलेगी। खाद और बीज उसको महंगा मिलेगा। आप जाइये पंजाब में, आप जाइये हरियाणा में, कम से कम रहम करके जाइये। रहम कर के जाइये और देखिये कि कौन-कौन सी ऐसी स्कीमें चला रखी हैं जिनसे किसानों को फायदा होता है। आप कूप मण्डूक बने रहें तो काम नहीं चलेगा। आप अपना दिमाग खुला रखें और देखें कि कौन-कौन से प्रोविंसेज ने क्या तरक्की की है? किसानों के फायदे की क्या-क्या बातें हो रही हैं। आपने किसान की फसल का बीमा नहीं किया। जवाब दीजिये क्यों नहीं बीमा किया जा रहा है? हमारे यहां पर बहुत ज्यादा अकाल नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा बाढ़ की समस्या नहीं है। हमारे यहां कोई बहुत बड़ी बाढ़ नहीं आती है। दूसरे प्रोविंसेज में किसानों की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है, ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो उनकी फसल के बीमे की योजना शुरू कर दें। आप किसी भी तरह से तवज्जोह दीजिये कि आग से किसान की फसल जल जाय, बाढ़ से तबाह हो जाय या और कुछ हो जाय तो उसके लिए और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बीमा योजना शुरू कीजिये। आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिये। अगर आप बीमा योजना शुरू नहीं

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

करते तो किसान का क्या हस्र होगा, क्या हालत होगी ? आज फेग्रमेंटेशन हो रहा है। आज किसान के घर में गरीबी आ रही है, उसकी जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हो रहे हैं। आज किसान का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको खयाल नहीं है। कोई आपके पास प्लान नहीं है सिवाय इसके कि आपके अधिकारी आपके सामने रख देते हैं उस पर साइन कर देते है।

दूसरा काम आपके पास तबादलों का काम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नये मन्त्री आ गये तो नये मन्त्री जी ने चहेतों को अच्छी जगहों पर तबादला कर दिया, पुराने मन्त्री चले गये तो उनके लोगों का तबादला कर दिया। मैं आपके सामने लिस्ट पेश कर रहा हूं तबादलों की। 27-2-79 और 8-2-79 को तबादले हुए हैं। एक लिस्ट 42 की है और एक लिस्ट 29 की। क्या आवश्यकता पड़ी थी ? आपको क्या ख्याल नहीं है ? आप भी बाल बच्चेदार हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनका परिवार है, आज शिक्षा सत्र के बीच में तबादला कर देंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। क्या आवश्यकता पड़ गई थी ? एक महीना और ठहर जाते तो कौन सा पहाड़ गिर जाता। कोई देखता नहीं, कोई बात नहीं, आपके लाड़ले थे, आपके नजदीक थे, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, उनको कह देते कि दो महीने ठहर जाओ। उसके बाद तबादले होजाते। बच्चों की परीक्षायें होने के बाद। इस तरीके से तरक्की करने की बात करते हैं। उन कर्मचारियों पर क्या बीती है ? ये कितने बड़े कर्मचारी थे, यह जान कर मन्त्री महोदय आपको गैरत महसूस होगी। पशु चिकित्सालय के कम्पाउण्डर थे ? आपने उनका तबादला क्यों किया ? कौन सी ऐसी जरूरत थी ? कौन से ऐसे कारण थे ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस लिस्ट में सिर्फ लिखा हुआ है कि तीन आदमियों को टी. ए., डी. ए. दिया जाएगा। बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलेगा ? आप जवाब दे सकते हैं ? इन्होंने तबादले आपसी रजामन्दी से कराये हैं। तो यह बात समझ में आ सकती है। जिन कर्मचारियों ने तबादले रजामन्दी से नहीं कराये हैं उनको आपने टी. ए. क्यों नहीं दिया ? आपने यह क्या मखौल बना रखा है। इसमें लिखा है दो-तीन आदमियों को मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान वेटरिनरी हास्पिटल की तरफ ले जाना चाहता हूं। एक शहर में एक ही जगह पर डेयरी का डाक्टर भी है, हमारे पशु पालन विभाग का डाक्टर भी वहां पर है, हमारी मोबाइल यूनिट का हैडक्वार्टर भी वहीं पर है। दूसरा आपकी ग्राम आधार योजना का डाक्टर भी उसी जगह में है। इस तरह से आप क्या करना चाहते हैं ? आदमी तो चल कर अस्पताल जा सकता है परन्तु क्या भैंस बीमार ऊंट जा सकता है ? इसकी आपने क्या व्यवस्था की है। कृषि मन्त्री जी, चार-चार डाक्टर आपने एक ही जगह पर, एक ही शहर में लगा रखे हैं। एक ही जगह पर इकट्ठा कर रखे हैं। डेयरी के लिए आप एरिया मार्क कर दीजिये। किसान से पांच पैसा आप लेते हैं। आप यह गवर्नमेंट के पशुपालन विभाग में जमा करा दीजिये। इसका इन्चार्ज पशुपालन विभाग को बना दीजिये। अलग-अलग संस्थायें, अलग-अलग

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

निगम और फिर उसमें भी पसन्द के आदमी, आपकी पसन्द के आदमी जायेंगे। हमारे मुख्य मन्त्री की पसन्द का मन्त्री होगा और मन्त्री की पसन्द के आफिसर होंगे तो इस देश का विकास नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ये बांध तथा तालाब हैं। राजस्थान वह प्रदेश नहीं रहा है जहां पहले घी, दूध की नदियां बहती थीं। आज खुराक की हालत क्या है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कई दूसरे एरियाज हैं जहां पर कि नदियां बहुत ही कम हैं। मगर इन पहाड़ी क्षेत्रों में तालाबों के जरिये, बांधों के जरिये, जहां कहीं पानी मिले, इकट्ठा करके सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं और करनी चाहिये। साथ ही साथ मछली पालन भी करना चाहिये। मछली आदमी के लिए सबसे बढ़िया खुराक है। आमदनी का साधन भी बन सकती है। लोगों को अच्छी खुराक मिल सकती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में गाय, भैंस का दूध एक एक किलो से ज्यादा नहीं है क्योंकि उनकी खुराक अच्छी नहीं है। इसलिए वहां पर बांध बनाइये ताकि उनको मछली भी उपलब्ध हो सके और उस पानी को भी यूटिलाइज कर सकें। इसके लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है। ऐसे क्षेत्र के अन्दर जहां पर वनस्पति कम होती है, ऐसी जगह पर बांध बनाने चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। कुछ कान्क्रीट सुझाव देना चाहता हूं।

आपके बैंकों की कर्ज देने की यह क्या व्यवस्था है? मन्त्री महोदय, आप बहुत लम्बे चौड़े भाषण देते हैं। मन्त्री जी, आप बाजार में जाइये, देखिये डीजल इन्जिन की क्या कीमत है। आज आपका बैंक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सेठों के साथ उनकी मिली भगत है। बैंक का मैनेजर उन सेठों से ही, जिनके साथ कमीशन तय होता है, इन्जिन खरीदेगा। किसान के पास पैसा होता नहीं है। आपका बैंक उसको नगद नहीं देता है। किसान को आप चोर समझते हैं। आपका बैंक भी कहता है यह पैसा खा जायेगा। इसलिए बैंक उसको नगद नहीं देता है। इस प्रकार आपने बैंक को उसको लूटने की छूट दे दी। मार्केट में वही इन्जिन तीन हजार में मिलता है। अगर किसान की जेब में नगद रुपया होगा। बैंक किसान को पेमेन्ट नहीं करेगा, सीधा डीलर को पेमेन्ट करेगा। वही इन्जिन किसान को बैंक की मार्फत 4200/- रुपये में मिलता है। यह क्या तमाशा है? इसी तरह से ट्रैक्टरों लूट हो रही है। मार्केट के दस ट्रैक्टर खड़े हैं मार्केट में। किसान को ट्रैक्टर खरीदने में इमदाद करनी है, तो उस पर छोड़ना पड़ेगा कि वह कौन सा ट्रैक्टर खरीदना ठीक समझता है। परन्तु इसमें भी आप किसान की मजबूरी का फायदा उठा कर बैंक को देते हैं। इसी प्रकार आप किसान को गरीबी के दलदल में धकेल रहे हैं। तीन हजार के इन्जिन में एक हजार, बारह सौ रुपये का मुनाफा आपका सेठ व बैंक मैनेजर कमा रहे हैं।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं, यह एग्रो इण्डस्ट्रीज भी अजीब तमाशा है? जब कभी किसी मन्त्री के दिमाग में खुराफात आ गई और स्कीम चला दी। यह एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन एक घाटे का महकमा है। बड़े ट्रैक्टर की जरूरत है क्या? काश्तकारों के लिये तो छोटे-छोटे ट्रैक्टर चाहिये। अभी बाजरे की फसल खतम हो रही है। इस रेगिस्तान में अब गवार की फसल अधिक बोई जाती है। तीस-तीस रुपया बीघा किराये पर किसान को ट्रैक्टर ले जाना पड़ता है। सस्ती रेट पर, पांच रुपये, दस रुपये, सात रुपये फी बीघा के हिसाब से इन गरीब किसानों को बुवाई के लिए ट्रैक्टर किराये पर देने की व्यवस्था कीजिये। आप उनको सस्ती दर पर मशीन दीजिये। किसान गरीब से और गरीब होता जा रहा है। जमीन के टुकड़े और छोटे होते जा रहे हैं। आज पांच बीघा वाला बैल नहीं रख सकता है। ऊंट नहीं रख सकता है। ऐसी स्थिति रही तो आपको सामूहिक फार्म शुरू करना पड़ेगा या इस तरह से छोटे ट्रैक्टर्स की किराये पर व्यवस्था करनी होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इन छोटे किसानों को इमदाद दीजिये वरना किसान तबाह हो जावेगा। आज आप राजस्थान क्षेत्र में एक मुरब्बा जमीन दे रहे हैं, वह भी इसको नहीं रख सकेगा। उसके पास मार्केट नहीं है बाजार नहीं है। बाजार पहुंचने के लिए सड़क चाहिये। राजस्थान केनाल के किसान की फसल को आज लूटा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको इसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : काफी चर्चा हो चुकी है। अब समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कातरा खा रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जनता पार्टी में कातरा है। आज नजर नहीं आ रहे हैं। आज कातरे चले गये हैं। जनता पार्टी को भी कातरे से खतरा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक मियाद के बाद वह अपने आप ही खतम हो जाता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कातरा हमारे राजस्थान में बहुत बड़े भू-भाग पर फैला है। बहुत अच्छी वर्षा थी, बहुत अच्छी फसल हो सकती थी। आपने क्या कातरे की कोई दवाई ढूंढी। इसको मारने का क्या तरीका है? उपाध्यक्ष महोदय, इसको नष्ट करने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश होनी चाहिये। आपने कौन सा तरीका निकाला है। कौन सी दवाई ढूंढी है। क्या व्यवस्था की आपने? कोई व्यवस्था नहीं। इसके साथ-साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत जी, अब आप समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं विपणन बोर्ड के बारे में बात करूंगा। विपणन

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसने हरियाणा, पंजाब की तरक्की का आधार ढूंढ़ा लेकिन हमारी सरकार का कोई ख्याल नहीं। सफेद हाथी मर्जीदान, मन्त्रियों के मर्जीदान, मिनिस्टरों के मर्जीदान बोर्ड में बैठे हैं उनको किस बात का पैसा देना चाहिये? आप कह रहे हैं पी. डब्ल्यू. डी. का और 5 प्रतिशत, यानि बोर्ड तथा पी. डब्ल्यू. डी को 15 प्रतिशत देना पड़ेगा। इस पैसे से आप गांव में सड़क बनाइये, वाटर वर्क्स बनाइये। आज जाइए पंजाब में, और देखें। हमारे पास सबसे ज्यादा ब्रिज ई की जमीन है। आज से 15 साल पहले पंजाब में फसल नहीं होती थी और सेम की वजह से बेकार हो गई थी। आज उन्होंने उस पंजाब की शक्ल ही बदल दी। हमारे पास जमीन का क्षेत्रफल ज्यादा, मगर साधन नहीं। जब हम तरक्की की बात कहते हैं तो कहते हैं कि राजस्थान के पास क्षेत्र बड़ा है। अरे, हमारे पास जमीन ज्यादा है तो हमारी तरक्की का आधार भी तेज होना चाहिए। मगर ये रोते हैं कि हमारे पास एरिया ज्यादा है। जब क्षेत्र ज्यादा है तो हमें खुश होना चाहिये कि हमारे पास एरिया ज्यादा है। सवाल यह है कि सोर्सेज विकसित किए जाय, सोर्सेज पर ध्यान दिया जाय। इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। संसार में सबसे कम लागत से, सबसे कम महनत से कोई धन्धा सबसे अधिक रिटर्न्स देने वाला है तो वह पशुपालन का है। कृषि को पशुपालन के साथ ही गिना गया है। मैं इस बारे में सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहले तो किसान मुख्य मन्त्री जी और किसान ही कृषि मन्त्री जी, जो परिवेश से ज्यादा किसान लगते हैं, मैं कहूंगा अगर कृषि को ग्रामोन्मुख बनाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं राजस्थान की और पिच्यासी प्रतिशत जनता को आप सुख देना चाहते हैं और अपने आपको खेती के अच्छे मिनिस्टर साबित करना चाहते हैं आपके बारे में अफवाह ज्यादा है लेकिन अभी भी उम्मीद है कि मुख्य मन्त्री जी के नजदीक, प्रभावशाली ज्यादा और मेरे पुराने मित्र होने के कारण से, मैं समझता हूं,

एक माननीय सदस्य : ये आपके मित्र कब से हैं?

श्री किशनसिंह भाटी : कि बहुत क्रान्तिकारी परिवर्तन करेंगे। वे तभी हो सकते हैं, जैसे कई साथियों ने सुझाव दिये, मेरे पश्चिमी राजस्थान के पशुपालन का उल्लेख किया। 5-10 सुझाव दूंगा व्यावहारिक तौर से पशुपालन के बारे मे उनको लागू करेंगे तब तो परिवर्तन होगा। जैसा कि पिछले 30 वर्ष से चल रहा है और पिछले दो वर्ष से जनता सरकार में चल रहा है जैसा कि मैंने खुद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर धन्यवाद प्रस्ताव में कहा कि हमने कुछ कीतिमान स्थापित किये हैं। इसके आगे प्रश्न है कि कम से कम कृषि मन्त्री जी, जो गांवों का भला चाहते हैं,

(श्री किशनसिंह भाटी)

इस अफसरशाही के खतरे से निकाल देंगे सैक्रेटेरियेट और वर्तमान कानून की प्रक्रिया को। नये मन्त्री होने के नाते, मैं कहता हूं कोई भी सरकार आ जाय, 30 वर्ष की प्रक्रिया को अगर नहीं बदला गया तो गरीब किसान पशुपालन सरकार से कुछ नहीं ले सकते चाहे बजट कितना ही प्रोवाइड करें। इसलिए, कृषि मन्त्री जी, आप कृपया कुछ मूलभूत परिवर्तन कीजिए। मेरा सुझाव है कि पश्चिमी राजस्थान खेती में बहुत आगे बढ़ सकता है और जोधपुर, गंगानगर, पाली बजाय जो जिले पशुपालन के लिए प्रमुख हैं वहां 71-72 या 61 का आधार मत मानिये। प्रति वर्ष दो दफा नहीं तो एक दफा पशुओं की गिनती करा डालिए। गिनती करके योजना बनाइये और रेगिस्तानी इलाके जहां की जनता का प्रमुख आधार पशुपालन है। जयपुर में रहने वाले, भैंस का धन्धा करने वाले हैं, यह उनका सैकण्डरी धन्धा है। दो तीन दफा असेम्बली में यह माना गया है। जयपुर में चाहे डेयरी का धन्धा चलता है। जयपुर में इसका सारा कंसट्रक्शन अपने अपने अधिकार से कर रहे हैं। अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, ऋण की सुविधा आदि सब दे रहे हैं लेकिन जब तक 33 हजार गांवों में, मुख्यत: इन दो डिवीजनों जोधपुर व बीकानेर में नहीं फैलायेंगे तब तक, कालवी साहब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिये सर्वप्रथम डाइरेक्टोरेट को वातानुकूलित कमरों में रखने की कोई जरूरत नहीं है— Persons sitting in the air-conditioned rooms are the most mischievous and notarious judges of the desert areua and desert problems. इसलिए आपके डायरेक्टोरेट, जो गाय,ऊंट, भेड़ बकरी, बैल और गधों को डील करता है—

श्री श्योपतसिंह मकासर : गधों को ?

श्री किशनसिंह भाटी : मेरा सेंस जानवर से है। मैं कुछ अन्य चीज कहूंगा। इन्होंने गवर्नमेंट को सेंसर ही किया। मैं अपने टूटे फूटे विचार जैसे भी हैं कहूंगा। यह डायरेक्टोरेट जोधपुर, बीकानेर कहीं पर भी स्थापित कर दीजिए जहां कि राजस्थान के 70 प्रतिशत पशु हैं, जहां पशुपालन का फील्ड है, इस डाइरेक्टोरेट को वहां ले जाइए। मैं नहीं कहूंगा कि मत्स्य पालन का मुख्य कार्यालय वहां ले जावें। ईरिगेशन या थरमल पावर को वहां ले जावें। हमारा सारा कसेप्ट वहां है। इसलिए मैं चाहूंगा, कालवी साहब, गुजरात से ज्यादा, हरियाणा से ज्यादा, डेनमार्क से ज्यादा पशुपालन यहां है इसलिए, कालवी साहब, जनता की अपेक्षाओं के ट्रायल पर खड़ा होना चाहते हैं तो दोनों रूप हमारे यहां हैं। जयपुर, कोटा की तरफ बड़े-बड़े शहरों पर ही दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। आनन्द डेयरी की तरह, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, डेनमार्क और इजरायल का मुकाबला करते हुए आपके विभाग को गांवों की तरफ ले जाना चाहिए। जोधपुर, बीकानेर डिवीजन्स में डाइरेक्टोरेट स्थापित कीजिए पशु-पालन एवं भेड़ पालन का भी।

(श्री किशनसिंह भाटी)

दूसरा मैं यह चाहूंगा कि पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए आपके कुछ कार्यक्रम अच्छे हैं। आप किस चीज को लेकर सूरतगढ़ में ब्रीडिंग फार्म चलाना चाहते हैं ? जैसलमेर के गांवों से थारपारकर गायें लाकर वहां रखना चाहते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, शेरगढ़ और सारे बोर्डर के इलाकों मे यह सिन्धी नस्ल है। यह पाकिस्तान में भी है और इधर भी है। दुनियां भर में सबसे ज्यादा मजबूत, दुनियां भर में सबसे अच्छा दूध देने वाली गाय है। इसका ब्रीडिंग इसकी नस्ल का सुधार करना होगा। राजस्थान में गायों की नसल सुधारने के लिए कांकारेज, राठी, हरियाणवी और थारपारकर इन चार नस्लों के इम्प्रूवमेंट करने के लिए केन्द्र खोलें। राजस्थान की हर पंचायत समिति में आप एक फ्री साण्ड दें और उनके लिए पानी की, ग्रीन फोडर की, सरकार व्यवस्था करें। वह राज्य सरकार की तरफ से की जाय। गायों के साथ ही भैंस, ऊंट. बकरी, भेड़ की नस्ल अच्छी हो। एनीमल हस्बेण्ड्री डिपार्टमेंट को स्वतन्त्र तौर से चलायें और डेयरी की व्यवस्था से जो टैक्स बढ़ा रहे हैं उसको कम करें। अच्छी नस्ल के साथ अच्छी गाय, अच्छी भैंस, अच्छी बकरी और अच्छी भेड़ अगर उसका दूध काम में लेते हों तो इनका सामन्जस्य बैठा-कर यह केन्द्र खोलें। .बीकानेर में ऊंटों का केन्द्र खोला हुआ है जबकि ऊंट जैसलमेर, बाड़मेर, शेरगढ़ और फलोदी में भी ज्यादा होता है। मैं यह चाहता हूं कि ऐसे सेन्टर्स ब्रीड इम्प्रूवमेंट सेन्टर्स सब जगह और सब पंचायत समितियों में कम से कम हों। इस-लिए यह मेरा सुझाव है ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए।

दूसरा, पशु चिकित्सालय काफी खोले गये हैं। कुछ जगह कम खोले गए हैं और कुछ जगह ज्यादा खोले गये हैं। मैं यह चाहता हूं कि पशु चिकित्सा की व्यवस्था आप समुचित नहीं करते हैं और एनीमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेंट को ठीक नहीं करते हैं तो मैं, कालगी साहब, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एक हजार की गाय, चार हजार का ऊंट, दो हजार की भैंस बिकती हैं और 200 की भेड़, बकरी या बकरा बिकता है ? इतनी कीमत के जानवर हैं उनकी दवाई के लिए आप 9 पैसा, 10 पैसा या 15 पैसा प्रति पशु देते हैं तो वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और बीकानेर में, उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम 10-12 हजार अन्य पशु गत वर्ष सरा रोग से मर गये। वह इसलिए मर गये कि एक अमेरिकन दवाई एन्ट्रीपालिया एन्ट्री-साइट कहीं भी नहीं थी, केवल ब्लेक में सारे राजस्थान में एक पोखाल की मोनोपोली थी उसके पास मिलती थी चुपके से या पाकि-स्तान से कहीं से आती थी। अब उसका प्रोडक्शन भी बन्द हो गया। तो रोग से 15 रुपए के खातिर 5 हजार का ऊंट मर गया और हम दवा का इन्जाम नहीं कर सके। आप उस पुरानी परिपाटी को लेकर न चलें। पशुओं के लिए अपने मानस को उठायें और 30 पैसे और 40 पैसे और मिनिमय 10 पैसे को बढ़ा कर 50 रुपया कर दें। 50 रुपया चिकित्सा पर प्रति पशु खर्च हों। जहां पर ज्यादा पशु हैं वहां पर मोबा-इल डिस्पेन्सरी, भ्रमणशील चिकित्सालय

(श्री किशनसिंह भाटी)

व्यवस्था करें तो रेगिस्तानी इलाके में, पश्चिमी राजस्थान के लोग और दूसरे लोग, जहां पशु हैं, वह आपका उपकार मानेंगे।

दूसरे, जो दवाइयां हैं एंट्रीपोलिएन्ट्री जैसी उन पर शहरों के सेठ साहूकार मोनोपोली कर चल रहे हैं। जिला हैडक्वार्टर्स पर यह दवाइयां नहीं मिलती हैं और महंगी मिलती हैं तो कम से कम अधिकारियों को आदेश दें कि वह इन दवाओं के लिए एजेन्ट मुकर्रर करें। हर जिले में दवाओं के सन्टर्स हों और हर पंचायत समिति में सेंटर्स कायम करें जहां कि आदमी इनको मोल ले सके अगर मोल लेना चाहे तो। इसके लिए आप उनको लाइसेन्स दें। 40, 50 और 20 गांवों की एक पंचायत समिति है तो कम से कम राजस्थान के हर पंचायत समिति सैंटर पर एक दवा विक्रेता को लाइसेन्स देकर दुकानों की व्यवस्था करें। इस तरह की व्यवस्था आप करें ताकि मोल की दवा लेकर मरते पशु को तो पशु पालक बचा सके।

ऋणों की व्यवस्था को देखिये। पिछले 25-30 वर्षों में जो हमारे यहां पर स्पीडी इन्डस्ट्रियलाइजेशन हुआ है जिसमें श्योपतसिंह जी का डाइरेक्टली या इनडायरेक्टली लेबर के सम्बन्ध में इन्ट्रेस्ट रहा है। तो आपकी यह जो लेबर ओरियेन्टेड फिलासफी है वह इन्डिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, क्यों कि यह पीजेंट्री की तरफ से आये नहीं हैं। श्योपतसिंह जी के मन की भावना के अनुसार 25-30 साल तक इन्डस्ट्रीज को काफी कर्जा मिला है। उनको पानी मिला है, बिजली सस्ती मिली है। अत्यधिक ऋण मिला है उसी तरह से पशुपालकों और खेती करने वालों को भी उन्हीं के मुकाबले में ऋण दिलायें, कम ब्याज पर ऋण दिलायें। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि गांवों में बिल्कुल कम ब्याज पर ऋण मिले। जितनी भी इन्डस्ट्रीज हैं उनमें खेती करने वाले पिछड़ गये हैं। भारतवर्ष में व राजस्थान में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर किसान है और प्राड्यूसर के साथ साथ स्टेट का सबसे बड़ा कन्जूमर भी है। लेकिन कहीं उसके एक्सपोर्ट का जरिया नहीं है। इसलिए खेती पर विशेष ध्यान देंगें। उसके लिए कुछ सजेशन देना चाहूंगा। आपको चाहिए कि किसानों की खेती का बीमा कराइये, नेचरल कैलेमिटीज के लिए। जैसे आप बाढ़ में मदद करते हैं, सेठ की कार जल जाती है तो मदद करते हैं, सेठ की फैक्ट्री जल जाती है तो मदद करते हैं, सेठ का दिवाला निकल जाता है तो उसकी मदद करते हैं, इस तरह 50 तरह से मदद करते हैं 18 पर्सेन्ट शहरी जनता को और 5 पर्सेन्ट इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स को हम 80 पर्सेन्ट लोगों की कास्ट पर मदद करते हैं पब्लिक एक्स चेकर से। उसी प्रकार से किसानों की खेती का बीमा करायें नेचरल कैलेमिटीज का चाहे वह खतरा हो, चाहे लोकस्ट हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे फेमिन हो जिसमें किसान का कतई कसूर नहीं है और किसान विजीलेंट है। नेचरल कैलेमिटी से जो पशुओं का और खेती का नुकसान होता है। पशुओं की बीमा योजना

(श्री किशनसिंह माटी)

और खेती की बीमा योजना को लागू किया जाय। दुबारा में फिर कहूंगा कि इन्डस्ट्री के लिए विशेष बीमा होगा, सेठजी की फैक्ट्री के लिए बीमा होगा, जीप के लिए बीमा होगा, कार के लिए बीमा होगा, स्कूटर के लिए बीमा होगा, लेकिन प्रोड्यूसर किसान के लिए नहीं होगा जो कि आज कमजोर है, जागरुक, संगठित नहीं है। वह आज देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, देश की इकानामी की रीढ़ की हड्डी है इस-लिए इस बीमा योजना पर गम्भीरता से विचार करें।

आपके डिपार्टमेंट पर करोड़ों रुपया खर्च होता है तो इन चीजों को लेकर जितनी एजेन्सीज हैं उनको लगाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी जो स्कीम है वह इन्टेग्रेटेड स्कीम नहीं है क्योंकि एक किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो वह दूसरे महकमे जाये, खाद के लिए और जगह जाय और पशुओं के लिए और जगह जायेगा। 85 पर्सेन्ट लोगों का आपका बजट एक ही समन्वित नाम से होना चाहिए। मैं कहता हूं कि पशुपालन और खेती भी एक तरह की इन्डस्ट्रीज हैं। यह इन्डस्ट्रीज तो है ही लेकिन यह आपकी इन्डस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आती हैं। भारत सरकार की तरफ से भी इन्टेग्रेटेड स्कीम नहीं बनती है। एक एक्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि आपकी आर० ई० सी० का जो कार्यक्रम है उसका नाम तो है ग्राम विद्युतीकरण का लेकिन काम करता है केवल खेती के, कुओं के विद्युतीकरण का ही। अगर वह ग्राम विद्युतीकरण योजना है तो पशुपालन में पशुओं की नस्ल बढ़ाने के लिए, पशुओं के फीडर के लिए, पशुओं को मल्टीप्लाई करने के लिए, उनकी प्रोडक्ट्स के उद्योग चलाने के लिए पानी पिलाने हेतु भी उनको बिजली मिलनी चाहिए। इसलिए एग्रीकल्चर को तो आर० ई० सी० का फायदा आप देते हैं और एनीमल हस्बेन्ड्री को नहीं देते हैं तो इसमें एमेंडमेंट करवायें। इस तरह की इन्टेग्रेटेड स्कीम किसानों को कर्जा देने से लेकर, खेती के अन्य मामलों में, पशुओं के मामलों में, पचासों महकमों में जाना पड़ता है। पानी का महकमा है, विकास का महकमा है इन सबकी एक कन्सल्टेटिव कमेटी हो जिसमें पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव भी हों और एग्रीकल्चर विभाग के एनीमल हस्बेन्ड्री विभाग के लोग भी हों।

पशुपालन का और एग्रीकल्चर का टेक्निकल विभाग है, तो इनमें टेक्निकली क्वालिफाइड लोग ही होने चाहिए न कि थर्ड क्लास बी० ए० जिसने नकल करके डिग्री ले ली हो, उसको पशुपालन का विशेषज्ञ बना दें। वह कृषि विशेषज्ञ नहीं है। इसके लिये आप राज्य कृषि सेवा कायम करें, राज्य पशुपालन सेवा कायम करें। स्टेट लेवल की सर्विसेज कायम करके इनको गांवों में भेजें। इनको कम्पलसरी किया जाय तभी जाकर यह कृषि और पशुपालन की योजनाएं सफल हो सकती हैं। यह अपने आपमें एक नया कदम होगा। इसलिए मैंने खुद ने कहा था कि यह मूलभूत परि-वर्तन आप कीजिए वरना अगर आप बजट कई करोड़ का भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रक्रिया के अन्दर परिवर्तन

(श्री किशनसिंह भाटी)

करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि आपको श्वेत क्रांति और हरित क्रान्ति करनी है तो इस ओर ध्यान दें।

पशुओं के लिए विशेष समस्या चरागाहों की भी है। अलवर के पास पश्चिमी राजस्थान की तुलना में बड़ा चरागाह मिल नहीं सकता है। जयपुर के पास सेठों के बड़े बड़े फार्म हैं। यहां मिल नहीं सकते हैं, बीकानेर में मिल सकता है। जोधपुर डिवीजन में हमारे यहां मिल सकते हैं।

श्री अयूब खां : अलवर के पास नहीं मिल सकते हैं तो फिर आप दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं ? मध्य प्रदेश क्यों जाते हैं ?

श्री किशन सिंह भाटी : नेचरल केलेमिटी होती है, इसलिए मध्य प्रदेश जाते हैं।

श्री अयूब खां : इसका यह भी मतलब है कि मेवात में सांड अच्छे मिल जाते हैं।

श्री किशन सिंह भाटी : मुझे कहने दीजिए।

जनता सरकार क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहती है तो पशुओं के लिए डाक्टर का इन्तजाम करे, चारे का इन्तजाम करे। पानी का इन्तजाम करे। भैंस, ऊंट, बकरी, गाय के पानी के लिए इन्तजाम करे। इसलिए आपका महकमा चाहे पानी का हो, ट्यूब वैल आपका अलग हो, पी. एच. ई. डी. से एनीमल हजबैण्ड्री का कीजिए। आज है नहीं। हजारों पशु जाते हैं। इसलिए उनका इन्तजाम कीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बस एक मिनट में समाप्त करता हूं।

चरागाह की सम्भावना क्या है ? जो ड्राई फार्मिंग के क्षेत्र हैं वहां मैंसे लगा कर के, जो कि ग्यारह इलाके हैं वहां यह ड्राई फार्मिंग सफल हो सकता है। जैसलमेर, नागौर, शेरगढ़, सांचौर, बीकानेर, कोलायत लीजिए। यह आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं। जहां आप पैदा हुए हैं। कृषि और पशुपालन दोनों ही आप जानते हैं अगर नहीं कर सके तो मैं कहूंगा कि Kalvi Sahib is an agriculturist minister but he is surrounded by cryeptog Congressites and cunning kamdars who do not know the real life of ruratl masses.

इसलिए आप मेरे सुझावों की तरफ ध्यान देते हुए कुछ सुधार करें। दूसरे कृषि और पशुपालन के लिए एक सलाहकार समिति बनाइये। उसमें एग्रीकल्चर के अनुभवी लोगों को लीजिए। एम. एल ए. शहरों के नहीं लिए जायें। जो वकील हों या प्रोफेसर हों वह विदेशों में जाते हैं। किसान एम. ए. नहीं होता है, लेकिन एम ए एन 'मैन' होता है। ज्यदा से ज्यादा जिला हैडक्वार्टर पर डिपार्टमेण्ट को ले जाकर हर तीन चार महीने में मीटिंग करें। इण्टेग्रेटेड प्लान बनायें। वहां पर डिसीजन लिये जायें। तभी जाकर कुछ होगा।

एक बात और कहना चाहता हूं। जोधपुर डिवीजन में सरकार ने डेढ़ साल का वायदा किया था उनका पैसा बकाया

(श्री किशनसिंह भाटी)

है। किसानों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। कृपा करके उनको फायदा दिलायें। उनके पशुओं का चर्म, घी, और बाल का एक्सपोर्ट अरेबियन कण्ट्रीज में होता है उसको आप देखें। इन सारी बातों को आप देखिये। तब तो आप सक्सेसफुल मिनिस्टर हो सकते हैं नहीं तो काला बादल, सूर्यनारायण चौधरी, और महबूब अली की केटेगरी में आप भी आ जायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन्होंने कोटा में खोल दिया। वह नहीं ले पायेंगे।

श्री किशन सिंह भाटी : जो भी समय दिया, उसमें मैंने अपनी बात कह दी।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल सारस्वत।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा नाम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रयास कर रहा हूं।

श्री बंसीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 56% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। ऐसे क्षेत्र हैं, जहां की जनता अधिकांश अकालग्रस्त ही रहती है। इसके अलावा टीड्डी, कातरा वहीं की सामान्य बात है। राजस्थान के लिए एक यह कहावत है—Life in Rajasthan is a gamble in monsoons. विशेषतया राजस्थान की उससे भी ज्यादा गैम्बलिंग की स्थिति है। मगर पश्चिमी राजस्थान की और ही स्थिति है। अन्य भागों की अपेक्षा वहां पर प्रकृति का अधिक प्रकोप रहता है इसलिए सबसे अधिक महत्व है, पशुपालन का या भेड़ों का इसके लिए यह बहुत आवश्यक है जब तक उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, उस प्रकार का काम नहीं कर दिया जाता है, तब तक इस प्रकार का समाधान नहीं हो पाता है। हम उनकी बीमारियों को मिटाने के लिए सफल हो सकें, तब तो पशु धन हमारी उपलब्धि है, अन्यथा नहीं। इसमें सुधार होना चाहिए। कुछ दिन पूर्व हमारे विपक्ष के नेता महोदय हैं, उन्होंने कहा था कि यह जाल और जंजाल है। मैं मानता हूं कि यह योजना आई हैं। उस समय जनता पार्टी का शासन नहीं था। यह जाल और जंजाल क्या है। उस समय आप शासन में थे। इस समय यह डायनामिक तौर से देखना पड़ेगा। हमारे कृषि मंत्री जी किसान क्षेत्र से आते हैं। तो इस जाल और जंजाल में जो खामियां हैं, आप उनको देखें। और अन्य अपव्यय होते हैं उसको ठीक करें। मैंने तो एक प्रश्न पूछा था, भवनों के विकास से क्या उपलब्धि हुई है। किसानों को कितनी उपलब्धि हुई है। कितने लोग सम्मलित हुए हैं। लोगों का गरीबी की रेखा से आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है। यह सर्वे करायें तो पता चलेगा कि क्या योजना है ? मैं लम्बी चौड़ी बहस

(श्री बन्सीलाल सारस्वत)

में नहीं पड़ता हूं। काफी विचार विमर्श कर लिया है। मौजूदा स्थिति में जो भी खर्च करते हैं, सारी चीजों का अधिक से अधिक विकास हो, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं केवल इतना सा ही अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे अवशीतन केन्द्र मेड़ता में बनाया लेकिन दूध आता कहां से है? दूध आता है नागौर से। थोड़े दिनों पहले अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि नागौर में दूध नहीं है। एक गांव से तो दो हजार लीटर दूध आता है, मेड़ता क्षेत्र से तीन हजार लीटर दूध आता है, इसलिए इस पर भी माननीय मन्त्री महोदय को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। डी.पी.ए.पी. की मीटिंग में कुछ दिनों पहले विचार हुआ था कि 76 किलोमीटर की सड़क के लिए 76 लाख रुपयों का प्रस्ताव आया और दूध कितना—एक हजार लीटर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब तो मन्त्रीजी नागौर के ही हैं, अब आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

श्रीमती सुमित्रासिंह : भीलवाड़ा के हैं, नागौर के कहां हैं।

श्री कल्याणसिंह कालवी : आपको चिन्ता क्यों हो रही है?

श्री बन्सीलाल सारस्वत : इसलिए अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि नियन्त्रण ठीक नहीं है, उसको ठीक किया जाना चाहिए। वास्तव में डेयरी हो चाहे कैटल ब्रीडिंग फार्म हो, इसमें घाटा होता है या लाभ होता है, एक व्यापारी के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। मेरी मान्यता है कि उससे भी ज्यादा दायित्व से देखा जाना चाहिए। जब तक उपलब्धि का यह दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक हमको इसमें सफलता नहीं मिल सकती है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है जैसा अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जानवरों की नस्ल उन्नत किस्म की होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इनका साइन्टिफिक तरीके से डवलपमेन्ट होना चाहिए। राजस्थान में विशेष किस्म की नस्लें भी हैं जैसे नागौर के बैल, इनको दूसरी किस्म में मिक्स करने के लिए क्योंकि यह समाप्त प्राय होती जा रही है, दूध बढ़ाने के लिए कोशिश जरूर की जाय लेकिन इसमें नुकसान ज्यादा हो सकता है,

श्री रघुनाथ विश्नोई : कौनसी ऐसी नस्ल है जरा नाम भी बताइये?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : that is congress.

श्री बन्सीलाल सारस्वत : जहां तक नस्लों का सवाल है इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि ये नष्ट नहीं हों। नागौर के मेले में अभी यूरोप और आस्ट्रेलिया के लोग भी आए थे, वे नागौर के बैलों को देखकर चकित और ओत-प्रोत हो गये कि कितनी बढ़िया किस्म है। इसलिए

(श्री बन्सीलाल सारस्वत)

मेरा निवेदन है कि मवेशियों की नस्ल का जहाँ तक सवाल है, कैटल ब्रीडिंग फार्म खोलने का सवाल है उसके लिए निवेदन करना है कि वे सेल्फ सफिशिएन्ट होने चाहिए। जब तक वे सेल्फ सफिशिएन्ट नहीं होंगे तब तक किसी भी हालत में सुधार नहीं हो सकता । इसके लिए भूमि की आवश्यकता है, तो गांवों में कई क्षेत्र ऐसे हैं जैसे चाननका

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इतना विशाल क्षेत्र है इसके बावजूद भी कैटल ब्रीडिंग फार्म है, जहां तक चारे का सवाल है वह सेल्फ सफिशिएन्ट नहीं है। इनको सेल्फ सफिशिएन्ट बनाया जाना चाहिए और कार्मशियल बेसिस पर उनका भी आधार होना चाहिए।

एक और सुझाव मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में भी जैसे यह शंका थी, दूसरे सुधार किये गये, लेकिन फिर भी बहुत सी फसलें नष्ट होती जा रही हैं, यह एक विचारणीय विषय है। मैं समझता हूं माननीय कृषि मन्त्रीजी इस पर विचार करेंगे और हमारे देश के जो प्रतिभाशाली साइन्टिस्ट्स हैं उनकी राय लेकर जो भी भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिए वह किए जायेंगे। हमारा बाजरा शेखावाटी क्षेत्र में और जोधपुर डिवीजन के पूर्वी भाग में समाप्त होता जा रहा है, उसमें बीमारी लग रही है और धीरे-धीरे मैं समझता हूं कि बाजरे की मात्रा भी समाप्त होती जा रही है। इसी तरह से दाल वाले अनाज, मोठ वगैरह हैं ये भी धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं इसके अन्दर लट, और कातरा जैसे जानवर........

श्रीमती सुमित्रा सिंह: ये कीड़े हैं, जानवर नहीं।

श्री बन्सीलाल सारस्वत : मैं जानता हूं, मैंने खुद ने हल चलाया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने उनको जानवर कहा, इस लिए मुझे कहना पड़ा।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य के गांव में जानवर के नाम से जाना जाता है।

श्री बन्सीलाल सारस्वत : इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि एनिमल हस्बेण्ड्री की जहां पर डिस्पेन्सरीज हैं, वहां पर एवरेज दस जानवर आते हैं और दस आदमियों का स्टाफ है, मालूम नहीं इसका क्या कारण है, जानवर बीमार नहीं होते या वहां लोग लेकर नहीं जाते। कम से कम तीस-तीस मील तक एनिमल हस्बेण्ड्री की डिस्पेन्सरी लगी हुई है। यह नहीं हो सकता कि 10 आदमियों का वहां पर स्टाफ रहे । डाक्टर तो वहां पर जानवर के पास नहीं जाता, कम्पाउण्डर ही इलाज करता है। क्या आप इन डिस्पेन्सरीज को तीन-चार टुकड़ों में नहीं कर सकते कि एक जगह डाक्टर और क्लास

(श्री माधवसिंह दीवान)

फोर्थ रह जायं और दो पंचायतों के बीच में स्टॉक मेन और कम्पाउण्डर रह जाय क्योंकि बीमार आदमी को तो दस मील लाया भी जा सकता है लेकिन जानवर अगर बीमार है तो उसको दो मील भी ले जाना मुश्किल होता है। आप क्यों ये फार्मेलिटीज करते हैं कि इतनी डिस्पेन्सरीज खोल दीं। आप इसके टुकड़े कर दीजिये, सब-सैण्टर्स बना दीजिये ताकि जानवर वहां पहुंच सकें। मैं निवेदन करूं कि 99 प्रतिशत इलाज कम्पाउण्डर्स करते हैं और डाक्टर्स की जरूरत भी नहीं है। मेडिकल साइड में भी आपने स्कूल और कालेजेज बढ़ाये हैं, सैकिण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड कम्पाउण्डर्स को आप रख लीजिये ताकि वे गांवों में पहुंच सकें। डाक्टर लोग वहां गांवों में जाना नहीं चाहते हैं। उनको आप कम से कम रखें ताकि किसानों को सहूलियत हो सके।

अंग्रेजी दवाओं के लिए निवेदन करूं कि जानवरों के लिए डोज बढ़ जाती है। किसी के पास भी जाते हैं तो 25-30 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। तीन सौ रुपये में गाय आती है और इतना खर्चा हो जाता है, इतने खर्चे में कैसे पासिबिल है कि उनका इलाज किया जाय। या तो आप दूसरा रास्ता निकालें या रिसर्च करायें ताकि कम से कम जो पुराने तरीके हैं, देशी दवाइयां हैं, उनका वे उपयोग करें। जब तक आप सस्ती दवाइयां नहीं उपलब्ध करायेंगे या रिसर्च नहीं करायेंगे तब तक जानवर का मालिक उसका लाभ नहीं उठा सकेगा।

उसके बाद राजस्थान में हमारे यहां घोड़ों की कमी होती है। मैंने प्रश्न भी पूछा था उसका जवाब आया कि संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। आज 50-50 मीलों तक मेल हार्स नहीं मिल पाता है और संख्या घटती जा रही है। या तो पंचायत समिति में मेल हार्स रखें या ब्रीडर को सबसिडी दें वह ब्रीड आउट कर सकें तो पशुपालक इन्ट्रेस्टेड हो सकता है घोड़ा रखने में।

चरागाह की समस्या के बारे में मुझे यही कहना है कि घास की कीमत बढ़ती जा रही है इसलिए किसान को पशुपालन पर आना पड़ रहा है। गोचर जमीन में तिनका भी नहीं उगता है। हो सकता है पशुपालक और किसान अपनी ही खेती में घास उगाने का विचार जैसा चल रहा है, कर रहे हैं। आप उसको घास या बीज उपलब्ध करायें ताकि पाश्चर डवलपमेंट किसान कर सके।

पता नहीं किस कारण से हवा चली जर्सी ब्रीड गायों का विकास नहीं हुआ। आज जो मेडिकल सुविधायें उपलब्ध हैं, शहरों में बड़ी-बड़ी जर्सी गायें रखते हैं, डाक्टर घर पर आकर इलाज करता है। गांवों में यह ब्रीड इतनी नाजुक है कि बिना मेडीकल फैसिल्टीज के कतई नहीं रख सकते। इसलिए गांवों में ही इस ब्रीड को डवलप किया जाए। हमारे यहां जो अच्छी अच्छी गायें हैं वे 7–7, 8–8 किलो दूध देती हैं। वेटरिनरी डिपार्टमेंट गांवों में जाए, उसके बछड़े खरीदे और खरीद कर सांडों के हिसाब से दे, तभी जाकर पशुपालन का विकास हो सकेगा।

(श्री माधवसिंह दीवान)

इसी प्रकार जहां दवाइयों की अवेलेबिलिटि का सवाल है, वही दुकानदार रख सकता है जिसके पास लाइसेंस है। लाइसेंस की प्रक्रिया कठिन की जा रही है। वास्तव में जानवरों की दवाइयों में इतनी औपचारिकताओंकी जरूरत नहीं है। फार्मेलिटीज को कम करें ताकि हर छोटा आदमी इनको रख सके।

मेरा एरिया काफी साल्टी है, बड़े दुःख की बात है कि जिप्सम राजस्थान में पैदा होता है और उसका उपयोग हरियाणा व पंजाब करतेहैं। कारण यहहै कि डी.पी.ए.पी. में उसकी सब्सिडी का प्रावधान है। 50 से 90 प्रतिशत सब्सिडी दीजातीहै पर गवर्नमेंट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि सब्सिडी माइनिंग की जो रेट है उस पर देंगे या किसान को जो रेट पड़ेगी उस पर देंगे। जो बहुत सी जमीन बेकार पड़ी है वह केवल जिप्सम के प्रयोग न होने से पड़ी है। मैंने कई पत्र लिखे लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सुविधायें किसानों की मार्केटिंग सोसाइटीज के द्वारा दो। माइनिंग कास्ट इनक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पर देंगे तभी वे फायदा उठा सकेंगे।

मंत्री महोदय कभी डी.पी.ए.पी. विभाग में नहीं आये होंगे। वहां कर्मचारी ताश खेलते हैं या बातें करते हैं, कतई काम नहींहै। पता नहीं क्यों यह महकमा खोल रखा है। अगर बेरोजगारी हटानी है तो वह दूसरी बात है लेकिन इस महकमे की जरूरत नहीं है तो क्यों पैसा बरबाद किया जा रहा है।

हमारे पास जलाऊ लकड़ी की कमी है। राजस्व मंत्री ने जिस तरह से आदेश दिया है कि रास्ते में दोनों तरफ पेड़ लगाए जा सकते हैं। किसानों को नर्सरी के अन्दर पेड़ सप्लाई करतेहैं तो दोनों तरफ लगा कर इस महकमे को यूटीलाइज करें वाकी आज के दिन it is shees waste of money.

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : राजस्व मन्त्री ने सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाए हैं यदि उनकी लकड़ी काट कर काम में लें तो आदमी भी नहीं जल सकता।

श्री माधवसिंह दीवान : कृषि फार्मों को जो कृषि विभाग ने छोड़ दिया है, वहां कोई खेती नहीं हो रही है. इसका क्या कारण है? राजस्व विभाग को देंगे या रिसर्च करायेंगे? कब तक कृषि फार्मों को इस तरह से रखेंगे?

जहां तक कृषि उपज मण्डी का सवाल है, दो रुपया बोरी तय कर दिया है। मंडी सैक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं। उसको मंडी में धान लाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से खाता साफ कर देते हैं। मण्डी की आय घटती जा रही है। इसके जल्दी से जल्दी चुनाव करायें ताकि किसानों के प्रतिनिधि जायं और सरकार की जो टैक्स की चोरी हो रही है उसके बारे में कुछ किया जा सके।

डेयरी के बारे में निवेदन है कि पाली जिले में दुग्धकी बहुत ज्यादा मात्रा है। हमको अभीभी जोधपुर डेयरीपर निर्भररहना पड़ता है। सिर्फ 10 हजार लीटर का चिलिंग

(श्री माधवसिंह दीवान)

प्लांट लगा हुआ है। आशा है आप इन्डि-पेंडेंट डेयरी बनायेंगे और मोजत रोड में चिलिंग प्लांट लगाने की कृपा करेंगे ताकि पशुपालकों को राहत मिल सके....

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरि कृष्ण।

श्रीरघुनाथ विश्नोई : बिना घंटी के हम बैठ जाते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा नाम कब आएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी स्थिति बाद में बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री राम रघुनाथ चौधरी : जिस दल में एक सदस्य हो उसको भी उतना समय और जिसमें 20 हो उसको भी उतना समय ?

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने सभी दलों को समय देने की घोषणा की थी उसके अनुसार ही मैं चल रहा हूं।

(व्यवधान)

माननीय सुमित्रा जी, आपने 25 मिनट लिए हैं।

श्री हरिकृष्ण (नदबई) : उपाध्यक्षजी, आजादी के पश्चात् कृषि विभाग ने किसानों के लिए अच्छा काम किया, किसानों को अच्छी दिशा मिली, पैदावार में वृद्धि हुई। धीरे-धीरे खेती में तरक्की कम होती चली गई। कृषि विभाग के अफसर अफसरी में आ गए और जैसे ही इजरायल का पैटर्न मंजूर हुआ तो और भी स्थिति खराब हुई। आशा तो यह थी कि सरकार 23 करोड़ का कर्जा ले रहीहै उससे अच्छा लाभ मिलेगा लेकिन अच्छा लाभ मिलने के बजाय कृषि विभाग में निराशाजनक बात रही है। जैसा प्रगति पत्र में बताया है हमारे यहां 172 लाख हैक्टेयर जमीन आज भी बगैर जोत के पड़ी हुई है, पड़त पड़ी हुई है बिना खेती के अगर 172 लाख हैक्टेयर जमीन के लिए हमारा कृषि विभाग ठीक तरहसे काम करता तो शायद भूमिहीनों की दशा इतनी शोचनीय नहीं होती। जितनी जमीन पहले खेती योग्य थी वह इन दिनों कम हो गई। गत वर्षों के अन्दर 5 प्रतिशत उत्पादन खाद्यान्न में कम हो गया।

जब इस तरह के आंकड़े कृषि विभाग की रिपोर्ट से मिलते हैं तो इसके साफ माने हैं कि कृषि विभाग इस मामले में बहुत ही पीछे रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि आज किसान की फसल की तरक्की की न कोई बात नजर आ रही है और न उसको अपनी फसल का सही मूल्य मिलता है। पहले बीज मिलता था तो बहुत अच्छा मिलता था, पहले संकर बीज आता था तो किसानों की फसल काफी अच्छी होती थी लेकिन आज बीज में मिलावट आती है। उसको खाद वक्त पर नहीं मिलता, पानी वक्त पर नहीं मिलता। एक तो कीमतें बढ़ीं, दूसरे बीज में मिलावट हो गयी इसके कारण से आज किसान का उत्पादन कम होता जा रहा है। किसान को खाद नहीं मिल पाये, बीज नहीं मिल पाये, तेल नहीं मिल पाये, कोई भी चीज नहीं मिल

(52)

(श्री हरिकृष्ण)

पाये ऐसी हालत जब किसान की है तो किसानों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ओले भी पड़े, अब शीतलहर चली इसके कारण चने की और सरसों की फसल बरबाद हो गई। आज किसानों की हालत गांवों में बद्तर होती जा रही है। कृषि विभाग किसान के प्रति उदासीन बैठा हुआ है। जहां तक उपकरणों के मिलने का सवाल है वह भी नहीं मिलते हैं। जो इन्जिन पहले 1500 रुपये का था, अप्रूवल होने के बाद अब वह 4 हजार का मिलता है। आज किसानों को कल पुर्जे सही कीमत पर नहीं मिलते हैं। जो ट्रैक्टर पहले 5 हजार का मिलता था आज उसकी कीमत 60 हजार हो गयी है। किस तरह से किसान अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। किसान की फसल की कोई गारन्टी नहीं है। किसान की फसल की गारन्टी अगर है तो रिकार्ड में है। सही मायने में हमारे कृषि मंत्री महोदय गांवों में घूमकर देखें किसान के यहाँ दो मन बीघा भी चना पैदा नहीं हुआ है। कहां से वह लगान चुका पायेंगे, कहां से लोन चुकायेंगे और कहां से वह गुजर करेंगे? कोई हालत सुधार की नजर नहीं आ रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में ग्राम सेवकों को किसानों की सेवा करने और उनको सलाह देने के लिए रखा गया था। लेकिन अब होता यह है कि ग्राम सेवक जाकर 8 आदमियों से सम्पर्क कर लेता है और बाकी किसानों से लेना देना कुछ नहीं रह जाता है। ग्राम सेवकों से जो सही सलाह मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाती। कृषि विभाग में सिर्फ एक ही तरक्की यह हुई है कि नये-नये क्वार्टर बने हैं और जीपें खरीदी हैं। किसान की कोई तरक्की हुई हो ऐसी बात नजर नहीं आती। माल की बिक्री का उनको उसी दिन पैसा नहीं मिलता है। उससे दस्तखत करा लिये जाते हैं। 15–15 दिन तक किसान डोलता है आढ़तियों के पीछे। यह हमारी कृषि उपज मण्डी के देखरेख की बात है। यही हालत रही तो किसानों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नस्ल सुधार के मामले में पशुपालन विभाग ने न सांडों की तरफ, न भैंस सांडों की तरफ ध्यान दिया है और न गांवों में अस्पताल हैं। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 150 गांव हैं और केवल एक अस्पताल है। अब एक अस्पताल से किस तरह उन पशुओं का इलाज हो सकता है? मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों की तादाद को देखते हुए वहां के पशुओं की जनसंख्या को देखते हुए और उस क्षेत्र के एरिया को देखते हुए गांव बरखेड़ा और मदीरा में अवश्य ही पशुओं का अस्पताल होना चाहिए.......

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय कृषि मन्त्री जी कृपया नोट करें गांवों के नाम जहां अस्पताल खुलवाना चाहते हैं। 150 गांवों में एक अस्पताल है।

श्री हरिकृष्ण : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग से किसानों को बहुत उम्मीदें थीं। हमारे यहां इजराइल का

(श्री हरिकृष्ण)

पैटर्न किस आधारपर बनाया गया। इजराइल में सैटलमेंट हुआ और वह होकर सब की जमीन एक जगह हुई। हमारे वहां राजस्थान में किसानों की जमीनें बिखरी हुई हैं। किसान के पास दो बीघा उत्तर दिशा में है तो दो बीघा दक्षिण दिशा में है तो दो बीघा पूर्व दिशा में है तो दो बीघा पश्चिम दिशामें है। उनकी देख-रेख कैसे होगी? ग्राम सेवक या ए. ई. ओ. उस फसल की देख-रेख कैसेकर सकता है ? यह बिलकुल असम्भवहै। वैसे तो सलाह ही नहीं मिल रही है और मिल रही है तो ग्राम सेवक को मास्टर बना कर बैठा दिया या डाक्टर बना कर बैठा दिया है। जिस तरह से डाक्टर अपने अस्पताल में दवाइयां नहीं होने पर पर्ची दे देता है कि फलां दवाई ले लो उसी तरह से ग्राम सेवक किसानों को पर्ची लिख कर दे देता है कि फलां दवाई ले आओ, फलां खाद ले आओ। उससे क्या काम चलने वाला है। ग्रामसेवक जिम्मेदार नहीं है चाहे किसान को दवा मिले या नहीं मिले, खाद मिले या नहीं मिले। जो इन दवाई और खाद को देने वाली संस्थायें हैं वह बिलकुल ही निष्क्रिय हैं। उनके गोदामों में कुछ नहीं मिलता है। मजबूर होकर किसान को इधर-उधर भटकना पड़ता है। दवायें, खाद और बीज ब्लैक से मिले और वह भी अच्छा नहीं मिले। पूरी तरह से जब मिलावट चल रही है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप बीजकी पूरी देख-रेख नहीं रखेंगे तो किसानों का उत्पादन नहीं होगा और किसानों की हालत बिलकुल खराब हो जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिकृष्ण जी, चर्चा जल्दी समाप्त करें।

श्री हरिकृष्ण : सिर्फ एक मिनट।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा मशीनों के बारे में निवेदन करूंगा। मशीनें इसलिए खराब होती हैं क्योंकि तेल सही नहीं मिलता। तेल में भी मिलावट हो जाती है और मिट्टी का तेल मिला दिया जाता है। किसानों की मशीनें बैठ गयीं, उसका कारण तेल की मिलावट है। जो किसानों के आफिसर हैं वह तो कम से कम देख-रेख रखें किसानों से वह बिलकुल दूर हो चुके हैं और किसान की हिम्मत नहीं है कि वह उनके दफ्तर में भी चला जाये। कृषि विभाग का आफिसर पुलिस आफिसर से भी बढ़ कर हो गया है। वह मिलना नहीं चाहते। जब किसानों का आफिसर किसानों से तल्लुक नहीं रखता और तालमेल ही उसका नहीं है तो उस राज्य में कृषि उन्नति कैसे हो सकती है ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो किसान के आफिसर हैं यदि किसान उनके दफ्तर में जायें तो किसान का वहां सम्मान होना चाहिए और उनको नेक सलाह मिलनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थी सिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री सूर्यप्रकाश ।
(अनुपस्थित)

श्री हरलाल सिंह ।
(अनुपस्थित)

श्री अयूब खां ।
(अनुपस्थित)

श्री मनीराम ।

श्री मनीराम (तारानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे देश में लालबहादुर शास्त्री हुए उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान । मैं जहाँ तक समझ पाया हूं उनके उस नारे के बाद हमारे भारत के प्रधान मन्त्री बने और आज हैं लेकिन वही एक ऐसे भारत के प्रधान मन्त्री बने जिन्होंने भारत की नब्ज को पहचाना। दोनों ही चीजें इस देशके अन्दर ऐसी हैं जो इस देश को थामे हुए हैं । इस देश का जवान देश की रक्षा कर रहा है और सीमा के ऊपर अपनी बन्दूक कन्धे पर रखे हुए दुश्मन का मुकाबला करने के लिये खड़ा हुआ है । दूसरा इस देश के अन्दर किसान है जो इस देश को खाद्य पदार्थ, हर चीज जैसे तेल, तम्बाकू, घी, दूध या अन्य प्रकार का सामान, चाहे गन्ना है, चाहे उर्द है, मोठ है, बाजरा है, सब कुछ दे रहा है, किसान पैदा करके दे रहा है । खुद भूखा रह कर भी किसान इस देश का भरण पोषण कर रहा है । इस देश के अन्दर किसानों को कोई देखता नहीं है । मुझे दुःख है किसान जब अपनी आवाज या अपनी मांग को लेकर हमारी असेम्बली के सामने आये और राजस्थान बनने के बाद पहली बार आये, तो उसके ऊपर लाठियां बरसाईं । मैं रोजाना देखता हूं कि कोई न कोई मांग लेकर आते हैं चाहे कर्मचारी हों, चाहे व्यापारी हों । सरकार के कर्मचारी हमेशा आते रहते हैं लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता । किसान पहली बार आया और उसके ऊपर लाठियां बरसाईं । देश में 80 प्रतिशत किसान हैं । हमारे कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, आपसे किसानों का बहुत बड़ा सम्बन्ध है और हमारे रेवेन्यू मन्त्री जी से भी किसानों का सम्बन्ध है । दुर्भाग्य से रेवेन्यू मन्त्री जी किसानों की बात नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनका नजदीकी संबंध किसानों से नहीं है । इसलिये किसानों की पूरी बात को हमारे रेवेन्यू मन्त्रीजी नहीं समझ पायेंगे लेकिन आप तो स्वयं किसान है । मेरा तो एक ही निवेदन है और कोई मांग नहीं करूंगा । मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बातें आपके सामने रखी हैं परन्तु मैं एक ही चीज चाहता हूं । हमारा अन्त्योदय का नारा चल रहा है । हम कहते हैं कि हम अन्त्योदय योजना से देश में गरीबी मिटायेंगे। मैं यह कह रहा हूं, इस प्रकार से गरीबी नहीं मिटेगी । एक ही अर्ज है कि जब किसान अपने खेत में अन्न पैदा करता है और खलिहान से बाजार में ले जाता है उस वक्त भाव कम मिलता है । जैसाकि पूर्व वक्ता ने कहा है, कई भाइयों ने कहा है उस वक्त भाव 125 और 100 रु० क्विन्टल का रह जाता और जब किसान वापस खरीदता है बुआई के वक्त उस वक्त 250 रुपये हो जाता है । इतना भाव का अन्तर है आप इसको मिटाइये । इस पर प्रतिबन्ध लगाइये । अगर किसानों की रक्षा करनी है तो किसान जो अन्न पैदा करता है और बाजार में ले जाता

(श्री मनीराम)

है उस वक्त और खेत में जब बीज डालता है इस वक्त जो भावों में अन्तर रहता है उस पर आप अंकुश लगाइये। जब तक भाव पर अंकुश नहीं लगायेंगे तब तक जैसे अब तक किसान पिसता रहा है वैसे ही पिसता चला जायेगा··· ····

श्री ईश्वर चन्द्र : चरणसिंह जी कर दें तो कर दें।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी: यह वकालत कर रहे हैं।

श्री मनीराम : मेरा निवेदन बस एक ही है कि आप स्वयं किसान हैं इसलिये इस के ऊपर प्रतिबन्ध लगायें ताकि 100 रुपये और 150 रुपये का अन्तर नहीं रहे। 5,7 का लेन देन में फर्क रख सकते हैं। लेकिन किसान का गेहूं एक क्विटंल 100 रुपये में लूटा जा रहा है, इसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाइये। एक ही निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ, इस बात को मैं और भी बढ़ाना उचित नहीं समझता·········

(समय-समाप्ति-सूचकघन्टी)

और और बातें तो और लोगों ने कहीं हैं, भावों के ऊपर किसी ने नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंह (रेवदर)।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कृषि मंत्री जी ने हमारे सामने कृषि व पशुपालन की मांगें रखी हैं और हमारे सुझाव मांगें हैं, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ की हड्डी पर शरीर निर्भर रहता है, उसी प्रकार कृषि के ऊपर पूरा देश निर्भर है। चाहे नगर में रहते हों, चाहे गांव में रहते हों, सब को अन्न देने की जिम्मेवारी कृषि विभाग के ऊपर है। मुझे अफसोस है जो कुछ बजट रखा गया है वह प्रशासनिक व्यय के लिये रखा गया है। प्रशासनिक खर्चा इसलिये मानता हूं कि जिले के स्तर पर और ग्राम के स्तर पर जो आपका स्टाक है वह स्टाक सिर्फ एक सलाहकार की हैसियत रखता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो इसको रिआर्गेनाइज करें। आपको इस पर पुनर्विचार करना होगा कि यह प्रशासनिक इकाइयां, जिनकी कृषि उत्पादन में सहयोग की जरूरत है, किस तरीके से ग्राम स्तर पर काम करें जिससे कृषकों को उसका लाभ मिल सके, कृषकों को उसकी सलाह मिल सके। आज ग्राम स्तर पर ग्रामसेवक है उसकी यह हालत है कि वह खुद खेती के अन्दर लग गया है; वह ग्राम सेवा की जरूरत को नहीं समझता है। ए. ई. ओ है वह अपने टूर प्रोग्राम के अन्दर लगा हुआ है और जिला कृषि अधिकारी है वह अपनी जीप लेकर राउण्ड लगाने के अन्दर लगा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व सरकार ने जब पंचायती राज स्थापित किया था तो उसकी व्यवस्था के अन्दर सब इकाइयां दी गई थीं लेकिन मुझे यह कहते दुःख महसूस होता है कि पंचायती राज को असफल बनाने के अन्दर इस ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। कोई यह नहीं चाहता कि सत्ता को अपने हाथ से

(श्री माधो सिंह)

जाने दे इसी का यह नतीजा हुआ कि जो पंचायती राज पहले सफल हुआ, जिसको किसानों ने प्रगति का एक मार्ग बताया, वह बीच के अर्से के अन्दर अलग-अलग टुकड़ों के अन्दर बिखर गया। अभी क्लस्टर प्रोग्राम लाया गया, किसानों को बिजली देने के लिये प्रोजेक्ट स्कीम चलाई गई। उन सब को अलग-अलग इकाइयों के हाथ में रखा गया। फलस्वरूप किसानों को लाभ नहीं मिला। अगर आप ग्रामीण स्तर पर कृषि की उन्नति चाहते हैं तो विभाग को री-आर्गेनाइज करिये। जिला लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर, ग्राम स्तर पर अगर लोगों से काम लेना चाहते हैं तो जन प्रतिनिधियों के सहयोग से काम करना चाहिये जिससे किसान उन लोगों की एडवाइस से पूरा लाभ ले सके। डी. ए. दो तीन महीने के अन्दर एक मीटिंग बुलाता है। उसका लक्ष्य यह होता है कि कितने बीज का वितरण होगा, कितनी खाद का वितरण होगा और कितना प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मैं समझता हूं जिला स्तर पर कोई तरीके का कार्य नहीं होता।

क्लस्टर स्कीम आपने लागू की और विश्व बैंक ने पैसा दे दिया, लेकिन इस पैसे का क्या फायदा हुआ। केवल डिप्टी डाइरेक्टर महीने दो महीने में आ जाते हैं और जिला लेवल पर मीटिंग कर लेते हैं। उसमें ए. इ. ओ., ग्राम सेवक, जिलाधीश आदि ये सब मिल कर क्या करते हैं ? उसमें कोई भी किसानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, किसानों से सम्बन्ध रखने वाला उसमें कोई नहीं होता है तो आप ही सोचिये कि ये लोग बैठ कर क्या करते होंगे।

जहां तक ग्राम सेवक का प्रश्न है वह कहां कहां पहुंचता होगा और क्या प्रगति का विवरण प्राप्त करता होगा और कितने लोगों को एडवाइस करता होगा। कुछ भी नहीं हो रहा है वह इसलिये नहीं हो रहा है कि ग्रामसेवक पर कोई चैक नहीं है। सीधा आपके विभाग से उसका सम्बन्ध होता है। विभाग अपने स्टाफ का पक्ष उसी तरह लेता है जिस तरह लेता आया है। जब तक जन प्रतिनिधियों का सहयोग नहीं होगा, जब तक जन प्रतिनिधियों पर जिम्मेदारी नहीं होगी तब तक किसानों की सफलता में सहयोग नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं बार-बार अनुरोध करूंगा जितनी इकाई अलग-अलग हैं और मैं तो यह कहूंगा जितने बैंक हैं चाहे सरकारी बैंक हों, भूमि विकास बैंक हों इन सबका सम्बन्ध पंचायत समितियों से होना चाहिये।

मैं यह मानता हूं कि जिस समय पंचायत समितियां बनी थीं तो पांच साल तक कार्य तेजी से हुआ था उसके बाद नहीं हुआ। इसका कारण है धीरे-धीरे जितने एक्सटेन्शन आफिसर थे, जितने दूसरे अधिकारी थे, चाहे प्लान्ट प्रोजेक्ट आफिसर हो उनका सीधा सम्बन्ध पंचायत समिति से काट कर विभाग के साथ कर दिया। जितनी जल्दी सुविधा देते थे उतनी जल्दी ही उपलब्धि होती थी। जन प्रतिनिधि जितनी जल्दी पहुंच सकता है उतना ही काम जल्दी हो सकता है। पहले बीज पंचायत समिति के द्वारा वितरित होता था, खाद पंचायत समिति के द्वारा वितरित होता था, और सब

(श्री माधो सिंह)

तरह की जिम्मेदारी पंचायत समिति पर होती थी लेकिन आज कागजी कार्यवाही के अलावा कोई कार्यवाही नहीं है। जब विभागीय एक्सटेन्शन आफिसर पंचायत समिति के पास थे तो उनके द्वारा कुछ काम होता था लेकिन सीधे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद अब कोई काम नहीं होता है। दूसरा प्रशासन पंचायत समितियों का अलग है और विभागीय प्रशासन अलग है जो एडवाइजरी बाडी है उसको प्रशासनिक पाइन्ट आफ व्यू से क्या मतलब है ? प्रशासनिक पाइन्ट आफ व्यू से मतलब नहीं है। जिला स्तर पर या पंचायत समिति स्तर पर जो प्रशासनिक स्टाफ लगाया है उसका सीधा सम्बन्ध जन प्रतिनिधियों से रहे ताकि उन पर चैक रहे और काम सुचारु रूप से कर सके।

भूमि विकास बैंक की लोन पद्धति है उसके कारण लोन लघु कृषक के पास नहीं पहुंच सकता है। इसलिये यह लोन की व्यवस्था पंचायत समिति लेवल पर हो, खाद की व्यवस्था पंचायत समिति लेवल पर हो, बीज की व्यवस्था पंचायत समिति लेवल पर हो। जितना जिला लेवल का स्टाफ है उसका उत्तरदायित्व जिला लेवल तक ही रहना चाहिये। इसी तरह जो पंचायत समिति का स्टाफ है उसका उत्तरदायित्व पंचायत समिति लेवल तक ही रहना चाहिये, ग्राम पंचायत समिति स्टाफ का उत्तरदायित्व ग्राम लेवल तक ही होना चाहिये। जब तक इस चीज को नहीं करेंगे तब तक कितना ही पैसा खर्च करें और कितना ही कर्मचारियों का नम्बर बढ़ा दें, सफलता नहीं मिल सकती है।

तकनीकी ज्ञान ग्राम स्तर पर नहीं पहुंचा है। आप आज बतायें मिट्टी के परीक्षण की क्या व्यवस्था है ? पूरे जोधपुर के लिये केवल एक लेबोरेटरी है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहां से 100 किलोमीटर दूर रहने वाला अपनी मिट्टी का सेम्पल ले जाकर एग्जामिन करवा सकता है ? मैंने पहले भी अनुरोध किया था आप इस प्रशासनिक खर्चे को छोड़ कर......

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

दो मिनट।

प्रशासनिक खर्चे को कम करके जिस तरह की लेबोरेटरीज है और बीज उत्पादन के जो फार्म्स हैं ये जब तक पंचायत लेवल पर नहीं ले जायेंगे और जब तक कृषि विभाग के द्वारा यह एग्जाम्पल पेश नहीं करेंगे तब तक किस तरह का ज्ञान आप उसको दे सकते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है आज इस विभाग में कर्मचारियों का नम्बर न बढ़ा कर जो तकनीकी बातें हैं, जो तकनीकी ज्ञान हैं और जो बातें कृषि के उत्पादन में प्रगति दे सकती हैं उनको ग्राम लेवल पर जब तक नहीं पहुंचायेंगे तब तक कृषि में कोई प्रगति नहीं हो सकती है। इस विषय पर आपको सोचना और समझना चाहिये।

एक बात का और अनुरोध करूंगा, किसानों की भलाई और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये किसान में इन्ट्रेस्ट बढ़ना

(157)

(श्री माधो सिंह)

चाहिये। उनका इन्ट्रेस्ट तब बढ़ेगा जब उसको सही मूल्य मिलेगा मैं ज्यादा समय नहीं लूगां, क्योंकि समय कम है। जब तक कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन ग्रौर बिक्री की जो दर है उसका जो फर्क है वह कम नहीं किया जायगा तब तक किसान का इन्ट्रेस्ट खेती के ग्रन्दर नहीं बढ़ सकेगा। ग्राज कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन है वह ज्यादा बढ़ गई है, ग्राज किसान के काम में आने वाले डंजल का भाव बढ़ गया है, बेयरिंग जो पहले 10–15 रुपये में मिलता था वह ग्रब उसको 70–80 रुपये में मिल रहा है। छोटी से छोटी चीजें कृषि की मंहगी होती जा रही हैं ग्रौर उत्पादन की रेट है मण्डी में जब बेचने जाता है तो कीमत डाउन हो जाती है। किसान ऐसे लोगों के चगुल में फंस जाता है जिनके द्वारा वह रेट भी बराबर नहीं मिलती है जो उस समय बाजार में होती है। जितनी मण्डियां हैं कभी ग्रापने उनमें चैंक ग्रप किया कि किसान के माल की बराबर नीलामी होती है या नहीं ? जो एजेन्ट होता है किसानों का वह ग्रपने पास माल रख लेता है ग्रौर 2–4 घन्टे इधर-उधर चला जाता है। किसानों के माल की उसको कोई परवाह नहीं होती है। उसके बाद में वह व्यापारी, जो एजेन्ट होता है ग्रगले एजेन्ट से बात करता है ग्रौर सीधा सौदा तय हो जाता है। जो मण्डी के लोग हैं जिनको सुचारु रूप से मण्डी का काम करने को लगाया गया है ग्राप यह महसूस करिये कि उनका काम केवल उन व्यापारियों को खुश करने का नहीं है। उनको यह कहा जाय कि तुम्हारा सीधा उत्तरदायित्व किसान के प्रति है जब तक तुम किसान की बात को ग्रागे नहीं बढ़ाग्रोगे, किसान के हित को नहीं सोचोगे तब तक तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है.......

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

जब तक यह नहीं करोगे तब तक किसान की हालत पिछड़ी हुई ही रहेगी।

इसके ग्रलावा मैं ग्रापसे यह भी अनुरोध करूंगा कि सुमेरपुर मन्डी........

श्री उपाध्यक्ष : बस, चर्चा समाप्त कीजिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद।

(ग्रनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : ग्रब तो मन्त्री महोदय का जवाब हो जाने दीजिये।

श्री ग्रयूब खां : माननीय उपाध्यक्ष जी, ग्रापने मेरा नाम पुकारा था।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप ग्रनुपस्थित थे।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरे साथ में ग्रासन का इगनोरेन्स है। मैं तो ग्रापके ग्रादेश की पालना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं ग्रापको ग्रनुमति दे सकता हूं लेकिन एक शर्त पर, ग्राप पांच मिनट से ग्रधिक नहीं ले सकेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा भी नाम था।

श्री ग्रयूब खां : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम था।

श्री उपाध्यक्ष : आप अनुपस्थित थे।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : हम एक घंटा और बढ़ा देंगे। इम्पार्टेन्ट मांग है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम कृष्ण दास जी।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : मुझे भी समय मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह चुका हूं कि सभी माननीय सदस्यों को समय देना सम्भव नहीं होगा।

श्री अयूब खां : पांच मिनट मुझे दे दें, मैं जल्दी खतम कर दूंगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे नये कृषि मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर शहर की कृषि उपज मण्डी की जो गम्भीर समस्या पिछले दो साल से चली आ रही है उसको उन्होंने हल कर दिया। परन्तु इसके साथ-साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान जिला विकास अभिकरण में हो रही अव्यवस्था के बारे में दिलाना चाहूंगा। माननीय कृषि मन्त्री जी ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया इंट्रप्शन न करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कृषि मन्त्री का ध्यान डी. पी. ए. पी. की ओर दिलाना चाहूंगा। बीकानेर जिले में डी. पी. ए. पी. के तहत जो भी लोन दिया जा रहा है जानवरों को खरीदने के लिए, उनका परिणाम यह हो रहा है कि जानवरों की कीमतें 25 से 30 गुना तक बढ़ गई हैं। जो अनुदान आप उस किसान को दे रहे हैं, भारत सरकार से आप अनुदान लेकर उस किसान को देना चाहते हैं, वह अनुदान वह बढ़ती हुई रेट में जा रहा है। जब तक आप एनीमल की जो कीमत है उसको कण्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपकी डी. पी. ए. पी. स्कीम सफल नहीं हो पायेगी। पहली बात यह है।

दूसरी बात यह है कि आपने पश्चिमी राजस्थान में गाय, भैंस, ऊंट की जो कीमत फिक्स की वह इतनी कम है कि आज पश्चिमी राजस्थान में कोई भी अच्छी गाय ढाई तीन हजार से कम में नहीं मिल सकती। परन्तु जो अनुदान दिया जाता है वह दो हजार की कीमत पर दिया जाता है। इसका नतीजा यह है कि कोई भी असली छोटा किसान जो कि मर्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आता है उसका उपयोग नहीं कर पाता।

तीसरी बात मैं माननीय कृषि मन्त्री जी के ध्यान में और लाना चाहूंगा कि 28 बीघा तक आप उसको मार्जिनल फार्मर की

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

लाइन में मानते हैं। पश्चिमी राजस्थान में 28 बीघा जमीन की कुछ भी वेल्यू नहीं है। 80 बीघा, 90 बीघा और सौ बीघा वाला किसान भी गरीब है। जब तक आप भारत सरकार से बात करके यह जो मिनिमम सीमा है, 28 बीघा की इसकी रेंज खतम करके 80 या सौ बीघा नहीं करेंगे तब तक डी. पी. ए. पी. की स्कीम पश्चिमी राजस्थान में अभी सफल नहीं हो पाएगी।

इसके साथ-साथ, माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान, मैं चित्तौड़ की ओर ले जाना चाहता हूं। सवाल पशुओं का ही नहीं है, यह डीजल पम्प्स में किस प्रकार के घोटाले हुए हैं, इस बारे में माननीय श्योपतसिंह जी ने भी ध्यान दिलाया था परन्तु मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूं कि आपके हाथों ही कुछ निजी स्वार्थी तत्वों ने भूल करवाई है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। चित्तौड़ के अन्दर बैंक अधिकारियों ने मिल जुल करके डीजल पम्प तीन हजार रुपये से लगभग 5 हजार रुपये में बेचा है।

श्री कल्याण सिंह कालवी : रेट तो कलेक्टर ने तय कर रखी है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं बताता हूं.......

श्री रघुनन्दन व्यास : इसको रिवाइज किया गया है। कलेक्टर गलती कर दे तो गवर्नमेंट ठीक कर सकती है लेकिन गवर्नमेंट ने तीन हजार की जगह पांच हजार दिलाया है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जब कलेक्टर ने इस बदमाशी को चैक करने के लिए डीजल पम्प की रेट फिक्स की 3200) रु. के लगभग परन्तु डीजल पम्प के डीलर्स ने राज्य सरकार तक अप्रोच किया और राज्य सरकार ने उस जिलाधीश के आर्डर को सैट असाइड करवा कर लगभग पांच सौ डीजल पम्प ओल्ड रेट से बिकवाये। दो दिन में 13 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है। जब माननीय कृषि मन्त्री जी चित्तौड़ गये थे इन दी मंथ आफ फरवरी, उस समय डीजल पम्प के डीलर्स मिले और आपने इस ओर आश्वासन दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि जिलाधीश ने किसानों को रिलीफ देने के लिए जो रेट फिक्स की थी कम, आपने उनके आर्डर को निरस्त कर के ओल्ड रेट पर पम्प बिकवाये। इसका नतीजा यह हुआ कि हजारों लाखों रुपया किसानों को अधिक देना पड़ा। मैं आप पर कोई बदनीयती का आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप आप पर नहीं है परन्तु जो सिम्पलीसिटी है और आपका जो अपने डिपार्टमेंट के वर्किंग के बारे में कम ज्ञान था, उसका नतीजा यह है कि एक नौकरशाही के प्रतिनिधि कलेक्टर ने किसानों को रिलीफ देने की कोशिश की थी वह आपके हाथ से उनको नहीं मिल सकी। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के पास वे लोग आये थे तो मुख्य मन्त्री महोदय ने कलेक्टर के आदेश को उचित मान कर उनको रिलीफ देने से इन्कार कर दिया था डीलर्स को, परन्तु आपकी गलतफहमी करके चित्तौड़ के

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

अन्दर यह घटना हुई है। आप कृपया ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय जी, ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अब और माननीय सदस्यों को समय देना सम्भव नहीं है। आप सभी माननीय सदस्य दस पन्द्रह मिनट बोलना चाहें यह सम्भव नहीं है।

श्री अयूब खां : आप मुझे पांच मिनट का समय दे दें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : हमारी पार्टी का तो अभी समय भी बाकी है। अगर आप ज्यादा समय नहीं दे सकते तो हमको पांच-पांच मिनट का ही समय दें परन्तु सभी सदस्यों को बोलने का मौका दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कृषि जैसी महत्वपूर्ण डिमाण्ड है। काफी अच्छे सुझाव आ रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह राठौड़।

श्री रघुनन्दन व्यास : आपने इनको मौका दिया है तो मुझे भी पांच मिनट का मौका दीजिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैंने कृषि मन्त्री जी को आज तक बोलते हुए नहीं सुना। मैं आज उनका भाषण सुनने के लिए ही रुका हुआ हूं, इसलिये अब इनको बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रणजीतसिंह, आप पांच मिनट बोल लें।

श्री परसराम मदेरणा : डेढ़ बजे जब डिमाण्ड चालू हुई तो सभी ने यह सोच कर कहा था कि आठ बजे से ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन सटरडे की वजह से जो जाने वाले थे, वे लोग तो चले गये और जो बैठने वाले हैं वे यहां पर मौजूद हैं। अब तो हम लोग रात को 11 बजे तक भी बैठने को तैयार हैं। मेरे दल के एक दो सदस्यों को ही बोलने का मौका मिला है। जो बोलना चाहते हैं उनको समय मिलना चाहिये। आज ..

श्री श्योपतसिंह मकासर : कातरा तो गया।

श्री परसराम मदेरणा : आज मुख्य मांग पर सदन में चर्चा हो रही है और माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब, मैं सभी माननीय सदस्यों के लिए कह रहा हूं कि यह आम सहमति थी कि

(श्री उपाध्यक्ष)

आठ बजे तक मांगें पारित कर दी जायं। माननीय रणजीतसिंह जी बोलना चाहें तो बोल लें।

श्री रतनलाल वर्मा : हमको भी समय देना साहब। उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट का समय मुझे भी मिलना चाहिए। एक को देते हैं तो हमको भी मिलना चाहिए।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 79-80 रा आंकड़ों देख्या तो पता चला कि ओ राज किण तरह सूं ईण काम में पैंयो खर्च करे ला। उणकी व्यवस्था पर कालवी त्रावू आपणो विचार रखेला। ऊके बाद आज री मांगा पास तो होवेली पण....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया हिन्दी में बोलें। आपके भाषण को रिपोर्ट्‌र्स को लिखने में कठिनाई हो रही है।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ : राजस्थानी में तो मैं पहला भी बोल्यां हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आज जो रिपोर्टर नोट कर रहे हैं शायद आपके भाषण को नोट नहीं कर पा रहे हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : लिपि तो राजस्थानी और हिन्दी की एक ही है। राजस्थानी के शब्दों में रिकार्ड किया जा सकता है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि रिपोर्ट्‌र्स अंकित नहीं कर पायें तो माननीय सदस्य अपना भाषण लिख कर दे सकते हैं उनको राजस्थानी में बोलने का अधिकार है। इनको राजस्थानी में बोलने की आज्ञा दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्रासिंहजी अगर माननीय सदस्य को राजस्थानी ही आती और हिन्दी में नहीं बोल सकते होते तो मैं उनकी अनुमति दे सकता हूं। वे पहले भी हिन्दी में बोले हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : हिन्दी में अटक-अटक कर बोलेंगे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह तो माननीय सदस्य का डिस्क्रिशन है।

श्री पदमसिंह राठौड़ : रिपोर्ट्‌र्स कहां से आये हैं, ये भी तो यहीं के हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्रीमतीजी के भाषण बाद अगर वे मारवाड़ी में ही समझेंगे तो राजस्थानी में रिपोर्टिंग नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यहां पर श्रीमतीजी तो नजर नहीं आ रही है, फिर भी वे चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ : तो, उपाध्यक्ष महोदय, 1979-80 की कृषि और पशुपालन विभाग की मांग माननीय कालवी साहब ने यहां पर रखी है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में जो धन है, वह चार जगह है। एक तो खेती से पैदा होने वाला धन, दूसरा पशु धन, पशुओं से

(श्री रणजीतसिंह राठौड़)

प्राप्त होने वाला धन, तीसरा खान से पैदा होने वाला धन और चौथा है जंगल की पैदावार से प्राप्त होने वाला धन। ये चार धन हैं। पैसा तो इनका एक माप तोल है। इन चार धन में से खेती और पशुपालन की यहां पर चर्चा हो रही है। यह बहुत ही मोटा धन है। यही हमारे उत्पादन का जरिया है। आज राजस्थान के किसानों की, हिन्दुस्तान के किसानों की बात सोचते हैं। यह जो नई सरकार बनी है, यह वर्ण शंकर पैदा हो गई है। या नई सरकार आने के बाद कोई न कोई तरीका पैदावार बढ़ाने की सोचेगी।

(व्यवधान)

इण वास्ते म्हारो यो कहनो है, राजस्थान की जनता ने ईं सरकार के आने पर बड़ो हर्ष कियो है कि यां सरकार काश्तकारां वास्ते कुछ करेगी। कृषि की तरक्की वास्ते यह सरकार कोई न कोई घोषणा करेगी जिससे किसान का विकास हो सके। खेती का यह महकमा कालवी साहब को दिया गया है। कालवी साहब एक गांव में पैदा हुए हैं। उन्हें काश्तकारी का ज्ञान है? उनका ज्ञान तो इसमें है कि उनको डंडा लेकर पुलिस का महकमा दे दिया जाता। उल्टा हिसाब है पुलिस का महकमा दूसरे को दे दिया। खेती का महकमा इनको दे दिया। यह महकमा लम्बा चौड़ा है इसमें किस तरह से खर्चा होता है, किस तरह से खर्च होना चाहिए, इस पर यहां सभी माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं। आज 80 प्रतिशत काश्तकार गांवों में रहते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या कालवी साहब खेती नहीं करते हैं?

श्री रणजीतसिंह राठौड़ : ये क्या खेती करते हैं। खेती तो इनके परिवार वाले करते हैं। इन्होंने तो पशु पाले हैं।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : क्या आपने और इन्होंने दोनों ने साथ-साथ पशु चराये हैं, पशु पाले हैं।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ : वह गांव ही पशुपालक है।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : दोनों लारे-लारे खेती करता था या पशु चराता था?

श्री रणजीतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज खेती माथा कोई बात होती तो समझ में आती। आज का काश्तकार 90 प्रतिशत अन्धेरे में है। आज उनकी खेती सब जगह भगवान के भरोसे है। आज काश्तकार के माथे थोड़ी सी मेहरबानी ललित जी की होनी चाहिए। बिजली टाइम माथे मिले नहीं। और उसकी सारी करी कराई मेहनत खाक हो जाए। हमारे काश्तकारों की यह हालत हो रही है, उसके ऊपर यह सरकार क्या विचार कर रही है। सरकार थोड़ा भी सोचे। उनके लिए मशीनरी लगावे। यह इतना मोटा उद्योग है परन्तु इसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसका नतीजा क्या निकलेगा। काश्तकारों का यह मोटा उद्योग है, उनको घाटा होगा और घाटा सहते ये

(श्री रणजीतसिंह राठौड़)

काश्तकार ऐसी हालत में आ जाएंगे कि उनको शहरों का मुंह देखना पड़ेगा। आज शहरों की आबादी इसीलिए बढ़ रही है। आज काश्तकार के लिए खेती में कोई गुंजाइश नहीं है। ये सरकार के जितने भी बड़े-बड़े अफसर हैं, इनके गंगानगर में बड़े-फार्म हैं। राज्य का यह जो बड़ा तबका यहां के बड़े दफतर में बैठते हैं, उन्होंने यहां पर रह कर कई तरह से जमीन अलाट करवाई है। किसी ने जागीरदार के रूप में करवाई है, किसी ने भूतपूर्व जागीरदार के रूप में जमीन अलाट करवाई है। कई आफिसरों ने दूसरे रूप में अलाट करवाई है। अगर वे आज खुद हाथ से खेती करके देखें तो मालूम होगा कि खेती किस हिसाब से होती है। काश्तकार हाथ से खेती करता है, उसमें उसको गेहूं क्या भाव पड़ता है। यदि ये आफिसर खुद खेती करते तो उनको यह मालूम हो जाता है। काश्तकार अपनी सारी मेहनत इसमें लगाता है, जूझता है। उसको गेहूं 250/– रुपया क्विन्टल पड़ता है। इससे कम में उसके घर में नहीं पड़ता है। इसका नतीजा क्या होता है। उसने इतनी मेहनत से जो पैदावार की है, वह फसल बाजार में नीलाम होकर बिकती है। काश्तकार की मेहनत बाजार में बिकती है। काश्तकार ही कपास पैदा करता है। वही कपास फैक्ट्री में जाता है। सेठ उसका कपड़ा बनाता है। फैक्ट्री का मालिक अपना नफा, ऐशो-आराम का खर्चा लगा कर मन चाहे भाव लगाकर उसको बेचता है। उस पर कोई अंकुश नहीं है। काश्तकार की पैदावार के लिए कोई भाव निश्चित नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान के कृषि मंत्री गांव के रहने वाले हैं। शायद वे भारत सरकार से मिलकर काश्तकार को सब्सिडी, अनुदान दिलाएंगे।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। काश्तकार को बिजली सस्ती देनी चाहिए। 250/– रुपया क्विन्टल गेहूं किसान को पड़ता है। उसको जिन्दा रखना है, खेती को प्रोत्साहन देना है तो आपको इसके लिए सब्सिडी देनी होगी। अमेरिका में सब्सिडी दी जाती है। वहां पर भाव पहले ही तय कर दिए जाते हैं। उसके बाद काश्तकार बोते हैं। यह व्यवस्था हमारे यहां पर लागू की जानी चाहिए। हमारी सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया। वह तो दिखावे के लिए घोषणाएं करती है। उनका पालन भी नहीं करती है।

हमारे यहां पर पशुपालन भी एक धंधा है। पशुओं के लिए दवाइयों का कोई इन्तजाम नहीं है। 50/50 मील के अन्दर पशुओं के लिए सफाखाने नहीं हैं। नस्ल सुधार का आपके पास महकमा है। काफी लम्बा मेरा अनुभव है। यह जो सरकारी मशीनरी है, यह तो इसी हिसाब से चलेगी। इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा। ये लोग गांव में पहुंच जाएं तो मेहरबानी है। दो साल से कोई भी गांव में नहीं पहुंचा है। वहां पर ग्राम सेवक जरूर मिलता है। उसको एस० डी० ओ० समझो, सब काम उसके ऊपर है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पशुपालन का जो महकमा है, उसका विस्तार हो। गांव गांव में आदमी बीमार होता है

(श्री रणजीतसिंह राठौड़)

तो वह नजदीक के सफाखाने में जा सकता है। चालीस मील के एरिया में सफाखाना नहीं है। मवेशी बीमार हो, लूला लंगड़ा हो जाए तो काश्तकार कैसे उसको ले जायगा? यह अन्दाज आप लगा सकते हैं। आज मवेशी की कीमत कितनी बढ़ गई है। मंत्री महोदय के इलाके में जो बैल है, एक एक बैल की कीमत दो हजार, ढ़ाई हजार रुपया है। खुर में कीड़े पड़ जाते हैं, कलेजे में पड़ जाते हैं। बीमारियाँ कई तरह की हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भूतपूर्व सरकार जगह जगह इस दृष्टि से देख कर, पश्चिमी राजस्थान जैसे भूखण्ड, भू-भाग, लम्बा चौड़ा इलाका, डेजर्ट का इलाका जहां सैंकड़ों मवेशी हैं, हजारों मवेशी हैं, वहां सफाखाने किन कारणों से बन्द हुए यह पता नहीं। शायद इस दृष्टि से बन्द किये होंगे कि भूतपूर्व सरकार कांग्रेस ने वे सफाखाने खोले लेकिन क्या आप कांग्रेस के और जनता पार्टी के मवेशी अलग अलग कर सकेंगे? आप ऐसा सोचते हैं? मवेशी का दर्द तो सभी मवेशियों का एक जैसा होगा इसलिए मैं चाहता हूं जहां अच्छे काम हुए हैं, जनता के हित को लेकर हुए हैं अगर यह बात आप सोचेंगे तब तो ठीक है वर्ना यह घिसी पीटी सरकार दो साल और निकाल ले फिर तो आप जायेंगे।*

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री महोदय।

---

*राजस्थानी मूल भाषण का हिन्दी रूपान्तरण।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट के लिए प्रार्थना....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया विराजें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इनके बड़े-बड़े सुझाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। सत्ता पक्ष में भी बहुत से हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : केवल दो मिनट दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विवश हूं। माननीय सदस्या, विराजें। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

माननीय राम रघुनाथ जी, कृपया विराजें। कृपया विराजें, अभी मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : विपक्ष को तो कहने का अधिकार है तो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम रघुनाथ जी, मैं इसे उचित नहीं समझता। कृपया विराजें।

श्री रतनलाल वर्मा : पहले समय मुझे दीजिए।

(व्यवधान)

(88)

श्री कल्याणसिंह कालवी (कृषि मन्त्री): मांग संख्या 39 जो पशुपालन से सम्बन्धित थी जिसके बारे में....

(व्यवधान)

श्री राम रघुनाथ चौधरी : हमें न्याय नहीं दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े चार-पांच घंटे से डिबेट चल रही है और सारे समय में हमारे दो सदस्यों को समय मिला। यह न्याय पूर्ण बात नहीं है फिर हमारे यहां यहां बैठ रहने में कोई फायदा नहीं है। मैं वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया और हमारे विभाग की कमियों को दर्शाने में और कमियों को बताने में जिन सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया उनके प्रति में हमेशा आभार प्रकट करना चाहूंगा। साथ ही जो इस विभाग की उपलब्धियां हैं, जिनको हमने इस सत्र के दरमियान आपके सामने पेश किया है और हमने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनके बारे में तथा आगामी वर्ष में जो उपलब्धियां हमारा विभाग प्राप्त करना चाहता है उन पर मैं प्रकाश डालूंगा।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जहां तक अपने प्रदेश का सवाल है कुछ समय पहले वह पशुपालक प्रदेश रहा है। जिसमें मुख्य रूप से पशुपालन का धन्धा किया जाता रहा है। परन्तु जहां जहां सिंचाई साधन राजस्थान नहर, चम्बल नहर, माही और दूसरे बड़े तथा छोटे साधन होने के कारण सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती जा रही है वहां हमारा प्रदेश भी आज कृषि प्रधान बनता जा रहा है।

कृषि के क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं यह मैं बताने की कोशिश करूंगा। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष 388.03 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है और आने वाले 79-80 में 481-50 लाख का प्रावधान रखा गया है। इसका यदि विवरण पेश करें तो एनीमल हस्बेंडरी में 400 लाख, सिंचाई योजनाओं में 63.20 लाख, भू-संरक्षण में 16.'0 लाख का प्रावधान है। यह मैं निवेदन कर रहा था आपके सामने कि हमारे प्रदेश को यदि खेती की दृष्टि से देखा जाय तो इसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है एक दक्षिणी-पूर्वी और दूसरा उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है। इनकी प्राकृतिक बनावट भी अलग अलग है। साथ-साथ जो फसलें पैदा होती हैं वे भी भिन्न-भिन्न तरह की हैं। दक्षिणी राजस्थान में मक्का और पूर्वी राजस्थान में ज्वार पैदा होती है। साथ ही साथ यदि अच्छी बरसात हो जाती है तो पूर्वी राजस्थान में सरसों व चना पैदा होता है तथा पश्चिमी राजस्थान में बाजरा, मोठ ग्वार पैदा होता है। इस तरह से फसलें भी भिन्न हैं और बरसात की मात्रा भी भिन्न है। इसी तरह से फसलों की दृष्टि से दोनों क्षेत्रों की समस्यायें देखें तो वे भी अलग अलग हैं। दोनों ही क्षेत्रों में हमारे विभाग ने फसलों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रकार के काम किये हैं। भूमि को काश्त में लेने की जो सीमायें हैं वे हमारे यहां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। जहां

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

77-78 में खरीफ की फसल 90-45 लाख हैक्टेयर में हुई वहां इस साल 96.07 लाख हैक्टेयर में होगी। इसी तरह से रबी की फसल 46-34 लाख हैक्टेयर में थी वह 49-50 लाख हैक्टेयर में होगी। पिछले साल दोनों ही फसलों में 7 और 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह 77-78 में 71.51 लाख टन उपज हुई थी वहां 78-79 में 77 लाख टन उपज हुई और आने वाले वर्ष में हम करीब 79 लाख टन पैदा करना चाहते हैं। हमारे यहां पर पैदावार को बढ़ाने के लिए जो सबसे प्रथम आवश्यकता रहती है वह उन्नत बीज की रहती है। उन्नत बीज की हमारे प्रदेश में कमी रही है हम मांग की पूर्ति नहीं कर पाते, बीज वितरण की प्रणाली दोषपूर्ण रही है उसको समाप्त करने के लिए और आवश्यकता के अनुसार बीज की पूर्ति करने के लिए हमने यहां पर राज्य बीज निगम की स्थापना की। इसकी स्थापना के बाद जितना हमारे राज्य का हिस्सा रहा है 35 प्रतिशत। हम यह मान कर चलते हैं कि जब तक इस प्रकार के निगमों में किसानों का हित जुड़ा हुआ नहीं रहता है तब तक उतने अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, इसलिये बीज उत्पादन में हमने किसानों का हिस्सा रखा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : प्रतिनिधित्व भी हो। किसानों का रिप्रेजेन्टेशन भी होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : होगा, होगा।

श्री कल्याण सिंह कालवी : किसानों में से 378 बीज उत्पादकों ने 1956 शेयर्स खरीदे हैं। प्रति शेयर 100 रुपये का है। प्रत्येक शेयर पर 10 पर्सेन्ट देना पड़ता है। फिर किश्तों में देने के लिए बीज उत्पादकों को सहूलियत दे रखी है। इसलिए छोटे-मोटे, गरीब और धनवान बीज उत्पादक इसके शेयर खरीद सकते हैं, इसमें भागीदार बन सकते हैं।

जहां तक बीज-वितरण व्यवस्था का सवाल है इस साल में ही इस निगम ने बीज वितरण का काम शुरू कर दिया है। केवल चना, मूंग, अरहर, कपास और गन्ने के बीजों को इस निगम ने नहीं लिया है। उसका काम विभाग कर रहा है और विभाग सुचारु रूप से कर रहा है। किसी भी तरह की किसी ने भी, किसी भी कोने से, किसी भी माननीय सदस्य ने, किसी काश्तकार ने कोई भी शिकायत नहीं की है।

राजस्थान बीज निगम करीब 450 हैक्टेयर में बीज-उत्पादन का काम करवा रहा है। इस बार करीब 1 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन होने का अनुमान है। इस साल पहली बार राजस्थान अपने प्रदेश से 40 हजार क्विन्टल गेहूं बाहर भेजने की स्थिति में भी है।

(करतलध्वनि)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक बीज है लेकिन कौन सी वेराइटी का है वह तो बता दें ?

श्री कल्याणसिंह काल ी : विभिन्न ढंग की वेराइटीज हैं। जो प्रदेश जिस वेराइटी

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

की मांग करेगा उसी वेराइटी का गेहूं का बीज हम उन प्रदेशों को सप्लाई करने की स्थिति में हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वेराइटी का नाम है वह तो बतायें ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : जहां तक वेराइटी का सवाल है तो दुर्गापुरा में जो हमारे बीज की वेराइटीज हैं वह सारी की सारी वेराइटीज हम दे रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने जो बीजों के नाम दिये थे वह भी रख लिये गये हैं।

श्री गुल मोहम्मद : यह जोड़ा बहुत अच्छा है।

श्री रतन लाल वर्मा : बीज तो अच्छा हो लेकिन पानी खारा हो तो कौन सा बीज बोना चाहिए ?

श्री रघुनन्दन व्यास : खारे पानी का भी बीज है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप बहुत महान् हैं।

श्री कल्याण सिंह कालवी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो खाद की सर्वप्रथम आवश्यकता है, वह जमीन और पानी की तो होती ही है, परन्तु उसके बाद में अगली आवश्यकता होती है, वह बीज की आवश्यकता है। बीज बोने के बाद जो पहली आवश्यकता होती है वह खाद की होती है। हमारे यहां पर खाद वितरण की समस्या लोगों ने पेश की है, माननीय सदस्यों ने पेश की है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपके सामने प्रकाश डाल देना चाहता हूं। खरीफ की फसल में हमने खाद का जो वितरण किया है वह 40896 टन, और अगले साल हम करने जा रहे हैं 50000 टन। इस साल रबी के अन्दर हमने किया है 1,00,657 टन। इसी तरह से आगामी वर्ष में.......

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी मुझे क्षमा करेंगे इन्टरप्शन के लिए। कितना क्या करेंगे, कितनी बढ़ोतरी करेंगे यह तो ठीक है, लेकिन मैंने एक पाइंट उठाया था, आपके ध्यान में यह बात लाई थी कि आज उत्तर भारत में फर्टिलाइजर पर कोई आक्ट्राय नहीं लगता है, किन्तु अपने यहां लगता है। इसको अबालिश करने के बारे में आपने कोई बात नहीं बताई। उसके बारे में आपकी क्या नीति है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस सरकार ने लगाई थी उस सरकार की क्या नीति थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप, नेता महोदय हर बात में पिछली सरकार की बात करते हैं यह बहुत गलत बात है। आप क्या कर रहे हैं, वह बताइये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कार्य किसका और आलोचना किस की कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पिछली वाली सरकार ने लगा दिया तो आप इनको दूर करके बतायें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमने जिस बात को उठाया केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में...

श्री श्योपत सिंह मकासर : या तो कालवी साहब बोलें या मुख्य मंत्री बोलें। यह क्यों बोलने लगे ?

श्री गुल मोहम्मद : माननीय ...... महोदय, मांग पास करायें क्योंकि टाइम खतम हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय बढ़ाने की व्यवस्था मुझे मालूम है ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यवाही की पूर्ति तक सदन का समय बढ़ाया जाय ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : वह तो पहले ही बढ़ा दिया है प्रस्तुत मांग पारित नहीं होती है तब तक के लिए ।

श्री उपाध्यक्ष : वह मुझे मालूम है नहीं बढ़ाया गया था ।

क्या सदन की अनुमति है कि यह मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

यह मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : वह तो हुआ था ।

मांग संख्या 37

कृषि एवं मांग संख्या 39

पशुपालन एवं चिकित्सा पर विचार

श्री कल्याण सिंह कालवी : उपाध्यक्ष महोदय, जो हमने खाद वितरण की व्यवस्था कर रखी है वह क्रय विक्रय संघ के माध्यम से सहकारी समितियों के द्वारा कर रखी है । हम यह भी मानकर चलते हैं कि जितनी हमारी आवश्यकतायें हैं उनके अनुकूल हमको जो खाद मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है, क्योंकि देश में उत्पादन की कमी है और जिस मात्रा में, जितनी मात्रा में हमको खाद चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल रही है । फिर भी हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि वितरण की गति में तेजी लाकर खाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसानों के घरों तक पहुंचायी जा सके, किसानों के फार्म तक पहुंचाई जा सके इस तरह की वितरण व्यवस्था करके हम चल रहे हैं । खाद की कमी महसूस नहीं की जाय, और वितरण व्यवस्था में 10 से 15 पर्सेंट माल स्टाक होकर रह जाता है वह न रहे इसलिए इसके तेज गति से वितरण की व्यवस्था हो सके वह की है ।

खाद की बाजार में काला बाजारी न हो सके इसके लिए हमने एग्रीकल्चर आफिसर्स को इस तरह के अधिकार दे रखे हैं कि यदि कोई भी डीलर इस तरह का काम करता है, कहीं पर ब्लैक करके या स्टाक में रखने की इत्तला मिलती है तो उस पर रेड कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं और उसका चालान कर सकते हैं । और इस तरह के केसेज में कई जगहों पर चालान भी हुए हैं जिसका कि आप सभी

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

माननीय सदस्यों को पता होगा। इस प्रकार खाद की कमी कुछ ही दिन के लिए आई थी लेकिन उस खाद की कमी को कहीं पर महसूस नहीं किया गया और सब जगह मांग के अनुसार भेजी गई।

पौध-संरक्षण के लिए जो काम है उसको विभाग सुचारु रूप से करवा रहा है। पौध-संरक्षण में जिस प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार के मैजर्स की आवश्यकता होती है वह सारे के सारे मैजर्स अडाप्ट करके चल रहे हैं। दवाइयों को काम में लेने की काश्तकारों की मांग बढ़ती जा रही है और इसकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है।

इसके साथ-साथ हमारी जो फसलें हैं, खास तौर से जो शंका प्रकट की गई थी....

श्री माधो सिंह (रेवदर) : माननीय मंत्री महोदय ने भूमि के प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं फर्माया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या यह आवश्यक है कि जिस क्रम से आपने विचार प्रस्तुत किये माननीय मंत्री महोदय उसी क्रम से उत्तर दें।

श्री माधव सिंह : सबसे बड़ी समस्या है कि फर्टिलाइजर जब भूमि में डाला जाता है तो उसकी वजह से कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं इसलिए यह बहुत ही जरूरी है।

श्री कल्याण सिंह कालवी : फसलों ... जो नई बीमारियां चल निकली हैं ... प्रकार से अरघट है, कातरा है, जिस प्रकार से बीसिया है, जिस प्रकार से सफेद ... बीमारी है यह सारी की सारी बीमारियां हमारे यहां फसलों में फैली हुई हैं ...

श्री बजरंग लाल शर्मा : कातरे की बीमारी तो हाउस में भी फैल रही है उसका क्या होगा ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : इन बीमारियों पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है उसके बारे में प्रयत्न किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जिन दवाइयों का छिड़काव किया जाना उचित समझते हैं उनका छिड़काव किया जा रहा है। इन बीमारियों को रोकने के लिए हवाई जहाज द्वारा भी छिड़काव किया जा रहा है। इसके परिणाम जो आये हैं वह राजस्थान के किसान जानते हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : कातरे के लिए कौन सा मेजर आपने अख्तियार किया है ?

श्री रतनलाल वर्मा : बारहमासी कातरे का क्या होगा ?

श्री रामनारायण चौधरी : बारहमासी कातरा होता ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : नाम तो बहुत सुना है, पर यह होता क्या है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : कातरी भाई होता है।

श्री कल्याणसिंह कालवी : जहां तक बीमारियों की चर्चा कर रहे थे, उसके लिए हम जब तक काश्तकार को शिक्षित नहीं करेंगे, खाद का उपयोग करने के लिए शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक सारी बातों का समुचित उपयोग वह नहीं कर पायेंगे। वह उपयोग नहीं कर पायेंगे इसलिए लाभान्वित नहीं हो पायेंगे। इसलिए काश्तकारों को जानकारी देना आवश्यक है। जानकारी देने के लिए कृषि क्षेत्रों में कुछ विस्तार योजनायें ली हैं। इसके आधार पर हम चाहते हैं कि हर किसान के खेत में पहुंचा जाये। कितनी गहराई होनी चाहिए। ज्यादा गहराई होने पर अंकुरण क्षमता कम होगी, ज्यादा या कम तापमान में अगर बीज डाल दिया तो बीज अंकुरित नहीं होगा, यह सारी जानकारी किसानों को दे दें। कितनी कितनी मात्रा में खाद देनी है, फसल में कौन सी बीमारी लग गई है, कौन सी मिट्टी ठीक है, कौन सी औषधि देनी होगी—ये विस्तार योजनाएं कायम की हैं। 17 जिलों में विभक्त किया है। 23 करोड़ की योजना लागू की है। 17 जिलों को 20 कृषि जिलों में विभक्त किया है। 20 कृषि जिलों को 50 उप जिलों में विभक्त किया है। विस्तार केन्द्र में एक ग्राम संचालन कार्यकर्ता रखेंगे। इस प्रकार का वर्क उसके जिम्मे दिया जाएगा कि वह किसान के खेत में जाएगा, सारे के सारे किसानों के खेतों में जाएगा और इस प्रकार से जानकारी देगा। किसानों के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिनमें उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा और पंजाब में ले जाकर उनको सिखलाया जाएगा ताकि देख कर वह उन तरीकों को काम में ले सकें। इन सारी बातों के साथ-साथ जो कन्ट्रोल का काम है, वह ठीक तरह से किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : वह 20 जिले बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष : इतनी जानकारी तो पत्रों में दी गई होगी।

एक माननीय सदस्य : किसानों के लिए और क्या कर रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं....

श्री कल्याणसिंह कालवी : डूंगरपुर, कोटा, और श्री गंगानगर में जो इकाइयां हैं, भूमि के बारे में वह इकाइयां काम कर रही हैं। भूमि का टेस्टिंग करने के बारे में ये इकाइयां काम कर रही हैं। बांसवाड़ा क्षेत्र में चल प्रयोगशालाएं कायम की जा रही हैं। वह उनके यहां जाकर जमीन और पानी का टेस्टिंग कर लें। वहां के किसानों के खेतों में जाकर वह देख लें।

श्री रघुनन्दन व्यास : जोधपुर डिबीजन इतना बड़ा है, उसमें कुछ है ?

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह कालवी : इसी तरह से कृषि की उन्नति कैसे हो, इसकी जानकारी देने के लिए समय-समय पर विभाग की तरफ से पेम्फलेट निकाले जा रहे हैं। इसके साथ-साथ दिनों दिन रेडियो से जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। खेती किस प्रकार से करनी है, यह जानकारी देने की कोशिश की जा रही है।

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

जहां तक भू-संरक्षण के कार्य की बात है, इसका एक पश्चिमी केन्द्र है और दूसरा दक्षिणी केन्द्र है जहां भूमि का कटाव पानी से हुआ करता था। इन दोनों प्रकार के कटाव से जमीन को रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भूमि संरक्षण का कार्य विभाग ने किया है। जगह-जगह केन्द्र कायम किये हैं। विभाग ने जो योजना बड़ी मात्रा में ली थी, केकड़ी की योजना, बांडीकुई की योजना जो 1350 हैक्टेयर की थी। माण्डलगढ़ की योजना 2700 हैक्टेयर में थी। उन पर काम चालू किया जा रहा है।

इन सारी योजनाओं के बावजूद जो उपकरण की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति करने का जिम्मा इस विभाग ने ले रखा है। जिन उपकरणों की आवश्यकता है, उन सारे उपकरणों की, जितने साधन हैं, उनके अनुसार पूर्ति कर सकें, इस बारे में विभाग ने काम किया है। इसके लिए कृषि उद्योग निगम कार्यरत है। 1970 में निगम की योजना इम्प्लीमेंट हुई। यह सारी की सारी किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ट्रैक्टर्स आदि की सप्लाई करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आज सबसे बड़ी समस्या पम्पिंग सैट्स की है। जो किसानों को पम्पिंग सैट्स दिये जाते हैं, उनकी डीलर मनचाही कीमत लेते हैं। चित्तौड़, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर में कलेक्टर ने भी डीलर्स के साथ समझौता करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार से हमारे यहां से अभी लोगों को कृषि उद्योगों के लिए सीकर, सवाई माधोपुर, और सिरोही जिले में उचित मूल्य पर दिलाने की व्यवस्था की है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उचित मूल्य पर तो पहले ही देते थे। पम्पिंग सैट नहीं मिलेगा तो किसानों में बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगी। दोनों की मिली भगत होने के कारण उनका बहुत भारी नुकसान हो रहा है।

श्री कल्याणसिंह कालवी : यह जो कृषि उद्योग निगम हैं, यह अपने यहां काम करने के लिए उपकेन्द्र खोल सकता है। साथ ही साथ यह कृषि व्यवस्था केन्द्र भी स्थापित कर सकते हैं। कृषि व्यवस्था केन्द्र के माध्यम से किसानों की मांग की पूर्ति कर सकता है।

(व्यवधान)

इस साल एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन ने 60,000 एकड़ हैक्टेयर पर हवाई जहाज से दवाइयों का छिड़काव किया है। पिछले साल 76,000 एकड़ हैक्टेयर पर हवाई जहाज से दवाइयों का छिड़काव किया था। जहां तक किसानों का प्रश्न है, दवाइयों को इस माध्यम से वितरण करने की व्यवस्था की जा रही है।

इसके साथ ही जो कार्पोरेशन है वह जयपुर में एक कम्पोस्ट प्लाण्ट लगाने की व्यवस्था कर रहा है। जयपुर में जितना भी कूड़ा-करकट है वह वहां पर पहुंचाया जायगा और जिससे किसानों को कृषि कार्य के लिये कम्पोस्ट प्राप्त हो सकेगा। यह कारखाना माह अप्रेल, 1979 में चालू हो जायगा। दूसरा प्लाण्ट जोधपुर में लगाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से एक प्लाण्ट कोटा में भी लगाने को योजना सरकार के विचाराधीन है।

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

इसी तरह से कुछ और काम हाथ में लिए जा रहे हैं जैसे मिल्क केन बनाने का कार्य, बीज की कोठियां बनाने का कार्य, गोबर गैस प्लाण्ट (सीमेन्ट्स) से निर्मित, कृषि उपकरणों को उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य, इन सब कामों का भी यह उद्योग निगम हाथ में लेने जा रहा है।

उसके बाद में जब किसान अपनी उपज ले लेता है उस समय यदि उसे अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो किसान निश्चित रूप से लाभान्वित नहीं होता। इसलिए मध्यस्थों द्वारा शोषण को रोकने के लिए कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया है। कृषि उपज मण्डी के माध्यम से उपज की खरीद फरोख्त में योगदान दिया जाता है। वर्तमान में 111 मण्डी समितियां हैं। सभी मण्डियां किसानों से उपज लेकर योगदान करती हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप घोषणा करेंगे कि........

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह बात कब की और क्यों की ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहीं भी डेयरी नहीं है, माननीय मंत्री महोदय निश्चित रूप से घोषणा करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपके सुझाव सदन में नहीं आए इसलिए मान्य नहीं होंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह रेलेवेन्ट क्वेश्चन है।

(व्यवधान)

सदन की शंकाओं का निवारण तो करना चाहिए।

श्री कल्याण सिंह कालवी : उसके बाद किसानों के हित में अप्रोच रोड्स बननी चाहिए, इसके लिए निवेदन कर दूं कि बोर्ड का ज्यादातर पैसा कृषि उपज मण्डियों में सड़कें बनाने में काम में आता है। इस प्रकार से कृषि विपणन बोर्ड सबसे बड़ी सेवा किसानों के हित में कर रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सेवा कुछ नहीं मजे कर रहा है।

श्री कल्याणसिंह कालवी : अभी कृषि उपज मण्डियों के चुनाव के बारे में प्रश्न उठाया गया। इसके बारे में निवेदन कर दूं कि इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 55 मण्डियों की मतदाता सूची तैयार होकर बजट में साया हो चुकी है। ज्यों ही शेष समितियों की सूची तैयार हो जायगी और बजट में साया हो जायगी, इनके शीघ्र ही चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री नवरंगसिंह : जिनमें, माननीय मन्त्री जी, स्थगन आदेश हो गए हैं उनके बारे में आपका क्या इरादा है ?

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह कालवी : मैंने निवेदन किया था कि हमारा जो प्रदेश है वह मुख्य रूप से पशुपालक प्रदेश रहा है। पशुपालन यहां के लोगों का मुख्य धन्धा रहा है। हिन्दुस्तान में अपना प्रदेश पशु जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नम्बर पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान का स्थान आता है। अपने यहां पर 1972 में पशुओं की 3 करोड़ 79 लाख इकाइयां थी और आज 4 करोड़ 16 लाख पशु धन है।

इसी तरह से हमारे यहां पर इस पशु-धन की चिकित्सा सुविधाओं के लिए बहुत से माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष से पहले 74 हजार इकाइयों के पीछे एक पशु चिकित्सा संस्था थी और आज 45 हजार इकाइयों के पीछे एक पशु चिकित्सा संस्था है। गत वर्ष में 80 पशु चिकित्सालय खोले गए, इसके साथ ही छठी पंचवर्षीय योजना काल में 473 चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से 79-80 में 93 खोले गये इस वर्ष 80 खोल दिये गये हैं, 80-81 में 101 एवं 82-83 में 105 पशु चिकित्सालय केन्द्र खोलने जा रहे हैं। इसी तरह से 426 ग्रामों में, 23 पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स पर, 12 तहसील हैडक्वार्टर्स पर और 12 नगरपालिका क्षेत्र में खोले जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार कुल 473 चिकित्सा केन्द्र खोले जायेंगे और 25 हजार की इकाई पर एक पशु चिकित्सालय खोलने की पोजीशन है। 73-74 में हमारे यहां पर 353 चिकित्सालय थे, उसके बाद 77-78 में 410 हुए इस प्रकार पिछले चार सालों के अन्दर केवल 57 [illegible] गए और हमने एक ही साल में 80 चिकि[illegible] केन्द्र खोले हैं और आने वाले 5 सालों [illegible] हम 473 और खोलने जा रहे हैं।

मरु प्रदेश में जो पशु स्वास्थ्य केन्द्र [illegible] हैं उन सारे केन्द्रों में पशु चिकित्सालयों [illegible] गतिशीलता लाने की दृष्टि से मोटर सा[illegible] किलें देने का प्रावधान किया गया है जिस[illegible] जहां पर पशुओं के पानी पीने के स्थान [illegible] वहां पर पहुंच सकें। जिन केन्द्रों पर [illegible] उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्रजनन केन्द्रों [illegible] सीमन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

जो पहले पशु चिकित्सालय चल रहे [illegible] उनको बहुद्देशीय सुविधायें देने के लि[illegible] पोलिक्लीनिक की सुविधायें उपलब्ध करा[illegible] गई हैं। ये सुविधायें जयपुर, जोधपुर, उद[illegible] पुर और अजमेर में उपलब्ध कराई गई हैं, बीकानेर में और कोटा में भी पोलिक्लीनि[illegible] की सुविधायें उपलब्ध कराने जा रहे हैं।

हमारे यहां पर जो ऊंटों की संख्या [illegible] वह भी हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। मैं [illegible] कहूंगा कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश [illegible] जो रेगिस्तान के जहाज का प्रजनन करता है। इसलिए ऊंट प्रजनन केन्द्रों की स्थापना की गई है। साथ ही अनुसंधान के लिए [illegible] अनुसंधान केन्द्र की स्थापना भी की गई है [illegible] इसकी स्थापना बीकानेर में की गई है।

ऊंटों की बीमारियों की रोकथाम [illegible] लिए हमने इकाइयों की स्थापना की है [illegible] एक लाख ऊंटों के पीछे एक इकाई [illegible] करने की योजना बनाई है। इसके साथ [illegible] साथ हमने बीमारियों की रोकथाम के लि[illegible]

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

एक जे. पी. प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की है जो वैक्सिन का निर्माण करती है। हमारे यहां पर वैक्सिन को जितनी आवश्यकता है उसका आवश्यकता से अधिक हम उत्पादन करने जा रहे हैं। जयपुर में जो वातानुकूलित प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है, ज्यों ही पूरा होकर उसमें काम चालू हो जाएगा, हमारे यहां बड़ी मात्रा में वैक्सिन पैदा करके आसपास के राज्यों को देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौन-कौन से रोगों के लिए?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सदन का समय मत बिगाड़ो, अलग से पूछ लेना।

श्री राम सिंह विश्नोई : अलग से पूछ लेना।

श्री कल्याण सिंह कालवी : जितनी इकाइयों को उपयोग में ले सकते थे उतनी इकाइयों का गठन कर चुके हैं। बीमारियों की रोकथाम के लिए पहले जो टीका लगाने की प्रथा चलाई है, जिस योजना को क्रियान्वित किया, वह गांवों में पहुंच चुकी है और गांवों में सुचारु रूप से काम कर रही है।

पशु संवर्धन के लिए सबसे बड़ी चिन्ता जो माननीय सदस्यों ने प्रकट की थी वह थी सांडों की व्यवस्था की, आर्टीफिसियल इन्सेमिनेशन की व्यवस्था की। जहां तक सीमन का सवाल है जिस तरह से प्रोजिजन किया है वह नहीं आ रही है उसके लिए····

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने राजस्थान कैनाल के बारे में क्या प्रबंध किया?

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह कालवी : पशु प्रजनन के 4 प्रजनन केन्द्र चल रहे हैं जिनमें सांड व बछड़े पाले जा रहे हैं। अच्छी नस्ल के पशु पंचायतों को सप्लाई करके अच्छे पशु पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। उसके साथ ही साथ 75 सांड चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में रखेंगे।

(व्यवधान)

इसके साथ ही साथ जो बछड़े लिए जायेंगे, वे नागौरी थरपारकरी होंगे। हमारे यहां पर 4 प्रजनन केन्द्र चल रहे हैं जिनमें अच्छे बछड़े पैदा किये जायेंगे और उन बछड़ों को पंचायतों में वितरित करेंगे···

श्री बजरंग लाल शर्मा : प्रजनन केन्द्रों पर आपका योगदान रहेगा?

श्री कल्याण सिंह कालवी : जरूर रहेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो सांड वितरित करेंगे वे फ्री करेंगे या पैसों पर?

श्री कल्याण सिंह कालवी : ग्राम पंचायतों को मुफ्त में वितरित करेंगे। 75 सांड पशु चिकित्सालय पर रखेंगे और दो सांड बाड़मेर में रखे जायेंगे।

हमारी सबसे बड़ी समस्या है पशुओं के आहार की। ज्यों-ज्यों सिचाई की सुविधायें बढ़ती जा रही हैं, ज्यों-ज्यों भूमिहीनों को

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

जमीन अलाट होती जा रही है, चरागाहों की कमी महसूस होती जा रही है। हमारे यहां पर जो पहले पशु पालन की पद्धति रही है, वह पशुओं को जंगलों में चराने की रही है और उसके बाद में दुग्ध निकालने की व वापस छोड़ने की प्रवृत्ति रही है, आज उसको बन्द करना पड़ेगा। उसको बन्द करने के लिए दोनों तरह की समस्यायें हमारे सामने हैं, जहां पुराने चरागाह पड़े हैं आज उनकी समस्या यह है कि वे चरागाह घास पैदा नहीं कर पा रहे हैं। वहां पहले पौष्टिक घास पैदा होता था वहां अब घटिया किस्म की घास चरागाहों में बढ़ने लगी। कोई पशु पालक उससे अपने पशुओं का पेट भर कर अच्छा दूध ले यह नामुमकिन है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वन खण्डों में जितना आला फाडर है वह तैयार किया जाय।

श्री कल्याण सिंह कालवी : इससे हमारे सामने दोनों तरह की समस्या आ गई। जिन चरागाहों में अच्छी घास नहीं हो रही है उनमें पौष्टिक घास पैदा की जाय, इस तरह की योजना बनानी पड़ेगी। सरकार इस तरह की योजना बना चुकी है। विभिन्न स्थितियों में तालमेल करके चरागाह का विकास कर रही है। साथ ही डी. पी. ए. पी. में यह प्रोग्राम बहुत बड़ी मात्रा में लिया हुआ है।

इसके साथ ही साथ जैसा मैंने निवेदन किया, पशुओं को जो रखने का तौर तरीका है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह विश्नोई : गांव वालों की रजामन्दी से करेंगे या जबर्दस्ती ?

श्री कल्याणसिंह कालवी : ग्रामीण लोग स्वागत करते हैं।

जहां तक जालौर में स्टाल फीडिंग का सवाल है, चारा पैदा करना पड़ेगा। कौन सा पौष्टिक आहार है इसके लिए लोगों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। इस तरह से एक हजार फार्म्स इस वर्ष चालू कर रहे हैं ताकि अच्छे चारे के विकास में योगदान मिल सके।

दरअसल में हम चाहते हैं कि गरीब लोग है, छोटे किसान हैं, वे कुछ पूरक धंधा चाहते हैं तो उनको नया धंधा देना पड़ेगा। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको धंधा देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति के लोगों को धंधा देने के लिए आज पोल्ट्री फार्म की योजना डूंगरपुर व बांसवाड़ा में चल रही है, यही सबसे ज्यादा प्रचलित हो रही है। साथ ही साथ अलवर में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं वे शूकर पालन करके गुजारा करना जानते हैं। वहां शूकर प्रजनन की योजना को लेकर उन लोगों को भी राहत पहुंचाई जायेगी।

जैसा मैंने कहा था कुक्कुट पालन की योजना बड़े पैमाने पर चल रही है। मुर्गी पालन के लिए एक कुक्कुट फैडरेशन बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुर्गी के दाने पर बिक्री कर समाप्त किया है।

जहां जिन जिलों में पशु जिला अधिकारी नहीं हैं वहां पर पशु जिला अधिकारी दे

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

देंगे ताकि सुचारु रूप से काम हो सके। जनजाति क्षेत्रों में अलग से एक पशुपालन अधिकारी का पद कायम करके अलग जिला बनाना चाहते हैं जिससे वह उनसे सम्पर्क रख सके और आवश्यकतानुसार उनकी पूर्ति कर सके। कोटा तथा उदयपुर के अन्दर पशुधन से सम्बन्धित जो प्रशिक्षण देने वाले हैं उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना भी इसी साल से की जा रही है।

इसी तरह से मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। जैसा मैंने निवेदन किया था कि पशु गणना की दृष्टि से राजस्थान का नम्बर भारत में तीसरे नम्बर पर है। हमारे प्रदेश में सारे देश के 6 प्रतिशत पशु रहते हैं। सारे देश में जितना दूध का उत्पादन होता है उसका 10 प्रतिशत दूध केवल राजस्थान में उत्पादित किया जा रहा है। इसी तरह से आज हमारे यहां पर डेयरी का काम काफी प्रगति पर है। डेयरी और चिलिंग प्लांट के माध्यम से 17 जिलों में इसके विकास का काम प्रारम्भ किया जा चुका है और अन्य 6 जिलों में इसी साल प्रारम्भ करने जा रहे हैं। हमारे यहां दूध एकत्रित करने का सवाल है हम इस साल 4 लाख लीटर प्रति दिन के हिसाब से दूध एकत्रित करना चाहते थे। करीब 3½ लाख लीटर प्रतिदिन एकत्रित करने की स्थिति में आज हैं। यह हम एकत्रित कर रहे हैं।

आज जो सबसे ज्यादा चिन्ता सदस्यों ने प्रकट की थी। वह दूध की कीमत के बारे में प्रकट की थी। दूध उत्पादकों को उसका उचित मूल्य मिले। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। सरकार ने 10 पैसा प्रति लीटर पिछले माह से बीकानेर में बढ़ा दिया है। बीकानेर के साथ ही साथ हम जोधपुर में भी गाय के दूध की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केवल बीकानेर में बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। वहां से तो दिल्ली जाता है। आप तो सारे राजस्थान में दूध के एक ही भाव कीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : सीकर और झुन्झुनूं ने क्या पाप किया है ?

श्री नवरंग सिंह : यह बढ़ोतरी सीकर और झुन्झुनूं में भी की जाय। वहां के पशु पालकों ने क्या अन्याय किया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बाल वर्ष में बच्चों को दूध चाहिए। आप कहते हैं कि हमारे पास बहुत दूध है तो उसकी कीमत आप नीचे लाइये।

श्री कल्याण सिंह कालवी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां से जो दूध जाता है वह छोटी लाइन से दूध जाता है। उसके अन्दर 22 हजार लीटर ही दूध जा पाता है। जो गुजरात से दूध जाता है वह बड़ी लाइन से जाता है। वहां से 40 हजार लीटर दूध जा रहा है। इस सम्बन्ध में हम रेलवे मन्त्री से बात कर रहे हैं। हमने कहा है कि हमारे और उनके खर्च में अन्तर है, हमारा उनके बराबर खर्चा रहे इसलिए हमको अनुदान दिया जाये। इसके लिए सहमति प्रकट कर दी है। और शीघ्र ही निर्णय सामने आ जायेगा।

श्री रामसिंह बिश्नोई : यह दस पैसे की बढ़ोतरी का मामला है आप इसको क्लीयर कीजिए। आज से एक महीने पहले रेडियो पर और अखबारों में कहा था कि हमने राजस्थान में दूध का पैसा बढ़ा दिया है। आप तो बीकानेर की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि मेरे पास गाय भी है और भैंस भी है अगर मैं भैंस के दूध में गाय का दूध मिला देता हूं तो आपके कर्मचारी उसमें कैसे भेद करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : 4 से 5 पर्सेन्ट फेट पर हम दस पैसा प्रति लीटर के हिसाब से ज्यादा दे रहे हैं।

साथ ही साथ हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आक्षेप लगाया था कि मन्त्री लोग केवल तबदीली की राजनीति में उलझे रहते है, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर पिछले साल जो तब्दीलियां या पोस्टिंग हुए हैं वह इसलिए हुए कि हमारे यहां पर 80 नये चिकित्सालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र और क्रमोन्नत हुए थे। उनके अन्दर नयी नियुक्तियां करने के लिए तथा ट्रान्सफर करने के लिए सारा एडजस्टमेन्ट किया गया है। इसके सिवाय कोई बात नहीं थी।

श्री शशेपत सिंह मकासर : फिर तीन लोगों को ही आपने टी ए., डी. ए. दिया और बाकी को क्यों नहीं दिया ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही रचनात्मक सुझाव हमारे सामने प्रस्तुत किये। मैं अब निवेदन करता हूं कि हमारे विभाग की जो 37 और 39 नम्बर की मांग है उनको पास कराने में सहयोग प्रदान करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अमूल्य सुझाव दिये थे उनके बारे में जवाब नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंग लाल शर्मा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हू। बावजूद इसके कि सारे प्रयत्न किये, अधिक उन्नत बीज दिया, बावजूद इसके कि इतने सारे इन्तजाम किये, क्या यह सही है कि उपज हमारे यहां घटी है बढ़ने के बजाय ? इसके साथ ही साथ जब यह कहते हैं कि इतनी भूमि कृषि के नीचे ली है फिर मार्जिनल फार्मर्स और भूमिहीनों की संख्या बढ़ी है ? नेशनल ग्रास प्रोड्यूस में एग्रीकल्चर का शेयर कम हुआ और इसके साथ ही साथ प्रोड्यूस भी कम हुई ? यह सब प्रयत्न करने के बाद भी यह कमियां क्यों आई ? दूसरे वाटर लॉगिंग के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी आई है, इसके लिए क्या प्रयत्न किये हैं ? इसके बारे में कोई बात नहीं बताई।

आप इन्श्योरेन्स के बारे में पीछे के वर्षों में और अब जनता पार्टी है इसके भी सदस्य प्रश्न उठाते रहते हैं, इसके लिए आपने कुछ नहीं कहा।

इसी तरह से दूसरा सवाल है छोटे खेतीहर मजदूरों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा है।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

आखिरी बात यह है कि पशुओं की राजस्थान में इतनी संख्या होते हुए मन्त्रि-मण्डल में उनको उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या पशुओं को अब तक मन्त्रिमण्डल में शामिल किया गया है या आगे शामिल करने की योजना है ?

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अरघट की बीमारी को रोकने के लिए, काश्तकारों को गेंहूं की कास्ट का प्रोटेक्शन देने के लिए आपने क्या उपाय किये हैं ?

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि जीरा, रायड़ा, कपास गुजरात में जाकर बिकता है क्योंकि सुमेरपुर, भीनमाल की मण्डियों में खरीददार नहीं है, पूरी कीमत नहीं मिलती ? कृषि विपणन बोर्ड के स्थान पर जहां व्यापारी नहीं है क्या राज्य सरकार की ओर से कपास, जीरा और रायड़ा, सरसों खरीदने के लिए कोई व्यवस्था है ?

श्री गुल मोहम्मद : जैसा मैंने बताया था कि सन् 75 के अन्दर कृषि उपज मण्डी जयपुर और यू. आई. टी. के बीच एक एग्रीमेण्ट हुआ था कि सूरजगढ़ गृह निर्माण सहकारी समिति को बसाया जायेगा, कृषि उपज मण्डी जयपुर द्वारा बसाया जाएगा लेकिन अभी तक उसका रिप्लाई नहीं दिया है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसका आप कम से कम जवाब दीजिये । कच्ची बस्ती को बसायेंगे या नहीं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि पशु चिकित्सालय खोलने के लिए आपके क्या मापदण्ड हैं ? डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत जितने कार्यक्रम चालू किये गये थे उनका कितना पैसा लैप्स हो रहा है ?

कल सब्जी के ऊपर से टैक्स हटाने के बारे में आपने कहा था कि हटा दिया जाएगा । क्यों नहीं हटा रहे हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन : मेरा एक छोटा सा प्रश्न है । पम्पिंग सेट या बिजली के लिए एक शर्त है कि एक कुएं और दूसरे कुए के बीच 200 मीटर का अन्तर होना चाहिए । मेरे जिले में पानी की बहुतायत है, क्या इसको देखते हुए हमारे जिले के लिए इस शर्त को हटाना चाहेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी, जो भी ठीक समझें, उत्तर दें कि डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र के लिए धनराशि का जो आवंटन किया गया है उस राशि के आवंटन में आबादी का ध्यान न रखकर अपने मनमाने तरीके से धनराशि आवंटित की है । झुन्झनूं जिले के सूखा संभावित क्षेत्र की जनसंख्या जहां 4½ लाख है उसको आपने सिर्फ 11 लाख रुपये दिये हैं और जैसलमेर की पापूलेशन पूरे जिले से आधी है उनको आपने 10 गुना ज्यादा दिया है, झुन्झुनूं जिले का । इतनी कम धनराशि देने का आधार क्या है जब कि भारत सरकार से यह सारी राशि आपको जनसंख्या के आधार पर मिली है ? मुख्य मन्त्री जी से चाहूंगा कि कृपा करके

(श्री रामनारायण चौधरी)

आश्वासन दें कि जो आपने अलाटमेंट दिया है उसको आप रद्द करेंगे और न्यायोचित आधार के ऊपर दुबारा आवंटित करेंगे।

श्री किशनसिंह भाटी : हमको आप पाकिस्तान में मिलाने की मांग कर लो, अच्छा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मन्त्री महोदय, कागजों की तरफ से ध्यान हटा कर इधर ध्यान दें। आपने डेढ़ महीने पहले किसानों को आश्वासन दिया था कि 10 पैसा बढ़ा देंगे। अखबारों में आया था। 10 पैसा बढ़ाने की पुनः घोषणा करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : रानीवाड़ा के पशु पालकों का क्या किया है? जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं हैं, उनका उत्तर दें।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, दो ही बातें....

श्री श्योपत सिंह मकासर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ...

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय उत्तर दे देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं आपसे यह चाहता हूं आखिरकार कोई भी सवाल पूछता है ...

श्री उपाध्यक्ष : यह परिपाटी आपने भी शुरू की है।

श्री रतनलाल वर्मा : आपकी कोई ठेकेदारी है, कोई दूसरा पूछे नहीं। अकलमंद केवल आप ही हैं।

मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा। किसानों की मेहनत का मूल्यांकन आज तक भी भारतवर्ष में किसी ने नहीं किया। गेहूं के उत्पादन पर गेहूं की क्या कीमत बैठती है, जौ की क्या कीमत है, चना की क्या कीमत बैठती है, कपास की क्या कीमत बैठती है, किसी ने मूल्यांकन नहीं किया। मेहरबानी करके उसका क्या भाव बैठता है फिर आप भाव फिक्स कीजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह केन्द्र कर रहा है।

श्री रतनलाल वर्मा : सुन लीजिये आप।

डेयरी में गाय और भैंस होती हैं। आपकी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर में जो डेयरी हैं उनमें कितनी भैंसे हैं?

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह भाषण दे रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : आप 1.20 रुपये लीटर दूध लेते हैं और 2 रुपये देते हैं। 80 पैसे का प्राफिट रखा है इसके बाद भी डेयरी लाखों रुपयों के घाटे में जा रही है। इसके लिए आप क्या करने को जा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराज जायें।

श्री रतनलाल वर्मा : 33 करोड़ रुपये विश्व बैंक से लिए। यह पैसे खतम हो जाने के बाद क्या आप इस प्रकार से कर्मचारियों को हमारे सिर पर बैठा देंगे। कितने पैसे आपने किसानों को दवा के लिए, बीज के लिए, उनकी फसल की बीमारी को रोकने के लिए, ऊसर भूमि को काबिल काश्त करने के लिये खर्च किये ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : आखिर जब सब ने पूछा है....

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछना चाहें तो आप भी पूछ लीजिए।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मन्त्री महोदय से दो प्रश्न पूछना चाहूंगी। उन्होंने भाषण में लम्बा चौड़ा प्रगति विवरण सुना दिया। हमने जो मुद्दे उठाये थे उनका जवाब नहीं आया। एक मुद्दा है काश्तकार जब ग्रेडड सीड 160 रुपये में देता है और वापस काश्तकार जब बीज लेता है तो 250 रुपये में लेता है। 90 रुपया यह बीच का रख-रखाव का बहुत ज्यादा है। इसका क्या करेंगे ?

दूसरा, जब आप पशुपालकों से दूध खरीदते हैं गाय का दूध जिसमें 3.5 या 4 पर्सेन्ट फेट होती है, उसका भाव 1)रु. देते हैं कन्जूमर को जब देते हैं 2.10 लेते हैं। यह बीच का मार्जिन बहुत ज्यादा है। इन दोनों बातों के बारे में बतायें क्या उचित समझते हैं ? और अगर उचित समझते हैं और काश्तकारों का शोषण समझते हैं तो फिर इसके बारे में आपका क्या विचार है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : सूखा सम्भावित क्षेत्र के लिए सारे राजस्थान में करोड़ों रुपया रखा है और झुंझुनूं जिले के लिये केवल 11 लाख ही रखे हैं, इसका क्या कारण है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले कह चुके हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मन्त्री महोदय से जवाब नहीं आया। मार्जिनल फार्मर की जो सीमा है ढाई बीघा उसको बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजे।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है कि किसान की प्रोड्यूस को बिचौलियों से बचाने के लिए फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन कोडिनेट करेगी ? उनकी फसल को गिरवी रखने के सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं, यह बताया जाय ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : इसके साथ ही स्टेट कार्पोरेशन का भी बता दें। मार्केट

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

में एफ० सी० ग्राई० ग्रौर बाकी दूसरे व्यापारियों के मुकाबले में स्टेट कार्पोरेशन बनाने का कोई विचार है जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों के जो कुछ प्रश्न ग्राये हैं उसमें बनीपार्क से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि गेहूं की उपज प्रति एकड़ राजस्थान में घट रही है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दरग्रसल में राजस्थान के अन्दर प्रति एकड़ उपज गेहूं की घट नहीं रही है, बढ़ रही है, मैं उनके सामने ग्रांकड़े रख सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया डिस्टर्ब न करें।

श्री कल्याण सिंह कालवी : 75-76 में .

श्री बजरंग लाल शर्मा : ग्रापकी सरकार ने ही यह पुस्तक प्रकाशित की है। इसको यदि ग्रापने पढ़ा हो तो मालूम हो। यह भी ग्रापको पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से ग्रापने इकोनोमिक इन्डीकेटर नहीं पढ़ा है।

श्री रामनारायण चौधरी : हाई कोर्ट की प्रैक्टिस नहीं है जो ग्राप करें।

श्री कल्याणसिंह कालवी : मैं बताना चाहता हूं वर्ष 75-76 में गेहूं की ग्रौसत उत्पादन कीमत थी....

श्रीमती सुमित्रासिंह : वह तो समझ गये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजे, माननीय मंत्री महोदय जिसका उत्तर देना चाहेंगे वे दे देंगे।

श्री किशनसिंह भाटी : आप मंत्री महोदय से कहें वे कट मोशन के बारे में कुछ प्रकाश डालें।

श्री कल्याणसिंह कालवी : दूसरी बात पूछी है गेहूं की फसल के बीमा ग्रौर गेंहूं के बीज के बीमा की। यह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार ने जनरल बीमा कम्पनी को इस तरह के निर्देश दिये हैं कि फसल का बीमा कराने की व्यवस्था भारत में की जाय। उन्होंने यह कहा है कि राज्य सरकार 25 प्रतिशत का हिस्सा लेकर चलती है तो इस बारे में विचार विमर्श कर लेंगे। जब यह तय हो जायगा तो माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जायगा। पशुओं के बीमे के लिए यह तय हो चुका है कि साढ़े तीन प्रतिशत की दर से विचार किया जायगा। इसी तरह डेयरी में जो जानवर हैं उनका एक प्रतिशत का कन्सेशन देकर ढाई प्रतिशत पर विचार किया जायगा। उनका भी बीमा किया जा रहा है।

जहां तक दूध की कीमत का प्रश्न पूछा है, दूध की कीमत चार प्रतिशत फेट पर 1.35 देंगे। जो बढ़ाने की घोषणा की है पांच पैसे नवम्बर से ग्रौर पांच पैसे ग्रप्रेल

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

से, उसी के साथ जोधपुर में भी बढ़ा रहे हैं, जहां पर गाय का दूध उपलब्ध है। यदि रेल किराये का डिफरेन्स मिल जाता है तो तीन पैसे और पांच पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का विचार है।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे से हमें कोई लेना देना नहीं है।

श्री कल्याणसिंह कालवी : पहले आप मेरी बात सुन लीजिए....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजे।

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय सदस्य यदि आपने रेडियो ध्यान से सुना होगा तो यह बात नहीं है कि आज से प्रारंभ कर दिया है। यह 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से गाय के दूध पर ज्यादा दे देंगे....

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने सुना है रेडियो हिन्दी में, राजस्थानी में सुना है और मैं ठीक कह रहा हूं ...

(व्यवधान)

आप आज उलटी बात कह रहे हैं। आपको अधिकारी लोग भ्रमित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप बैंक आउट हो रहे हैं।

श्री कल्याणसिंह कालवी : यहां पर फल और सब्जी की भी बात कही गई है, कि सब्जी पर से टैक्स हटाया जाय। उन्होंने अपनी समस्यायें रखी हैं और उस पर यह निर्णय हुआ है कि उनकी तरफ से कोई आदमी और सरकार बैठकर इस पर कोई निर्णय करेंगे। जो कृषि उपज मण्डी का शुल्क लग रहा है वह किस रूप में कैसे लिया जाय, इस पर बाद में बैठकर कोई निर्णय ले लिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यक नहीं, आपका उतर मन्त्री महोदय दें।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, चार वर्ष पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा पट्टे वितरित किये गये थे....

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसे आवश्यक नहीं मानता।

(व्यवधान)

कृपया आप बिराजें।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

आवश्यक नहीं है, मन्त्री महोदय उत्तर दें। उन्होंने उत्तर दे दिया, पर्याप्त है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो चर्चा में भी भाग नहीं लिया। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी चर्चा का ही भाग है।

(व्यवधान)

मैं इसे आवश्यक नहीं मानता, कृपया विराजे।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : इतना कठोर व्यवहार तो नहीं करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कोई माननीय सदस्य वाक आउट पर जायं और फिर भी एक्सपेक्ट करें, वह उचित नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई पाइन्ट होता है तो इस प्रभुसत्ता सम्पन्न सदन में अपना रिजेन्टमेंट रखने के लिए ऐसा किया जाता है तो क्या दुबारा उसको सदन में आने का अधिकार नहीं और कोई बात पूछने का अधिकार नहीं रह जाता है क्या ?

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मन्त्री) : प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने पर्याप्त उत्तर दे दिया है। अब मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, नहीं। नहीं। नहीं।

श्री गुल मोहम्मद : आपका उत्तर मंत्री महोदय नहीं देना चाहते हैं, कृपया बिराज जाये। आपने काफी चर्चा कर ली है, आपकी सन्तुष्टि के अनुसार मन्त्री महोदय उत्तर नहीं देना चाहते हैं....

(व्यवधान)

मेरा इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जवाब तक नहीं देना चाहते हैं ..

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय झुंझुनूं जिले के साथ जो भेद भाव किया गया है डी० पी० ए० पी० के फण्ड के अलाटमेंट में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि आज कृषि विभाग की डिमाण्ड है और उसमें डी. पी. ए. पी. शामिल नहीं है।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के बारे में कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा रहा है ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुल मोहम्मद जी, कृपया आप विराज जाइये।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर यहां पर बोलने की क्या आवश्यकता है। जब तक माननीय मन्त्री जी आप बतायेंगे नहीं कुछ भी तो फिर बोलने से क्या फायदा है....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप बताइये तो सही, कहां है, कहां ले गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराज जाइए, अब मैं और प्रश्न करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : जो इतने इम्पार्टेन्ट सुझाव दिये हैं, कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए हैं, उनके बारे में मैं केवल इतना पूछ रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य किशन सिंह जी भाटी, आप कृपया विराज जाइये। माननीय श्री भाटी....

(व्यवधान)

आप अपनी समस्या को प्रमुख समझते हैं लेकिन मन्त्री महोदय उत्तर नहीं देते तो मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता। आप चर्चा कर चुके हैं, कृपया बिराज जाइये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप किसी समस्या के बारे में ज्यादा डीप होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका उत्तर दें ही।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं केवल इनता पूछना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सुझाव दिए थे....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाइये।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : आप किसी खास मुद्दे पर भी मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस हाउस में जब भी मैं खड़ा हुआ हूं, जब भी मैंने किसी डिबेट में भाग लेना चाहा है और जब मैंने अपने भाषण की शुरूआत भी की है तो आपने मुझे रोकने की कोशिश की है। मैं आधा घण्टे से तमाशा देख रहा हूं। आप एलान कर देते हैं, बार-बार रोकते हैं फिर भी ये लोग जिद्द करते हैं और आप उनकी तरफ झुक जाते हैं, उनको अनुमति दे देते हैं लेकिन मैं जब कि केवल एक लाइन में यह पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो तमाशा देख रहे थे वह तमाशा आप स्वयं कर रहे हैं। आप यह नहीं देखते हैं कि मैंने इजाजत क्यों दी थी।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना पूछता हूं कि कृषि

(श्री किशनसिंह भाटी)

मंत्रीजी बहुत अधिक नहीं तो केवल इतना कहें कि जो मेरे कुछ सुझाव हैं उनको अगर कंस्ट्रक्टिव समझते हों तो कम से कम उनका रेफरेंस तो अपने भाषण में कर दें अदरवाइज रिजेक्ट हो जावेंगे। मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं....

श्रीमती सुमित्रासिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं देख रहा हूं कि जान बूझ कर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्राजी पाइन्ट आफ आर्डर उठा रही हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि आसन पर इस तरीके से आक्षेप करके, उसको धमकी देकर माननीय सदस्य बोलते रहें और आसन उनको बोलने की अनुमति दे दे तो कभी भी इस हाउस के अन्दर आर्डर रखने मे, व्यवस्था को बनाए रखने में यह आसन सक्षम नहीं होगा। इसलिए मुझे बड़े खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि जो माननीय सदस्य जिस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आसन को चाहिए कि उसको रेजिस्ट करे।

श्री किशनसिंह भाटी : सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत तो सुमित्राजी करती हैं। किसी भी तरह से जिद् करके, बोलने की इजाजत नहीं होते हुए भी, आपके द्वारा इजाजत नहीं होने पर भी बीच में बोलकर व्यवधान डाल कर जिस तरह से बोलती हैं....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय कृषि मंत्रीजी के साथ माननीय श्री भाटी अपना अकाउण्ट सैटल करना चाहें तो सैटल करवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री किशनसिंहजी, मैंने आपकी चर्चा में काफी समय दिया था परन्तु फिर भी आपको संतोष नहीं है तो आप पूछ लीजिए।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं चाहता हूं कि काफी लाइटली आप इसको लेंगे। आसन के प्रति पूरा आदर रखते हुए भी मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख है कि पशुपालन की मांग पर मेरा कटमोशन होते हुए भी, किसी के प्रति क्रिटिसिज्म की भावना से नहीं बोलना चाहते हुए भी आपने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। मैंने बिगनिंग में ही कहा था कि मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव देना चाहता हूं उसका कुछ तो जवाब दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मैं सुन चुका हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : मैंने शुरू में ही यह कहा था कि अगर मेरे सुझावों में आपको कोई मैटीरियल पाइन्ट नहीं लगें तो आप

(श्री किशनसिंह भाटी)
कह सकते हैं कि आपके सुझाव कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं है, अदरवाइज रैफरेंस ही हो जावे····

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपके ही सुझाव कंस्ट्रक्टिव थे तो बाकी के क्या गालियां दे रहे थे ?

श्री किशनसिंह भाटी : मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों ने ट्रांसफर्स की बात कही तो उनके जवाब आए हैं, और लोगों को भी जवाब दिया गया है। मैंने कुछ अहम् मुद्दे उठाये थे, उनको जरूरी नहीं समझते हों तो रेफरेंस ही कर दें लेकिन जिस तरह से लाइटली ले रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं वह मुझे भी दुखदायक लग रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जावें अब आप।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपके सुझाव कृषि मंत्री जी की समझ के बाहर हैं···

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : आप यह ब्रोकर वाली बात छोड़ दीजिए हाउस में···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य भाटीजी, कृपया बिराजें।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना चाहता हूं····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके सुझाव के बारे में माननीय कृषि मंत्री को कुछ कहने की अनुमति नहीं दूंगा। आप विराजें।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं मंत्री महोदय। से चाहूंगा कि वे कुछ भी हां या ना में उत्तर तो दें।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जबर्दस्ती नहीं की जा सकती। भाटीजी इस तरह से नहीं बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराज जाइये।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अगर मंत्री महोदय इतना ही कह दें कि मेरे सुझाव गलत हैं तो मैं एग्री कर लूंगा। इस तरह से हाउस में कार्यवाही नहीं होने देंगे····

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : क्या तीन चार आदमियों की ही बपौती है क्या ?

(व्यवधान)

मांग संख्या 37 व 39 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री उपाध्यक्ष)

को 10,76,36,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं इसके विरोध में वाक आउट करता हूं हाउस से।

(बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,37,69,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 79 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 9-08 बजे सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 1979 के म.पू. 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

प्रतापगढ़ क्षेत्र के किसानों को ए. आर. डी. सी. स्कीम के अन्तर्गत ऋण

525. श्री कारुभाई मीणा (प्रतापगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ क्षेत्र में ए. आर. डी. सी. स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौन से बैंकों को सीमान्त एवं लघु कृषकों को ऋण देने के लिए अधिकृत कर रखा है ?

(2) वर्ष 78-79 और 79-80 में कितने लाख रुपये के ऋण तथा अनुदान प्रतापगढ़ क्षेत्र के लिये स्वीकृत किये गये हैं। इस राशि को कृषक लोगों में वितरण हेतु क्या सुविधा प्रदान की जा रही है ?

(3) इस ऋण का किसी विशिष्ट बैंक से ही वितरण क्यों कर कराया जा रहा था ?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ क्षेत्र में ए. आर. एवं डी. सी. के अन्तर्गत ऋण देने के लिए बैंक आफ राजस्थान को अधिकृत कर रखा है।

(2) वर्ष 78-79 में बैंक आफ राजस्थान को प्रतापगढ़ क्षेत्र के लिए 9.13 लाख रुपये के ऋण का लक्ष्य रखा गया है जिसके अन्तर्गत अब तक 3.87 लाख रुपये का ऋण एवं 1.00 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। यह राशि बैंक के द्वारा इस क्षेत्र में स्कीम के अनुसार वितरित कर दी गई। ऋण राशि का वितरण बैंक द्वारा कुएं बनाने हेतु आसान किश्तों पर सीधा कृषकों को किया जाता है। पम्प सैट्स लगाने का ऋण पम्प सैट्स सप्लाई करने वाली एजेन्सी को बैंक द्वारा सीधा वितरण किया जाता है। अनुदान राशि का भुगतान सीधा कृषकों को कृषक विकास अभिकरण चित्तौड़गढ़ द्वारा बैंक के माध्यम से निम्न दरों से किया जाता है :—

(1) लघु कृषक	25 प्रतिशत
(2) सीमान्त कृषक	33 333 प्रतिशत
(3) अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को	50 प्रतिशत

यह सहकारी वर्ष के अनुसार योजना जून, 79 तक स्वीकृत की गई है। अतः अभी वर्ष 79-80 का लक्ष्य तय नहीं किया गया है।

(3) ए. आर. डी. सी. की वित्तीय सहायता से चलने वाली योजना को किसी एक क्षेत्र में एक ही बैंक द्वारा ऋण वितरण करने का प्रावधान है। योजना स्वीकृति के समय भूमि विकास बैंक प्रतापगढ़ ऋण देने की स्थिति में नहीं था इसलिए इस क्षेत्र में योजना को चलाने के लिए बैंक आफ राजस्थान का चयन किया गया था।

तहसील दांतारामगढ़ के जीवन-माताजी एवं खाटूश्यामजी को पर्यटक स्थल बनाने की योजना

526. श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मदनसिंह दांता)

(1) क्या यह सही है कि तहसील दांतारामगढ़ में जीवन माताजी एवं खाटू-श्यामजी तीर्थ स्थान दर्शनीय स्थान हैं तथा यहां हजारों पर्यटक आते हैं ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इन दोनों स्थानों पर देश विदेश के तीर्थ यात्रीगण के कारण इसे पर्यटक स्थल बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इन दोनों स्थानों पर पर्यटन विश्राम गृह बनायेगी ? अगर हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ये दोनों स्थल क्षेत्रीय महत्व के तीर्थ स्थल हैं। फिलहाल इस स्थल के विकास हेतु कोई योजना नहीं है। ये स्थानीय पर्यटकों के लिये ही महत्वपूर्ण हैं।

(2) जी नहीं । इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है क्योंकि जो धार्मिक पर्यटक यहां आते हैं उनके लिये धर्मशालायें पर्याप्त हैं।

विभिन्न विभागों के निदेशकों के रिक्त पद

527. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही): क्या मुख्य मंत्री यहबताने की कृपाकरेंगे :—

राजस्थान में कितने निदेशकों के पद वर्षों से रिक्त चले आ रहे हैं ? निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य व निदेशक, पशुपालन के स्थान कब भरे जाएंगे ?

उत्तर

राजस्थान में विभिन्न विभागों में निदेशक के 7 पद कुछ वर्ष से स्थायी रूप से भरे जाने हैं।

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का पद विभागीय पदोन्नति समिति से भरा जाना है जिसकी कार्यवाही की जा रही है। निदेशक, पशुपालन का पद रिक्त नहीं है परन्तु इसे स्थाई रूप से विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा भरने के लिये विभागीय अधिकारी दिनांक 1-4-79 को पात्र होंगे।

मंत्रियों द्वारा सार्वजनिक सभाओं को सम्बोधित करना एवं संबंधित क्षेत्र के विधायक को सूचना

528. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि यह एक परम्परा (कन्वेन्शन) रही है कि राज्य के मंत्री जब कभी किसी (विधायक) क्षेत्र में ग्राम-सभा को सम्बोधित करते हैं या सार्वजनिक संस्थान का शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं, तो क्षेत्रीय विधायक को पूर्व सूचना दी जाती है ?

(श्री माधवसिंह दीवान)

(2) यदि हां, तो माह जनवरी, 79 एवं फरवरी, 79 में किन-किन मंत्रियों ने किस-किस स्थान पर सार्वजनिक सभाओं को सम्बोधित किया तथा किन-किन विधायक को सूचित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की परम्परा डालने पर विचार करेगी, ताकि क्षेत्र की समस्याओं को विधायक, मंत्रीजी के समक्ष रख सकें ?

उत्तर

(1) जी हां । राज्य के मंत्री जब कभी सार्वजनिक संस्थान का शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं तो क्षेत्रीय विधायक को इसकी पूर्व सूचना दी जाती है ।

(2) जी हां । 13 मंत्रिगणों की सूची संलग्न है ।

(3) जी हां । सूचना दी जाती है अतः परम्परा डालने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

तारांकित प्रश्न 528 की सूची

माह जनवरी, 79 एवं फरवरी, 79 में राज्य के मंत्रिगणों द्वारा सार्वजनिक सभाओं को सम्बोधित करने एवं विधायकों को दी गई सूचनाओं की तालिका

क. सं.	दिनांक	स्थान	विशेष विवरण
1	2	3	4
श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री			
1.	7-2-79	हीरापुरा (जयपुर) में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और चिकित्सालय भवन का सर्मपण समारोह।	क्षेत्रीय विधायकों को सूचना दी गई।
2.	12-2-79	चलगिरी-खानिया, घाट की गूनी, जयपुर में स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज के प्रवचन की सभा को सम्बोधित किया।	
श्री केदारनाथ शर्मा, श्रम मंत्री			
श्रम मंत्री जी ने माह जनवरी एवं फरवरी, 79 में किसी स्थान पर सार्वजनिक सभाओं को सम्बोधित नहीं किया।			
श्री सम्पतराम, गृह मंत्री			
1.	8-2-79 एवं 9-2-79	पिलानी में डाक्टर कन्हैयालाल सहल हिन्दी शोध संस्थान द्वारा आयोजित हिन्दी शोध सर्जन सम्मेलन का उद्घाटन किया।	क्षेत्रीय विधायकों को सूचना दी गई।

1	2	3	4
श्री त्रिलोकचन्द जैन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री			
1.	25-1-79	हुरतेडा डिस्पेन्सरी का उद्घाटन	क्षेत्रीय विधायकों को सूचना दी गई ।
2.	10-2-79	बिलाडा में आई केम्प का उद्घाटन	" "
3.	12-2-79	शिवदासपुरा में गांधी मेला	" "
4.	14-2-79	मिनाय में सर्जीकल केम्प व निरीक्षण एवं भाषण	" "
श्री कैलाश मेघवाल, सहकारिता मंत्री			
1.	10-1-79	कनवास (कोटा) में अन्त्योदय शिविर का उद्घाटन	जिले के समस्त विधायकों को सूचित किया।
2.	11-2-79	कोटा में चम्बल गार्डन में स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण	मा. विद्युत मंत्री जी के निदेशानुसार उक्त कार्यक्रम में सम्मलित होना पड़ा अतः समय अभाव में जिले के विधायकों को सूचित नहीं किया गया ।
3.	15-2-79	बगडी (पाली) में नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का उद्घाटन	जिले के विधायकों को सूचित किया गया ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी, उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री जी ने जनवरी एवं फरवरी, 79 में किसी भी सार्वजनिक सभा को सम्बोधित नहीं किया वरन् कार्यकर्त्ता एवं ग्रुप बैठकों को सम्बोधित किया है । विधायकों को दौरे की एवं कार्यक्रम की अग्रिम सूचना दी जाती है ।

1	2	3	4
श्री दिग्विजयसिंह, पंचायत राज मंत्री			
1.	2-1-79	जिला भरतपुर	क्षेत्रीय विधायक श्री सुरेश कुमार को सूचित किया।
2.	5-1-79	काकोड जिला टौंक	पंचायत मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र।
3.	10-1-79	कोटा एवं रामगंज जिला झालावाड़	श्री भेरवलाल कालाबादल एवं श्री हरीश शर्मा विधायक सूचित किया।
4.	21-1-79	कोटपूतली	श्रीमती गुनवन्त कंवर को सूचित किया।
5.	22-1-79	आमेर जिला जयपुर	सुश्री पुष्पा जैन विधायिका को सूचित किया।
6.	27-1-79	टौंक व देवली	श्री अजीतसिंह, विधायकों को सूचित किया।
7.	6-2-79	हुलेना व रूपवास	श्री ताराचन्द जी विधायक को सूचित किया।
8.	7-2-79	नगर जिला टौंक	श्री अजीतसिंह जी विधायक को सूचित किया।
9.	9-2-79	सुरोठ	श्री श्रवणलाल विधायक को सूचित किया।
10.	14-2-79	टौंक	श्री अजीतसिंह विधायक को सूचित किया।
11.	24-2-79	निवाई जिला टौंक	श्री जयनारायण सालोदिया, विधायक को सूचित किया।
12.	25-2-79	टौंक	श्री अजीतसिंह विधायक को सूचित किया।

1	2	3	4
श्री पुरुषोत्तम मंत्री, राजस्व मंत्री			
1.	जनवरी, 79 में निम्न समारोह में भाग लिया	1. राजस्थान श्रम विभाग द्वारा आयोजित खेल-कूद प्रतियोगिता का उदयपुर में उद्घाटन समारोह	समस्त दौरों की प्रतियां सूचनार्थ संबंधित समस्त विधान सभा सदस्यों को दे दी गई।
		2. अजमेर में राजस्थान स्काउट जम्बूरी समारोह में भाग लिया	
		3. केथन (कोटा) में अन्त्योदय शिविर में भाग लिया	
		4. टोंक में पटवार ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।	
		5. केकडी (अजमेर) में किसान सम्मेलन में भाग लिया।	
		6. छीपा बडोद (कोटा) में ऋण वितरण समारोह में भाग लिया।	
	फरवरी, 79	7. भरतपुर में राजस्थान पटवार संघ के प्रान्तीय अधिवेशन में भाग लिया।	
		8. भीलवाड़ा में पं. दीनदयाल विचार मंच द्वारा आयोजित समारोह में भाग लिया।	
		9. मांगरोल (कोटा) में राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता समारोह में भाग लिया।	

1	2	3	4
श्री जयनारायण पूनिया, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री			
1.	10-1-79	बून्दी जिले के आरोदा, ठीकरदा, रामेश्वर महादेव, दबलाना गोठडा आदि स्थानों पर ग्राम सभाओं को सम्बोधित किया।	क्षेत्रीय विधायक को सूचना दी गई।
2.	11-1-79	बरंगमा, मंडावरा, लहचोहडा व हिन्डोन में ग्राम सभाओं को सम्बोधित किया।	,, ,,
3.	12-1-79	अल्लापुर, बहरावन्डा खुर्द, गोठडा, बालेर में ग्राम सभाओं को सम्बोधित किया।	,, ,,
4.	24-2-79	बीकानेर में विश्नोईयों की धर्मशाला में ग्राम सभाओं को सम्बोधित किया।	,, ,,
श्री बिरदमल सिंघवी, खाद्य मन्त्री			
1.	30-1-79	अजमेर महाविद्यालय में विधि परिषद् को० उद्घाटन	,, ,,
2.	2-2-79	पोकरण में शिक्षक संघ (सनाढ्य पक्ष) उप शाखा पोकरण अधिवेशन का उद्घाटन।	,, ,,

(189)

1	2	3	4
3.	11-2-79	जालोर में श्री पार्श्वनाथ उम्मेद महा विद्यालय में समाज विज्ञान परिषद् का उद्घाटन। छात्रावास का वार्षिक उत्सव	,, ,,
4.	19-2-79	जोधपुर में लांचू कालेज में कार्यक्रम	,, ,,
श्रीमती विद्या पाठक, राज्य मन्त्री, समाज कल्याण			
1.	11-1-79	बीलवा, शिवदासपुरा में भ्रमणशील शल्य चिकित्सालय के उद्घाटन के सम्बन्ध में पूर्व निरीक्षण	स्वयं का कार्य क्षेत्र
2.	13-1-79	शिवदासपुरा, भ्रमणशील शल्य चिकित्सालय का उद्घाटन के कार्यक्रम में	,, ,,
3.	16-1-79	उदयपुरिया में स्कूल भवन का शिलान्यास	,, ,,
4.	21-1-79	भीलवाड़ा में मुहाना पंचायत समिति का पंच सरपंच सम्मेलन	श्री कौशलकिशोर जैन विधायक को सूचित किया।
5.	26-1-79	सांगानेर, शिवदासपुरा, वाटिका में 26 जनवरी का समारोह	स्वय का कार्य क्षेत्र
6.	10-2-79 से 13-2-79	जैसलमेर में मरु पर्यटन समारोह	श्री किशनसिंह भाटी विधायक को सूचित किया।
7.	25-2-79	वाटिका में अन्त्योदय कार्यक्रम के सम्बन्ध में बैठक	स्वयं का कार्य क्षेत्र

1	2	3	4

श्री महबूब अली, राज्य मन्त्री, जन सम्पर्क

माह जनवरी एवं फरवरी, 79 में जयपुर से बाहर किसी भी स्थान पर सार्वजनिक सभा को सम्बोधित नहीं किया गया है।

श्री हरिसिंह यादव, राज्य, मन्त्री वन

माह जनवरी एवं फ़रवरी, 79 में जयपुर से बाहर किसी भी स्थान पर सार्वजनिक सभा को सम्बोधित नहीं किया गया है।

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पंचायत समितियों में ओवरसियरों की व्यवस्था

529. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि काम के बदले अनाज योजना गांवों के लिए वरदान है ?

(2) क्या यह सही है कि हर काम के लिए तकमीना चाहिये जो एक ओवरसियर के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि हर पंचायत समिति के लिए अलग-अलग ओवरसियर नहीं है ? यानि दो पंचायत समितियों के ऊपर एक ओवरसियर है ?

(4) क्या यह सही है कि ओवरसियर की कमी के कारण बहुत से काम जो आवश्यक हैं समय पर प्रारम्भ नहीं हो सकते हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस कार्य की अवधि बहुत सीमित है ? सीमित अवधि में ओवरसियर की कमी के कारण उतने लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते जो प्राप्त करना चाहिए ?

(6) क्या ऐसी स्थिति में सरकार तकमीना वाली बात को हटाने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

1) जी हां।

2) जी नहीं। केवल पांच हजार रुपये से अधिक लागत के कार्यों के लिए ही ओवरसियर द्वारा अनुमोदित तकमीने की आवश्यकता होती है।

3) जी नहीं। प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक ओवरसियर की नियुक्ति की जा चुकी है।

4) वर्तमान में ओवरसियर्स का अभाव नहीं है।

5) जी नहीं। वर्ष 1979-80 में भी यह योजना लागू रहेगी।

6) प्रश्न नहीं उठता।

राजसमन्द बांध का मत्स्य आखेट हेतु ठेका

530. **श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मत्स्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बन्ध राजसमन्द जिला उदयपुर का वर्ष 78-79 के लिए मत्स्य आखेट का ठेका मेवाड़ फिशरमेन सहकारी समिति लि. को रु. 811577/77 में 26-9-78 को दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 26-10-78 को उक्त सहकारी समिति को

(श्री गुल मोहम्मद)

मत्स्य विभाग की ओर से अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) दिया गया ? यदि हां, तो अनुज्ञा-पत्र जारी करने के पश्चात् नियमों में लेबर परमिट कितने समय में दिया जाना आवश्यक है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से लेबर परमिट नहीं दिया गया है ? अगर दिया गया, तो कब दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि मत्स्य आखेट का पीक सीजन माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर होता है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति द्वारा बार-बार नुकसान का नोटिस दिए जाने के बावजूद भी लेबर परमिट नहीं दिया गया, जिससे सहकारी समिति को नुकसान उठाना पड़ा ? यदि हां, तो इस नुकसान के लिए कौन दोषी है, क्या राज्य सरकार समिति को हुए नुकसान को देने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह सही है तथा लेबर परमिट जारी होने के उपरान्त अनुज्ञा पत्र धारी अपनी सहूलियत के अनुसार कभी भी प्राप्त कर सकता है।

(3) जी नहीं। लेबर परमिट हेतु प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया इसी बीच स्थानीय जनता से समय-समय पर ज्ञापन प्राप्त होते रहे व राज्य सरकार इन पर विचार कर ही रही थी कि उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त हो गये तथा दिनांक 24-1-79 को लेबर परमिट जारी कर दिये गये।

(4) जी नहीं।

मत्स्य आखेट हेतु पीक सीजन 15 जनवरी से 30 जून तक का होता है।

(5) स्थानीय धर्मप्रिय जनता द्वारा जलाशय की पाल पर स्थित द्वारकाधीश जी के मन्दिर तथा बाहर से आये तीर्थ यात्रियों की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात के प्राप्त आवेदन पत्रों तथा ज्ञापनों पर राज्य सरकार के स्तर पर विचार हेतु ही लेबर परमिट रोके गये थे जो कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप जारी कर दिये गये। मत्स्य आखेट शुरू हो गया है, अतः सोसायटी को नुकसान की कोई सम्भावना नहीं होगी।

स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों को नौकरियों में आरक्षण

532. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान के स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों (बच्चों) के लिये दो प्रतिशत प्रशिक्षण शिक्षणालयों में आरक्षण है ? यदि हां, तो फिर क्या उनके भविष्य के लिए नौकरियों (नियोजन) में इसकी कोई

(श्री नवरंगसिंह)

व्यवस्था या प्रावधान किया गया है ? अगर नहीं, तो उस दो प्रतिशत प्रशिक्षण शिक्षणालयों में आरक्षण का क्या महत्व है ? क्या राज्य सरकार नियोजन में भी दो प्रतिशत प्रशिक्षण शिक्षणालयों की तरह प्रावधान करेगी ।

उत्तर

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में राजनैतिक पीड़ितों के पुत्र-पुत्रियों के लिये प्रत्येक विद्यालय में दो स्थान सुरक्षित रखने का प्रावधान है जो निर्धारित सीटों के अलावा है । नियोजन में आरक्षण करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

राष्ट्रीय मरुपार्क में आया बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों का क्षेत्र

533. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रान्त में राष्ट्रीय मरुपार्क बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में गडरा रोड से सतों तक के क्षेत्र में स्थापित किए जाने का निर्णय ले लिया गया है ?

(2) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कितना क्षेत्र बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों का है और उनमें कितने कितने रेवेन्यू ग्राम आते हैं ? ग्रामों की सूची मय क्षेत्रफल के जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त एरिया में बाड़मेर जिले का 2/3 हिस्सा और जैसलमेर का 1/3 हिस्सा आता है ?

(4) उक्त मरु पार्क को किस प्रकार किन-किन ग्रामों में क्या-क्या कार्य करके विकसित किया जावेगा ?

(5) उक्त मरु पार्क के लिए विभिन्न कार्यालय कहां-कहां स्थापित किये जावेंगे ?

उत्तर

1) जी हां ।

2) राष्ट्रीय मरु पार्क का दो तिहाई हिस्सा बाड़मेर जिला व एक तिहाई हिस्सा जैसलमेर जिले में पड़ता है । बाड़मेर जिले के सुन्दरा, गडरा रोड, गिराव, पावला एवं रोहड़ी आदि ग्राम व जैसलमेर जिले के मेजेसार सतों आदि ग्राम इस मरु पार्क के क्षेत्र में पड़ेंगे । मरु पार्क में सम्मिलित गांवों एवं उनके क्षेत्रफल क्षेत्र अभिज्ञान के बाद स्पष्ट हो सकेगा ।

3) जी हां ।

4) इस राष्ट्रीय मरुउद्यान का मुख्य उद्देश्य विस्तृत क्षेत्र की प्राकृतिकता को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने का है ।

(वन मन्त्री)

5) राष्ट्रीय मरु पार्क के विभिन्न कार्यालय बाड़मेर, जैसलमेर, गडरा रोड़ मेजला व अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित चौकियों पर होंगे। डोली, पोकरण व रामदेव इसके सेटेलाईट यूनिट (Satellite Units) होंगे।

इटावा कस्बे में मुन्सिफ कोर्ट खोलने की सिफारिश

534. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सैशन जज तथा जिलाधीश महोदय ने इटावा कस्बे में मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने की आवश्यकता महसूस करते हुए सिफारिश की है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इटावा वहां की धर्मशाला में पीठासीन अधिकारी, आफिस कारागृह, आदि के लिए चाहे अनुसार परिवर्तन करने को तैयार है तथा पीठासीन अधिकारी तथा कर्मचारियों के आवास की सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भी ग्राम पंचायत तत्पर है ?

(3) यदि हां, तो इन सबके बावजूद भी इटावा कस्बे में अभी तक मुन्सिफ कोर्ट नहीं खोले जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार अब जनहित को मध्येनजर रखते हुए शीघ्र इटावा में मुन्सिफ कोर्ट के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि इटावा में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट स्थापित करने की सिफारिश जिलाधीश तथा जिला सैशन न्यायालय ने की थी।

(2) इस सम्बन्ध में जिलाधीश ने एक पत्र अवश्य लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि न्यायालय के लिए कोई राजकीय भवन उपलब्ध नहीं है किन्तु वहां एक धर्मशाला है जिसमें आवश्यक परिवर्तन/परिवर्धन कर न्यायालय भवन एवं पीठासीन अधिकारी के आवास हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। जिलाधीश ने यह भी लिखा है कि कारागृह ग्राम पंचायत बनवाकर देने को तैयार है। पंचायत की तरफ से अभी तक कोई पत्र अथवा प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। धर्मशाला किसकी है, उसमें कौन परिवर्तन आदि करवायेगा, इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी जिलाधीश कोटा को यह लिखा जा चुका है कि इस परिवर्तन आदि में कितना व्यय होगा इसकी अनुमानित व्यय राशि का ब्यौरा भेजें।

(3) जैसा कि खण्ड–2 के उत्तर में कहा गया है कि धर्मशाला के मालिक अथवा पंचायत का कोई सीधा प्रस्ताव राज्य सरकार के पास नहीं है, इसलिए मौजूदा सूरत में न्यायालय भवन, आवास गृह व कारागृह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं मानी जा सकती। यदि उक्त सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी तो इटावा में एक मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने पर अवश्य विचार किया जा सकेगा।

तथ्यान्वेषण समितियां

535. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विधान सभा में विभिन्न समय में लगे आरोपों की जांच के सम्बन्ध में इस सदन की जिन तीन तथ्यान्वेषण समितियों की नियुक्तियां हुई उन समितियों के क्या प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष पेश हो गये हैं ?

(2) यदि पेश हो चुके तो, राज्य सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति की योग्यता

536. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के कितने विकास अधिकारी नान मैट्रिक हैं तथा कितने बी. ए. फेल हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इतनी थोड़ी योग्यता वालों को कब से विकास अधिकारी बनाया है तथा किन कारणों से, इन्हें क्या वेतन दिया जाता है ?

(3) क्या विकास अधिकारियों का स्तर यही रखना वाजिब है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) विकास अधिकारी पद पर नियुक्ति की दिनांक संलग्न सूची में अंकित है । ये अधिकारी पदोन्नति के आधार पर विकास अधिकारी बने । इनकी वेतन शृंखला 650–1270 है ।

(3) कार्य अनुभव एवं सेवा की अवधि के आधार पर दी गई पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता का आधार नहीं रहता है ।

सूचना

क्र. सं.	विकास अधिकारी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	विकास अधिकारी पद पर नियुक्ति का दिनांक
1	2	3	4
1—	श्री मीठूलाल सांखला	इन्टरमीडिएट	7–12–77
2—	श्री प्रेमनाथ सक्सेना	मैट्रिक	20–9–74
3—	श्री रतनलाल मांगवाल	,,	30–9–74
4—	श्री एन. जी. निगम	,,	23–11–74
5—	श्री बी. डी. मिश्रा	इन्टरमीडिएट	5–6–73
6—	श्री रामस्वरूप माली	मैट्रिक	1–10–77
7—	श्री हनुमानसिंह झाडा	,,	4–8–76
8—	श्री गोपाल लाल राठोड	,,	8–10–75
9—	श्री बी. एम. त्रिवेदी	,,	1–6–60
10—	श्री देवशंकर त्रिवेदी	नवीं कक्षा पास	5–6–72
11—	श्री प्रेमनारायण माथुर	मैट्रिक	23–11–74
12—	श्री हेतराम	मैट्रिक नोहर प. स.	27–5–60

स्वर्गीय श्री विजयसिंह जी पथिक का राजधानी में स्टेच्यू

537. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वर्गीय श्री विजयसिंह जी पथिक राजस्थान स्वतन्त्रता आन्दोलन में अग्रणी थे और उन्होंने ही बिजोलिया में सत्याग्रह की मशाल जलाई थी ?

(2) क्या यह सही है कि पूज्य बापू ने भी पथिक जी द्वारा चलाये गये आन्दोलन की बड़ी सराहना की थी ?

(3) क्या राजस्थान में जिस महापुरुष ने सत्याग्रह की सबसे पहले मशाल जलाकर बारडोली सत्याग्रह की तरह पूरे देश में मिसाल पैदा की थी उस महापुरुष को राजस्थान में किसी प्रकार का सम्मान दिया गया है ? क्या उनकी कहीं स्टेच्यू लगाई गई या किसी मार्ग या कालेज का नाम उन पर रखा गया ? यदि नहीं, तो क्या राजधानी में उनकी स्टेच्यू तथा किसी महत्वपूर्ण मार्ग को पथिक जी के नाम से करने का राज्य सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। बिजोलिया कस्बे में श्री विजयसिंह पथिक के नाम पर एक पार्क है जिसमें उनका स्टेच्यू भी लगा हुआ है।

गारन्टी रकम की वसूली हेतु शराब के ठेकेदारों पर रिकवरी के मुकदमे

538. श्री अब्दुलअजीज (मकराना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शराबबन्दी करने की योजना कब तक पूरे राजस्थान में लागू कर दी जायगी तथा शराबबन्दी से होने वाले घाटे को किस प्रकार राज्य सरकार पूरा करेगी ?

(2) क्या यह सही है कि शराब नहीं बेचने पर बकाया राशि वसूल करने हेतु शराब के ठेकेदारों के खिलाफ राज्य सरकार रिकवरी के मुकदमे चला रही है ताकि गारन्टी रकम वसूल की जा सके ?

उत्तर

(1) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा रंगे हाथ पकड़े गये व्यक्ति

539. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जनता सरकार के सत्ता

(198)

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

में आने के पश्चात् भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कितने लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा इनमें राजपत्रित अधिकारी, आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस. तथा आर. जे. एस. श्रेणी के कितने अधिकारी शामिल हैं ?

(2) राज्य में जनता सरकार के सत्ता में आने के पूर्व के तीन वर्षों के वार्षिक आंकड़े भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में जनता सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा (दिनांक 1/7/77 से 20/2/79 तक) 118 अधिकारियों व कर्मचारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इनमें से 18 राजपत्रित अधिकारी हैं। आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस., आर. पी. एस. का कोई अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुआ था।

(2) राज्य में जनता सरकार के सत्ता में आने के पूर्व के 3 वर्षों की अवधि (दिनांक 1/7/74 से 30/6/77 तक) 184 अधिकारियों व कर्मचारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया गया था। इनमें से केवल 18 ही राजपत्रित अधिकारी थे। उनमें भी आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. पी. एस., आर. ए. एस. का कोई अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुआ था। इन 184 का ब्यौरा इस प्रकार है :—

		राजपत्रित	अराजपत्रित	योग
1/7–74 से 31/12/74		2	33	35
1/1/75 से 30/6/75		3	19	22
	योग	5	52	57
1/7/75 से 31/12/75		2	27	29
1/1/76 से 30/6/76		2	25	27
	योग	4	52	56
1/7/76 से 31/12/76		2	30	32
1/1/77 से 30/6/77		7	32	39
	योग	9	62	71
तीन वर्षों का कुल योग		18	166	184

स्वायत्त शासन संस्थाओं के चुनाव

540. श्री शंकरलाल (जेतारण) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव फरवरी, 1979 में कराने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इन स्वायत्त शासन संस्थाओं के चुनाव घोषणानुसार नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

(2) अब इन संस्थाओं के चुनाव निश्चित तौर पर कब तक कराने का निर्णय है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इन संस्थाओं के आम चुनाव यथा सम्भव इसी साल में शीघ्रातिशीघ्र करा दिये जायेंगे।

राजस्व व कानून की दृष्टि से सांचोर को पृथक से उपखण्ड बनाना।

541. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर में अभी तक दो ही उपखण्ड राजस्व एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से चल रहे हैं? अगर हां, तो इतने बड़े जिले में दो ही उपखण्ड क्यों हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भीनमाल उपखण्ड बहुत ही बड़ा है जिससे राजस्व मामले एवं कानून एवं व्यवस्था करने में बड़ी भारी कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार सांचोर तहसील को अलग उपखण्ड बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि सांचोर में सहायक जिलाधीश एवं प्रथम श्रेणी न्यायाधीश का पद सृजित है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार उसको परगना अधिकारी के पद में परिणित करना उचित समझेगी एवं सांचोर तहसील को अलग परगना बनाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि अब सांचोर, ए. सी. एम. के पास एक परगना अधिकारी के पास कितना काम होता है, उतना काम उनको दिया हुआ है ? अगर हां, तो सांचोर को अलग उपखण्ड स्थापित कर उनके परगना अधिकारी बनाना उचित क्यों नहीं समझती जब कि राज्य सरकार को अलग से कोई खर्चा उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जालोर जिला अपेक्षाकृत छोटा जिला है अतः उसमें दो ही उपखण्ड हैं।

(2) जी नहीं।

(१२०)

(मुख्य मंत्री)

(3) सांचोर में सहायक जिलाधीश एवं प्रथम श्रेणी न्यायाधीश का एक पद सृजित है।

(4) राजस्व मामले निपटाने की सहायक जिलाधीश के पास वे सभी शक्तियां हैं जो परगनाधिकारी में होती हैं। सांचोर में अलग से उपखण्ड खोलने का कोई औचित्य नहीं है जो प्रत्येक तहसील मुख्यावास पर नहीं खोली जा सकती।

सस्ते एवं सुलभ न्याय की दृष्टि से खोले गये नये न्यायालय

542. **श्री गोपालपचेरवाल** (पाटन) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ग्रामीण किसानों को सस्ता न्याय दिलाने की योजना रखती है ? यदि हां, तो इस योजना के तहत कितने न्यायालय (मु. कोर्ट) खोले गये तथा अब कितने और कब तक खोलने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सन् 1948 के बाद तक केशोरायपाटन जिला बून्दी में मुन्सिफ कोर्ट था ? यदि हां, तो कब और क्यों हटाया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान में कुल 242 न्यायालय हैं। 39 नये न्यायालय शीघ्र खोलने की सम्भावना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अलग से कोई स्कीम नहीं है।

(2) राजस्थान जब बना, उस समय केशोरायपाटन में कोई न्यायालय नहीं था और न ही उसके बाद वहां न्यायालय सृजित किया गया।

सरकारी कर्मचारियों के सेवाकाल में वृद्धि

543. **श्री बजरंगलाल** (बनीपार्क, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की अवकाश ग्रहण करने की आयु बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

अधिवार्षिकी आयु बढ़ाने से नवयुवकों को रोजगार के अवसर अवरुद्ध हो जायेंगे।

राज्य कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन वृद्धियां

544. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 10 (6) एफ. डी.

(श्री किशनसिंह भाटी)

(ग्रुप-2)77 दिनांक 22-7-1977 के अन्तर्गत जो वेतन वृद्धियां राज्य कर्मचारियों को दी जाती है, वह पदोन्नति के समय वेतन निर्धारण में काउन्ट नहीं की जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त वेतन वृद्धियों को पदोन्नति के समय नियमित वेतन मानकर काउन्ट करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । ये वेतन वृद्धियां निजी वेतन के रूप में उन राज्य कर्मचारियों को राहत देने की दृष्टि से, उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत की गई हैं जो अपने वेतनमानों के अधिकतम पर रुके हुए हैं । सामान्यतया निजी वेतन मूल वेतन की आगामी वृद्धियों में समायोजित किया जाता है ।

(2) जी नहीं ।

राज्य के अन्त्योदयी परिवार

545. श्री योपतसिंह मक्कासर (हनुमानगढ़) : क्या अन्त्योदय योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत वर्ष छांटे गये अन्त्योदयी परिवारों की संख्या कितनी हैं ? जिन्हें अब तक कोई सहायता नहीं दी गई या जिन्हें बैंक द्वारा पास बुकें दे दी गई मगर बक द्वारा भुगतान नहीं किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) गत वर्ष अन्त्योदयी परिवारों को कितने बीघा भूमि दी गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि अन्त्योदयी परिवार के लिये खरीदे जाने वाले पशुओं का डाक्टरी मुआयना होना अनिवार्य है तथा बैंक पशु बेचने वाले को ही भुगतान करेगी ? यदि हां, तो बिना रुपयों के अन्त्योदयी वर्ग का परिवार किस तरह पशु खरीद सकेगा ?

(4) क्या यह सही है कि बिना नकद रुपया अन्त्योदयी को पशुओं का दाम अधिक देना पड़ता है ?

उत्तर

(1) अन्त्योदय योजना के प्रथम चरण में चयनित परिवारों में से 28-2-79 तक 18905 परिवारों को लाभान्वित नहीं किया जा सका है । पास बुकें ऋण वितरण के समय ही दी जाती है । ऐसा कोई परिवार नहीं जिसे पास बुक वितरण के पश्चात् ऋण नहीं मिला हो ।

(2) अन्त्योदय योजना के प्रथम चरण में दिनांक 28-2-79 तक 43,589 परिवारों को 299017 बीघा भूमि आवंटित की गयी है । जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । सही है । भुगतान पशु बेचने वाले को किया जाता है । चूंकि रुपये का भुगतान बेचने वाले को सीधा बैंक या रिवाल्विंग फण्ड से कर दिया जाता है अतः बिना रुपये पशु खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) यह सही नहीं है ।

(202)

मु० मंत्री

Statement Showing Land allotted to Antyodaya families

S. No.	Districts.	Bighas of land allotted.
1	2	3
1.	Ajmer	4672
2.	Alwar	1251
3.	Banswara	11630
4.	Barmer	18153
5.	Bharatpur	2748
6.	Bhilwara	12647
7.	Bikaner	19472
8.	Bundi	1209
9.	Chittorgarh	15657
10.	Churu	4870
11.	Doongarpur	1934
12.	S. Ganganagar	7396
13.	Jaipur	8059
14.	Jaisalmer	41631
15.	Jalore	5602
16.	Jhalawar	10501
17.	Jhunjhunu	—
18.	Jodhpur	10865
19.	Kota	14513
20.	Nagour	3527
21.	Pali	8637

1	2	3
22.	S Madhopur	3328
23.	Sikar	468
24.	Sirohi	3820
25.	Tonk	5942
26.	Udaipur	69700
		299017

तालाबों एवं बांधों से सिंचाई

547. **श्री कौशलकिशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(i) राजस्थान की विभिन्न पंचायत समितियों के अन्तर्गत कितने तालाब तथा बांध हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन बाँधों तथा तालावों से कितनी एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है ?

(3) इन बांधों तथा तालावों में अधूरे टूटे पड़े हुए कितने हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार इन बांधों या तालाबों को सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लेने का विचार कर रही है ? अगर नहीं, तो क्या राज्य सरकार इनके रख-रखाव के लिए पंचायत अथवा पंचायत समितियों को अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत समितियों के अन्तर्गत 4312 तालाब एवं 131 बांध है। सूचना अधिक लम्बी होने से सदन की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(2) तालाबों व बांधों से 96894 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है।

(3) 1617 बाँध व तालाब अधूरे व टूटे हुए बताए गये हैं।

(4) जी नहीं। अभी ऐसी व्यवस्था किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वाणिज्य कर अधिकारी के पदों पर कार्य कर रहे आर. ए. एस. अधिकारी

548. **श्री सूरजपालसिंह** (भीनमाल) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी का पद विभागीय है किन्तु फिर भी कुछ पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं, ऐसा क्यों ?

(2) राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि वाणिज्य कर विभाग में 50% पद विभागीय उपायुक्त के हैं किन्तु इस पद पर विभागीय अधिकारी केवल दो ही हैं, इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वाणिज्यिक कर विभाग में कुछ पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए एवं कुछ पद वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारियों के लिए स्वीकृत है। राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम 1971 के नियम 4 (2) के तहत

(203)

(वृत्त मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्वीकृत पदों पर ही उपरोक्त संवर्ग के नियुक्ति है। वाणिज्यिक कर सेवा के स्वीकृत पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित नहीं हैं।

(2) वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पद स्थापित अधिकारी निम्नानुसार हैं—

सर्व श्री—

1—ज्ञानचन्द जैन

2—रविप्रकाश नाग

3—आर. सी. रूंगटा

4—नरहरि शर्मा

5—पी. डी. पालीवाल

6—अशोक कुमार

7—सुभाष भार्गव

8—एन. के. भार्गव

9—रामनाथ गुप्ता

10—पी. सी. अग्रवाल

11—जगत प्रकाश शर्मा

(3) जी नहीं। विभाग में वाणिज्यिक कर सेवा के दो पद ही उपायुक्त हेतु स्वीकृत हैं। वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारी ही इन पदों पर काम कर रहे हैं।

पंचायत, पंचायत समितियां एवं जिला परिषदों के चुनाव

549. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समितियों के चुनाव के लिए सरकार ने क्या निर्णय किया है?

(2) क्या उक्त कार्य हेतु कोई अध्ययन दल बनाया गया है? यदि हाँ, तो इसके कौन मैम्बर हैं? यह दल किन विषयों पर रिपोर्ट देंगे? रिपोर्ट कब तक दी जायगी? क्या रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्यवाही की जावेगी?

(3) क्या भारत सरकार ने भी कोई मोडल बिल इस बाबत बनाना तय किया है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उसका अनुकरण करेगी?

(4) क्या अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार पंचायती राज को नहीं बनाना चाहती? यदि हां, तो क्यों?

(5) पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को मौजूदा अधिकारों के अलावा और क्या वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार राज्य सरकार देने जा रही है?

उत्तर

(1) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(पंचायत मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) इस बारे में राज्य सरकार को सूचना नहीं है। अतः अनुकरण का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं। मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम पंचायतों में सचिव के पद पर कार्य कर रहे ग्रामसेवकों और सरपंचों में तालमेल

550. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में जो ग्रामसेवकों को सचिव बनाया गया है उससे पंचायतों का कार्य ठप्प हो गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और नहीं तो अनेक ग्राम पंचायतों में एक ग्रामसेवक कैसे कार्य कर सकता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार से पंचायतों के कार्य बन्द से हो गए हैं क्योंकि सरपंचों व ग्रामसेवकों के कार्य में कोई तालमेल नहीं है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

मंत्री/सचिव/अधिकारियों द्वारा नागरिकों के पत्र के उत्तर देने की व्यवस्था

552. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में मंत्री/सचिव/अधिकारी द्वारा नागरिकों के पत्रों के उत्तर देने की कोई व्यवस्था है ? अगर नहीं, तो क्यों ? अगर हां, तो कम से कम और अधिक से अधिक समय अवधि क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि नागरिकों से प्राप्त पत्रों की 10 प्रतिशत संख्या को ही विभिन्न अधिकारियों द्वारा उत्तर दिये जाते हैं ? अगर हां, तो क्या इस व्यवस्था में सुधार किया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि पत्रों के उत्तर उचित समय में नहीं देने के कारण भ्रष्टाचार को बल मिलता है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यथा सम्भव नागरिकों के पत्रों का उत्तर दिया जाता है इसके लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं है।

(2) नागरिकों द्वारा प्राप्त जितने पत्रों के उत्तर दिये जाते हैं, को संग्रहित करने की कोई व्यवस्था नहीं है और यह सूचना एकत्रित नहीं की जाती।

(मुख्य मन्त्री)

(3) पत्रों का समय पर उत्तर देने व भ्रष्टाचार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

राज्य कर्मचारियों को 1000 मील की यात्रा व्यय एवं अवकाश का प्रावधान

553. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक कर्मचारी को देश भ्रमण हेतु एक हजार मील कम से कम यात्रा का व्यय तथा अवकाश राज्य सरकार देती है ? यदि हां, तो क्या यह सुविधा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य के किसी भी कर्मचारी को देश भ्रमण हेतु एक हजार मील कम से कम यात्रा का व्यय तथा अवकाश राज्य सरकार नहीं देती है।

चित्तौड़ के ऐतिहासिक दुर्ग को पर्यटन केन्द्र बनाने की योजना

554. श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चित्तौड़गढ़ जिला एवं दुर्ग, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसे पर्यटन केन्द्र बनाने के लिए राज्य सरकार क्या योजना रखती है ? क्या बजट में इस सम्बन्ध में उचित राशि का प्रावंटन कर इसे महत्व देगी ?

उत्तर

जी हां। चित्तौड़गढ़ पूर्व में ही पर्यटन केन्द्र है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भारत सरकार के आर्कोलोजीकल सर्वे विभाग द्वारा संरक्षित है।

विभिन्न विभागों को आवंटित बजट

555. श्री रामेश्वरप्रसाद (चौमूं) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1978-79 में किस किस विभाग ने कितना कितना धन अनुमानित बजट के आधार से कम खर्च किया है ?

(2) इन विभागों के द्वारा इस राशि को खर्च न करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं निर्देशकों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978–79 के मदवार बजट अनुमान एवं दिसम्बर, 1978 तक

(206)

(मुख्य मन्त्री)

हुए व्यय की सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। राज्य की संचित निधि में से होने वाले कुल व्यय का 53.71% दिसम्बर, 1978 तक व्यय हो चुका है। इसमें योजना भिन्न व्यय का प्रतिशत 55.86 तथा योजना व्यय (केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं सहित) का प्रतिशत 48.21 है। पिछले वर्ष इसी अवधि में योजना भिन्न व्यय का प्रतिशत 59.90 था तथा योजना व्यय (केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं सहित) का प्रतिशत 36.44 था इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में योजना व्यय में अधिक गति आई है। सामान्यतया चौथी तिमाही में ही पहली तीन तिमाही की तुलना में अधिक व्यय होता है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1978-79 के मदवार बजट अनुमान एवं दिसम्बर, 1978 तक हुए व्यय की तालिका।

(रुपये लाखों में)

व्यय के शीर्षक	आय-व्ययक अनुमान 1978–79	दिसम्बर, 1978 के अन्त तक वास्तविक व्यय
1	2	3
(क) सामान्य सेवायें :		
(क) राज्य के अंग	512.50	352.10
(ख) राजकोष सम्बन्धी सेवायें	1922.93	1180.03
(ग) ब्याज की अदायगी और ऋण सेवायें	6700.00	2754.34
(घ) प्रशासनिक सेवायें	4594.65	3473.72
(ङ) पेंशन और विविध सामान्य सेवायें	1607.04	1057.74
योग–क	15337.12	8817.84
(ख) सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें		
शिक्षा	10816.18	7724.92
चिकित्सा	3261.99	2031.63
लोक स्वास्थ्य	2223.00	1477.14

(208)

1	2	3
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1229.01	829.42
अन्य	2605.01	1400.02
योग—ख	20135.28	13463.13
(ग) आर्थिक सेवायें		
(क) सामान्य आर्थिक सेवायें	540.09	370.46
(ख) कृषि और सम्बद्ध सेवायें	6849.63	2893.07
(ग) उद्योग और खनिज	1104.84	805.05
(घ) जल और बिजली विकास	4098.53	1123.71
(ङ) परिवहन तथा सचार	1733.89	1054.71
योग—ग	14326.98	6247.00
(घ) सहायतार्थ अनुदान और अंशदान	571.53	480.90
योग राजस्व	50370.91	29008.87

209

1	2	3
पूंजीगत व्यय		
(क) सामान्य सेवाओं का पूंजी खाता	253.71	129.27
(ख) सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं पर पूंजी की लागत	1194.58	622.93
(ग) आर्थिक सेवाओं पर पूंजी की लागत	10238.08	4640.95
योग पूंजीगत व्यय	11685.83	5393.15
राज्य ऋण		
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	15791.05	6411.35
केन्द्री सरकार से ऋण तथा अग्रिम	3846.58	2292.13
योग राज्य ऋण	19637.63	8703.48
ऋण तथा अग्रिम	5812.37	3895.32
	87506.74	47000.82

परिशिष्ट–2

अतारांकित प्रश्न सं. 610 की सूची

पाली जिले में तहसीलदार वर्ष 1976–77–78 में जो मामले (कर निर्धारण) निपटाये गए एवं जो पेंडिंग रहे उनका विवरण ।

क्र.सं.	तहसील का नाम	मामलों का निपटारा 1976-77			1977-78			31-3-1978 को अवशेष मामले		
		राज. बि. क.	के. बि. क.	योग	राज. बि. क.	के. बि. क.	योग	राज. बि. क.	के. बी. क.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राजस्व तहसील, पाली	578	101	679	724	64	788	799	107	905
2.	राजस्व तहसील, पाली	593	170	768	661	109	770	1355	147	1502
3.	राजस्व तहसील, देसूरी	305	31	336	51	4	55	135	46	181

211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	राजस्व तहसील, सोजत	273	51	324	329	49	378	143	35	178
5.	राजस्व तहसील, रायपुर	116	14	130	95	1	96	56	6	72
6.	राजस्व तहसील, जैतारण	125	—	125	163	—	163	116	7	123
7.	राजस्व तहसील, खारची	224	7	231	191	5	196	87	4	91
	योग	2219	374	2593	2214	232	2446	2701	352	3053

(212)

परिशिष्ट--3

अतारांकित प्रश्न संख्या 611 की सूची

विभाग में कार्यरत निरीक्षकों की सूची

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम
1	2
	सर्वश्री
1.	अमरसिंह बहादुर
2.	अभय कुमार वाजपेई
3.	अम्बिका प्रसाद नागर
4.	अशोक कुमार बोहरा
5.	बने सिंह
6.	भंवर लाल डाबी
7.	बुद्धा राम
8.	भगवत स्वरूप कौशिक
9.	भाग चन्द जैन
10.	बाल किशन गर्ग
11.	भोमा लाल बैरवा
12.	बाल किशन गर्ग
13.	भंवर लाल मालाकार
14.	चन्द्र प्रकाश माथुर
15.	चन्द्र शेखर शर्मा
16.	चन्द्र भान जाखाड़
17.	देवी शंकर शर्मा
18.	देवेन्द्र कुमार चौधरी
19.	देवी लाल साहू
20.	दिनेश चन्द्र शर्मा

1	2
21.	गोपाल कृष्ण दशोरा
22.	गोतम चन्द्र ल
23.	गोपाल सिंह भाटी
24.	हनुमान सिंह बुडानिया
25.	हरिशंकर भारद्वाज
26.	हरिओम शर्मा
27.	भांवर मल भूरिया
28.	जोगा राम विश्नोई
29.	काशीराम यादव
30.	कालूराम विश्नोई
31.	कृष्ण चन्द्र जैन
32.	किरतूर राम
33.	कृष्ण कुमार ध्याम
34.	के. के. शर्मा
35.	मुरलीधर पुरोहित
36.	महेश चन्द शर्मा
37.	महेश चन्द गुप्ता
38.	महेश दत्त शर्मा
39.	भंवर लाल वर्मा
40.	नारायण प्रसाद परिहार
41.	प्रभुदयाल वर्मा
42.	प्रताप चन्द
43.	पवन कुमार नागछिया
44.	राम प्रसाद पाठक
45.	रघुवीर सिंह कनावत
46.	रेणुलाल जांगोर
47.	रामेश्वर लाल

२५

1	2
48.	राजेन्द्र दत्त शर्मा
49.	रमेश चन्द पारीक
50.	रमेश कुमार शर्मा
51.	सुमेर सिंह जाखड़
52.	सुभाष चन्द्र
53.	शिव दयाल गूजर
54.	सुरेश नारायण शर्मा
55.	सुभाष चन्द्र चौहान
56.	उम्मेद राम चौधरी
57.	उम्मेद सिंह तोमर
58.	उदयसिंह भाटी
59.	विशन चन्द अग्रवाल
60.	विजय चन्द जैन
61.	युगल बिहारी शर्मा

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 615 की सूची

शालावार एवं पंचायत समितिवार शालाओं की सूची

पंचायत समिति सिकराय

क्र सं.	नाम पाठशाला	विद्यार्थियों की संख्या	कार्यरत अध्या. की संख्या	1:40 के अनुसार अध्या. की आवश्यकता	अध्या. की कमी
1	2	3	4	5	6
	प्रा. शा.				
1.	रेटा	64	1	1	—
2.	दूबी	183	4	4	—
3.	कैलाई	76	2	2	—
4.	भोजपुरा	82	2	2	—
5.	सिकन्दरा	413	7	10	3
6.	बावनपाड़ा	117	2	3	1
7.	मरियाड़ा	104	2	2	—
8.	लीखली	39	1	1	—
9.	पीपलकी	52	1	1	—
10.	मानपुर	331	7	8	1
11.	निकटपुरी	39	1	1	—
12.	चान्देरा	87	2	2	—
13.	ब्रह्मबाद	87	1	2	1
14.	मीणा सीमला	71	1	2	1
15.	उदयपुरा	132	1	3	2
16.	भालपुर	40	1	1	—
17.	नान्दरी	67	1	2	1
18.	चान्दूसा	24	1	1	—
19.	हिंगी	30	1	1	—
20.	पिलोडी	54	1	1	—
21.	खेड़ला	41	1	1	—

Page No. 242

(२८)

1	2	3	4	5	6
22.	पांचोली	129	3	2	—
23.	मुरलीपुर	42	1	1	—
24.	धूलकोट	47	1	1	—
25.	सिकरी	71	1	2	1
26.	संवास	47	1	1	—
27.	प्रा. शाला रायपुरिया	123	2	3	1
28.	भीन्दरवाड़ा	111	2	3	1
29.	ब्राह्म बेराडा	127	2	3	1
30.	बासड़ा	22	1	1	—
31.	गिरधरपुरा	46	1	1	—
32.	कालेडा	32	1	1	—
33	छोकरवाड़ा	126	2	3	1
34.	निहालपुरा	89	2	2	—
35.	पिलवाकलां	101	2	2	—
36.	गुजर बेराडा	53	1	1	—
37.	देवली	117	2	3	1
38.	झापडावास	81	1	2	1
39.	मोचिमपुरा	38	1	1	—
40.	मोरोली	41	1	1	—
41.	गड	99	2	2	—
42.	कोरडाकलां	27	1	1	—
43.	गुजरवाड़ा	22	1	1	—
44.	राजवास	82	2	2	—
45.	झरना	48	1	1	—
46.	झीझन	36	1	1	—
47.	बडली	42	1	1	—
48.	रामगढ़	52	1	1	—

1	2	3	4	5	6
49.	पाडली	81	2	2	—
50.	केला ई सिकराय	18	1	1	—
51.	बे. शाला सिकराय	305	6	8	2
52.	हरिजन सिकराय	70	2	2	—
53.	गमीपुर	58	1	1	—
54.	रामेडा	34	1	1	—
55.	कुंडेरा डूंगर	44	1	1	—
56.	सिकराय डूंगर	98	2	2	—
57.	नामनेर	51	1	1	—
58.	प्रा. शा. बै. गिजगढ़	331	7	9	2
59.	हनुमान गेट गिजगढ़	189	4	5	1
60.	भांकरी	81	2	2	—
61.	जांगीरिया	51	1	1	—
62.	गांगदवारी	151	2	3	1
63.	अगावली	47	1	1	—
64.	लांका	103	2	2	—
65.	ददांकर	22	1	1	—
66.	ओख्या	63	1	1	—
67.	फरीश-पुरा	88	2	2	—
68.	पाटण	86	1	2	1
69.	जयसिंहपुरा	90	2	2	—
70.	गढ़ी	81	2	2	—
71.	नारलोरा	95	1	2	1
72.	गढ़ का कुआं	26	1	1	—
73.	कन्या शा. मानपुरा	122	2	3	1

1	2	3	4	5	6
74.	ठिकरिया	238	4	6	2
75.	गुमानपुरा	140	2	4	2
76.	बेरावडा	171	2	4	2
77.	गुजसीमला	50	1	1	—
78.	जोपाडा	54	1	1	—
	योग	7032	138	170	32

219

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 616 की सूची से सम्बन्धित सूचना

पंचायत समिति सोजत (पाली) में 10 वर्ष से ज्यादा समय से कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	कब से कार्यरत है
1.	श्री धर्मसिंह	कार्यालय सहायक	1-10-58
2.	,, रामेश्वर लाल	वरिष्ठ लिपिक	10-7-67
3.	,, हमीद हुसैन	कनिष्ठ लिपिक	3-1-61
4.	,, कानाराम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	30-11-58
5.	,, बाबूलाल	,, ,, ,,	20-8-57
6.	,, नारायण लाल	पशुधन सहायक	20-9-65
7.	,, बसवन्तसिंह	,, ,,	26-4-69
8.	,, सयन सिंह	वाहन चालक	18-10-57
9.	,, लक्ष्मण	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10-1-68
10.	,, रतनलाल	ग्राम सेवक	7-9-62
11.	,, श्री. सी. जैकब	,,	10-10-62

(220)

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न सं 619 से सम्बन्धित आदेश

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्रमांक एफ 4/एल० जे०/पंचा/स्पष्ट/7/78/54 जयपुर, दिनांक 2-3-79

समस्त प्रति./उपजिला विकास अधिकारी

विषय :— सरपंच/उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में सहवृत (Co-cpted) तथा सहयोगी (associa-ted) सदस्यों के भाग लेने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

इस विभाग को अवगत कराया गया है कि सरपंच/उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में सहवृत (Co-opted) तथा सहयोगी (associated) सदस्य भाग ले सकते हैं, इस बारे में कुछ भ्रान्ति है।

इस सन्दर्भ में आपका ध्यान राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1953 की धारा 19 की ओर पुनः आकर्षित कर स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3-12-64 से संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी सरपंच अथवा उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में निर्वाचित पंचों के अतिरिक्त सहवृत (Co-opted) पंच भी भाग ले सकते हैं लेकिन सहयोगी (associated) पंच अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में भाग लेने के लिए सक्षम नहीं हैं।

ह०

उप विकास आयुक्त (प्रशि.)

राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1—समस्त जिलाधीश

2—समस्त विकास अधिकारी

ह०

उप विकास आयुक्त (प्रशि.)

राजस्थान, जयपुर

221

अतारांकित प्रश्न सं. 619 की सूची

जयपुर जिले की पंचायतों के सरपंच एवं उपसरपंचों के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव की सूची

क्र. सं.	नाम पं. समिति	नाम पंचायत	नाम सरपंच, उपसरपंच, जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुए।
1	2	3	4
1.	कोटपूतली	देवता	श्री ओम प्रकाश यादव, सरपंच
2.	,,	पण्डितपुरा	श्री सूरजमल, सरपंच
3.	लालसोट	महारिया	श्री प्रभु लाल, सरपंच
4.	विराटनगर	पावटा	श्री गुजर मल, उपसरपंच
5.	सिकराय	उदयपुरा	श्री गोपीलाल, सरपंच
6.	शाहपुरा	अमरसर	श्री मोहनलाल शर्मा, उपसरपंच
7.	सांभर	जोरपुरा (जोबनेर)	श्री देवीलाल नागा, सरपंच
8.	चाकसू	खान्देल कलां	श्री रामेश्वर प्रसाद, सरपंच
9.	दौसा	बारदा	श्री सांवलराम, उपसरपंच
10.	गोविन्दगढ़	धोबलाई	श्री हरिमोहन, उपसरपंच
11.	,,	सेजरोली	श्री कजोड़मल, सरपंच
12.	बान्दीकुई	देलाडी	श्री रामनिवास सरपंच
13.	आमेर	मोरीजा	श्री द्वारका प्रसाद आत्रेय, सरपंच
14.	विराटनगर	जोधपुरा	श्री मंगल राम, सरपंच
15.	चाकसू	रूपाहेड़ीकलां	श्री लादूराम, उपसरपंच

222

परिशिष्ट--7

अतारांकित प्रश्न सं. 622 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	गेहूं जो अब तक आवंटित किया गया है। (मैट्रिक टनों में)
1	2	3
1.	बीकानेर	3,880
2.	चूरू	3,870
3.	गंगानगर	1,500
4.	अलवर	5,590
5.	भरतपुर	5,502
6.	झुन्झुनू	15,210
7-	सवाईमाधोपुर	8,780
8.	सीकर	10,730
9.	जयपुर	24,740
10.	टौंक	2 260
11.	अजमेर	20,690
12.	बाड़मेर	1,790
13.	जैसलमेर	740
14.	जालौर	1,970
15.	जोधपुर	8,460
16.	नागौर	5,520
17.	पाली	12,230
18.	सिरोही	3,780
19.	बूंदी	5,310
20.	झालावाड़	5,088
21.	कोटा	12,680
22.	बांसवाड़ा	5,070

223

1	2	3
23.	भीलवाड़ा	9,850
24.	चित्तौड़गढ़	5,910
25.	डूंगरपुर	2,130
26.	उदयपुर	14,770
	योग	1,99,950

(224)

पंचायत समिति गोविन्दगढ़

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत दिनांक 22-3-79 तक किये गये
गेहूं वितरण की सूची पंचायतवार

1	पंचायत के नाम 2	कुल किलो 3	ग्राम 4
1.	किशनपुरा	262-82	
2.	नागलगोविन्द	100-30	
3.	आष्टीकला	288-10	
4.	मोरीजा	210-07	
5.	नागलमरडा	192-60-900	
6.	इटावामोपजी	201-76-500	
7.	सिंगोदकला	300-73-800	
8.	धोबलाई	315-50-00	
9.	ढोडसर	254-20-100	
10.	हाडोता	251-15-00	
11.	टाकरडा	306-70-00	
12.	तिगरिया	346-73-300	
13.	कालाडेरा	889-35-00	
14.	घिनोई	342-66-300	
15.	सान्दरसर	92-40-00	
16.	हस्तेडा	459-98-00	
17.	आलीसर	576-98-300	
18.	लाहूरवाडा	265-33-500	
19.	मण्डामीण्डा	674-31-200	
20.	अमरपुरा	239-92-600	

225

1	2	3	4
21.	महारकला	288-08-600	
22.	कुशलपुरा	390-67-500	
23.	फतहपुरा	212-37-300	
24.	खेजरोडी	302-13-800	
25.	गोविन्दगढ़	560-68-100	
26.	उदयपुरिया	397-08-800	
27.	नागलकोजू	207-83-900	
28.	निवामा	403-33-100	

काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत दिनांक 15-3-79 तक के पूर्ण कार्यों का विवरण पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ (जिला जयपुर)

क. सं.	नाम पंचायत	पूर्ण कार्यों की संख्या							योग
		स्कूल भवन	चिकित्सालय	पेयजल	पंचायत घर	तलाई खुदाई	ग्रामीण सड़क	अन्य कार्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	तिगरिया	—	—	7	—	—	—	10	17
2.	निदाना	—	—	—	—	—	—	5	5
3.	मण्डावीडा	2	—	—	—	—	—	8	10
4.	हस्तेडा	1	—	3	—	—	—	3	7
5.	हाड़ोता	1	—	—	—	—	—	12	13
6.	टांकरडा	1	—	1	—	—	—	1	3
7.	लोहरवाड़ा	2	—	1	—	1	—	2	6
8.	ढोढसर	4	—	—	—	—	—	3	7

227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	घोवलाई	4	—	2	—	—	—	2	8
10.	सिंगोदकलां	—	—	—	—	—	—	1	1
11.	ग्रालीसर	1	—	2	—	—	—	18	21
12.	खेजड़ाली	1	—	—	—	—	—	6	7
13.	फतेहपुरा	—	—	—	—	—	1	4	5
14.	कुशलपुरा	—	—	—	—	1	—	—	1
15.	सहारकलां	—	—	—	—	1	—	3	4
16.	ग्रमरपुरा	—	—	—	—	—	—	4	4
17.	नांवलभरडा	1	—	—	—	—	—	4	5
18.	इटांवाभोपजी	2	—	—	—	—	—	2	4
19.	कालाडेरा	—	—	2	1	—	22	5	30
20.	चीथवाड़ी	—	—	—	—	1	—	—	1
21.	ग्राष्टीकला	—	—	2	—	—	—	—	2
22.	घिनोई	1	2	1	—	—	—	6	10
23.	किशनपुरा	2	—	—	—	—	—	4	6
24.	नांमलगोविन्द	—	—	—	—	—	—	1	1

(220)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	नांमल कौजू	—	—	—	—	—	—	2	2
26.	खूतेडा	1	—	1	—	—	—	4	6
27.	जेजपुरा	—	—	—	—	1	—	4	5
	योग	24	2	22	1	5	23	114	191

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न सं. 628 की सूची

परिशिष्ट 'अ'

राज्यों में चल रहे सेवा सदनों (भिक्षुक गृह) की सूची

स्थान सेवा सदन	प्रारम्भ का वर्ष	दिनांक 1-1-79 की स्थिति	
		स्वीकृत संख्या	शेष
जयपुर	1971-72	150	50
अजमेर	1967	150	70
उदयपुर	1973-74	25	12

वर्ष 1977 तक जयपुर, अजमेर एवं उदयपुर सेवा सदनों के माध्यम से जो भिक्षुक पुर्नवासित किये गये उनका विवरण निम्नानुसार है :—

1.	परिवार में भेजे गये	1040
2.	सरकारी नौकरियों पर लगाये	18
3.	प्राइवेट नौकरियों पर लगाये	119
4.	निजि धन्धों में लगाये	219
5.	अन्य उद्योग धन्धों में जैसे मुर्गी पालन, छपाई, मजदूरी	219
6.	प्रशिक्षण करमुक्त किये	1660
7.	स्वेच्छा से मुक्त	739
	योग	4014

(230)

परिशिष्ट 'ब'

सेवा सदन जयपुर द्वारा भिक्षुकों को विभिन्न उद्योगों के लिए स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर से दिलाये गये ऋण का विवरण ।

नाम उद्योग	व्यापारियों की संख्या	स्वीकृत राशि
1. गुब्बारा	10	5000
2. ठेला	4	4000
3. रिक्शा	5	4500
4. सिलाई	1	1000
5. साबुन	10	16000
6. काष्ट कला	1	1000
	31	

बजट प्रावधान वर्ष 1978-79

1. अजमेर सेवा सदन	200600
2. जयपुर सेवा सदन	136450
3. उदयपुर सेवा सदन	80000
4. प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र	64300

परिशिष्ट 'स'

वर्ष 1978 में सेवा सदनों के माध्यम से आवासियों के पुनंवास एवं प्रशिक्षण की स्थिति

1.	परिवार में भेजे गये	136
2.	निजी व्यवसाय	44
3.	राज्य सेवा	1
4.	निजी सेवा	3
5.	स्वेच्छा से मुक्त	314
6.	वर्ष के अन्त में शेष	132
	कुल	498

शेष

(अ) अजमेर	70
(ब) जयपुर	50
(स) उदयपुर	12
	132

वर्तमान में रह रहे आवासियों का कार्यवार विवरण

	काष्ट कला	बुनाई	कृषि	लोहारी
अजमेर सेवा सदन	3	12	13	4

मुर्गीपालन व मजदूरी	अन्य	कुल
20	18	70

232

जयपुर सेवा सदन	साबुन	रिक्शा	गुब्बारा व खिलौना	
	6	7	12	
	मजदूरी	अन्य	कुल	
	15	10	50	
उदयपुर सेवा सदन	खिलौना	मजदूरी	अन्य	कुल
	2	2	8	12